Monday, 28 February, 1983

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 7, सोमवार, 28 फरवरी, 1983/9 फाल्गुन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
xतारांकित प्रश्न संख्या 102,104 से 106,108 और 116	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—281
तारांकित प्रश्न संख्या : 103,107,109 से 115 और 117 से 121	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1152 से 1189,1191 से 1222,1224 से 1371 और 1373 से 1385	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	281—302
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	302—303
श्री जी० एम० बनातवाला	302
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	303—308
नई दिल्ली स्थित एयर फ्रांस और ईराकी एयरवेज के कार्यालयों तथा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के दूतावासों में हाल ही में हुए विस्फोटों का समाचार	303
श्री भीखा भाई	303
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	303
डा० कृपासिन्धु भोई	306
नियम 377 के अधीन मामले	308—313
(एक) मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता	308
श्री राम प्यारे पनिका	308

xकिसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
(दो)	"रुपया यात्री चैक" के केन्द्रीयकरण तथा समन्वयकरण का कार्य कलकत्ता में पुनः आरम्भ करना	309
	श्री नीरेन घोष	209
(तीन)	अकाल पीड़ित किसानों को सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता	310
	श्रीमती गीता मुखर्जी	310
(चार)	शिवालिक सेल्यूलोज लिमिटेड गजरौला, मुरादाबाद जिला (उत्तर-प्रदेश) के मजदूरों को बकाया मजदूरी की राशि का भुगतान करने तथा उस मिल को पुनः चलाना	311
	श्री चन्द्रपाल सिंह	311
(पांच)	गुजरात के मेहसाना जिले के बीजापुर क्षेत्र में वर्जिनिया तम्बाकू की खरीद का प्रबन्ध	311
	श्री मोतीभाई आर० चौधरी	311
(छः)	समुद्री कछुओं के अनुरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करना	312
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	312
(सात)	केरल राज्य में वितरण हेतु राशन के कोटे में वृद्धि करना	
	श्री जी० एम० बनातवाला	313
(आठ)	कोचीन में विदेशी हवाई डाक की छंटाई का एक कार्यालय खोलने की आवश्यकता	356
	श्री जेवियर अराकल	356
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		313
	श्री कुंवर राम	313
	प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	321
	श्री चित्त बसु	325
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	329
	श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	332
	श्री टी० एस० नेगी	340

विषय	पृष्ठ

श्री राम प्यारे पनिका	327
श्रीमती कृष्णा साही	344
डा० कर्ण सिंह	348
श्री गिरधारी लाल व्यास	351
श्री जयन्ती पटनायक	354
बजट (सामान्य)—1983-84-पेश किया गया	357—391
वित्त विधेयक, 1983—(पुर:स्थापित)	392
श्री प्रणव मुखर्जी	392

लोक सभा

सोमवार, 28 फरवरी 1983/9 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी रोजाना का शुरू हो गया है, कोरम नहीं रहता, घंटी बजती है। यह अच्छा नहीं लगता ।

माननीय सदस्य गण : मुझे यह पसंद नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देखिये हम तो डेकोरम के लिए हैं, यह कोरम के लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक काफी जिम्मेदारी है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस काम के लिए दोनों ही दोनों के लिए है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रायोगिक फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

102. **श्री सूर्य नारायन सिंह**
श्री जी० वाई० कृष्णन् } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लागू प्रायोगिक फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन राज्यों में लागू है, पूरी योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं और अब तक की वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) योजना के धीमी गति से कार्यान्वयन के क्या कारण हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही मार्गदर्शी फसल बीमा योजना 1979 में इसके शुरू किए जाने के समय से ही धीरे-धीरे प्रगति कर रही है। (ख) इस योजना को अब तक 10 राज्यों र्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने अपनाया है। इसके तहत चालू योयना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, पूरी योजना के कुल 5 लाख हेक्टार के लक्ष्य के मुकाबले 1.01 लाख हेक्टार क्षेत्र को लाया जा चुका है।

(ग) सामान्य बीमा निगम के पास क्षेत्र संगठन का अभाव तथा इस योजना में कुछ कमियाँ होने के कारण प्रगति धीमी रही है, जो इस प्रकार है :—(1) क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण, (2) अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को शामिल न करना, (3) क्षतिपूर्ति न की जाने वाली उच्च सीमा का निर्धारण, (4) चयन किए गए क्षेत्र के आकार का बहुत बड़ा होना, जिससे वह एक समान नहीं हो सकता; तथा (5) 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर गारंटी शुदा उपज का निर्धारण। इस योजना में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गयी है ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : यह कहा गया है कि यह योजना प्रयोग के तौर पर लागू की गयी है। नियमित तौर पर क्यों नहीं ? दूसरे यह केवल 10 राज्यों में लागू की गई है। आप इसे अन्य राज्यों में भी क्यों लागू नहीं करते ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि इसे अधिक राज्यों में लागू करने के लिए कार्यवाही शुरु की गयी है। सचिवों की एक समिति ने इस पर विचार किया था। इस पर एक गोष्ठी हुई थी जिसने कई सिफारिशें की।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : सिफारिशों के इलावा अब देश इन समस्याओं का सामना कर रहा है कि बेरोजगारी एक बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, कई लोग बिना रोजगार के हैं। कई शिक्षित लोगों के इस योजना के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जाता ? 1979 से यह योजना प्रयोग के तौर पर चल रही है। इसे नियमित तौर पर क्यों नहीं चलाया जाता और योजना को कैंप्टनों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न रोजगार देने का नहीं है लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा है सरकार इस योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाना चाहती है। वर्कशाप में कई सिफारिशें की गई हैं। ये सब सरकार के विचाराधीन है।

श्री अमर राय प्रधान : इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर से पता चलेगा कि सभी कमियों तथा त्रुटियों के लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार हैं। हमारी कृषि मुख्यत: प्रकृति पर निर्भर करती है। देश के किसी न किसी कौने में हर वर्ष सूखा तथा बाढ़ आती रहती है।

फसल बाकी नीति गरीब किसानों के लिए अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल सरकार बार-बार केन्द्रिय सरकार को गरीब किसानों के हित में अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में फसल बाकी योजना लागू करने के लिए कहती आयी है। इसके अतिरिक्त उत्तर के दूसरे भाग में अपने सामान्य बाकी कम्पनी में फील्ड अधिकारियों के अभाव का जिक्र किया है। आप वित्त मंत्रालय को अधिक क्षेत्र अधिकारी नियुक्त करने के लिए क्यों नहीं कहते ?

यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है और इसलिए आप इस मामले को वित्त विभाग के साथ उठायें। आप इसे क्यों नहीं उठा रहे हैं ?

दूसरे आप इस फसल बाकी योजना को अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीब किसानों के लिए क्यों लागू नहीं कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह एक अच्छी योजना है लेकिन इसके लिए राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है, जब तक राज्य तैयार न हो, तब तक इसे लागू करना सम्भव नहीं। हम राज्यों को राजी करने की कोशिश करते हैं। वर्कशाप के लिए हमने लगभग सभी राज्यों का भाग लेने के लिए आमंत्रित किया या कई सिफारिशें की गयीं है। एक ऐसी सिफारिश अधिक जोखिम वाले राज्यों के बारे में है। हम इन सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। अन्ततः वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के तालमेल तथा सहायता से ही हम योजना को आगे चला सकते हैं।

जेवियर अराकल : यह योजना 1979 में शुरू की गई और उसके बाद योजना कार्यान्वयन के बारे में कई सिफारिशें की गयीं। मेरा पहला प्रश्न यह है :—1979 से इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गरीब किसानों को कितनी राशि दी गई ? दूसरे, क्या यह योजना कृषि कार्यों के तंग दायरे तक ही सीमित रहेगी; क्या यह समूचे क्षेत्र में लागू नहीं होगें ? इन दो प्रश्नों के उत्तर दिये जायें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं जानकारी देना चाहूंगा। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह तंग क्षेत्र नहीं है। हम यथासम्भव अधिक क्षेत्रों पर इसे लागू करना चाहते हैं। जैसे कि वर्कशाप ने सिफारिश की, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों पर भी इसे लागू किया जाना है। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं वर्ष-बार आंकड़े दूंगा। 1979-80 में 5.25 लाख रुपये के दावों का भुगतान किया गया, 1980-81 में 3.27 लाख; 1981-82 में 7.30 लाख के दावों का भुगतान किया गया। 1982-83 खरीफ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भुगतान किया गया प्रिमियम इस प्रकार है : 1979-80, 7.83 लाख; 1980 81-6.94 लाख; 1981-82-7.58 लाख; 1982-83 खरीफ 13.01 लाख; ये भुगतान किए गये प्रिमियम के आँकड़े हैं। यदि माननीय सदस्य किसानों की संख्या चाहते हैं और क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। 1979 में 13,181 हेक्टेयर में यह योजना लागू की गयी और 16,268 किसान लाभान्वित हुए।

1980-81 में 18,753 हेक्टेयर में लागू की गई और 23,442 किसान लाभान्वित हुये। 1981-82 में 24,553 हेक्टेयर में लागू हुई और 24,831 किसान लाभान्वित हुये। 1982-83 में 57,568 हेक्टेयर में लागू हुई और 43,428 किसान लाभान्वित हुये।

गांवों में पेय जल सुविधा लेने के लिए स्वीकृत धनराशि

*104. **श्री के० प्रधानी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से गांवों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इस संबंध में उड़ीसा राज्य पर विचार किया गया है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ).

(क) यह सच है कि पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधनों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिए गए थे। वर्ष 1982-83 के दौरान अनुदानों का राज्यवार विवरण तथा वर्ष के दौरान लाभान्वित किये जाये समस्या ग्रस्त ग्रामों के लक्ष्य का एक **विवरण संलग्न है**। उड़ीसा सरकार को भी इस प्रयोजन के लिये अनुदान दिये गये हैं।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम—

वर्ष 1982-83 (25.2.1982 को) दौरान दी गई निधियां तथा वर्ष के दौरान लाभान्वित किये जाने वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का लक्ष्य।

क्रम सं०	राज्य+संघ राज्य	वर्ष 1982-83 के दौरान दी गई निधियां (25.2.1983 को)			वर्ष 1982-83 के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम
		कार्य	प्रबोधक तथा अन्वेषण एकक	योग	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	473.50	—	473.50	3061
2.	असम	581.50	2.48	583.98	1902
3.	बिहार	863.75	—	863.75	3084

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	138.00	6.00	144.00	800
5.	हरियाणा	273.73	--	273 00	285
6.	हिमाचल प्रदेश	273.73	—	273.73	1240
7.	जम्मू और कश्मीर	905.50	2.50	908.00	407
8.	कर्नाटक	791.50	—	791.50	6000
9.	केरल	641.00	2.20	643.20	108
10.	मध्य प्रदेश	1247.50	—	1247.50	6447
11.	महाराष्ट्र	716.50	6.00	722.50	2763
12.	मणिपुर	154.00	4.00	158.00	199
13.	मेघालय	200.48	2.15	202.63	205
14.	नागालैण्ड	149.18	6.00	155.18	75
15.	उड़ीसा	766.50	6.00	772.50	2280
16.	पंजाब	183.00	—	183.00	77
17.	राजस्थान	2229.50	2.00	2231.50	3400
18.	सिक्किम	62.40	1.51	63.94	85
19.	तमिलनाडू	750.50	6.00	756.50	1060
20.	त्रिपुरा	81.50	—	81.50	662
21.	उत्तर प्रदेश	1140.99	—	1140.99	3675
22.	पश्चिम बंगाल	887.50	6.00	893.50	4025
23.	अण्डमान और निकोबाद द्वीप समूह	6.64	—	6.64	36
24.	अरणाचल प्रदेश	30.00	—	30.00	350
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
26.	दिल्ली	—	2.00	2.00	27
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—
28.	गोआ दमण और द्वीप	20.94	—	20.94	22
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	3.00	1.50	4.50	29
31.	पाण्डिचेरी	14.50	—	14.50	38
	योग	13586.14	56.34	13642.48	42342

श्री के० प्रधानी : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जहां तक पेय जल उपलब्धता का सम्बन्ध है, वे कौन सी शर्तें हैं जिनमें किसी गांव को समस्या ग्रस्त गांव के रुप में सूचीबद्ध किया जाना न्यायोचित ठहराया जा सके । आगे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के समक्ष ऐसे क्षेत्रों में गावों में पीने के पानी की सप्लाई करने का कोई कार्यक्रम है ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : वर्तमान योजना में उन गांवों की समस्या को हल करने की परिकल्पना की गई है जिनके यहां स्वच्छ पीने के पानी का एक भी स्रोत्र नहीं है । सभी गांवों को कुछ सीमा तक पीने का पानी मिलना चाहिये फिलहाल हम उन गांवों की समस्या को ले रहे हैं जिनके स्वच्छ पीने के पानी का कोई साधन नहीं हैं । अब जहां कहीं भी ऐसे गांव हैं, हमने उनका राज्य सरकार के सहयोग से पता लगा लिया है ।

श्री के० प्रधानी : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि देश के बहुत से स्थानों में, विशेषकर उड़ीसा के कोरापुट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रीष्म ऋतु में सभी कुएं सूख जाते हैं और लोगों को पीने का पानी प्राप्त करने के लिए बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं क्या कि जिन गांवों को समस्या गांवो की सूची में नही रखा गया है क्या उन सभी गांवों में नलकूप प्रदान करने का कोई कार्यक्रम है ? और यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इन सभी गांवों को पेय जल की सुविधाएं कब तक प्रदान करेगी ?

श्री बूटासिंह : अब, विशेषकर, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर परिवहन, जनशक्ति और अन्य संसाजनों का संबंध है हमने जल-पूर्ति प्रभारी सभी मन्त्रियों की हाल ही में एक बैठक बुलाई थी और यह आश्वासन दिया गया है कि इन क्षेत्रों में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में सीमेन्ट, का विशेष आवंटन किया जाना चाहिये और परिवहन आदि के विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए । हमने पड़ोसी राज्यों से पर्याप्त जनशक्ति, अधिकारी तथा काम करने वाले लोगों को इन क्षेत्रों में भेजने का निवेदन किया है जिससे इस समस्या को हल किया जा सके । जहां तक नलकूपों और पारम्परिक कुओं की खुदाई के कार्य को प्राथमिकता देते हैं । हम पेय जल की सप्लाई के लिए अत्यधिक आधुनिक प्रणाली की सिफारिश नहीं करते है । माननीय सदस्य ने जिस तरीके पद्दति का सुझाव दिया है हम स्वयं उसके पक्ष में हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, यह सभी के लिए वास्तव में बड़े शर्म की बात है कि गत तमाम 35 वर्षों के दौरान अपनी तमाम योजनाओं और करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी, हम 2,30,000 गावों को पीने का पानी प्रदान नहीं कर सके । राजस्थान में, 60% क्षेत्र मरूस्थल है और मैं विशिष्टतया पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की बात कर रहा हूँ जो कि सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की बात की है मरुस्थल क्षेत्रों के बारे में उन्हें क्या कहना है । राजस्थान में पिछले

4 वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है, विशेष रूप से क्षेत्रों में जो कि पश्चिमी राजस्थान में पड़ते हैं और जहां पर जल भूमि-तल से 500 फुट नीचे तक उपलब्ध नहीं। यहां ग्रामीण लोगों को पानी लाने के लिए 5 या 6 मील तक जाना पड़ता है जिसे 5 रुपये प्रति बाल्टी बेचा जाता है। क्या आपने इन क्षेत्रों के लिए कोई विशेष आबंटन किया है ? आपने केवल पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बताया है।

श्री बूटा सिंह : इसका संबंध मुख्यतया राज्य सरकारों से है। हमारा सम्बन्ध तो केवल ऐसी योजनाओं को सहायता प्रदान करने से है। राजस्थान की उपलब्धि के बारे में मुझ लज्जित होने के वजाय गर्वित होना चाहिए, परन्तु समस्या परिमाण इतना विशाल है कि इसे एक वर्ष में हल करना सम्भव नहीं हो सका है। अतः हम इस सम्बन्ध में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। अप्रैल, 1980 में पता लगाये राजस्थान के समस्या गांवों की संख्या 19,803 थी। 1980-81 में हमने 2400 गांवों और 1981-82 में 3854 गांवों को पानी दिया और अब इस बर्ष मैं हमारा लक्ष्य 3400 गांवों को पानी देने का है जोकि गत 3-4 वर्षों में प्राप्त की गई राशि सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम विशेष कर सुखा प्रवन और कठिनाई वाले क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इस वर्ष भी राजस्थान को काफी धनराशि मिली है और इस योजना को लागू करना राज्य सरकार का काम है। हम तो केवल केन्द्रीय सहायता देते समय बीच में आते हैं जो कि हम प्रदान करते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने बताया है कि वह सूखा-प्रवृत राज्यों को और अधिक धन प्रदान करने की बात पर बिचार कर रहे हैं। इस बर्ष पश्चिमी-बंगाल में बड़ा भारी सूखा पड़ा है और वहां पानी का स्तर गिर गया हैं। स्पष्ट है कि समस्या गाँवों की संख्या में वृद्धि हो गई है। में मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि वह सूखा प्रवन क्षेत्रों को विशेषकर पश्चिम बंगाल को और अधिक धन देंगें।

अध्यक्ष महोदय : जो धन प्रदान किया है वह योजना आबन्टन है, तदर्थ आबन्टन नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वह सूखा प्रवण क्षेत्रों में पेय जल हेतु धनराशि और बढ़ायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न का आपसे कोई सम्बन्ध नही है।

श्री बूटा सिंह : यह योजना आवंटन के माध्यम से किया जाता है और केन्द्रीय सरकार सहायता देती है, परन्तु "एन एम० पी०" कार्यक्रम के अधीन मुख्य भाग राज्य सरकार देती है। हमने निश्चय ही इस पर बिशेषरूप से विचार किया है और 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन हमने इस समस्या के महत्व स राज्य सरकारों को अवगत करा दिया है। हमारा अनुदान बराबर आधार पर है। यदि राज्य सरकारें और प्रस्तावों को लेकर आगे आतीं और अत्यन्त ही कठिन क्षेत्रों के प्रस्ताव लेकर आती हैं तो हम उनपर विचार करने को सदैव तैयार हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या मन्त्री महोदय को इस तथ्य का पता है कि देश के सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल सप्लाई करने हेतु आधारभूत सुविधाओं तकनीकी की ओर विशेषज्ञता का अभाव है। क्या महाविद्यालयों के अभियान्त्रिकि विभागों में पीएच० डी० का कोई पाठ्यक्रम है जो देश में स्वच्छ पेय जल सप्लाई की देखभाल करता है मुझे सन्देह है क्योंकि अभियान्त्रिकि पाठ्यक्रमों में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। वहां केवल डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। हमने इन योजनायों पर 150 करोड़ रुपये से अधिक धन इन योजनाओं पर खर्च किया है परन्तु तकनीकी विशेषज्ञता और आधारभूति सुविधाओं की कमी है। क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर गौर करेंगे और देश के विभिन्न अभियान्त्रिक महाविद्यालयों से इस विशिष्ट शाला के प्राथमिक, आधारभूत ज्ञान से सम्बद्ध कोई पाठ्यक्रम चालू करने की मांग करेंगे अर्थात देश भर में स्वच्छ पेय जल पूर्ति करना।

श्री बूटासिंह : यह कार्यवाही करने हेतु एक सुझाव है।

बिहार में भू-तल जल क्षमता का सर्वेक्षण

*105 **श्री राम स्वरूप राम :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में, विशेष कर नौगाँव, गया, नवादा और औरंगाबाद जिलों में भू-तल जल क्षमता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, हां। बिहार में भूमिगत क्षमता का अन्वेषण करने के लिए अन्य जिलों के साथ-साथ गया, नवादा औरंगाबाद जिलों में भी केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा जल भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं। तथापि, बिहार में नौगाँव नाम का कोई जिला नहीं है।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा किए गए भूमिगत जल सर्वेक्षण के आधार पर, आगे विकास के लिए उपलब्ध भूतिगत जल क्षमता निम्न प्रकार है :—

गया :	357 मिलियन घन मीटर
नवादा :	380 मिलियन घन मीटर और
औरंगाबाद :	465 मिलियन घन मीटर।

अध्यक्ष महोदय : आप संसद भवन में भी भूगोल पढ़ाना आरम्भ कर दें।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, भूगोल राजनीति का एक अंग है।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मार्च, 1981 में गया कृषक सम्मेलन में गये थे तथा आपने वहां की ज़मीन स्वयं देखी थी। आपने उस समय खेद प्रकट करते हुए कहा था कि यहां की ज़मीन इतनी उपजाऊ होते हुए भी सिंचाई का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय : बिहार का खास तौर से दक्षिण-बिहार का एरिया, सुखाड़-प्रोन एरिया है। आप देखेंगे कि वहां नवादा, मालामऊ, गया, औरंगाबाद, ये सब हर वर्ष सुखाड़ की चपेट में आते हैं। कुछ स्कीमें वहां पर बनी हैं, खास कर नहरें वगैरह बनी हैं, लेकिन वे सभी योजनायें बरसाती नदियों पर आधारित हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले वहाँ का थोड़ा भौगोलिक ज्ञान हाउस के सामने रखना बहुत आवश्यक है...

अध्यक्ष महोदय : आप तो शुरूआत ही गलत कर बैठे।

श्री रामस्वरूप राम : वहां पर जितनी नदियाँ हैं सब बरसाती नदियां हैं, पानी गिरता है तो सिंचाई होती है अन्यथा सुखाड़ की चपेट में आ जाता है। वहां पर अन्डर-ग्राउण्ड-वाटर रिसोर्सेज़ पर्याप्त मात्रा में है, यदि उस का समुचित प्रयोग किया जा सके तो वहां के लोगों को परमानेन्ट इर्रिगेशन मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अण्डर-ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध होते हुए भी...

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, आप किसानों का हित चाहने वाले हैं, उनकी बात को सुनते हैं, इसलिये मुझे थोड़ा कहने दीजिये—मैं वहां की स्थिति बतलाना चाहता हूं। वहां पर गया, नवादा और औरंगाबाद पहले तीनों एक ही जिले थे, नवादा में 101 टयूबवैल लगे हैं, गया में 180 टयूबवैल हैं और औरंगाबाद में, मैं समझता हूं, 80-90 टयूबवेल हैं। ज्योलाजिकल सर्वे के अधिकारी वहां जाते हैं और कहते हैं कि यह राकी एरिया है, यहां अण्डर-ग्राउन्ड-वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब कि उस के बगल में छोटा किसास टयूबवेल लगाकर पटवन कर रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुरूआ, बोधगया, फतहपुर, वजीरगंज, अम्बी, नबीनगर सिरदला, राजौली, कुटुम्बा क्षेत्रों को राकी एरिया बताकर नेग्लेक्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको रोकना पड़ेगा, रामस्वरूप राम जी। आप के आगे भी राम है, पीछे भी राम है।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं.

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछेंगे या नहीं ?

श्री रामस्वरूप राम : सवाल ही पूछ रहा हूं। यह किसानों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : किसानों का सवाल है तो दूसरे ढंग से कीजिये।

श्री रामस्वरूप राम : इतना मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उसकी बात को सुनकर गम्भीरता से लेते हैं, अन्यथा मैं सवाल पूछ कर ही बैठ जाता।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, वह समय का उपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह उपयोग नहीं कर रहे हैं। वह दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप राम : मैं जानना चाहता हूं—अभी तक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज़ का कितने प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है तथा बाकी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करने के लिये क्या सरकार उस एरिये के लिये कोई बृहद योजना बनायेगी, जिसके द्वारा वर्तमान पंच वर्षीय योजना में भी कुछ कम्प्लीशन कर सकेंगे।

श्री रामनिवास मिर्धा : प्रश्न यह था कि गया, नवादा और औरंगाबाद ज़िलों में पानी का सर्वेक्षण किया गया है तथा उसके नतीजे क्या रहे? इस विषय में मैंने कुछ आंकड़े बतलाये हैं। यह सही है कि इन जिलों में अन्डर-ग्राउन्ड-वाटर काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन जहां तक सर्वे का प्रश्न है—इन तीनों ज़िलों का, करीब-करीब सबका, सर्वे पूरा हो चुका है। गया में हमने सारे जिले का सर्वेक्षण कराया है और वह हो चुका है। इसी तरह से नवादा और औरंगाबाद का भी हो चुका है। अब प्रश्न यह आता है कि वहां पर पानी की उपलब्धि को देखते हुए योजना क्या बनाई जाये। उसके लिए राज्य सरकार सक्षम है और जितने कुएं बनते हैं, उनमें किस प्रकार से मदद दी जाए, इससे भी राज्य सरकार परिचित है। जो माइनर इर्रीगेशन की योजना बनती है, उसके लिए बैंक और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स भी मदद देती हैं। तो जो भी योजना राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए और वहां पर कुओं के लिए हमारे पास भेजेगी, उस पर हम पूर्ण रूप से विचार करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री रामस्वरूप राम : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। जियोलाजीकल सर्वे आफ़ इन्डिया ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें इस क्षेत्र को रोकी एरिया डैक्लेयर किया है जैसे गुरुआ का एरिया है, बोधगया, रजौल, अतरी और कुटुम्बा का एरिया है। इन सब एरियाज को उन्होंने रोकी एरिया कहा है और यह कहा है कि यहां पर पानी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज इन तीन जिलों में हैं। तो मैं आपसे एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जियालाजीकल सर्वे आफ़ इन्डिया ने जो इस को रोकी एरिया डैक्लेयर किया है, तो कोई ऐसी मशीनें इन तीनों ज़िलों में भेजेंगे, जिससे इन एरियाज के लोगों को पानी मिल सके।

श्री रामनिवास मिर्धा : श्रीमन्, यह जो रोकी एरिया माननीय सदस्य बताते हैं, पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत थोड़ा एरिया ही रोकी एरिया है और वहां पर ड्रिलिंग करके यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितना पानी है, कितने नीचे पानी है और कितना पानी है और कितना पानी उपलब्ध हो सकता है। हमारे पास इस तरह के रिग्स मौजूद हैं, जो पत्थरों को तोड़कर इसका सर्वे कर सकें। मैं फिर निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इन एरियाज के लिये अगर कोई योजना बनाती है, तो जो भी मदद हम कर सकते हैं, वह करेंगे वैसे राज्य सरकार इस को कर सकती है और यह उसकी क्षमता में है।

श्री रामस्वरूप राम : आप राज्य सरकार को कम से कम निर्देश तो दे सकते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : आप भी राज्य सरकार से बात करें और हम भी इस सम्बन्ध में बात करेंगे और जो दिक्कत राज्य सरकार को शोध कार्य में या इस क्षेत्र के विकास में होगा, केन्द्र सरकार इस में उसकी पूरी मदद करेगी।

श्री कुंवर राम : मंत्री जी ने अभी बताया कि अन्डरग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल के बारे में सर्वे कराया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सर्वे कब कराया है? जहां तक मुझे पता है, इधर निकट भविष्य में यह नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपने यह सर्वे कब करवाया है।

दूसरी बात यह है कि हमने गत वर्ष सितम्बर में एक पत्र प्रधान मंत्री जी को लिखा था जब हम नवादा क्षेत्र का भ्रमण करके लौटे थे। बिहार के नवादा जिले में कुछ ग्राम जो हैं, जो वह डिस्ट्रिक्ट है, वह ड्राऊट-प्रोन है। अभी हमारे माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह ने जो पेय जल के सम्बन्ध में उत्तर दिया है, उसी क्रम में हम यह जानकारी भी लेना चाहते हैं कि वह जो ड्राऊट-प्रोन एरिया है, वहां पर विशेष तौर पर पानी के स्रोतों को उपलब्ध करने के लिये और खासकर पेय जल के लिये कौन से उपाय आपने किये हैं। वह आलरेडी एक ड्राऊट-प्रोन एरिया है। मैं एक निश्चित प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि बहुत पुराने वक्त से इसका सर्वे कराया गया था और सर्वे कराने का जो नतीजा निकला था, उसमें इस को रोकी एरिया बराबर कहा गया है? साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जब प्राईवेट ट्यूबवेल वहां पर खोदे गये तो वहां रोक्स, का प्रश्न नहीं उठा और जो प्राईवेट ट्यूबवेल लगाये गये, उसमें काफ़ी पानी मिला। फ़र्क इतना ही था कि वह स्मालर डाइमेंशन का था लेकिन गवर्नमेंट की एजेन्सी ने इस पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए अधूरा काम करके छोड़ दिया जबकि प्राईवेट ट्यूबवेल्स वालों को पानी मिला। अगर किसान के लिये वह बड़े डाइमेंशन का हो सकता तो उसको काफी पानी मिल सकता था। सरकार के यह न करने का क्या कारण है? क्या इस पर कोई ध्यान दिया गया? क्या सर्वे रिपोर्ट में इसकी कोई जानकारी है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने निवेदन किया है कि जहां तक सर्वे का प्रश्न है सर्वे करने के बाद उन

क्षेत्रों में बोरिंग किया गया । मेरे पास इसके आंकड़े हैं कि कितने बोर के कुएं खोदे गये... (व्यवधान)

सन् 1972 से यह सर्वे का काम चल रहा है । सब राज्यों में चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है । आपके यहां तीन जिलों का पूरा सर्वे हो गया था । उनका डिटेल्ड सर्वे करके, बोर करके पता लगाया जा रहा है । हमें यह भी पता लगा है कि एक तरह से नवादा में 4 मीटर से 14 मीटर पर पानी मिल रहा है और गया में 1.5 मीटर से 10 मीटर पर पानी मिलता है ।

श्री कुंवर राम : हम वहां के संसद् सदस्य हैं । हम बराबर जानते हैं और बराबर देखते हैं । अगर सरकार को यह सूचना दी गयी है तो यह सरासर गलत सूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग पता करवा लीजिये और इनको भी वैरीफाई करवा दीजिये । यह अच्छा रहेगा । (व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रिय सरकार का लक्ष्य सर्वे कराने का है । उस सर्वे के पश्चात् कितने कुएं खोदे जाएं, किस इलाके में खोदे जाएं, कितने बोर के खुदने हैं, या अधूरे रह जाते हैं, या नहीं रह जाते हैं. यह सब राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है । जहां तक सर्वे का प्रश्न है, उसकी जानकारी हम माननीय सदस्य को करा सकते हैं । अगर वे चाहेंगे कि आगे के लिये राज्य सरकार को कोई डिटेल्ड जानकारी करायी जाये तो वह करा सकते हैं जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास किया जा सके ।

श्री सनील मैत्रा : माननीय सदस्य ने सर्वेक्षण के बारे में ही कुछ आरोप लगाये हैं । मन्त्री महोदय ने आरोपों का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां श्री अमल दत्त ।

श्री अमल दत्त : मुझे केन्द्रिय भूमि जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला है । मेरा चुनाव-क्षेत्र बडा ही कठिनाई पूर्ण है, जहां पर ऊपरी परत में खारा पानी है और पेय जल प्राप्त करने के लिये 600 फुट नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है । मेरी चर्चा के दौरान, मैंने पाया कि सर्वेक्षण सरसरी तौर पर किया गया था और इसलिये सर्वेक्षण प्रतिवेदन सही नहीं हो सकता है जिसका यह कारण है कि केन्द्रिय भूमि-जल बोर्ड को उपलब्ध स्रोत पर्याप्त नहीं है और सही निष्कर्ष निकालने के लिये तब तक गहन सर्वेक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी उन स्रोतों को नहीं समेट लिया जाता है जो कि उनके कार्यक्षेत्र में पड़ते हैं । जहां तक मेरे चुनाव-क्षेत्र का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं किया गया है । मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और मेरे विचार से मामूली साधनों के साथ, देश में सम्भवतः कहीं भी उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

दूसरे, जिस रिग के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है, चट्टानों में सुराख करने की लागत 25 लाख रुपये है। और मेरे क्षेत्र में जहां पर भूमितल से 600 फुट या इससे नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है इसकी लागत लगभग 45 लाख रुपये आती है। राज्य सरकार का बजट वैसा नहीं है। केन्द्रिय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया धन पर्याप्त नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देगे और यह देखेंगे केन्द्रिय भूमिजल बोर्ड इस प्रकार सरसरी तौर पर सर्वेक्षण न करके पर्याप्त जांच करें। और दूसरे, जहां कहीं पर जल की प्राप्ति इतनी कठिन हो क्या वह यह देखेंगे कि राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति की जा सके और दूसरे यह कि खुदाई हेतु ड्रिल खरीदने के लिए धन दिया जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने सही बताया है कि हमने जो सर्वेक्षण किया है रिगों के कारण वह पर्याप्त नहीं है। यह ठीक है कि केन्द्रीय भूमि जल संगठन के पास केवल 59 रिगें हैं जो कि मेरे विचार में पर्याप्त नहीं है। हम एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं और सही अधिकारियों पास ही इसे रिगों की संख्या बढ़ाने और संगठन को मजबूत बनाने के लिये भेजा जायेगा।

हम पश्चिमी बंगाल और बिहार के लिये वहां की क्षमता की वजह से इस वर्ष एक अलग दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। और जब इस संगठन की स्थिति मजबूत होगी तो जिन कमियों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उनमें से कुछ कमियां कुछ हद तक खत्म हो जायेंगी।

जहां तक गहरे छिद्रण आदि के काम में राज्य सरकारों के संगठनों को मजबूत बनाने का सम्बन्ध है। उनका अपने योजना के लिये नियत धन राशि के अनुसार अपने तरीके से रिगों क प्राप्त करने का तरीका है। यदि वे तकनीकी किस्म की कोई सहायता केन्द्र सरकार से चाहते हैं तो हम उनकी सहायता करने के लिये तैयार हैं।

बिहार और उसके संलग्न राज्यों में अकाल की स्थिति

106 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उसके संलग्न राज्यों के अधिकांश हिस्से में पड़े भारी सूखे के कारण भदाई खरीफ और रबी की फसल न होने के परिणामस्वरूप अकाल की स्थिति बनी हुई है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान : (क) अब तक मिले ज्ञापनों के आधार पर भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के कुछ भागों और इससे

लगे हुए राज्यों, पश्चिमी बंगाल, (विशेष रूप से बिहार राज्य मे लगे हुए जिलों) पूर्वी उत्तर प्रदेश उड़ीसा के उत्तरी तथा दक्षिणी जिले वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

सम्पूर्ण देश में रबी की फसलें अच्छी होने की सूचना मिली है।

(ख) तथा (ग) :

एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) तथा (ग) :

1982-83 के दौरान हुई क्षति की स्थिति तथा प्रभावित राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है : —

राज्य का नाम	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित जन संख्या (लाख)	प्रभावित पशुओं की संख्या (लाख)	मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा (लाख रुपये)
बिहार	44.17	190.65	—	2500.63
पश्चिमी बंगाल	20.14	400.00	—	7427.00 और 300.00 ऋण के रूप में
उड़ीसा	37.82	182.16	100.00	28.40
उत्तर प्रदेश	70.41	980.00	—	—

10-11-1982 को उड़ीसा सरकार से सूखे के सम्बन्ध में एक पूरक ज्ञापन प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय दल ने 11 तथा 15 जनवरी, 1983 के बीच राज्य का दौरा किया। उच्चस्तरीय समिति ने केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया था, जिनकी सिफारिश तैयार की जा रही है।

अगस्त माह तथा सितम्बर माह के शुरू में भारी वर्षा तथा बाढ़ों के कारण सूखे के प्रभाव दूर हो गये। जिन क्षेत्रों की वर्षा से राहत नहीं मिली, उनके बारे में राज्य सरकार ने सूचना नहीं दी है। राज्य सरकार ने भी सूखा राहत सम्बन्धी कोई उपाय नहीं किए, इसलिये केन्द्रीय दल ने सूखा राहत पर अलग से कोई व्यय करने की कोई सिफारिश नहीं की थी।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य रखा है यह सिर्फ थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में मालूम पड़ता है। वह भी स्पष्ट नही है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 4 लाख 17 हजार हैक्टर भूमि सूखे से प्रभावित है और 25 करोड़ केन्द्र ने सहायता के रूप में देने के लिये तय किया है। उड़ीसा के बारे में अभी तक केन्द्रीव दल विचार कर रहा है। अभी उन की सिफारिशें तैयार की जा रही हैं और राज्य सरकार ने भी कोई निर्णय नही लिया है।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार को पता होगा कि उड़ीसा में हजारों लोग गिरफ्तार हुए हैं, लाठी चार्ज हुए हैं, अकाल के बारे में आंदोलन हुए हैं और बहुत से विधायक भी गिरफ्तार हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं।

यह जो सरकार द्वारा लाया हुआ सूखा है, खासकर गंगा के उत्तरी हिस्से में जहां न मिट्टी के नीचे जलाभाव है और न पहाड़ी नदियों में जलाभाव है, वहां सरकार द्वारा सिंचाई के प्रबंध नहीं किये गये और बिजली का बिहार में अभाब ही नहीं, बलिक अकाल है, इसलिये बिजली नलकूपो को नहीं मिली। इसलिये मैं आपको सरकार द्वारा लाया हुआ सूखा कहता हूं। नलकूपों को बिजली देने के लिये सरकार क्या कर रही है। नये नलकूपों के लिये बिहार सरकार के पास अनुदान नहीं है। अखबारों में सरकार कबूल नहीं करती, लेकिन सारे उच्चाधिकारी कहते हैं कि अप्रैल से प्रयास करेंगे, अभी खजाने खाली हैं। रिजर्व बैंक से ओवर-ड्राफट के सिलसिले में पैसा नहीं मिली रहा है। वहां हर हाहाकार मचा हुआ है। भदई की फसल गई, धान की फसल गई, अब रब मारी जा रही है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिये, आप तो लैक्चर कर रहे हैं। आज तो हाउस में लैक्चर हो रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रश्न कर रहा हूं। बिहार के कितने इलाकों को और उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश के कितने इलाकों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है और अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कराने के सिलेसिले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लाठीचार्ज में घायल हुए हैं या जेलों में हैं और केन्द्रीय सरकार...।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न आउट आफ आर्डर करना पड़ेगा। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : नलकूपों को बिजली की आपूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : और लोगों को भी सवाल करने हैं, आप तो लैक्चर कर रहे है। मैं इस प्रकार के प्रश्नों से विशक्ति हो गयी है।

बिहार में आज नलकूप चालू नहीं है, उसके लिये केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? जो अभाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित हुए हैं उनको अकाल-ग्रस्त घोषित करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है और गल्ले के रूप में कितनी रकम दी जा रही है जिसके लिये हाहाकार हो रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उड़ीसा के सम्बन्ध में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि 28.40 लाख रुपया शुरू में अन्तरिम सहायता के रूप में दिया गया था। इसके बाद 13.70 करोड़ रुपया उड़ीसा के लिये मंजूर किया गया है। बिजली का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से है। केन्द्रीय सरकार ने एक अन्तर-मन्त्रालय मीटिंग की थी जिसमें इन सारे प्रश्नों पर विचार किया गया और राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अगली फसल को बेहतर बनाने के लिये सभी ट्यूबवैलों को जितनी अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध करा सकें उतनी कराने की कोशिश करें। अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा करने का मामला राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है, केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, 4 अक्तूबर को मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया था कि बिहार में कुल अनाज का भण्डार दो महीने की जरूरत के लायक है। अभी भी हाहा-कार मचा हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार अन्न-आपूर्ति के लिए क्या कर रही है ? रुपयों का बड़ा हिस्सा बीच में ही गायब हो रहा है, उसको सरकारी तन्त्र ही हजम कर जाता है। उसकी जांच केन्द्रीय सरकार करने के लिए तैयार है या नहीं या लोगों को ही उसके लिए संग्राम करना पड़ेगा क्योंकि पूरा हिस्सा भ्रष्टाचार में जा रहा है। मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूं कि रुपया तो सबसिडी के लिए गया लेकिन ज़मीन पर नलकूप का पता ही नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हमारी जानकारी के अनुसार यहां पर खाद का एलोकेशन बढ़ाया गया है। इस सवाल का सीधा सम्बन्ध खाद मन्त्रालय से है। अच्छा होगा, अगर माननीय सदस्य इसकी सूचना उन्हीं से लें।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि मैं पकड़ कर दिखा सकता हूं। अगर पकड़ा जा सकता है तो बेईमान को पकड़ लो। (व्यवधान)

श्री जलीलुर्रहमान : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूं। जो जवाब दिए गए हैं उनमें ऐसा मालूम होता है कि हालत निहायत नाज़ुक है। बिहार में 44.17 लाख हैक्टेअर ज़मीन सूखे से प्रभावित है और आबादी करीब दो करोड़ की है और रुपये सिर्फ 2500.63 लाख ही दिए गए हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि आबादी के हिसाब से यह बहुत कम है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। इसी प्रकार जहां 20.14 लाख हैक्टेअर ज़मीन है,

वहां 7427 और प्लस 300 लाख रुपये लोन वगैरह के रूप में दिए गए हैं। यह बात ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। जहां तक झा जी का सवाल है, वह बहुत सी बातें कह चुके हैं। लेकिन उनको यह जान लेना चाहिए कि अप्रैल और दिसम्बर के बीच में 7.2 परसेन्ट बिजली की पैदावार बढ़ी है। यह मामला इतना अहम है कि इससे बिहार को तो नुकसान हुआ ही है लेकिन साथ-साथ दूसरों को भी हुआ है। क्या भारत सरकार फिर सैन्ट्रल टीम भेजेगी वहां क्योंकि जो फिगर्स दी गई हैं वह उस हिसाब से नहीं हैं। जिस हिसाब से नुकसान हुआ है। इसलिये फिर से टीम भेजेंगी ताकि वह जांच करे और सही आंकड़े आपको दे जिससे लोगों को राहत कामों में लगाया जाए ?

श्री आरिफ़ मोहम्मद खां : एक मैमोरेण्डम मिलने के बाद टीम भेज चुके हैं जिसने अपना असैसमेंट किया। उसी के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया। दोबारा टीम भेजने का सवाल नहीं उठता।

श्री जमीलुर्रहमान : किसके विचाराधीन ?

श्री आरिफ़ मोहम्मद खां : जो विस्तार से जानकारी हमें राज्य सरकार से प्राप्त होती है कि कितना क्षेत्र, कितनी फसल, कितने जानवर और इन्सान प्रभावित हुए हैं उसके कुछ नार्म्स हैं उनके मुताबिक केन्द्रीय सरकार फैसला करती है और केन्द्रीय सहायता राज्यों को दी जाती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां हम दोबारा टीम भेज सकते हैं :

श्री जमीलुर्रहमान : आपने कहा है कि सिफारिशें विचाराधीन हैं। किसके विचाराधीन हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष जी, देश में इस वर्ष भयंकर सूखा पडा, यानी 4.8 करोड़ हैक्टर भूमि सूखे ने प्रभावित हुई है और उसका अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में है। यही नहीं फ्लड़ और तूफान में भी तबाही आयी है। इसके लिये प्रधान मंत्री ने राहत पहुंचाने के लिये 12 सूत्री कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशों को भेजा है। क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि प्रधान मंत्री ने जब 12 सूत्री कार्यक्रम राहत पहुंचाने के लिये, लोगों को काम मुहैया करने के लिये, उनके लगान की वसूली स्थागित करने के लिए और राशन की दुकान 2,000 यूनिट पर देने के लिए भेजा है तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बहुत सी राज्य सरकारें उन आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी फिर से उन राज्यों को याद दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि राज्य सरकारें उसके अनुसार काम नहीं कर रही हैं और कमी है तो क्या आप केन्द्र से उतने साधन देने का कष्ट करेंगे जिससे 12 सूत्री कार्यक्रम प्रधान मंत्री का कार्यान्वित हो सके और जनता को राहत पहुंच सके।

श्री आरिफ़ मोहम्मद खां : यह काम तो करते ही रहते हैं, राज्य सरकारों के साथ बैठकर उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं। और जितने हमारे साधन इजाज़त देते हैं उतनी सहायता राज्य सरकारों को करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री हरीश रावत अनुपस्थित। अगला प्रश्न श्री राम विलास पासवान।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय मेरा प्रश्न संख्या 116 भी इसी विषय पर है अतः उन्हें एक साथ लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उनको एक साथ लिया जा सकता है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : महोदय क्या आप दोनों पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। **कई माननीव सदस्य** उठे।

अध्यक्ष महोदय : हां, अगला प्रश्न। श्री पासवान।

कई माननीय सदस्य —उठे।

श्री राम नगीना मिश्र : सूखे के बारे में हमको भी इजाजत दे देते पूछने के लिए क्योंकि मान्यवर हमारे यहां भी अकाल पड़ा हुआ है।

श्री के० लकप्पा : महोदय आपको हर पक्ष को अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। व्यवधान मत डालिए। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : महोदय पूरे देश में अकाल की हालत पैदा हो गयी। अतः अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घण्टे का समय इस पर मांग सकते है। यह कोई जरूरी हैं जो आप कर रहे है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देने जा रहा हूं। यह मेरा काम है।

आप आधे घंटे की चर्चा चाहे तो मांग लें। यह ठीक है। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : ... हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं महोदय, सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री के० लकप्पा : आप मौका नहीं दे रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये, जैसी स्थिति है, मैं उसके अनुसार वितरण करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा : हम यहाँ सदस्यों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : हम उन्हें और अधिक अवसर दिलाना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पूर्व सूचना दे सकते हैं; मैं इस प्रकार से हार नहीं मान रहा हूं। यदि आप चाहते हैं तो आप पूर्व सूचना दे सकते हैं। ठीक है। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : क्या आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हां। उसके लिए आपको मना किसने किया है। मैं आपको उसी के लिए कह रहा था और आप अनावश्यक रूप से .... **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : महोदय, हम और क्या कर सकते हैं ? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी आदत नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उन्हें कम से कम कुछ और अधिक खेद व्यक्त करना चाहिए था तथा बुद्धिमता दिखानी चाहिए थी। **(व्यवधान)**

भारत-बंगला देश संयुक्त नदी-आयोग

+108 **श्री राम विलास पासवान**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } **क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग, गंगा जल प्रवाह के संवर्धन के लिए दोनों देशों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का पूर्व व्यवहारिक अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग ने भारत और बंगलादेश द्वारा प्रस्तावित जल-वृद्धि की स्कीमों के व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययनों को करने के लिए एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति ठित की है ।

(ख) संयुक्त विशेषज्ञ समिति में प्रत्येक पक्ष की ओर से चार-चार सदस्य सम्मिलित होंगे जो नीचे दिए गए हैं :—

बंगलादेश	भारत
1. सचिव, सिंचाई, जल संसाधन एव बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, कृषि मंत्रालय अथवा मनोनीत किए जाने वाले वैकल्पिक अधिकारी	1. सचिव, सिंचाई मंत्रालय अथवा मनोनीत किए जाने वाले वैकल्पिक अधिकारी
2. मि० मौहम्मद अमजद हुसैन खान, सदस्य, संयुक्त नदी आयोग ।	2. श्री आर० रंगाचारी, सदस्य, संयुक्त नदी आयोग
3. डा० एनुन निशात, सदस्य, संयुक्त नदी आयोग	3. श्री आर० रामास्वामी मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग ।
4. मि० मोबिनुद्दीन चौधरी, निदेशक, संयुक्त नदी आयोग	4. श्री जी०एस० जाखेड़, सलाहकार, गंगा बेसिन जल अध्ययन, केन्द्रीय जल आयोग ।

(ग) 7 अक्तूबर, 1982 को हस्ताक्षरित भारत-बंगलादेश के समझौते के ज्ञापन की अनुपालना में विशेषज्ञों की इस संयुक्त समिति द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाना है ताकि संयुक्त नदी आयोग व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन पूरे कर सके तथा समझौते के ज्ञापन के हस्ताक्षर होने के 18 महीनों के अन्दर इष्टतम हल का निर्णय किया जा सके ।

गंगाजल का फरक्का से होकर बहना

*116. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनवरी, 1983 के आरम्भ में गंगाजल का फरक्का से होकर बहाव अनिवार्य रूप से 40,000 क्यूसेक कम था और जब तक इस संबंध में कुप्रभावकारी कार्य नहीं किये जाते तब तक कमी वाले मौसम (लीन सीजन) में बहाव बिल्कुल अपर्याप्त रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पानी का बहाव बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जनवरी, 1983 के महीने के दौरान, फरक्का में पोषक नहर के माध्यम से औसतन लगभग 33,000 क्यूसेक जल छोड़ा गया था। 1983 और 1984 के वर्षों के शुष्क मौसम (जनवरी से मई) के दौरान फरक्का पोषक नहर के जरिए जल का छोड़ा जाना 7 अक्तूबर, 1982 के भारत-बंगलादेश समझौता ज्ञापन के उपबन्धों द्वारा शोषित होता है। भारत और बंगलादेश, दोनों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि फरक्का में, गंगा में शुष्क मौसम के दौरान प्रवाह, फरक्का में और उसके नीचे, भारत और बंगलादेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। फरक्का में, नदी-प्रवाह में वृद्धि करने के लिये भारत और बंगलादेश में अपनी-अपनी स्कीमों का मार्च, 1978 में प्रस्ताव किया है और उनका आदान-प्रदान किया है। 7 अक्तूबर, 1982 के भारत-बंगलादेश समझौता-ज्ञापन के अनुसार, इन दोनों स्कीमों के व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययनों को, इष्टतम समाधान का निर्णय करने के लिए, भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा 18 महीनों के अन्दर किया जाना है, जिसके अन्त में दोनों सरकारें संयुक्त नदी आयोग द्वारा सम्मत वृद्धि प्रस्ताव का तुरन्त क्रियान्वयन करेंगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमैंट में कहा है कि समझौते के ज्ञापन के हस्ताक्षर होने के 18 महीनों के अन्दर इष्टतम हल का निर्णय हो सकेगा। जब अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका तो सरकार किस आधार पर यह सोच रही है और कह रही है कि 18 महीने में कोई निर्णय किया जा सकेगा ?

इस संदर्भ में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपकी यह बातचीत कब से चल रही रही है और दोनों देशों के मंत्री-मंडल के स्तर पर अभी तक कितनी बार बातचीत हो चुकी है और उसमें क्या प्रगति हुई है ? अभी आपने दिल्ली में दो दिन पहले बातचीत की है और आपने संतोष व्यक्त किया है कि हमारी वार्ता संतोषप्रद है और हम औप्टीमिस्ट है, उसके क्या ठोस परिणाम आपके सामने आये हैं और वह क्या हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा मैंने निवेदन किया कि 1982 में इंडो-बंगलादेश मैमोरेंडम ग्राफ अंडरस्टैंडिंग तय किया गया था। उसके अन्तगर्त जो ज्वायन्ट रिवर्ज कमीशन है, उसको कहा गया कि आप 18 महीनों में में जो दो योजनाएं बंगलादेश सरकार ने और भारत सरकार ने कमीशन के समक्ष प्रस्तुत की हैं; उनके बारे में जांच कर के कुछ विशेष निर्णय ले लें ताकि उनको आगे कार्यान्वित किया जा सके। इसके पश्चात् ज्वायन्ट रिवर्ज़ कमीशन ने एक ज्वायन्ट कमेटी आफ एक्सपर्टस बनाई कि वह बैठकर कार्यक्रम बना लें कि किस प्रकार से इन दोनों योजनाओं पर हम विचार करेंगे। और किस प्रकार विचार विमर्श करने के बाद निष्कर्ष निकाला जा सके। ज्वायन्ट कमेटी आफ एक्सपर्टस में कुछ मतभेद हुए और उन्होंने उस मामले को ज्वाइन्ट कमीशन, जिसमें कि दोनों सरकारों के मंत्री हैं, के पास भेज दिया और यह कहा कि हमें कुछ मार्ग निर्देश दिए जायें कि किस आधार पर हम आगे एग्ज़ामिन करें। इस मामले पर कई बातें हो चुकी हैं। तीन-चार दफा बातें हुई हैं। अभी बंगलादेश का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था और उससे पहले हमारा प्रतिनिधि मन्डल ढाका गया था लेकिन अभी पूरी तरह से समझौता नहीं हो पाया है कि किस प्रकार से इन योजनाओं की जांच की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि अब चूंकि मतभेद बहुत कम रह गए हैं अतः एक विचार विमर्श के पश्चात् जल्दी निश्चित कर सकेंगे ताकि कमेटी आफ एक्सपर्ट्स इस पर आगे कार्यवाही कर सके।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि मँत्री स्तर पर भी आपने बातचीत की है और आप हमेशा ही बतलाते हैं कि डिफिकल्टीज़ को साल्व कर लिया गया है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चलता कि आखिर वह डिफीकल्टीज़ क्या हैं? इसलिए सबसे पहले तो सदन यह जानना चाहेगा कि आपके सामने ऐसी कौन सी बाधायें या रुकावटें हैं?

दूसरे भाग में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बंगलादेश की तरफ से यह भी पेशकश की गई थी या की जा रही है कि नेपाल को भी वार्ता में शामिल किया जाए? यदि हां तो इस पर आपकी वतमान प्रतिक्रिया क्या है?

श्री राम निवास मिर्धा : बंगलादेश ने जो योजना प्रस्तावित की है, उसमें यह प्रावधान है कि नैपाल में कुछ बांध बनाए जायें जिनका पानी लाकर फरक्का में डाला जाए ताकि आगे पानी की पूर्ति की जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वार्ता जिस दौर पर है उसमें यह बताना कि हम कितने नजदीक पहुँच गए हैं या क्या मतभेद हैं—उचित नहीं होगा। इस सदन के माननीय सदस्य भी इसी राय से सहमत होंगे कि जो बातचीत चल रही है उसके क्या डिटेल्स हैं या क्या मतभेद हैं वह इस समय बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम बिलास पासवान : मैंने बहुत शार्टेस्ट सवाल पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब भी दे दिया है।

श्री राम बिलास पासवान : उन्होंने कह दिया कि अभी कुछ बतलाने की पोजीशन में नहीं हैं लेकिन क्या जब वार्ता का दौर समाप्त हो जायेगा तब जो परिणाम निकलेगा वह सदन के सामने मन्त्री जी रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या पूछना है ? वह तो रखते ही हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी से जो लिफ्ट कैनाल बनाने की बात है गंगा में पानी देने के लिए, और उसके बांध बनाने की बात है उसके सम्बन्ध में भी इस कमेटी में चर्चा हो रही है क्या ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसे मैंने निवेदन किया था कि दो सुझाव हैं भारतवर्ष और बंगलादेश के ज्वाइन्ट रिवर्स कमीशन के सामने—हमारा प्रस्ताव है कि ब्रह्मपुत्र का पानी लेकर डाला जाए और बंगलादेश का कथन है कि नेपाल में डैम बनाकर वहां का पानी इसमें डाला जाए। दोनों विचार कमीशन के सामने हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमारी ओर से जो योजना प्रस्तुत की गयी है, जिसकी व्यवहार्यता की जांच चल रही है, मैं उसके विवरण जानना चाहूंगी क्या यह योजना से यदि मंजूर हो गयी, फरक्का को कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी की गारन्टी देगी ?

जो संयुक्त समिति बनायी गयी है मैंने उसमें सम्मिलित किये गये लोगों के नाम देखे हैं क्या इस संयुक्त समिति में पश्चिमी बंगाल सरकार के एक व्यक्ति को सम्मिलित करना संभव नहीं है क्योंकि यह पश्चिमी बंगाल के गंगाजल के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस मामले से पश्चिमी बंगाल सरकार को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जब हमारा प्रतिनिधि मन्डल बातचीत के लिए ढाका गया था तो पश्चिमी बंगाल के मुख्य इंजीनियर पर तथा प्रतिनिधि मेरे साथ गये थे। जब बंगलादेश का प्रतिनिधि मंडल कलकत्ता में था तब भी वह यहां आये थे। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार का दृष्टिकोण हमेशा हमारे ध्यान में है और इस सम्बन्ध से हम उनसे मशविरा करते हैं।

जो योजना हमने प्रस्तुत की है, उसके विवरणों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से पुनः निवेदन करूंगा कि इस अवस्था में इस पर दबाव न डालें क्योंकि दोनों योजनायें वार्ता की अवस्था में हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छोटे और सीमान्त किसानों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने हेतु इस कार्यक्रम का विस्तार करना

*103. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे और सीमांत किसानों को छठी योजना के अन्त तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने के लिए इस कार्यक्रम का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (ग) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले निर्धनतम छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को पहले ही शामिल कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति।

+107 **श्री हरीश रावत :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने समंकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) व (ख) :

उत्तर प्रदेश में 5.4 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाने के लक्ष्य के मुकाबले में जनवरी 1983 तक 2.6 लाख लाभभोगियों को सहायता पहुंचाई गई है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

तटवर्ती राज्यों में मत्स्य-पालन विकास

+109. **श्री चिन्तामणि :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने समुद्र तट के विभिन्न राज्यों में मत्स्य पालन के विकास के लिये योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या उड़ीसा के पारादीप, गोपालपुर, पुरी, चान्दवाली तथा धर्मा स्थानों पर मत्स्य

पालन में वृद्धि करने हेतु कोई ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है ।

विवरण

पांचवी योजना के दौरान 1.21 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से देश के सभी तटीय राज्यों में खारे पानी में मछली पालने संबंधी मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी । इस योजना के अंतर्गत राज्यों को झींगा और खारे पानी की दूसरी मछलियां पालने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लगभग 50 हैक्टार के खारे जल के मत्स्य फार्म का निर्माण करने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया गया था । उड़ीसा में बालासोर जिले के इंचुड़ी में यह परियोजना पूरी होने वाली है ।

2. छठी योजना के दौरान 9.96 करोड़ रुपये के परिव्यय से खारे जल में मत्स्य पालन संबंधी एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अंतर्गत तटीय राज्यों को ऐसे क्षेत्र का विकास करने के लिए रकम मंजूर की गई है, जहां मत्स्य पालन किया जा सकता है । 8 तटीय राज्यों में लगभग 1400 हैक्टार जल क्षेत्र (उड़ीसा में 175 हैक्टार) का विकास किए जाने की सम्भावना है । केन्द्रीय सरकार को अभी तक पुरी जिले में चिल्का झील के ब्रह्मगिरि क्षेत्र में लगभग रुपये की लागत से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

3. इसके अतिरिक्त, ताजे जल में मत्स्य पालन का विकास करने संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सभी तटवर्ती राज्यों के चुनीदा जिलों में मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है । उड़ीसा में ये एजेंसियां बालासोर, कटक, पुरी और गंजम जिलों में स्थापित की गई है, जिनके अन्तर्गत प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित स्थान आते हैं ।

किसानों को रबी की फसल के लिए पर्याप्त विद्युत की सप्लाई

+110 **श्री पी० एम० सईद**
श्री बी० वी० देसाई } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा किसानों को अपर्याप्त विद्युत सप्लाई के कारण 6 करोड़ 20 लाख टन का रबी के उत्पादन का पुनरीक्षित लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावनाओं पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को चेतावनी दी गई थी कि यदि किसानों को जनवरी महीने में पर्याप्त विद्युत सप्लाई न की गई तो रबी का उत्पादन लक्ष्य से बहुत कम होगा,

(ग) यदि हां, तो किसानों को विद्युत सप्लाई करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को क्या उपाय सुझाये हैं, और ।

(घ) जनवरी और फरवरी, 1983 में विद्युत सप्लाई की स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ मोहम्मद खान) : (क) सिंचाई के लिए बिजली की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति से रबी उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे ।

(ख) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रबी उत्पादन हेतु सिंचाई कार्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बिजली, डीजल तथा नहरी जल की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए 21 अक्तूबर, 1982 को अन्त: मंत्रालय बैठक हुई थी । इसके बाद प्रमुख रबी उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों तथा कृषि सचिवों को 5.9 और 20 नवम्बर तथा पुन: 21 और दिसम्बर. 1982 को विस्तृत पत्र तार भेजे गए, जिनमें किसानों को अन्य बातों के साथ-साथ बिजली की लगातार और पर्याप्त सप्लाई करने का सुझाव दिया गया था । उर्जा मंत्रालय ने भी 23 दिसम्बर, 1982 और 18 जनवरी, 1983 को सभी राज्य बिजली बोर्डों के मुख्य सचिवों और अध्यक्षों को सम्बोधित करते हुए उसने अनुरोध किया कि वे कृषि क्षेत्र को बिजली की पर्याप्त सप्लाई करें और कृषि के लिए बिजली की प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें ताकि रबी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । यह भी बताया गया कि खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने के अलावा अच्छे किस्म के ट्रांसफार्मर लगाने की दृष्टि से कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ट्रांसफार्मर के वितरण पर निरन्तर निगरानी रखना वांछनीय होगा । कृषि विभाग ने किसानों को बिजली, डीजल और नहरी जल की उपलब्धि का मौके पर जायजा लेने तथा उपचारात्मक उपाय करने के लिए संयुक्त केन्द्रीय दलों को प्रमुख रबी उत्पादक राज्यों के दौरे पर भेजा । रबी अभियान में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी भेजे गए । इन प्रयासों के फलस्वरूप बिजली की कमी का प्रतिशत 1979-80 के 16.1 प्रतिशत से घटकर 1982-83 में इन वर्ष के जनवरी माह तक 8.6 प्रतिशत हो गया है ।

दिसम्बर, 1982 के गत सप्ताहों तथा जनवरी, 1983 में हुई व्यापक वर्षा से फसल की सम्भावनाएं बढ़ी हैं तथा गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए बिजली की मांग में कमी हुई है ।

दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना

+111. **श्री कृष्ण पांडे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के लिए अभी तक कोई उपयुक्त स्थान निर्धारित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए अब किन्हीं स्थानों पर विचार किया जा रहा है ;

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह);

(क) जी, नहीं । इण्डिया गेट कम्प्लैक्स में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने का निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) तथा (ग) :—प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेलों के विकास के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण

112. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री सन्तोष मोहन देव } क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास देश में खेलों के विकास के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्राधिकरण के स्वरूप, गठन तथा अन्य बातों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्राधिकरण संभवतः कब गठित किया जायेगा ?

संसदीय, खेल तथा निर्माण मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (ग) : देश में खेलों के विकास की ओर ध्यान देने के लिए केन्द्र में पहले ही एक अलग खेल विभाग गठित किया जा चुका है । दिल्ली में नव निर्मित स्टेडियमों के रख रखाव और प्रबन्ध के लिए और इन सुविधाओं के अधिकतम प्रयोग द्वारा खेलों के विकास के लिए एक स्वयत्त स्टेडियम प्राधिकरण गठित किया जा रहा है । ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की समान नीति

+113. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कोई समान नीति है ?

(ख) यदि हां, तो क्या वसूली, भंडारण, परिवहन, उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को कमीशन, कर आदि और उसके बाद उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के विक्री मूल्य के संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सारे देश में समान नीति अपनाए जाने का कोई विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद);

विवरण

(क) से (ग) आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण की योजना में, जैसा कि सारे देश में लागू की जा रही है, नीति संबंधी कुछ बातों के बारे में एकरूपता है, जबकि कुछ अन्य बातों के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में लेने के लिए सम्यता तथा फेर-बदल की गुंजाइश रखी गई है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को सार्वजनिक वितरण के लिए समान रूप से सात वस्तुओं की सिफारिश की है। ये वस्तुएं हैं :—गेहूं, चावल, आयातित खाद्य तेल, चीनी तथा मिट्टी का तेल तथा इनके अलावा साफ्ट कोक तथा नियंत्रित कपड़ा भी है। इन वस्तुओं की अधिप्राप्ति भण्डारण तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्र तक इन्हें पहुंचाने का कार्य केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक वस्तु के लिए पदनामित केन्द्रीय अभिकरण द्वारा किया जाता है। ये अभिकरण राज्य में उचित दर की दुकानों या अन्य सुन्दर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को देने के लिए इन वस्तुओं का स्टाक राज्य सरकार अथवा उसके नामित को सौंप देते हैं। वस्तुएं राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए गए समान निर्गम मूल्यों पर दी जाती हैं। राज्य सरकारों को वस्तु का अन्तिम खुदरा मूल्य नियत करने के लिए इन मूल्यों में स्थानीय साज संभाल तथा ढुलाई प्रभार आदि जोड़ने की अनुमति है। यह घटकर मूल्य, जिसमें खुदरा व्यापारी का कमीशन भी शामिल होता है स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हर राज्य में अलग-अलग होता है। तथापि लेवी चीनी के मामले में 3.75 रु० प्रति किलो० ग्रा० का समान खुदरा मूल्य है, जिस पर यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता को दी जाने वाली हर वस्तु की मात्रा, उपभोक्ता की आहार संबंधी आदतों तथा पसन्द, वस्तु की उपभोक्ता तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हर राज्य में अलग-अलग है। इसी प्रकार ऊपर बताई गई सात वस्तुओं के अलावा राज्य सरकार को इस बात का विकल्प है कि यदि वह चाहे तो आम खपत की किन्हीं अन्य वस्तुओं को उनकी अधिप्राप्ति की व्यवस्था स्वयं करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर सकती है। अतः कई राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम

से साबुन, दियासलाइयां, साइकिल के टायर तथा ट्यूबें आदि भी दे रहे हैं। इन सभी मामलों में, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण सारे देश में एक समान अपनाना न तो सम्भव होगा और न ही उपभोक्ताओं के हित में यह व्यावहारिक होगा। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण जैसे प्रणाली, जो केन्द्र तथा राज्यों के तालमेल से चल रही है, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को कुछ अंश तक स्वायत्तता तथा काम करने की आजादी देना बहुत आवश्यक है।

खुली बिक्री की चीनी भारी मात्रा में जारी किए जाने के कारण चीनी के मूल्यों में गिरावट

+114. **श्री सुभाष यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन आफ को आपरेटिव शुगर फैक्टरीज ने सरकार द्वारा बाजार में असाधारण रूप से भारी मात्रा में खुली बिक्री की चीनी जारी किये जाने पर दूसरी बार कड़ा विरोध किया है ;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर चीनी जारी किये जाने के फलस्वरूप देश में चीनी के मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) : जी हां। इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ ने अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें उन्होंने मुक्त बिक्री की चीनी के मासिक कोटों में कमी करने के लिए इस उद्देश्य से अनुरोध किया था कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य ऊंचे स्तर पर स्थिर हो सकें ताकि फैक्ट्रियों की मुक्त बिक्री की चीनी से उनकी प्राप्तियों में वृद्धि हो सके।

(ख) और (ग) : विशेषतया त्यौहारों की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और चीनी की अधिशेष उपलब्धता को नियंत्रणीय सीमा के अन्दर भी रखने को दृष्टि में रखते हुए मुक्त बिक्री के मासिक कोटों की मात्रा में वृद्धि कर दी गई थी और ये कोटे अगस्त-दिसम्बर, 5982 की अवधि के दौरान 3.00 से 3.30 लाख मीटरी टन के रेंज में थे। उसके बाद बाजार स्थिति, मौसमी मांग में कमी, वैकल्पिक स्वीटनरज की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए जनवरी और फरवरी, 1983 के कोटे को कम कर क्रमश: 2.50 लाख मीटरी टन और 2.00 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। मार्च, 1983 के लिए मुक्त बिक्री के कोटे को और कम कर 1.50 लाख मीटरी टन कर दिया गया है। अतः मिलों की क्षमता और उपभोक्ताओं के हितों के संदर्भ

में मूल्य-स्तर को उपयुक्त स्तर हर बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही हमेशा निर्मुक्तियां की जाती हैं। आगामी महीने में भी मुक्त बिक्री के कोटे को सूझ-बूझ के साथ विनियमित किया जाएगा ताकि मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाये रखा जा सके।

जापानी फर्म द्वारा सप्लाई किए गए जूतों और किट बैगों के सामान का रास्ते में गुम हो जाना

+115. **श्री ए० के० बालन :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी फर्म द्वारा नवें एशियाई खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम के लिए भेजे गए प्रशिक्षण के 550 जोड़े जूते तथा 1000 किट बैगों का सामान दिल्ली हवाई अड्डे से एशियाई ग्राम तक के रास्ते में खो गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घटिया मिलावटी उर्वरकों की कथित बिक्री :

+117. **श्री डी० एम० पुते गौडा**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि देश में किसानों को बेचे गए 60 प्रतिशत उर्वरकों को घटिया या मिलावटी पाया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने किसानों को सप्लाई किए जाने वाले उर्वकों में मिलावट रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) जी नहीं। 60 प्रतिशत का संदर्भ कीटनाशी औषधि सर्वेक्षण दलों द्वारा लिए गए कीटनाशी औषधियों के नमूनों से संबंधित है।

(ख) और (ग)

सरकार ने अच्छे कृषि आदानों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य नीति के रूप में उर्वरकों से संबंधित निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों की गुणवत्ता, मूल्यों और वितरण के नियंत्रण के लिए" उर्वरक नियंत्रण आदेश जारी किया है।

(2) इस आदेश का कार्यान्विमन राज्य सरकारों को सौंपा गया है जिन्हें, उर्वरकों के नमूने इस प्रयोजन के लिए स्थापित केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और छत्तीस राज्य प्रयोगशालाओं में जांच कराने के निर्देश दिये गए हैं। राज्यों सरकारों को इस आदेश के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने तथा उन विक्रेताओं, जो मिलावटी तथा घटिया उर्वरक बेचते हैं, पर मुकदमा चलाने के लिये प्रर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

(3) अभियुक्तों पर संक्षिप्त मुकदमें चलाने के उद्देश्य से उर्वरक नियंत्रण आदेश एक "विशेष आदेश" घोषित किया गया है।

(4) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से उर्वरकों के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण स्थिति का प्रबोधन करती है।

(5) राज्य प्रवर्तन कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(6) राज्य कार्यान्वयन संगठन द्वारा किये जा रहे कार्य को पूरा करने के लिए हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने अपने गुणवत्ता नियंत्रण नियुक्थ करने का अधिकार ग्रहण किया है।

(7) देश में उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध की सूचना देने के लिए दो सर्वेक्षण दल भी नियुक्त किए गए हैं।

(8) मिलावटी घटिया उर्वरकों की बिक्री संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर मौके पर जांच के लिये केन्द्रीय दल भेजे जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ऐसे अनेक दल भेजे गये थे।

(9) कानून को अधिक कठोर बनाने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश की व्यापक संवीक्षा की जा रही है।

उर्वरक की खपत में कमी

+118. प्रो० मधु दन्डवते
श्री के० ए० राजन } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार वर्षों में उर्वरक की खपत की वृद्धि दर में भार्र कमी हुई है,

(ख) यदि हाँ, तो उर्वरक की खपत की वृद्धि दर में कितनी कमी हुई है

(ग) क्या उर्वरक की खपत की वृद्धि की दर में इस कमी के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि रुक गई और वर्ष 1981-82 और 1982-83 में खाद्यान्न के आयात में वृद्धि हुई और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है और क्या यह हानि उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता से अधिक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) : देश में गम्भीर सूखे के कारण 1978-79 की तुलना में 1979-80 में उर्वरक खपत की वृद्धि दर में गिरावट आई। 1980-81 तथा 1981-82 में मौसम की असामान्य परिस्थितियों के बावजूद खपत में वृद्धि होने लगी। तथापि, 1982-83 में सूखे और मौसम की असामान्य परिस्थितियों के कारण उर्वरक खपत की वृद्धि दर में फिर कमी आने की सम्भावना है।

वर्ष 1978-79 की तुलना में गत 4 वर्षों के दौरान उर्वरक खपत की वृद्धि दर निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1978-79	19.4
1979-80	2.7
1980-81	4.9
1981-82	9.9
1982-83 (अनुमति)	5 8

(ग) जी, नहीं। कृषि में कोई स्थिरता नहीं आई है। छठी योजना के आरम्भ में योजना आयोग द्वारा परिकल्पित कृषि उत्पादन के आधार स्तर की तुलना में प्रथम दो वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2.66 प्रतिशत रही, जो गत 15 वर्षों के दौरान 2.48 प्रतिशत की दीर्घ कालीन वृद्धि की प्रवृत्ति से अधिक है · 1981-82 के दौरान खाद्यान्नों, चावल, गेहूं, तिलहन पटसन तथा गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ। सबसे गम्भीर सूखे के बावजूद 1982-83 के दौरान रबी खाद्यान्नों का 560 से 570 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है।

खाद्यान्नों के आयात के सम्बन्ध में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान गेहूं का आयात किया ताकि बफर स्टाक को सुदृढ़ किया जा सके और मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव से निपटा जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

सरदार सरोवर परियोजना के लिये राज्यों द्वारा अंशदान

1119. **श्री शान्तुभाई पटेल** : क्या सिचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) इस खर्च में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्यों का कितना अंश है;

(ग) इन राज्यों ने अपने हिस्से की कितनी राशि अदा कर दी है;

(घ) सरदार सरोवर परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों से उनका देय अंश अदा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या पर्याप्त धन न होने के कारण इस परियोजना की प्रगति पह कुप्रभाव पड़ा है ?

सिचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरदार सरोवर परियोजना पर मार्च, 1983 तक 203.5 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है ।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 1983 के अन्त तक के प्रत्याशित व्यय में तीनों लाभभोगी राज्यों का भाग इस प्रकार है :—

मध्य प्रदेश	48.30 करोड़ रुपये
राजस्थान	11.48 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	21.30 करोड़ रुपये
	81.08 करोड़ रुपये

(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा अब तक गुजरात को 3.3 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है ।

(घ) सिंचाई के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए दिसम्बर, 1981 में लाभ भोगी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी । उसके बाद, संबंधित राज्यों की की वार्षिक योजना में धन राशि की प्रर्याप्त व्यवस्था करने के लिए इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया गया था । जनवरी, 1983 में, हाल में हुई सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठक में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों से

अपनी-अपनी बकाया धनराशियों का गुजरात का शीघ्रतापूर्वक भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। इस तरह से, राज्य सरकारों को अपने-अपने भाग की लागतों का समय पर भुगतान करने के लिए राजी करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) इस परियोजना पर निर्माण-कार्यों की प्रगति संतोषजनक है, क्योंकि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अब तक गुजरात सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

सूखा प्रवण क्षेत्र सबंधी कार्यक्रम का विस्तार

120. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री चिन्तामणि जेना } क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तगंत किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के क्षेत्र में 1982-83 के प्रारम्भ ले संशोधन कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 69 जिलों के 510 खंडों को लिया गया है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य इसकी आवश्यकताओं के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियाँ ये हैं :—भूमि तथा नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, वनरोपण, चारागाह विकास तथा पशुधन विकास।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बाढ़

*121. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के अधिकांश जिले प्रतिवर्ष गंगा, गोमती, साई, घाघरा आदि नदियों के भयंकर बाढ़ की चपेट में आते हैं और इन जिलों में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों के इन जिलों में गत पांच वर्षों के दौरान हुई क्षति का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढ़ने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कोई कार्यक्रम तैयार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (राम निवास मिर्धा : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के कुछ जिले गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में आने वाली मध्यम से लेकर भारी दर्जे की बाढ़ों से प्रभावित होते हैं।

(ख) 1978-82 की अवधि के लिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा पश्चिमी बिहार में बाढ़ क्षति को, जिसकी सूचना राज्य सरकारों द्वारा दी गई है दिखाने वाले **विवरण** एक तथा दो संलग्न है।

(ग) और (घ) बाढ़ नियंत्रण एक राज्य-विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण और अन्य सम्बद्ध स्कीमों का सूत्रीकरण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने वार्षिक योजना बजटों में की जाती है। गंगा बेसिन वाले राज्यों को सहायता देने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित किया है। गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने और उपचारात्मक उपायों के सुझाव देने के अलावा, यह आयोग, राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई स्कीमों की जांच करके और जहां भी आवश्यक होता है, तकनीकी मार्गदर्शन देकर भी राज्यों की सहायता करता है।

विवरण —एक

1978-82 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुई बाढ़ क्षति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्र० सं०	जिला	1978	1979	1980	1981	1982
1.	सुल्तानपुर	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई।	शून्य	750.30	राज्य सरकार सूचना नहीं दी गई।	285.39
2.	प्रतापगढ़	”	शून्य	1331.54	”	0.05
3.	इलाहाबाद	”	शून्य	1500.00	”	1694.19
4.	बहराइच	”	2389.20	320.88	”	8306.2[illegible]
5.	गोंडा	”	1208.29	1586.91	”	6630.00
6.	फैजाबाद	”	57.18	2384.10	”	542.42
7.	बस्ती	”	479.35	800.00	”	3063.90
8.	जौनपुर	”	शून्य	1045.00	”	301.66

9.	मिर्जापुर	"	शून्य	397.38	"	811.69
10.	वाराणसी	"	शून्य	145.00	"	605.17
11.	गोरखपुर	"	513.79	571.74	"	1422.81
12.	आजमगढ़	"	162.24	378.35	"	204.55
13.	गाजीपुर	"	शून्य	155.71	"	551.06
14.	देवरिया	"	203.87	522.84	"	769.43
15.	बलिया	"	50.64	579.16	"	404.59
			5064.56	12468.91		25593.18

विवरण दो

1978-82 की अवधि के दौरान, बिहार के पश्चिमी जिलों में हुई बाढ़ क्षति को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये)

क्र० सं०	जिला	1978	1979	1980	1981	1982
1.	गोपालगंज	29.51	शून्य	शून्य	10.77	शून्य
2.	सिवान	30.69	शून्य	478.93	276.94	214.00
3.	सारण	851.96	शून्य	677.98	629.55	2241.42
4.	भोजपुर	384.00	शून्य	शून्य	शून्य	5,7.02
5.	रोहतास	74.71	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़	1370.87		1156.91	917.26	3033.44

पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के सुझाव

1152. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा जून, 1981 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो देश में पानी का अधिकतम उपयोग करने तथा सिंचित भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस समिति द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जून, 1981 में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने 10 सितम्बर, 1982 को अपनी रिपोर्ट सिंचाई मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी ।

(ख) समिति द्वारा दिए विभिन्न सुझावों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) राज्यों में, सिंचाई विभाग के कमान क्षेत्र विकास स्कंध वरिष्ठ स्तर के सचिव के अधीन होने चाहिए ।

(2) राज्य के सिंचाई विभाग को बहुविध तकनीकी निवेश उपलब्ध किए जाने चाहिए और बृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और बृहत्तर लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत जिनका प्रत्येक का कृषिगत कमान क्षेत्र 500 हैक्टेयर से अधिक हो, नहरों के प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए राज्य के सिंचाई विभाग में नया जल-प्रबन्ध तथा भूमि विकास स्कंध स्थापित किया जाना चाहिए ।

(3) जल प्रबन्ध और भूमि विकास सहित, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सफल कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रशिक्षण के लिए, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता होगी ।

(4) जल के किफायती उपयोग, वैकल्पिक फसल उत्पादन पद्धतियों को अपनाने तथा वारबन्दी आदि के प्रेक्षण के संबन्ध में कमान क्षेत्र में कृषक को प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है ।

(ग) केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा सितम्बर, 1982 में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि उत्पादकता में वृद्धि करने की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वह यह सिफारिश करेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए और उन्हें शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए । जहां तक भारत सरकार का संबंध है, जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, विभिन्न क्रियाकलापों के मानदण्ड निर्धारित करके खेत पर (आन फार्म) विकास तथा जल-प्रबन्ध के बारे में व्यापक तकनीकी मैनुअल तैयार करने और प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के बारे में तीन दलों को गठित करने के लिए कार्रवाही की जा रही है ।

दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलों के मालिकों द्वारा पिसाई की दरें बढ़ाए जाने का औचित्य

1153. **श्री निहाल सिंह :** क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में फ्लोर मिलों के मालिकों द्वारा पिसाई की दरें कितनी बार बढ़ाई गई हैं तथा कब-कब बढ़ाई गई हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान फ्लोर मिलों के मालिकों को दी जाने वाली बिजली यूनिटों की दरें कितनी बढ़ाई गई हैं तथा कब-कब बढ़ाई गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का कमजोर वर्गों को राहत देने की दृष्टि से पिसाई दरें कम करने हेतु कोई उपाय करने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलों के लिए अनुमेय मिलिंग मार्जिन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वस्तुतः इस अवधि के दौरान फ्लोर मिलों के समूचे मिलिंग मार्जिन में मामूली कमी हुई है।

(ख) फ्लोर मिलों के लिए लागू औद्योगिक बिजली की दरें, 1979-80 में निर्धारित की गई थीं और उसके बाद इनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) दिल्ली में अपनाये जा रहे वितरण-पैटर्न के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर गेहूं के उत्पादों की पूर्ति की जा रही है।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि

1154. **श्री ईरा अनावरासु :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण सामग्री की लागत में हुई कई गुणा वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान निर्माण हेतु दी जाने वाली आग्रिम धनराशि की मात्रा बढ़ाएगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) —वित्तीय कमियों के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए निर्धारित धनराशि

1155. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है,

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-83 में कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ग) वर्ष 1983-84 में खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है ;

(घ) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में कौन-कौन से मुख्य कार्य किए गए, और

(ङ) वर्ष 1983-84 में क्या कृषि कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता सहित कृषि से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कुल परिव्यय 6609.3 करोड़ रुपये है।

(ख) सहकारिता सहित कृषि से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों पर खर्च की गई कुल धनराशि 1980-81 में 1133.9 करोड़ रुपये और 1981-82 में 1310 4 करोड़ रुपये थी। 1982-83 के लिए स्वीकृत परिव्यय 1402.6 करोड़ रुपये है। वर्ष 1982-83 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अतः खर्च की गई धनराशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1982-84 के परिव्यय का ब्यौरा वार्षिक योजना दस्तावेज में उपलब्ध होगा जिसे राज्य और केन्द्रीय बजट पेश किए जाने के पश्चात योजना आयोग द्वारा यथाशीघ्र संसद में रखा जाएगा।

(घ) और (ङ)

1980-81, 1988-82 के दौरान शुरू किये गए और 1983-84 के दौरान शुरू किए जाने मुख्य कार्यक्रम मोटे तौर पर कृषि अनुसंधान और शिक्षा, फसल उत्पादन, मृदा और जल संरक्षण, पशुपालन, डेरी उद्योग, मात्स्यकी, वानिकी, कृषि सम्बन्धी वित्तीय संस्थाओं में निवेश, सहकारी कार्यकलापों के विकास आदि से सम्बन्धित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम

1156. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गोदाम चालू थे;

(ख) वर्ष 1982 के दौरान कितने और गोदाम खोले जाने का लक्ष्य था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी गोदाम कार्य कर रहे हैं, अतः मंत्रालय द्वारा ऐसे गोदामों की कुल संख्या के बारे में विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) व (ग) अन्य योजनाओं की तरह इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं न ही कैलेंडर वर्ष के लिए। वर्ष 1981-82 के दौरान 5 लाख मीटरीटन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन के लक्ष्य के मुकाबले में 5,01,910 मीटरीटन की भण्डारण क्षमता के सृजन के प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए और केन्द्रीय सहायता वितरित की गई। वर्ष 1982-83 के लिए 4 लाख मिटरीटन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का लक्ष्य है : स्वीकृत गोदाम कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा राज्य सरकारों से इन्हें परा करने की रिपोर्ट भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

रबी फसल की बुआई के लिए दी गई सुविधायें

1157. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** }
श्री के० प्रधानी } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं कि नवम्बर के अन्त तक गेहूं की बुवाई का अधिकतम कार पूरा हो जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या सुझाव दिए हैं तथा किसानों को कौन-कौन सी सुविधाएं देने के लिए कहा है;

(ग) क्या राज्यों को बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई कार्यों को तेज चलाने और सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पर्याप्त ऋण सुविधाएं देने हेतु कार्य सुझाए गए है; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि यदि निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में काफी सुधार हो सकता है :—

(1) बुवाई, बीज अंकुरण तथा पौधों के मुलायम होने के समय मिट्टी में इष्टतम नमी की स्थिति।

(2) समुचित क्यारियां तैयार करना।

(3) अच्छे अंकुर की प्रतिशतता वाली अधिक उत्पादनशील किस्मों का चयन करना।

(4) फफूंदी नाशी से बीजों का उपचार करना।

(5) बिजाई के लिए ठीक समय (15 और 30 नवम्बर के बीच)।

(6) खाद और उर्वरकों की सुझाई गई मात्रा का प्रयोग करना।

(7) बीज सह-उर्वरक ड्रिल का प्रयोग करना और जहां ऐसी ड्रिल उपलब्ध नहीं हैं वहां बीज के नीचे कूंड में उर्वरक डालने की सुनिश्चित करना।

(8) नहर के पानी और नलकूपों को चलाने के लिए बिजली और डीजल तेल की सुनिश्चित सप्लाई।

(9) खरपतवार नियंत्रण और

(10) ऋण की आसान उपलब्धि।

(ख) जी, हां।

(घ) विवरण नीचे दिया गया है:

(1) जल की नालियों सहित सिंचाई निर्माण कार्यों को पूरा करना; नलकूपों का विद्युतीकरण और फालतू पुर्जों या मरम्मत की कमी के कारण खराब पड़े नलकूपों को चालू करना।

(2) फसल वृद्धि की संक्रांतिक अवधियों के अनुसार जल के प्रवाह को नियंत्रित करना और बनाए रखना।

(3) जल मार्गों की मरम्मत करना;

(4) वाराबन्दी शुरू करना;

(5) सारे कमान क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन के लिए सस्य प्रतिमान लागू करना;

(6) "आउट लेट" के आधार पर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करना;

(7) निवेश की ठीक समय पर सप्लाई का प्रबंध करना;

(8) सघन विस्तार का प्रयास करना; और

(9) प्रत्येक सहकारी समिति और वाणिज्यिक बैंक की ग्रामीण शाखा के लिए ऋण के लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों के जरिए पर्याप्त ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना और ऋण सम्बन्धित मेलों का आयोजन करना।

पेय जल की सुविधा प्रदान करने में हुई प्रगति

1158. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेय जल की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) इस कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के मार्ग में मुख्य रुकावटें क्या हैं तथा इन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छठी योजना के दौरान पता लगाये गये सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल का कम से कम एक स्रोत जिनमें वर्ष भर जल उपलब्ध हो, मुहैया कराकर लाभान्वित किए जाने का प्रयास किया जायेगा। छठी योजना के आरम्भ में राज्य सरकारों द्वारा सूचित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या लगभग 1.31 लाख थी।

(ख) और (ग) :—जल मुहैया कराने की प्रगति की गति में वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 के दौरान 25.978 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया कराया गया जबकि 1981-82 के दौरान 29.837 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया कराया गया। वर्ष 182-83 के लिए लगभग 42,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता वित्तीय ससोधित है। कुछ राज्यों में वास्तविक तथा जनशक्ति की कमी है। छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए पाचवीं योजना (1974-79) के 429.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना मे परिव्यय 2007.11 करोड़ रुपये तक पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई रुकावटें आई हों तो उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। 19 जनवरी, 1983 को राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुए पिछले सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया था कि छठी योजना की शेष अवधि के दौरान पता लगाए गए समस्या-

ग्रस्त ग्रामों को पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया करने के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तुरन्त कदम उठाने चाहिए। दूसरा संकल्प यह पारित किया गया कि जहां कहीं व्यवहार्य है स्वच्छ कुओं तथा हैंड पम्पों सहित नलकूपों जैसी कम तायत की योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में यह संकल्प भी पारित किया गया था कि राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अपेक्षा समितियां कम से कम प्रत्येक तिमाही पर प्रगति का प्रबोधन करें और विधियों, सामग्री, स्टाफ अन्तरविभागीय समन्वय इत्यादि से संबंधित समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाएं। क्योंकि पेयजल की पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारें योजनाएं बनाती है तथा उनका कार्यान्वयन करती है इसलिए इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकारों द्वारा मुख्य कदम उठाने होते हैं।

उत्तर प्रदेश में निर्बल वर्गों के लिए मकान]

*159. **श्री जैनुल बसर : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में निर्बल वर्गों के लिए मकानों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है। योजना नियतनों के भीतर, राज्य सरकारें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास सहित विभिन्न योजनाओं के लिए विधियां उद्दिष्ट करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि उत्तर प्रदेश आवास तथा विकास बोर्ड से प्राप्त समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए तीन आवास परियोजनाएं आवास तथा नगर विकास निगम केन्द्र सरकार का एक उद्यम है में जाचांधीन है। उन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण की राशि	रिहायशी एकक
			(लाख रुपयों में)	
1.	संयुक्त आवास योजना दमदमा कोठी, मुरादाबाद	18.19	15.25	228
2.	तृतीय संयुक्त परियोजना, यमुनापार आगरा	35.55	28.27	300
	(स्थल कथा सेवा)	23.41	22.78	479 (स्था तथा सेवा)

3.	भूसी, इलाहाबाद में प्रथम हुडको संयुक्त ग्रावास योजना	41.64	33.17	353

मूंगफली का समर्थन मूल्य

1160. श्री मोहन लाल पटेल
श्री नवीन रवाणी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्या क्या निर्धारित हुग्रा है, और

(ख) क्या यह सच है कि जितना मूल्य किसानों ने मांगा था, उससे यह बहुत कम निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किसानों द्वारा मांगा गया मूल्य क्या है; और

(घ) मूंगफली का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या फार्मूला ग्रपनाया गया है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) 1982-83 के लिए ग्रच्छी किस्म की छिलके वाली मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 295 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है;

(ख) तथा (ग) :

कृषक संगठन विभिन्न जिन्सों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तथापि, मूंगफली का मूल्य एक विशेष स्तर पर निर्धारित करने के लिए कोई ग्रभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) सरकार कृषि मूल्य ग्रायोग की सिफारिशों के ग्राधार पर मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि मूल्य ग्रायोग ग्रन्य बातों के साथ-साथ जिन्स की उत्पादन लागत, विद्यमान बाजार मूल्य, कृषि ग्रौर गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों और किसानों को संशोधित प्रौद्योगिकी ग्रपनाने के लिए प्रोत्साहन देने की ग्रावश्यकता पर भी विचार करता है।

प्याज का उत्पादन

1161. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्याज की भारी फसल हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हुई है;

(ग) क्या इस वर्ष प्याज को उसी भाव पर बेचा जा रहा है, जिस पर इसे गत वर्ष बेचा गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या अधिक उत्पादन का इसके मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हैं तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख)

चालू वर्ष (1982-83) के लिए प्याज उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 29.1.83 को सप्ताह के लिए प्याज का थोक मूल्य सूचनांक 356.1 रहा जो कि गत वर्ष के तदनरूपी सप्ताह के 333.5 सूचकांक से अधिक है।

(घ) 1982-83 के उत्पादन अनुमानों की उपलब्धि के अभाव में फसल के आकार का मूल्य स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तथापि, प्याज सम्बन्धी वर्तमान सूचकांक उच्चतम स्तर पर है।

सरकार द्वारा दी गई भूमि और वित्तीय सहायता से निर्मित मकानों का अत्यधिक किराया वसूल किया जाना

1162. **श्री आनन्द पाठक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दिल्ली के गोल मार्केट, हनुमान लेन, चितरंजन पार्क, बेयर्ड रोड़ तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसे अधिकांश मकान मालिक, जिन्होंने सरकार द्वारा रियायती दरों पर दी गई भूमि पर तथा सरकार द्वारा आसान शर्तों पर मंजूर की गई वित्तीय सहायता से अपने मकानों का निर्माण किया है, अपने पूरे मकान अथवा इसके किसी एक भाग के लिए किराए की अत्याधिक ऊंची दर वसूल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कृत्य के परिणामस्वरूप किरायेदारों तथा मकान मालिकों में प्रायः अप्रिय टकराव हो जाता है और ऐसे मकान मालिक किरायेदारों से न केवल दुर्व्यवहार ही करते हैं, अपितु उनसे बलपूर्वक मकान खाली करा लेने की धमकी भी देते हैं ; और

(ग) क्या किराए सम्बन्धी इस अवैध धंधे को समाप्त करने तथा मकान मालिकों द्वारा किराये पर दिए जाने वाले मकान के आकार और स्थल के अनुसार अधिकतम किराया निर्धारित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) तथा (ख) :— यह मंत्रालय ऐसी सूचना का प्रबोधन नहीं करता।

(ग) कोई किराएदार यदि यह महसूस करता है कि मकान मालिक उससे अधिक किराया वसूल कर रहा है तो वह दिल्ली किराया नियंत्रित अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत मालक किराए के नियकेन के लिए किराया नियंत्रक से सम्पर्क करता है।

समेकित विकास योजनाओं के अन्तर्गत छोटे शहरों का विकास

*163. **श्री चतुर्भुज:**
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने छोटे शहरों के विकास के लिए समेकित विकास योजनाएं शुरू की हैं और जी हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे कुल छोटे शहरों को शामिल करने का विचार है;

(ख) राजस्थान में इस योजना में कितने शहरों को शामिल किया गया है तथा झालावाड़ और कोटा के छोटे शहरों में यह योजना कब तक चालू हो जाएगी; और

(ग) इस योजना के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 231 शहरों के एकीकृत विकास करने का प्रस्ताव है।

(ख) राजस्थान राज्य को आबंटित कुल शहरों की संख्या ग्यारह है। अभी तक इन सभी शहरों को योजना के अन्तर्गत अनमोदित किया गया है। 11 शहरों की अनुमोदित सूची में छोटा जिले का केवल एक शहर नामतः बारान शामिल किया है। राज्य सरकार ने झालावाड़ जिले के किसी भी शहर का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शहरों के लिए एकीकृत नगर विकास परियोजना उन परियोजना के सम्बन्ध में आरम्भ की जाती है जिसकी लागत आमतौर पर 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है और केन्द्रीय सहायता लागत का 50 प्रतिशत या 40 लाख रुपये इसमें से जो भी कम हो, दी जाती है। शेष विधियों राज्य तथा स्थानीय शासनों द्वारा की जाती है। मार्ग निर्देशनों में समान आधार पर निम्नलिखित मदें केन्द्रीय सहायता के लिये पात्र हैं :—

(i) भूमि अर्जन और विकास

(ii) सड़कों तथा बस स्टैंडों का निर्माण सहित यातायात तथा परिवहन वाहनों की खरीद इसमें शामिल नहीं है ।

(iii) दूर-दराज के प्रदेशों के लाभार्थ मार्किट मण्डियों, तथा औद्योगिक इस्टेट का विकास और अन्य सुविधाएं ।

(iv) इसके अतिरिक्त जिन घटकों को राज्य योजना के अन्तर्गत विधियां दी जानी हैं उन में मलिनबस्ती सुधार, नवीकरण, लघु उद्योग, जलपूर्ति, मल निर्यास, नाली व्यवस्था स्वच्छता चिकित्सा सुविधाए, पार्क, खेल मैदान शामिल हैं ।

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय नदियों पर संयुक्त परियोजनाओं का निर्माण करने के बारे में समझौता

1164. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की सरकारें वर्ष 1978 में अन्तर्राज्यीय नदियों पर संयुक्त परियोजनाओं का निर्माण करने के बारे में सहमत हो गई थी ।

(ख) यदि हां, तो किन-किन नदियों और सिचाई बराजों तथा परियोजनाओं के बारे में समझौता हुआ था और उसके बाद राज्यों में जल के वितरण की स्थिति क्या रही ;

(ग) समझौते होने के बाद से दोनों राज्यों ने कौन-कौन सी परियोजनाओं और बराजों पर काम शुरू कर दिया है ; और

(घ) ऐसी कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं और बराज हैं, जो सर्वेक्षणाधीन हैं और जिनका जांच कार्य पूरा हो चुका है तथा सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने हेतु राज्यों द्वारा कौन सी परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) ; (क) और (ख) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों के बीच 15 दिसम्बर, 1978 को हुई अन्तर्राज्यीय बैठकों में, गोदावरी नदी बेसिन और नागावाली, झंझावती, बहुधा एवं वम्सधारा नदियों के जल के बंटवारे और अन्य संयुक्त लघु सिंचाई स्कीमों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था । कुछ लघु सिंचाई स्कीमो के शीर्ष निर्माण कार्य उड़ीसा राज्य में पड़ते है और कमान क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है और अन्य स्कीमों का कमान क्षेत्र अंशतः उड़ीसा में और अंशतः आन्ध्र प्रदेश में पड़ता है । इस बात पर सहमति हुई थी कि संयुक्त स्कीमों के अन्तर्गत आने वाला कमान क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच लगभग 2 : 1 के अनुपात में सिंचित किया जाएगा ।

(ग) चूंकि संयुक्त परियोजनाएं लघु स्कीमें होती हैं, उनका अन्वेषण, सूत्रीकरण, वित्त-पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, और उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, वम्सधारा, चरण दो और झंझावती की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और दोनों राज्यों के बीच विचारो में मतभेद होने के कारण, स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं। योजना पर विचार-विमर्श के दौरान, आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने सुचित किया है कि वम्सधारा चरण-दो और झंझावती परियोजना पर प्रारम्भिक निर्माण कार्य हाथ में लिए जा चुके हैं। उड़ीसा सरकार ने भी वम्सधारा की सहायक नदी गनगुडा नदी पर योजना आयोग द्वारा 1981 में अनुमोदित की गई बड़ानाला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया है। उड़ीसा को लाभ पहुंचाने वाली ऊपर इन्द्रावती बांध और पोट्टेस्वागु बराज परियोजना का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया जा चुका है।

(घ) जिन बृहत और मध्यम संयुक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पूर्ण हो चुके हैं, उनकी कोई रिपोर्ट तकनीकी अनुमोदन एवं योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

धनबाद के सरकारी कर्मचारियों को खाद्यान्न सप्लाई न किया जाना

1165. **श्री ए० के० राय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद औद्योगिक क्षेत्र में जिले की उचित दर की दुकानों में खाद्यान्न की सप्लाई न होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है : यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई योजना है कि राज्य सरकार की वितरण प्रणाली के माध्यम की बजाय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने अपने विभागों के माध्यम से राशन कार्डों पर खाद्यान्न सप्लाई किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को उर्वरक का आवंटन

1166. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों को राज्यवार, खरीफ (फरवरी-जुलाई 1982) तथा रबी (अगस्त 1982 जनवरी, 1983) मौसम के दौरान अब तक कितना-कितना उर्वरक आवंटित किया गया है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खरीफ 1982 तथा रबी 1982-83 के मौसम के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/जिन्स बोर्डों को आवंटित किया गया उर्वरक

(लाख मीटरी टन पोषक तत्व एन+पी+के)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	
	खरीफ 1982	रबी 1982-83
1. आन्ध्र प्रदेश	2.86	8.38
2. तमिलनाडु	2.64	4.61
3. कर्नाटक	2.61	1.59
4. केरल	0.61	0.58
5. पांडिचेरी	0.07	0.08
6. महाराष्ट्र	3.35	2.27
7. गुजरात	2.20	2.50
8. गोवा	0.04	0.03
9. मध्य प्रदेश	1.51	1.62
10. राजस्थान	0.67	1.41
11. पंजाब	2.67	5.48
12. हरियाणा	1.11	1.57
13. उत्तर प्रदेश	4.87	10.71
14. हिमाचल प्रदेश	0.15	0.08
15. जम्मू तथा कश्मीर	0.22	0.19
16. दिल्ली	0.03	0.08
17. पश्चिमी बंगाल	1.44	2.53
18. बिहार	0.94	1.76
19. उड़ीसा	0.54	0.52
20. असम	0.12	0.12

21. मेघालय	0.03	0.02
22. त्रिपुरा	0.03	0.02
23. मणिपुर	0.04	0.01
24. जिन्स बोर्ड	0.97	0.88
	29.72	42.04

टिप्पणी :—मिजोरम. दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा सिक्किम को लघु मात्रा आवंटित की गई।

साइट्रस उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करने के लिए जापान पेशकश

1167. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने साइट्रस का उत्पादन बढ़ाने में भारत को मदद देने की पेशकश की है,

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान और साइट्रस उत्पादन के लिए कौन-कौन से पौधों को लिया गया है,

(ग) फलों के बागों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) इस मामले से संबंधित सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या हे ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) (क) जापानी वैज्ञानिकों के दल ने 1971, 1972 और 1973 में भारत का दौरा किया। इसके पश्चात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने साइट्रस यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) और (घ) :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपनी अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना के माध्यम से साइट्रस सम्बन्धी अनुसंधान करती है। इस अनुसंधान कार्यक्रम में जमपलास्म् संचयन उपजातीय मूल्यांकन और सुधार, अंतराजन, प्रचार, प्रकन्द काट-छांट, कृषि तकनीक (पोषण सिंचाई, फलों धानों का प्रबन्ध और खपतवार नियन्त्रण) वृद्धि और कमियों और रोगों का प्रबन्ध सम्मिलित है।

भारत सरकार ने श्रेष्ठ किस्म के फलों धान तथा नर्सरी की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना मंजूर की है जिसे भारतीय राज्य फार्म निगम के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। फलों धानों की किस्मों में वर्धन करने के लिए चुनींदा फलों में साइट्रस को शामिल किया गया है।

बलबीत नगर कानूनों को नियमित किया जाना

1168. **श्री एन०ई० होरो :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शादीपुर म्यूनिसिपल बोर्ड संख्या 100 में बलजीत नगर कालोनी गत 30 वर्षों से विद्यमान है और यदि हां, तो अब तक इसे नियमित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या बलजीत नगर के निवासी नगर-निगम को जल कर, बिजली कर, अग्नि-शमन कर और सफाई कर का भुगतान करते रहे हैं ;

(ग) क्या क्षेत्र के एक संसद सदस्य और एक सामाजिक संगठन बलजीत नगर को नियमित करने की कई वर्षों से मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सरकार का बलजीत नगर को अब तक नियमित करने का विचार है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बलजीत नगर कालोनी बहुत वर्षों से है। इस कालोनी के अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्र होने से इसे मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत माना जा रहा है। तथापि ये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सरकार द्वारा अनधिकृत कालोनियों के नियमतिकरण के लिए जारी किए गए आदेशों के अनुसार अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्रों की अनधिकृत कालोनियों को भी नियमित कर दिया जाए।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि बलजीत नगर के निवासियों से जल कर विद्युत कर तथा अग्नि कर वसूल किए जा रहे हैं परन्तु उनसे सफाई कर वसूल नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। जैसा कि उपर्युक्त (क) में कहा गया है, अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्रों के नियमितीकरण के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। किसी विशेष कालोनी के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उड़ीसा में त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम

1169. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम से सम्बन्धित योजनाओं, वित्तीय सहायता और योजनाओं के निष्पादन सम्बन्धी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन हैण्डपम्पों सहित नलकूपों के माध्यम से किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का आशय पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करने में

राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाना है। उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता एवं वर्ष 2977-78 से लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	वित्तीय सहायता (लाख रुपयों में)	त्वारत ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के तहत लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
1977-78	180.00	898
1978-79	212.00	1,867
1879-80	203.00	1,639
19 0-81	307.00	858
1981-82	593.00	2,502
1982 83	766.50	2,280 (लक्ष्य)

एशियाई खेलों में एन० सी० सी० कैडेटों का भाग लिया जाना

1170. **श्री पीयूष तिवारी :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमो में कुल कितने-कितने एन० सी० सी० छात्र और छात्रा कैडेटों ने भाग लिया था ;

(ख) एशियाई खेलों के दौरान एन० सी० सी० कैडटों के भोजन, आवास, परिवहन तथा उन्हें दी गई सुविधाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि भोजन और आवास की व्यवस्था के बारे में एन० सी० सी० के कुछ कैडटों की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो शिकायतों का ब्योरा क्या है तथा उस पर सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 910

(ख) दिल्ली शिविर में एन०सी०सी० कैडटों के लिए फर्नीचर, सफाई प्रबन्ध, विद्युत और आकस्मिक जैसी सुविधाए प्रदान करने के लिए एशियाई खेल बजट में से 1,37,865/-रु० की राशि खर्च की गई थी। कैडटों के भोजन और उन्हें उनके राज्यों से लाने और ले जाने के लिए परिवहन, परिधान सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम सागपुर और पूर्वी सागर पुर कालोनियां

1171. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम सागरपुर और पूर्वी सागरपुर कालोनियों में पिछली बार सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था ;

(ख) क्या वर्ष 1977 अथवा 1978 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इन कालोनियों को वर्ष 1982 में नियमित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है क्योंकि उन कालोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण 1978 के बाद किया गया और वे अपने परिवारों के साथ वहां पर रहे हैं ?

(घ) वर्ष 1981 अथवा 1982 में इन कालोनियों का सर्वेक्षण न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या वहां पर रहने वाले गरीब लोगों के घरों को बचाने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन कालोनियों का पुनः सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि वर्ष 1978-79 में एक गैर-सरकारी वास्तुक के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी सागरपुर का सर्वेक्षण करवाया गया था और इस सर्वेक्षण पर आधारित, उनके नियमिती करण नक्शों का अनुमोदन उसको स्थायी समिति द्वारा 25-10-1982 को किया गया था।

(ग) से (ङ) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, केवल उन्हीं रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाओं को नियमित किया जाना है जो क्रमशः 30-6-77 और 16-2-77 से पूर्व इन कालोनियों में बने थे। इसलिए दिल्ली नगर निगम ने बताया कि इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनकपुरी के डी० डी० ए० की स्ववित्त पोषण योजना के फ्लैटों में घटिया किस्म की भवम सामग्री का उपयोग

1172. **श्री केशव राव पारधी :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री मनोहर लाल सैनी :

प्रो० अमित कुमार मेहता : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी की पाकेट "बी" में स्व-वित्त पोषण योजना के फ़्लैटों के निर्माण में घटिया स्तर की ईंटों और अन्य भवन सामग्री का उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या डी० डी० ए० के क्वालिटी कन्ट्रोल के मुख्य अभियन्ता ने इन फ्लैटों की कोई विस्तृत जांच की है यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हो, तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) ने अभी तक इन फ्लैटों का विस्तृत निरीक्षण नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खुमी (मशरूम) अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

1173. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खुमी (मशरूम) अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, प्रस्तावित केन्द्र का कार्यकरण क्या होगा और उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हिमाचल प्रदेश के सोलन में राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रहा है ।

(ख) इस केन्द्र के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :

(क) आशाजनक किस्म की खेती की संभावना के लिए उनकी पहचान तथा सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से स्वाभाविक रूप से उगने वाली खुम्बी का सर्वेक्षण करना ।

(ख) खेती, उत्पादन तथा फसल के बाद को प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान करना ।

(ग) पहचान, परिवर्तन, संकरण आदि जैसी विभिन्न तकनीकों को उपयोग में लाकर छटाई तथा अधिक अनुकूलनीय सहित अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास

के उद्देश्य से एगारिकस, प्लूरोटस तथा वोलवारीऐला आदि पर स्पॉन (कवकजाल) पर अनुसंधान करना तथा।

(घ) विज्ञानियों, खुम्बी उगाने वाले (भूमिहीन कार्य करने वालों सहित), अपने घर के बगीचे वाले, विद्यार्थियों तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करना।

छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982-83 से 1984-85 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सोलन की अनुमानित लागत 1835600/ रु० (केवल अठारह लाख पैंतीस हजार छः सौ) रु० है।

मंत्रालय में सलाहकार समितियों की बैठकें

1174. **के मालन्ना :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न समितियों (सलाहकार समितियों) की बैठकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सेन्ट्रल रेवाइन रिक्रेयेशन बोर्ड की स्थायी समिति, जो राज्यों के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर पुनर्विचार करती है, कि पिछले 7 या 8 वर्षों में बहुत कम बैठकें हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तक।

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ के कारण उड़ीसा में पेयजल के कुओं को हुआ नुकसान

1175. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि बाढ़ के कारण उड़ीसा में पेयजल के बहुत से खुले कुंए बुरी तरह खराब हो गए हैं तथा उनमें से अधिकांश में मलबा भर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है कि इन कुओं के पानी को निकालने, मलबे की सफाई करने तथा इन्हें रोगाणुमुक्त करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तथा (ख) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा संघ राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित अधिकतम व्यय की मंजूरी दी है :—

(लाख रुपए)

मद	1982-83	1983-84
गैर योजना		
1. जल आपूर्ति की व्यवस्थाएं	3.94	1.31
2. नलकूपों का पुनस्थापन	6.25	2.08
3. अस्थायी नलकूप	10.11	3.37
4. सामुदायिक निगम विकास विभाग के तहत स्वास्थ्यकर नलकूप	5.25	1.75
योग :—	25.53	8.51
योजना		
1. जल आपूर्ति की योजनाएं	95.01	31.68
2. उपस्कर तथा मशीनरी	3.38	1.12
3. नलकूपों का पुनस्थापन	365.75	122.25
	465.14	155.05
सम्बलपुर बाढ़ के लिए गैर योजना		
1. टैंकरों तथा अस्थायी नलकूपों के माध्यम से पानी की सप्लाई	2.00	
2. जल संसाधनों आदि को रोगाणुमुक्त करना	5.30	

1	2
3. पेय जल की सप्लाई	26.43
	——
	28.73
	——
योजना	
1. अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में नये नलकूप	4.00 लाख

2000 टन प्रतिदिन चीनी तैयार करने की क्षमता निर्धारित करना

1176. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एक चीनी मिल स्थापित करने में लगने वाली भारी लागत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव है कि चीनी तैयार करने की क्षमता 1250 टन प्रतिदिन के स्थान पर कम से कम 2000 टन प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिदिन 1250 मीट्रिक टन चीनी तैयार करने वाली सभी चीनी मिलें इस समय आर्थिक रूप से सक्षम हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में प्रतिदिन न्यूनतम 2000 टन चीनी तैयार करने की क्षमता सुनिश्चित करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवान झा आजाद) : (क) से (घ) सरकार 1250 टी० सी० डी० की बजाए 2000 मी० टन गन्ना प्रतिदिन (टी० सी० डी०) की न्यूनतम क्षमता की नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के बारे में विचार नहीं कर रही है। 1250 टी० सी० डी० की प्रारम्भिक क्षमता की कोई एक मानक चीनी फैक्ट्री कुछ परिवर्तन कर अपनी क्षमता को आसानी से बढ़ाकर 2000 टी० सी० डी० की चीनी फैक्ट्री आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध नहीं हो रही थी। अतः सरकार ने ऐसी नयी चीनी फैक्ट्रियों को आंशिक रूप से उत्पादन शुल्क में रियायत देने और आंशिक रूप से लेवी मुक्त कोटे की अधिक प्रतिशतता के आधार पर प्रोत्साहन देने की एक योजना मंजूर की है।

ईस्ट आफ कैलाश में एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटियों द्वारा भुगतान किए गए "ग्राउंड रेंट" की प्राप्ति रसीदें

1177. **डा० वी० कुलनबईवेलू :** क्या निर्माण **और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 3-4 वर्षों से डी० डी० ए० ने ईस्ट आफ कैलाश में एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटियों द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक "ग्राउंड रेंट" की प्राप्ति रसीदें नहीं दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सामान्यता डी० डी० ए० द्वारा दी जाने वाली इन प्राप्ति रसीदों के अभाव में, आयकर अधिकारियों द्वारा आवंटियों को ऐसे भुगतान पर छूट नहीं दी जा रही है ;

(ग) क्या वह डी० डी० ए० को इस प्रकार किए जाने वाले भुगतान के लिए केवल भविष्य में ही रसीद देने के लिए नहीं, बल्कि पहले किए गए भुगतान की भी रसीदें जारी करने के आदेश देंगे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की अधिकृत शाखाओं द्वारा चालान फार्म के माध्यम से भूमि किराया का भुगतान प्राप्त किया जाता है। इस भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत बैंक द्वारा भुगतान दाता को चालान फार्म की एक विधिवत पावती की प्रतिलिपि दी जाती है और दिल्ली विकास प्राधिकरण से एक अलग पावती देने की आवश्यकता नहीं है। शहर से बाहर के आवंटियों से डिमाण्ड ड्राफ्टों द्वारा प्राप्त भुगतानों के दिल्ली विकास प्राधिकरण आवश्यक पावती भेजता है जो उन्हें डाक द्वारा भेजी जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा उसकी ओर से जो पावती दी जाती है वह प्राप्त की गई राशि की पावती होती है और उसकी ओर से आगे से आगे कोई पावती भेजना आवश्यक नहीं है।

विज्ञान भवन का प्रस्तावित नवीनकरण

1178 **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या विज्ञान-भवन का नवीनकरण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस पर कितना व्यय आएगा ;

(ख) पिछली बार नवीकरण कब किया गया था और उसमें कितना खर्च हुआ था ;

(ग) जब विज्ञान भवन बनाया तब उस पर कितना खर्च हुआ था और वर्तमान प्रस्तावित नवीकरण सहित इसके नवीकरण के कार्य पर कितना खर्च हुआ है ;

(घ) पिछले पांच वर्षों में विज्ञान भवन के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ है और उससे कितनी आमदनी हुई है ; और

(ङ) क्या सरकार विज्ञान भवन और अन्य इसी प्रकार के अन्य भवनों और सुविधाओं पर, देश की गरीबी को देखते हुए, सार्वजनिक खर्च को कम करने की कार्यवाही पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 7वें निर्गुट सम्मेलन, 1983 की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए विज्ञान भवन तथा विज्ञान भवन एनैक्सी का नवीकरण किया जा रहा है। इस पर 165.00 लाख रुपये के लगभग व्यय होने की सम्भावना है।

(ख) 1979-80 में विज्ञान भवन तथा एनैक्सी में किया गया विगत नवीकरण 250 लाख रुपये की लागत पर था।

(ग) सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) 1956 में विज्ञान भवन के निर्माण पर किया गया व्यय 93.3 लाख रुपये ;

(2) 1967-68 में विज्ञान भवन एनैक्सी के निर्माण पर किया गया व्यय 44 लाख रुपये।

(3) 1979-80 में विज्ञान भवन तथा विज्ञान भवन एनैक्सी के नवीकरण पर किया गया व्यय-260 लाख रुपये।

(4) 1982-83 के दौरान विज्ञान भवन तथा विज्ञान भवन एनैक्सी के नवीकरण तथा अतिरिक्त सुविधाओं पर होने वाले सम्भावित व्यय-165 लाख रुपये।

(घ) सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) विज्ञान भवन तथा अन्य ऐसे ही भवनों की सुविधाओं के अनुरक्षण पर न्यूनतम व्यय किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल को सूखे के लिए सहायता

1179. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य की वर्तमान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए चालू वित्त वर्ष की अवशेष अवधि के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : राज्य सरकार ने जुलाई, 1982 में ज्ञापन भेजा था। केन्द्रीय दल के दौरे तथा राहत संबंधी उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी के बाद 15 सितम्बर, 1982 को 24.77 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गई थी।

सूखे के संबंध में राज्य से दूसरा ज्ञापन 22 अक्तूबर, 1982 को प्राप्त हुआ था। दल के दौरे तथा उच्चस्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद 14 दिसम्बर, 1982 को 49.50 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा तथा 3 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी गई थी।

व्यय की ये अधिकमत सीमाएं मार्च, 1983 तक उपयोग में लाई जानी हैं।

किसानों को शुद्ध उर्वरकों का उपलब्ध कराना

1180. **अशफाक हुसैन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या शुद्ध रसायन उर्वरक किसानों को अत्यत कम मात्रा में उपलब्ध है और उन्होंने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया है;

(ख) क्या वक्तव्य की प्रमाणिक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) यदि शुद्ध रसायन उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है और सरकार को इस तथ्य की जानकारी हैं तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं,

(घ) किसानों को रसायन उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भविष्य में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ;

(ङ) मिश्रित उर्वरकों का निर्माण कर रहे बड़े और छोटे कारखानों की कुल संख्या कितनी हैं और उन कारखानों के क्या नाम हैं; और

(च) क्या इन कारखानों द्वारा निर्मित उर्वरकों की प्रत्येक खेप की शुद्धता की जांच की जाती है और क्या नियमों के अनुसार उनके लिए प्रत्येक बोरी पर उर्वरक में मिलाए गए प्रत्येक संघटक का नाम लिखना आवश्यक है ;

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) अच्छी किस्म के कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सामान्य नीति के रूप में भारत सरकार ने उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।—

1. केन्द्र सरकार ने उर्वरकों की गुणवता, मूल्यों और वितरण को विनियमित करने के विचार से उर्वरक नियंत्रक आदेश जारी किया है।

2. इस आदेश को लागू करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया है। उन्हें इस आदेश के विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3. उर्वरक नियंत्रण आदेश को अपराधियों पर संक्षिप्त मुकद्दमा चलाने के प्रयोजन से एक विशेष आदेश घोषित किया है।

4. केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से उर्वरकों के संबंध में गुण नियंत्रण स्थिति का प्रबोधन करती हैं।

5. राज्य प्रवर्तन स्टाफ को शिक्षित करने के लिए केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

6. हाल में, केन्द्र सरकार में राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपने गुण नियंत्रण निरीक्षक नियुक्ति करने की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं।

7. देश में गुण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट देने के लिए दो सर्वेक्षण दल नियुक्त किए गए हैं।

8. उर्वरक नियंत्रण आदेश पर व्यापक विचार किया जा रहा है ताकि इस कानून को और कठोर बनाया जा सके।

(घ) सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित उपाय करती है :—

1. देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

2. देश वास्तविक मांग और घरेलू उत्पादन के अन्तर को कम करने के लिए उर्वरकों का आयात करना।

3. खपत वाले क्षेत्रों में बफर भण्डारों का सृजन करना ।

4. सहकारी और निजी क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं के जाल के माध्यम से किसानों को उनके स्थान पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करना ।

5. आपूर्ति की स्थिति आदि का लगातार प्रबोधन करना ।

(ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(च) मिश्रण करने वाले एककों द्वारा विनिर्मित उर्वरकों की प्रत्येक खेप की जांच करने संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा । उर्वरक नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, उर्वरक मिश्रणों के नाम, बोरे के माल का भारत तथा उसमें एन० पी० और के० का अनुपात प्रत्येक बोरे पर लिखना आवश्यक है ।

दिल्ली की उचित दर दुकानों से घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई

1181. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की उचित दर दुकानों में उपलब्ध गेहूं सन्तोषजनक किस्म की नहीं है :

(ख) क्या राशन की सभी मदें साथ-साथ उपलब्ध नहीं होती हैं और लोगों को असुविधा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को गेहूं का केवल वही स्टाक सप्लाई किया जाता है जो सरकारी विशिष्टियों तथा नियमों के अनुसार है उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा स्टाक जारी करने वाले भारतीय खाद्य निगम के अभिकरणों को इस बात का प्रमाण पत्र देना होता है कि उन्हें मिला स्टाक अच्छी किस्म का है । उचित दर की दुकानों को दिये जाने वाले स्टाक के सील बंद नमूने भी दुकान के मालिकों को दिये जाते हैं कि वे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उन्हें अपनी दुकानों में प्रदर्शित करें । दिल्ली प्रशासन द्वारा राशन की विभिन्न वस्तुओं का एक साथ वितरित करने के लिए पूरे-पूरे प्रयास किये जाते हैं और इस बारे में यदि असुविधा का कोई विशिष्ट मामला सामने आता है तो उसकी जांच की जाती है, ताकि जहां सम्भव हो, आवश्यक राहत पहुंचाई जा सके । तथापि, इतने विशाल आकार की प्रणाली में अस्थायी स्थानीय स्वरूप की कुछ कठिनाइयां होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

डी० डी० ए० के अभियंताओं का स्थानान्तरण

1182. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में अनेक मकानों के ढहने के बाद डी० डी० ए० के कितने इंजीनियरों का स्थानान्तरण किया गया है ;

(ख) उनको स्थानान्तरण के आलावा और क्या दण्ड दिया गया है ;

(ग) इनमें से कितने इंजीनियरों को अन्य विभागों से डी० डी० ए० में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था ; और

(घ) इन लोगों को अपने पूर्व विभाग में वापस क्यों नहीं भेजा गया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्थानान्तरण सामान्यतया इस संगठन के कार्य-करण एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए किए जाते हैं और क्रमावर्तन प्रकृति के हैं। हाल ही में 90 इंजीनियरों को उनके कार्य के मूल्यांकन के अनुसरण में कार्य तथा दक्षता के हित में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्थानान्तरण करने का फैसला किया।

घटिया पर्यवेक्षण के लिए जिन व्यक्तियों को उत्तरदाई पाया गया उनके विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रशासन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण ने सूचित किया है कि जिन चार इंजीनियरों के कार्यों पर प्रतिकूल टिप्पणी दी गई हैं वे अन्य विभागों से दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(घ) एक कार्यलालक इंजीनियर को पहले ही वापस जाने के आदेश दे दिये गये हैं। गुणावगुण के आधार पर अन्यों के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जागगी।

गये दुरुपयोग प्रभार

1183. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री भूमि और विकास कार्यालय द्वारा लगाए गए। प्रतिशत दुरुपयोग शुल्क के बारे में 36 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9645 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11, जैन मन्दिर मार्ग, 36 काटेज फ्लोर (पश्चिमी पटेल नगर), 42 लाजपत नगर, रिंग रोड और 66 बाबर रोड से संबंधित मामलों में भी। प्रतिशत दुरुपयोग शुल्क की वसूली का भी निर्णय लिया गया था और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या वह 26 अप्रैल, 1982 के अताकांकित प्रश्न संख्या 9645 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सूची में सम्मिलित प्रत्येक मामला किस राज्य में और किस न्यायालय में लम्बित है (मामले और न्यायालय की संख्या संहित) और उसकी अगली सुनवाई कब होगी, वादी और प्रतिवादी के विधि सलाहकार के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों का क्या नाम है ; और

(ग) भूमि विकास कार्यालय से संबंधित कितने मामले उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ; उनके मामलों का नाम क्या है, उनकी संख्या कितनी है और वे किस न्यायालय में लम्बित हैं तथा सक्षेप में उनके विवाद का विषय क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

11. जैन मन्दिर रोड के मामले में प्रतिशत दुरुपयोग प्रभार वसूल करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, 66, बाबर रोड के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में उल्लिखित कतिपय शर्तों पर एक प्रतिशत दुरुपयोग प्रभार का लाभ बढ़ाने का आदेश दिया है जिसे पट्टेदार द्वारा पूरा किया जा रहा है। 36, कोटेज प्लाट (पश्चिमी पटेल नगर) और 42. लाजपत नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली के मामले में, एक प्रतिशत दुरुपयोग प्रभार की वसूली पर विचार करने के मापदण्ड को नाममात्र अर्थदण्ड के रूप में पूरा कर लिए जाने पर सरकार ने तदनुसार प्रभार वसूल करने का निर्णथ लिया।

(ख) 26 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9645 के उत्तर में उल्लिखित चालीस मामलों के बारे में सूचना अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(ग) यह सूचना अनुलग्नक-2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5936/83]

गवर्नमेंट प्रेस, मिन्टो रोड के क्वार्टरों पर अवैध कब्जा

1184. **श्री के० लकप्पा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस पूल के कुछ सरकारी क्वार्टरों पर गवर्नमेंट प्रेस, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के सेवानिवृत अथवा सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी के उत्तराधिकारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्वार्टर के आबंटन के निरस्त होने की तिथि क्या है ;

(ग) प्रिंटिंग निदेशालय और प्रेस के अधिकारियों ने इनको खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस सारे मामले में कुल कितने सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । प्रेस पूल के 16 क्वार्टर भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के सेवा निवृत्त/मृत कर्मचारियों के परिवारों के अनधिकृत दखल में हैं। आवंटन रद्द करने की तारीखों सहित इन 16 क्वार्टरों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन क्वार्टरों को खाली करवाने के लिए की गई कार्रवाई इस प्रकार हैं :—

की गई कार्रवाई	अन्तर्ग्रस्त क्वार्टरों की संख्या
(i) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखी) अधिनियम के तहत बेदखल करने की कार्रवाई प्रगति पर है ।	8
(ii) वास्तविक वेदखल करने के लिए पुलिस सहायता की प्रतीक्षा है ।	1
(iii) बेदखल के आदेशों के विरुद्ध मुद्रण निदेशालय में निलम्बित अपीलें ।	5
(v) बेदखल की कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में निलम्बित मामला ।	1
(v) सेवा-निवृत्त होने के पश्चात क्वार्टर रखने, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अनुमेय है, का मामला विचाराधीन है ।	1
	16

विवरण

(घ) अनधिकृत दखलकारों से बढ़ी दरों पर लाइसेंस फीस/हर्जाना लिया जाता है। और इस प्रकार सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं है।

क्रम सं०	आबंटियों का नाम तथा पद माम	क्वार्टर नं० तथा टाइप	रद्द करने की तारीख
	सर्वश्री		
1.	चन्ना, भूतपूर्व मशीनमैनहोल्डर	4/27, राउज एवेन्यू "ए"	7-3-1980
2.	एम० बी० लाल, भूतपूर्व सेक्सन	71- तुर्कमान रोड "ए"	19-3-1982

1	2	3	4
3.	कृष्ण सिंह, एक्स० डब्लू० एच० मैन	4/18, राउन एवेन्यू "ए"	24-6-1982
4.	बी० आर० मल्होत्रा, भूतपूर्व वाइंडर	जी-179, श्री निवासपुरी "बी"	5-2-1981
5.	प्रभा नन्द, वर्मा, भूतपूर्व वाइंडर	डी-351, सरोजिनी नगर "बी"	20-3-1981
6.	नथू सिंह, भूतपूर्व वाइंडर	ई-2207, नेताजी नगर . "बी"	1-2-1982
7.	पूनम चन्द्र, भूतपूर्व कम्पोजिटर	जी-122, श्री निवासपुरी "बी"	1-3-1982
8.	राम नाथ शर्मा, भूतपूर्व सेक्सन	एफ-18 तुर्कमान प्लेस "बी"	1-4-1982
9.	दलीप राम, एक्स-कम्पोजिटर	एफ-2170, नेताजी नगर "बी"	18-4-1982
10.	हरीशचन्द्र, एक्स रिवाइजर	ए-703, सरोजिनी नगर "बी"	22-5-1982
11.	फ्रेड्रिक डेन्निसन, एक्स कम्पोजिटर	679, मन्दिर मार्ग "बी"	1-6-1981
12.	लक्ष्मन सिंह, एक्स, सेक्सन होल्डर	सी-196, अलबर्ट स्क्वेयर "बी"	25-6-1982
13.	सीस राम I, भूतपूर्व मशीनमैन	जी-191, श्री निवासपुरी "बी"	23-7-1982
14.	एस० एन० सूर, भूतपूर्व मशीनमैन	एफ-27, प्रैस प्लेस, "सी"	30-6-1982
15.	रतन प्रकाश, एक्स० सीनियर,	ई-4, प्रेस प्लेस "सी"	30-6-1982
16.	ललता प्रसाद, एक्स सेक्सन होल्डर	सी-80, मिन्टो रोड काम्पलेक्स "सी"	1-10-1982

तमिलनाडु में सूखा

1185. **श्री के० टी० कौशलराम :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र को राज्य की विकट सूखे की स्थिति के बारे में अवगत कराया है और राज्य को तुरन्त खाद्यान्न सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य में सूखे की स्थिति और राज्य के गम्भीर संकट से निबटने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग का आंकलन करने हेतु अधिकारियों का कोई दल भेजा है, और

(ग) केन्द्र ने राज्य को सूखे की स्थिति से निबटने में सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक केन्द्रीय दल द्वारा सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने और स्थिति से निपटने के उनाय सुझाने के लिए पहली मार्च से पांच मार्च तक तमिलनाडु का दौरा करने का कार्यक्रम है।

राज्य सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान तत्काल आपात व्यय पूरा करने के लिए 857 लाख रुपए की सीमान्त धन राशि उपलब्ध है।

डी० डी० ए० के कुछ इंजीनियरों का स्थानान्तरण

1186. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० के कुछ वरिष्ठ इंजिनियरों को, उनके द्वारा कराये गए काम का बिल्कुल निम्न स्तर का पाया जाने के कारण, हाल में स्थानान्तरित किया गया है ; और

(ख) डी० डी० ए० के इन इंजिनियरों द्वारा पिछले तीन वर्षों में कराए गए विभिन्न कार्यों पर अब तक जन-धन की कितनी हानि का आंकलन किया गया है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दोषी ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर कमियों को सुधारा जा रहा है। इसलिए वे धन की हानि का मूल्यांकन नहीं करते हैं।

जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है। उनके द्वारा निष्पादित किये गए विभिन्न कार्यों में दुर्घटनाओं के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रबन्ध अधिकारियों के विदेशी दौरे

1187. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रबंध अधिकारियों के विदेशी दौरों संबंधी नियम क्या हैं तथा उन दौरों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारी इस परिषद की पूर्व अनुमति के बिना अपने विदेशी दौरों की अवधि बढ़ा सकते हैं अथवा दौरा किए जाने वाले देशों संबंधी परिवर्तन कर सकते हैं और उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं ; और

(ग) क्या 1979 से अब तक ऐसी कोई घटना हुई है, और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक सोसायटी है जिसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। इसके प्रबन्ध अधिकारी दो श्रेणियों के हैं, अर्थात् (i) सरकारी अधिकारी (महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भारत सरकार का सचिव भी है, तथा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भारत सरकार का भी संयुक्त सचिव है और (ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के अधिकारी हांलाकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सचिव की विदेश दौरा की निगरानी और जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार के किसी दूसरे अधिकारी की तरह होती है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के अन्य प्रबन्ध अधिकारियों की विदेश दौरा की निगरानी और जांच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष की स्वीकृति से की जाती है। दौरे की निगरानी और जांच विदेशी दौरा की आवश्यकता उस दौरा से देश को होने वाले संभावित लाभ तथा उसके साथ विदेशी दौरा पर कम खर्च की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) सामान्य तौर पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने विदेश दौरे की अवधि को न बढ़ाये या संक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना किसी अन्य देश के दौरे पर न जाएं या दौरे में परिवर्तन न करें। फिर भी, अगर किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसे दौरे को विदेश से बढ़ाना पड़ता या बदलना पड़ता है तो संबंधित अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह परिस्थिति को बताये और उसे न्यायोचित ठहराए कि उसे अपने दौरे को बढ़ाने/बदलने की क्या आवश्शकता थी, और इस तरह के प्रत्येक मामले की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत से गुण के आधार पर उस पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है

और उसकी जांच की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में गोदामों का निर्माण

1188. **प्रो० नरायण चन्द्र पराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर और ऊन क्षेत्रों में खाद्यान्न के अगम और निर्गम भंडार के लिए गोदामों के निर्माण की स्वीकृत दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा और पूरा हो जाएगा तथा निर्माण के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की यूनियनों का धरना

1189. **श्री चित्त महाटा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने बहुत बड़ी संख्या में 8 जनवरी, 1983 को कृषि मन्त्री के आवास पर, उन पर लागू किए गए आवश्यक सेवा अधिनियम (एसैंशियल सिवल सर्विस मेन्टीनेन्स एक्ट) के विरुद्ध और अपनी मांगों को मनवाने हेतु भी विरोध प्रकट किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों ने उनके लोकतांत्रिक अधिकार के छीने जाने के विरुद्ध सांकेतक विरोध में अपने मुंह बन्द और हाथ बांधे रखे थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : एक यूनियन के कहने पर भारतीय खाद्य निगम के कई एक कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की अपनी प्रमुख मांग और कुछ अन्य मांगों को मनवाने के लिए तथा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल की मनाही करने के विरोध में कृषि मंत्री के आवास के बाहर 8-1-1983 को लगभग आधे घन्टे तक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में भाग लेने वाले सदस्यों ने अपने मुह और हाथों को कपड़े के टुकड़ों से बांध रखा था।

(ग) आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन भारतीय खाद्य निगम में हड़तालें रोकने की आवश्कता इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने का जो रवैया अपनाया गया था उससे जनता को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई में गम्भीर बाधा पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी तभी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन जारी किए गए संगत आदेशों को रद्द करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

जहां तक यूनियन की प्रमुख मांग का सम्बन्ध है, क्योंकि 1-1-1983 के बाद से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में और संशोधन करने का सामान्यतया प्रश्न नहीं उठना चाहिए। तथापि, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर औद्योगिक मंहगाई भत्ते के फार्मूले को लागू करने और उस संदर्भ से कर्मचारियों के कुछेक ग्रुपों द्वारा की गई मांग के अनुसार वेतनमानों से उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया है। सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप में मान लिया है वशर्ते कि निगम की प्रमुख यूनियनें सरकार द्वारा उल्लिखित पैरामीटरों और शर्तों के अन्दर औद्योगिक मंहगाई भत्ते के फार्मूले को अपनाना स्वीकार कर लेती हैं।

राजस्थान नहर परियोजना को तेजी से लागू करना

1191. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने और उस पर हुए व्यय पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था की है ; और

(ख) नहर परियोंजना को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान नहर परियोजना, जो दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है, राज्य की परियोजना है और इसका प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तथापि, बाधाओं का पता लगाने की दृष्टि से और उनको दूर करने के लिए सभी संभव सहायता देने हेतु इस परियोजना की मानीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है।

(ख) चरण एक पर निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। चरण दो के निर्माण-कार्य के लिए, राजस्थान सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत मुख्य नहर लगभग सभी पहलुओं से, और अधिकांशतः कच्ची वितरण चैनलों का निर्माण मार्च, 1985 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष बचा निर्माण-कार्य, वितरणियों को पक्का करने के कार्य सहित, सातवीं योजना में आगे चला जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए, इस परियोजना के लिए राज्य को 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजना सहायता स्वीकृत की है।

पशुओं की खरीद के लिए पश्चिमी देशों को दल का दौरा

1192. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशुओं की खरीद के लिए दो अधिकारियों के दल को पश्चिमी देशों को भेज रही है ;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले पशुओं की जाति, किस्म, लिंग और आयुवार संख्या क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) इन अधिकारियों के नाम किस स्तर पर प्रस्तावित किए गए थे ;

(घ) प्रस्ताव करने वाले अधिकारी और दल के सदस्यों के बीच उनके व्यावसायिक/शैक्षणिक जीवन और नौकरी में वर्षवार कार्यालय संबंध क्या हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि वासु समिति ने प्रस्ताव करने वाले अधिकारी और प्रस्तावित दल के वरिष्ठ सदस्य द्वारा गम्भीर कदाचार करने की रिपोर्ट दी थी और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयात किए गए पशुओं पर चौथी योजना से योजनावार कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक दल को कुछ विदेशी पशुओं को परीक्षण के उद्देश्य से खरीदने हेतु भेजने पर विचार कर रही है ।

(ख) आयात किये जाने वाले प्रस्तावित पशुओं के बारे में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं :—

बकरी		
नस्ल	नर	मादा
सन्नेन	31	25
अलपाईन	21	25
एंगल नूबियन	46	25
भेड़		
डोरसेट	70	50

सफ्फोक	30	—
रैमबूलेट	51	—
खरगोश		
व्हाइट	10	40
कैलिफोर्निया		
अंगोरा	10	40

(ग) तथा (घ) दल के गठन सहित पूरे प्रस्ताव का अभी निर्णय लिया जाना है ।

(ङ) बासु समिति की रिपोर्ट अभी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है ।

(च) संस्थानों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में भूख से मृत्यु

1193. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संस्थाल परगना, नवादा, छोटा नागपुर और कुछ अन्य जिलों में बड़ी संख्या में लोग भूख के कारण मर गए हैं ।

(ख) यदि हां, तो भूख से मरे व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के किसी भाग में भूख से कोई मोत नहीं हुई है । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जब भूख से मौत होने का समाचार स्थानीय पत्रों में प्रकाशित हुआ था तो उसकी पूरी जांच की गई थी और जांच करने पर भूख से हुई मौतों के बारे में प्रकाशित समाचार निराधार पाया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) बिहार सरकार ने बताया है कि निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) प्रत्येक पंचायत में तीन क्विटल खाद्यान्न सुरक्षित रखे गए हैं ;

(2) जनसंख्या के एक प्रतिशत तक के प्रभावित क्षेत्रों में निःशुल्क राहत के रूप में जरूरतमन्द और निर्धन व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं। 2 फरबरी, 1983 तक

निर्धन और जरूरतमन्द व्यक्तियों में लगभग 5200 मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया है।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत समूचे राज्य में 14413 योजनाएं चल रही हैं। जिनमें प्रत्येक सप्ताह 9 लाख कृषि श्रमिकों की नियुक्त किया जाता है।

(4) समाज के निर्धन वर्ग को रियायती दरों पर सस्ती रोटी वितरित की जा रही है, राज्य में 4874 दुकान कार्य कर रही है, और प्रत्येक सप्ताह 10.5 लाख व्यक्तियों की व्यवस्था की जाती है।

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने सूखा स्थिति का सामना करने के लिए बिहार सरकार को 2500.63 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की स्वीकृत प्रदान की है। इसमें निःशुल्क राहत के लिए 195.74 लाख रुपए, प्रभावित क्षेत्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण-आहार कार्यक्रम हेतु 79,50 रु० और रोजगार सृजन करने सम्बन्धी कार्यों के लिए 675,00 लाख रुपए शामिल हैं।

भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता से शुरू किये गये राहत कार्यों में नियुक्त श्रमिकों की मंजदूरी के आंशिक भुगतान के लिए 8460 मीटरी टन खाद्यान्नों का विशेष आवंटन भी किया है।

उर्वरक सामग्री का आयात

1194. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6.5 मिलियन टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया गया था जिसमें से 2 मिलियन टन आयात किया गया था,

(ग) क्या बाजार में इसकी भरमार थी ;

(ग) क्या अतिरिक्त उर्वरक आयात के कारण उर्वरक के मूल्य में वृद्धि हो गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो 2 मिलियन टन उर्वरक सामग्री आयात करने की क्या आवश्यकता थी ;

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) संबद्ध अवधि का उल्लेख न किए जाने की वजह से तथ्यों की जांच करना तथा संबंधित सूचना देना संभव नहीं है।

रसायनों और उर्वरकों का अभाव

1195. **श्री भीखा भाई :**

श्री वृद्धि चंद्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसायनों और उर्वरकों के आयात पर भारी राशियां व्यय कर रही है जिनका स्वदेशी उत्पादन किया जा सकता है, और

(ख) क्या वे पिछले पांच वर्षों में आयात पर किए गए व्यय को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) संभवत: प्रश्न रासनिक उर्वरकों से संबंधित है। चूंकि रासायनिक उर्वरकों का वर्तमान देशी उत्पादन मांग से कम है, अत: विभिन्न संबद्ध पहलुओं को देखते हुए देशीय उपलब्धता और कांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए इन उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। पिछले पांच वर्ष के दौरान किए गए इन उर्वरकों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मूल्य
1977-78	304.95
1978-79	458.66
1979-80	555.34
1980-81	925.22
1981-82	716.62

राज्यों को खाद्यान्न आवंटन करने संबंधी नीति

1196. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने उन राज्यों को कभी खाद्यान्नों का आवंटन किया है जो केन्द्रीय पूल में शामिल नहीं हुए हैं ;

(ख) केन्द्रीय पूल आरम्भ होने से लेकर कौन से राज्य उसमें शामिल नहीं हुए हैं ; और

(ग) ऐसे राज्य सूखे और बाढ़ों के दौरान अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) जीं हां। विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का मासिक आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, राज्य सरकारों द्वारा पहले से रखे

स्टाक, बाजार में उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 1971-72 से 11 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का कोई अंशदान नहीं था। सूखे/बाढ़ों अथवा अन्य दैवी संकटों की हालत में केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों पर राज्यों को खाद्यान्नों के विशेष आवंटन भी किए जाते हैं।

भूमि कटाव से प्रदूषण

1197. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रति वर्ष 6,000 मिलियन टन जमीन की ऊपरी सतह के कटाव जिसका तात्पर्य प्रति वर्ष 6,000 मिलियन टन जमीन की ऊपरी सतह के कटाव जिसका तात्पर्य प्रति वर्ष 700 करोड़ रुपए राजस्व का घाटा है, के कारण होने वाली प्रदूषण की आशंका को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) जनता को पर्यावरण सम्बन्धी बाधाओं से परिचित कराने के लिए क्या कार्यवाही का जा रही है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लोगों का निकट सहयोग आवश्यक है। अत: कार्यक्रमों को मार्गदर्शी अथवा प्रदर्शन के आधार पर क्रियान्वित करने और बाद में परिचालन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए प्रयास किए गये हैं। परिचालन अनुसंधान परियोजनाओं और प्रयोगशाला के निष्कर्षों को कार्यरूप देने संबंधी कार्यक्रमों ने भी प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में लोगों को शिक्षा देने में सहायता की है। विस्तार और सुधार के उपलब्ध माध्यमों, विशेष कार्यक्रमों जैसे विचार-विमर्श, प्रदर्शन अथवा तालिकाओं, फिल्मों के प्रदर्शन आदि के जरिए भूक्षरण भूमि का स्तर गिरने की समस्या और सम्बद्ध बाधाओं के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

विवरण

सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि देश का आधार भू-स्रोत है, जिसका लगातार अधिक शोषण, मृदा कटाव और भू अवद्यतन हो रहा है। यह अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन आधार के रूप में कार्य करने, जब वर्षा न हो उस काल में जल की उपलब्धि को नियमित करने और प्रदूषण के खतरे को कम करने की भूमि की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। इसलिये, केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के जरिये पहली पंचवर्षीय योजना में बहुमुखी मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बाद की योजना अवधियों में, अभिज्ञात जल विभाजकों के आधार पर कृषि और गैर-कृषि भूमि का उपचार करने के लिए इन कार्यक्रमों का विस्तार और विविधीकरण किया गया।

पैकेज पद्धतियों का विकास और उनको हल करने की समस्याओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करने तथा व्यावसायिक संवर्ग का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी ।

कुल प्रयासों में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनाए गए कार्यक्रमों की संख्या अधिक थी । परियोजना घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं । कटाव का नियंत्रण करने के लिए क्षेत्रीय उपाय, अपरादित सामग्री की रोकथाम करना, वर्षा जल का संरक्षण, उपयोग और पुर्नउपयोग करना, वनों मे पेड़ लगाने तथा अन्य पौधरोपणों की वृद्धि करना । श्रवण क्षेत्रों को जलविभाजकों और उपजलविभाजकों में परिवर्तित करने, परस्पर प्राथमिकताओं निर्धारित करने और योजना तथा कार्यक्रम के लिए श्रवण क्षेत्र विशिष्टताओं का प्रावधान करने तथा उसकी क्रियान्विति का मूल्यांकन करने मृदा तथा भू-उपयोग सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सहायता का विस्तार किया गया है। उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो अन्तर्राज्जीय महत्व के होते हैं और जिनको दीर्घकालीन प्रयासों की आवश्यकता है । 37 श्रवण क्षेत्रों में फैले लगभग 574 प्राथमिकता वाले जल विभाजकों में नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण नदियों के स्थिरीकरण का काम भी प्रगति पर है । सूखा प्रवण और मरु क्षेत्रों के विकास के लिए हिमालय क्षेत्र की परिस्थितिक प्रणाली के स्थिरीकरण में कार्यक्रम और वृक्षारोपण की व्यवस्था करने के लिए मृदा संरक्षण, वनरोपण और चरागाह विकास के रूप में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मार्गदर्शी परियोजनाओं के माध्यम से ईंधन और चारे के सुरक्षित क्षेत्रों के विकास द्वारा मध्यम और गहरे ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का स्थिरीकरण तथा कृषि बागवानी हेतु उथले ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का सुधार करनें, पहाड़ी भूमि के कटाव और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के अधिक्रमण को रोकने के लिए समेकित कार्यक्रम की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता की जांच करने और विभिन्न प्रकार की भूमि का उपचार यथा विकास करने के लिए केन्द्र ने राष्ट्रीय नीतियों का विकास करने में भी सहायता दी है । क्षारीयता से प्रभावित तथा झूम खेती के क्षेत्रों के संबंध में भी इसी प्रकार की मार्गदर्शी परियोजनाओं को क्रियान्विति की गई है । केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों दोनों के अन्तर्गत 1981-82 तक 1372.93 करोड़ रुपए की लागत से 321 लाख हैक्टर क्षेत्र का उपचार किया गया है ।

दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को सुन्दर बनाना और रखरखाव

1198. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दिन प्रतिदिन अपना सौन्दर्य खोयी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी सुन्दरता को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई महानगरों के रख-रखाव के लिए पिछले वर्ष धनराशि आवंटित की गई थी ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि वर्ष-प्रतिवर्ष अधिक क्षेत्रों में भू-दृश्य व हरित विकास किया जा रहा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शीत लहर से हुई मौतें

1199. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में उत्तर भारत में शीत्त लहर से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तथा (ख) सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी गई थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों और दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शीत लहर से किसी के मरने की कोई सूचना नहीं है।

उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर सरकार ने क्रमश: 101 और 2 व्यक्तियों के मरने की सूचना दी है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी आनी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काला बाजारियों की गिरफ्तारी

1200. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले एक वर्ष में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कालाबाजारी करके बहुत अधिक कमाने वाले कितने व्यापारियों को, राज्यवार, गिरफ्तार किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : व्यापारियों के बीच पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली जमाखोरी तथा चोरबाजारी जैसी गतिविधियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत जनवरी-दिसम्बर, 1982, की अवधि में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा उनसे मिली रिपोर्टों के आधार पर संलग्न विवरणों में दिया गया है।

विवरण एक

जनवरी-दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के बारे में राज्यवार जानकारी दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2543	756	197	33
2.	असम	99	1	52	1
3.	बिहार	1126	244	505	32
4.	गुजरात	3098	9	78	73
5.	हरियाणा	180	212	37	2
6.	हिमाचल प्रदेश	18589	37	4	2
7.	जम्मू व काश्मीर	167	127	58	3
8.	कर्नाटक	14953	431	216	73
9.	केरल	अप्राप्य	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	3076	269	275	32
11.	महाराष्ट्र	819	761	179	80
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	42	—	—	—

1	2	3	4	5	6
14.	**नागालैंड**	**17**	**1**	—	—
15.	उड़ीसा	35305	10	128	1
16.	पंजाब	3522	39	10	5
17.	राजस्थान	2797	19	221	59
18.	सिक्किम	20	14	—	—
19.	तमिलनाडु	2666	292	107	96
20.	त्रिपुरा	37	42	23	7
21.	उत्तर प्रदेश	19727	977	464	244
22.	पश्चिमी बंगाल	5419	3833	682	114
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1002	25	10	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	शून्य	—	—
25.	चण्डीगढ़	160	1	—	—
26.	दादरा व नागर हवेली	3	3	—	—
27.	दिल्ली	224	182	—	—
28.	गोवा, दमन दीव	3784	4	14	2
29.	लक्ष द्वीप	—	शून्य	—	—
30.	मिजोरम	—	शून्य	—	—
31.	पांडिचेरी	533	185	166	166

विवरण-दो

चोर बाजारी तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जनवरी दिसम्बर, 1982 के दौरान जिन व्यक्तियों को नजरबंद करने के आदेश दिए उनके बारे में राज्यार जानकारी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या, जिनकी नजरबंदी के आदेश दिए गए
आंध्र प्रदेश	4
बिहार	8

1	2
गुजरात	44
कर्नाटक	7
मध्य प्रदेश	17
महाराष्ट्र	13
उड़ीसा	4
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	38
योग	136

टिप्पणी :—इस अवधि के दौरान अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं किया गया ।

खाने के आयातित तेलों के मूल्यों में वृद्धि

1201. **श्री चित्त बसु :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जनवरी, 1983 के दूसरे सप्ताह में अधिसूचना जारी करके खाने के आयातित तेलों के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के औचित्य का आधार क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिसूचना को कुछ दिन बाद रद्द कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) देशी तेलों और आयातित तेलों के मूल्यों के बीच के अन्तर को कम करने के लिए प्रथम सप्ताह में आयातित खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया गया था । तथापि, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुर्नविचार किया गया और फिलहाल खाद्य तेलों के मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिए इस आदेश को वापिस ले लिया गया ।

अनिवार्य वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों में वृद्धि

1202. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1982 में अनिवार्य वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) वर्ष 1981 और 1982 के वस्तुवार मूल्य क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1982 में मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) मूल्यों में और अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख) सम्बन्धित जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 1982 में समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में केवल 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 1981 में यह वृद्धि 8.8 प्रतिशत हुई थी। विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के रुख से यह भी प्रकट होता है कि कुल मिलाकर अधिकांश वस्तुओं में अपेक्षाकृत मूल्य वृद्धि कम हुई है। कुछ मामलों में तो पिछले एक वर्ष की तुलना में मूल्यों में कमी आई है। गेहूं, अरहर, उड़द, आटे और नारियल के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के मामले में मुल्यों में हुई अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि मुख्यतः मई 1982 में हुई बेमौसम की वर्षा, कमी के मौसम और व्यापक सूखे के कारण हुई कही जा सकती है।

(घ) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव और इनकी उपलभ्यता पर निरन्तर नजर रखे हुए हैं। सरकार की नीति में मुख्य बल विशेषकर कम मात्रा में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं का उत्पाद बढ़ाने पर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अपनाये जा रहे अन्य उपायों में ये शामिल है : देशी उत्पादन की अनुपूर्ति आयात द्वारा करना, आधार-ढांचे संबंधी सुविधाओं में सुधार लाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों के विभिन्न उपबंधों को लागू कर रही हैं। कभी तथा त्यौहार के मौसम के दौरान चीनी और आयातित खाद्य तेलों जैसी कुछ वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा की जा रही है।

विवरण

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक तथा खुदरा मूल्य और उनमें आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक			उतार-चढ़ाव का प्रतिशत	
	दिस० 80	दिस० 81	दिस० 82	दिस० 81 / दिस० 80	दिस० 82 / दिस० 81
चावल	257.0	279.5	287.1	8.8	2.7
गेहूं	190.2	193.5	218.6	1.7	13 0

1	2	3	4	5	6
ज्वार	206.9	234.7	209.6	13.5	10.7
बाजरा	197.2	221.7	210.8	12.4	4.9
चना	432.2	368.0	298.1	14.9	19.0
अरहर	263.4	278.0	330.9	5.5	19.1
मूंग	311.3	301.8	277.5	3.1	8.1
मसूर	431.9	370.6	306.9	14.2	17.2
उड़द	244.3	230.7	263.2	5.6	14.1
आलू	154.6	134.5	135.5	13.0	0.7
प्याज	207.6	574.2	386.4	176.6	32.7
बनस्पति	207.8	231.4	256.9	11.4	11.0
मूंगफली का तेल	221.6	268.1	283.4	21.0	5.7
सरसों का तेल	276.0	261 6	254.8	5.2	2.6
नारियल का तेल	244.6	194.5	261.7	20.5	34.6
जिजली का तेल	221.1	245.2	269.4	10.9	9.9
दूध	181.9	216.4	226.9	19.0	4.9
मछली	298.8	411.8	440.4	53.2	6.9
मांस	306.5	345.4	366.1	12.7	6.0
चीनी	274.2	249.0	217.5	9.2	12.7
गुड़	360.1	289.0	248.6	19.7	14.0
मिट्टी का तेल	272.8	324.3	320.5	18.9	1.2
साफ्ट कोक	278.7	382.8	463.5	37.4	21.1
आटा	171.8	195.8	226.8	14.0	15.8
लाल मिर्च	113.0	242.6	161.3	114.8	33.5
चाय	227.0	946.7	272.0	8.7	10.3

1	2	3	4	5	6
दियासलाइयां	133.6	129.0	129.0	3.4	स्थिर
नमक	237.3	236.1	219.2	0.5	7.2
कपड़े धोने का					
साबुन	227.6	234.2	240.6	2.9	2.7
सूती कपड़ा मिल का	221.0	235.2	245.8	11.5	4.5
लोंग क्लाथ	—	—	—	—	—
धोती	—	—	—	—	—
साड़ी	—	—	—	—	—

टिप्पणी : खुदरा मूल्य चुने केन्द्रों के औसत मूल्यों को दर्शाते हैं।

वस्तु	खुदरा मूल्य (रु० में)			उतार-चढ़ाव का प्रतिशत	
	दिस० 80	दिस० 81	दिस० 82	दिस० 81 दिस० 82	दिस० 82 दिस० 81
चावल	2.31	2.65	2.99	14.5	12.8
गेहूं	1.75	2.97	2.37	18.3	14.5
ज्वार	1.74	1.96	2.04	12.6	4.1
बाजरा	1.66	1.85	1.85	11.4	स्थिर
चना	5.00	4.40	3.75	12.0	14.8
अरहर	5.10	5.29	6.49	3.7	22.7
मूंग	5.58	5.38	5.14	3.6	4.5
मसूर	5.49	5.14	4.50	6.4	12.4
उड़द	4.83	4.77	5.25	1.2	10.1
आलू	1.94	1.36	2.72	29.9	26.5
प्याज	1.32	2.78	1.78	110.7	36.0

1	2	3	4	5	6
वनस्पति	12.43	14.31	15.83	15.1	10.6
मूंगफली का तेल	12.34	13.31	15.41	16.0	7.6
सरसों का तेल	15.79	15.98	16.46	1.0	7.7
नारियल का तेल	21.74	20.27	23.29	6.8	14.9
जिंजली का तेल	14.74	15.97	16.54	8.3	3.6
दूध	3.10	3.66	3.87	14.7	5.7
मछली	13.25	14.40	14.79	8.7	2.7
मांस	15.85	17.44	20.35	10.0	16.7
चीनी	7.89	5.95	4.64	24.6	22.0
गुड़	3.78	3.57	2.92	5.6	18.2
मिट्टी का तेल	1.59	1.84	1.98	15.7	7.6
साफ्ट कोक	20.36	24.17	24.98	18.7	3.3
आटा	2.13	2.29	2.66	7.5	11.8
लाल मिर्च	9.10	14.17	13.27	56.7	6.3
चाय	18.66	20.19	21.51	8.2	6.5
दियासलाइयां	9.18	0.20	0.21	11.1	5.0
नमक	0.59	0.55	0.65	6.8	18.2
कपड़े धोने का साबुन	2.13	1.98	1.90	7.0	4.0
सूती कपड़ा (मिल का)	—	—	—	—	—
लांग क्लाथ	7.00	8.13	8.96	16.1	10.2
धोती	35.65	38.92	45.07	9.2	15.8
साड़ी	41.66	50.11	46.90	20.3	6.4

टिप्पणी : खुदरा मूल्य चुने केन्द्रों के औसत मूल्यों को दर्शाते हैं।

नसलवार मादा और शिशु खरगोश

1203. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या कृषि मन्त्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य व्यापार निगम को दी गई अग्रिम धनराशि के बारे में 11 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 से 31 जनवरी, 1983 तक षट-मास बार कितने वयस्क मादा खरगोश नस्ल वार उपलब्ध थे उनकी तुलना में कितने बच्चे पैदा हुए ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गिरने फार्म में 1 अप्रैल, 1975 से 31 जनवरी, 1983 तक षट-मास वार उम्रवार और लिंगवार, नसलवार, मृत्युदर कितनी रही ;

(ग) वर्ष 1978-79 से 31 जनवरी, 1983 तक वर्षवार उम्र और लिंगवार कितने खरगोश बेचे गए और खरीददारों के नाम क्या हैं तथा इससे कितनी धन राशि वसूल हुई हैं ;

(घ) क्या खरगोश पालना लाभदायक पाया गया है यदि हां तो वर्ष 1981 में भारत में राज्यवार खरगोशों की संख्या कितनी थी ;

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खरगोशों का कोई अनुसंधान योजनाएं मंजूर कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो संस्थान का नाम क्या है और इसमें कार्यरत वैज्ञानिकों का परिचय क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

1204. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को आश्वासन दिया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए छठी योजना के लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधि का उपयोग वर्ष 1983 तक दुगना हो गया है ;

(ग) चालू वित्त वर्ष तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा कितनी राशि का उपयोग हुआ है; और

(घ) किन-किन राज्यों ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए 8 व 9 नवम्बर, 1982, को सचिवों का सम्मेलन हुआ था । अक्तूबर, 1982 के अंत में राज्यों के कार्य-निष्पादन से पता चला था कि उन्होंने गत वर्ष इसी अवधि के दौरान उपयोग में लाए गए 49.64 करोड़ रुपये के मुकाबले में 94.54 करोड़ रुपये उपयोग में ले लिए थे । इसके अतिरिक्त, गत वर्ष इसी अवधि के लिए 74.74 करोड़ रुपये के मुकाबले में अक्तूबर, 1982 तक 148.77 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया था ।

इस प्रकार, गत वर्ष इसी अवधि के मुकाबले में अक्तूबर, 1982 के अंत तक कार्य-निष्पादन की गति दुगुनी हो गई थी ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष तक कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा उपयोग में लाई गई निधियां नीचे दर्शायी गई हैं :—

वर्ष	सहायियत परिवारों की संख्या (लाख में)	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	जुटाया गया कुल आवधिक ऋण (करोड़ रुपये में)
1980-81	27.83	156.24	236.63
1981-82	28.29	262.59	484.64
1982-83 (दिसम्बर 1982 तक)	15.02	148.40	285.14

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

कृषि आदान की तुलना में इसका उत्पादन

1205. **श्री अमल दत्ता : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन की प्रत्येक यूनिट की उत्तरोत्तर अधिक आदानों की आवश्यकता पड़ रही है;

(ख) कृषि-आदानों की मात्रा और मूल्य कहां तक बढ़े हैं तथा उत्पादन के प्रतिशत मूल्य के

रूप में कीटनाशक दवाई, कृमिनाशक दवाई, बिजली और रासायनिक उर्वरक जैसे आदानों का प्रतिशत मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषि आय के विकास पर कृषि उत्पादन की वृद्धि से काफी कम रही है,

(घ) क्या आदानों की लागत में वृद्धि के लिए ट्रैक्टरों में प्रयोग होने वाले डीजल की लागत मुख्य रूप से जिम्मेदार है,

(ङ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या ट्रैक्टरों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक की शक्ति बढ़ी है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई औद्योगिक नीति तैयार की है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) आमदनी के उपयोग के स्तर में महत्वपूर्ण अंतःफसल और अंतःक्षेत्र विभिन्नताएं हैं। और उनमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं।

तथापि, दो उदाहरण, एक पंजाब से गेहूं और तमिलनाडु में धान के विषय में विवरण एक और दो दृष्टांत के तौर पर दिए गए हैं। इन विवरणों में आदानों के मूल्यों तथा उत्पादन के प्रति-त मूल्य भी दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। विवरण-तीन में दिए गए मुख्य फसलों जैसे धान और गेहूं के विषय में मुख्य राज्यों में किये गये प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर 1977-78 से 1980-81 के दौरान कृषि आय में हुई वृद्धि कृषि उत्पादन की वृद्धि से अधिक थी।

(घ) जी नहीं। गेहूं और धान जैसी महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए ट्रैक्टर द्वारा प्रयोग होने वाले डीजल तेल की लागत का बहुत कम प्रतिशत (कुल लागत का 0.5 से 3.0 प्रतिशत) है।

(ङ) सरकार द्वारा हाल के वर्षों में मिट्टी की उर्वरता पर ट्रैक्टरीकाल के प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया गया। तथापि, अनुसंधान-छात्रों/संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि ट्रैक्टरीकरण ने कृषि-प्रचालनों को ठीक समय पर पूरा करने में सहायता दी है और फसल गहनता में वृद्धि की है जिससे अंत में भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(च) प्रश्न नहीं होता।

विवरण-एक

मुख्य आदानों की प्रति हैक्टार मात्रा, मूल्य और 1977-78 तथा 1980-81 के लिए पंजाब में गेहूं के उत्पादन के कुल मूल्य की तुलना में उनका प्रतिशत

मंद	1977-78			1980-81			1977-78 की तुलना में 1980-81 में प्रतिशत अन्तर	
	मात्र	वास्तविक मूल्य (रु०)	उत्पादन के मूल्य का प्रतिशत	मात्रा	वास्तविक मूल्य (रु०)	उत्पादन के मूल्य का प्रतिशत	मात्रा	मूल्य
मानव श्रम	439.38	493:00	17.3	356.86	478.11	13.4	18.78	3.02
बैलों द्वारा किया गया श्रम	72.25	221.32	7.8	37.94	142.81	4.0	47.49	35.47
मशीनों द्वारा किया गया श्रम	—	283.03	9.9	—	458.46	12.8	—	61.98
बीज	93.23	144.21	5.1	96.09	163.56	4.6	3.07	13.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उर्वरक	125.69	407.94	14.3	168.35	781.11	21.8	33.94	91.48
कीटा नाशी औषधियां	—	0.95	0.03	—	14.16	0.4	—	1390.53
सिंचाई	—	123.49	4.3	—	70.86	2.0	—	42.62
कुल आदान		2855.22		3579.38				25.4

टिप्पणी :—(1) मानव श्रम और बैलों द्वारा किया गया श्रम घंटा-इकाई में हैं

(2) बीज और उर्वरक किलोग्राम में है।

विवरण-दो

मूल्य आदानों की प्रति हैक्टार मात्रा, मूल्य और 1977-78 तथा 1980-81 के लिए तमिलनाडु में धान के उत्पादन के कुल मूल्य की तुलना में उनका प्रतिशत

मद	1977-78			1980-81			1977-78 की तुलना में 1980-81 में प्रतिशत अन्तर	
	मात्रा	वास्तविक मूल्य (रु०)	उत्पादन के मूल्य का प्रतिशत	मात्रा	वास्तविक मूल्य (रु०)	उत्पादन के मूल्य का प्रतिशत	मात्रा	मूल्य
1. मानव श्रम	1169.19	783.74	21.9	1327.61	1180.44	22.3	13.55	50.62
2. बैलों द्वारा किया गया	186.64	254.31	7.1	226.26	435.21	8.2	21.23	71.13
3. मशीनों द्वारा किया गया श्रम	—	45.68	1.3	—	80.19	1.5	—	75.55
4. बीच	78.95	137.90	3.8	92.05	165.82	3.1	16.59	20.25
5. उर्वरक	108.71	393.72	11.0	124.29	546.38	10.3	14.33	38.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	कीटनाशी औषधियां	—	36.02	1.0	—	44.93	0.9	—	24.74
7.	सिंचाई	—	103.97	2.9	—	175.20	3.3	—	68.51
	कुल अनुदान		3587.57			5283.84			47.3

टिप्पणी :— (1) मानव श्रम और बैलों द्वारा किया गया श्रम घंटा-इकाई में हैं।
(2) बीज और उर्वरक किलोग्राम में है।

विवरण-तीन

प्रमुख उत्पादक राज्यों में वर्ष 1977-78 की तुलना में वर्ष 1980-81 में गेहूं और धान के उत्पादन और आय में हुई वृद्धि

फसल	राज्य	क्विंटल में उपज		कुल आय (रु०)		चुकाई गई लागत पर आय (रुपए)		1977-78 की तुलना में 1980-81 में हुई प्रतिशत वृद्धि		
		1977-78	1980-81	1977-78	1980-81	1977-78	1980-81	उत्पादन	कुल	चुकाई गई लागत पर आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गेहूं	पंजाब	22.61	25.20	2855.22	3579.38	1171.17	1329.04	11.5	25.4	13.5
	उत्तर प्रदेश	21.30	21.20	2735.20	3303.63	1206.74	1362.77	-0.47	20.8	12.9
धान	आन्ध्र प्रदेश	26.48	33.77	2645.66	4114.93	799.64	1711.45	27.5	55.5	114.0
	तमिलनाडु	32.24	36.59	3587.57	5283.84	1538.23	2237.42	13.5	47.3	45.9

कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में गतिरोध

1206. **श्री रसीद मसूद :**

श्री रासबिहारी बहेरा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री आर० पी० गायकवाड :

श्री गुलाम रसूल : कोचक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में 4 प्रतिशत वृद्धि की दर का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है बावजूद इसके कि अधिक भूमि में सिंचाई होने लगी है, अधिक पैदावार वाली किस्में उगाई जाने लगी हैं और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है तथा खाद्यान्न के उत्पादन में कमी या गतिरोध किस कारण से आया है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक कृषि उत्पादन के मार्ग में आई रुकावटों को दूर करने हेतु सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छठी योजना में 1979-80 के लिए आंके गए 1279 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के मूल स्तर के उत्पादन की तुलना में 1980-81 और 1981-82 में वास्तविक उत्पादन क्रमशः 1296 और 1331 लाख मीटरी टन हुआ है। इस प्रकार वार्षिक कृषि की औसत पर 2 प्रतिशत बढ़ी है, यद्यपि यह वृद्धि खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रति वर्ष 3.9 प्रतिशत की परिकल्पित विकास दर से कम है।

विकास की कम दर का मुख्य कारण 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश के विभिन्न भागों में वर्षा और मौसम की अनुकूल स्थितियों का न होना है। देश के कुछ भागों में वर्षा की कमी से जलाशय-स्तर कम हुआ और जल विद्युत ऊर्जा में कमी आई, जिससे नलकूपों आदि के इन कठिनाइयों को दूर करने और उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए निरन्तर ध्यान दिया।

(ग) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा ये उपाय किए गए हैं :—

(1) किसानों को कृषि आदानों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धि को सुनिश्चित बनाना।

(2) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि करनी।

(3) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना ;

(4) संस्थागत ऋण की अधिक सप्लाई और बारानी खेती की प्रौद्योगिकी को अपनाना ।

उड़ीसा में कृषि विकास कार्यक्रम

1207. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अब तक उड़ीसा के लिए स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है ;

(ख) वहां इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अब तक क्या परिणाम मिले हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इन्जीनियर

1208. **श्री आर० आर० भोले :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में श्रेणी एक, दो और तीन में कुल कितने इंजीनियर हैं तथा इनमें से कितने इन्जीनियर, श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ; और

(ख) इन्जीनियरों के कार्य और प्रशासन सम्बन्धी कार्य कुशलता को किस प्रकार मापा जाता है और क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरों ने इस विभाग की कार्य कुशलता को समाप्त कर दिया और क्या अब यह पूरी तरह से अनकार्य कुशल हो गया है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	इंजीनियरों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के इंजीनियरों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरों की संख्या
समूह "क"	717	63	3
समूह "ख"	1688	176	9
समूह "ग"	4200	368	16

उपर्युक्त आंकड़ों में इस मन्त्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त या सांविधानिक निकायों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है।

(ख) क्षेत्रीय पदों के पदाधिकारी इंजीनियरों की कार्यकुशलता उन्हें सौंपे गए कार्यभार की वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन के आधार पर और कार्यालय पदों के पदाधिकारी इंजीनियरों की कार्यकुशलता उनके द्वारा किए गए कार्य की योजना और/या अन्य कार्यालय के काम के आधार पर मापी जाती है। उनके कार्य निष्पादन, निर्देशन एवं नियन्त्रण, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, कार्य का समन्वय और सहयोग कार्य में उनकी प्रभावशाली होने के आधार पर मापी जाती है। निचले संघटन में, इंजीनियरों का कार्य निष्पादन लेखों और मैनुअल आदि प्रबन्ध, निर्माण कार्यों का संगठन और पर्यवेक्षण, लेखों आदि का निरीक्षण में उनके ज्ञान के आधार पर लाया जाता है। इन विशेताओं कार्य निष्पादन को उनकी गोपनीय रिपोर्टों में लिया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरों ने विभाग की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है और इसकी कार्यकुशलता निरन्तर बनी हुई है।

लेखन सामग्री और अन्य सामान की स्थानीय खरीद

1209. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद प्राधिकृत सीमा के अन्तर्गत व्यय केवल आकस्मिक और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार, स्वायत्त निकायों और निगमों द्वारा लेखन सामग्री की बड़े पैमाने पर स्थानीय खरीद करने के क्या कारण हैं, और क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई स्थानीय खरीद का मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय वार मासिक ब्यौरा सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; और

(ग) घटिया किस्म के कागज, जिसका दोनों ओर से प्रयोग नहीं किया जा सकता, तथा अन्य लेखन सामग्री की खरीद करने के क्या कारण हैं और क्वालिटी पर नियंत्रण रखने में कमी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) तथा (ख) भारत सरकार लेखन कार्यालय की सप्लाई सूची में से लेखन-सामग्री स्टरों की स्थानीय खरीद किसी भी मांगकर्ता द्वारा उक्तकार्यालय से उपलब्धता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर की जा सकती है। यह अनुपलब्धता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र सप्लाई की स्थिति, वितरण सूची तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात जारी किया जाता है। स्वायत्त निकाय तथा निगम भारत

सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। सभी मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के महावार लेखन सामग्री भण्डारों की स्थानीय खरीद के ब्यौरों को एकत्र करने पर लगने वाली लागत तथा मेहनत से परिणाम समतुल्य नहीं होंगे।

(ग) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा गया कागज आई० एस० आई० मानकों के अनुरूप है। माल प्राप्त होने से पहले तथा बाद में माल की जांच करने की व्यवस्था है।

खाद्य तेलों की कमी

1210. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री अजीत कुमार साहा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बार-बार खाद्य तेलों की कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) बार-बार पैदा होने वाली इस कमी को दूर करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) देश में देशीय खाद्य तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच कुछ अन्तर रहा है। इस अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सरकार खाद्य तेलों का आयात कर रही है। तथापि, खाद्य तेल अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने और मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कई दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक तिलहनों और तेलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाना ;

(2) तिलहनों को अब तक उपयोग में न लाई गई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए नियोजित प्रयास करना ;

(3) तिलहनों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करना ;

(4) वनस्पति उद्योग द्वारा तेल के उपयोग की उचित नीति अपनानी, ताकि देशी तेलों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

इन दीर्घ-कालिक तथा अल्प-कालिक उपायों के सामूहिक प्रभाव से आशा है कि देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और इनकी उपलभ्यता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

कृषि उत्पादों का उत्पादन

1211. **श्री गदाधर शाहा :**

श्री जयनारायण रौत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में कृषि उत्पादों का लक्ष्य क्या था ; और

(ख) कितने लक्ष्य की पूर्ति हुई ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1981-82 के दौरान प्रमुख फसलों के लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन को प्रदर्शित करने करने वाला विवरण नीचे दिया गया है :—

1981-82 में फसलों का लक्ष्य तथा उत्पादन

(लाख मीटरी टन/गोठें)

क्रम संख्या	फसल	लक्ष्य	उत्पादन
1.	चवल	58.0	53.6
2.	गेहूं	38.0	37.[illegible]
3.	मोठा अनाज	30.0	30.0
4.	दालें	12.5	11.4
5.	कुल खाद्यान्न	138.5	133.1
6.	गन्ना	180.0	183.6
7.	सभी तिलहन	11.2	12.1
8.	कपास	8.4	7.8
9.	पटसन और मेस्ता	8.4	8.4

ग्राम तहसील तथा जिला स्तर पर खाद्यान्नों के नष्ट होने से बचाने की व्यवस्था

1212. **श्री जगपाल सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न को नष्ट होने से बचाने के लिए शहर, नगर तहसील तथा ग्राम स्तर पर खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) इस समय खाद्यान्न की कितनी प्रतिशत मात्रा को नष्ट होने से बचाया जा रहा है और खाद्यान्न की कितनी प्रतिशतता के लिए अगले वित्तीय वर्ष में भण्डारण व्यवस्था की जाएगी ;

(ग) ग्राम स्तर पर भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ताकि किसान परम्परागत तरीकों के स्थान पर भण्डारण के आधुनिक तथा वैज्ञानिकों को उपयोग में लाएं ; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में कुल कितनी तहसीलें, नगर तथा गांव हैं जिनमें ग्रामस्तर पर पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था विद्यमान है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डागार निगम और 16 राज्य भण्डागार निगमों ने परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के लिए भण्डारण क्षमता स्थापित की है। सहकारी समितियों ने भी खाद्यान्नों सहित विभिन्न जिन्सों तथा भण्डारण के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा का निर्माण किया है। इसके अलावा, खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का भण्डारण करने के लिए ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु एक केन्द्रीय योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों के निकट सहयोग से कार्यरत 17 केन्द्रीय दलों के बिछे जाल के माध्यम से वैज्ञानिक भण्डारण की विधियां अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) खाद्यान्नों को उस हद तक नष्ट होने से बचाया जाता है जिस सीमा तक हुए भण्डारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक भण्डारण विधियों को अपनाया जाता है। खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का भण्डारण करने के लिए 1983-84 में लगभग 25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करने का विचार है।

(घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मुख्य पक्की सड़कों से जोड़े गए गांव

1213. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1983 को देश में कितने गांव ऐसे थे जिन्हें पहुंच मार्गों के जरिए मुख्य पक्की सड़कों से जोड़ा गया है ; और

(ख) योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन दशकों में गांवों के लिए पहुंच मार्ग

बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं और इस दिशा में प्रत्येक दशक की पृथक-पृथक उपलब्धियां क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के वार्षिक योजना (1983-84) प्रलेखों में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च 1982 तक देश में 539 गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा था। 26 जनवरी, 1983 तक देश में सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) ग्रामीण विकास मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में इस विषय को शामिल करने के पश्चात ग्रामीण सड़कों के निर्माण को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित ढंग से ध्यान दिया गया था । "ग्रामीण सड़कें" छठी पंचवर्षीय योजना का एक घटक भी हैं ।

योजना आयोग की राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा गठित ग्रामीण सड़कों के बारे में कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण सड़कों में प्रतिवर्ष 9000 किलोमीटर की औसतन वार्षिक वृद्धि हुई थी और 31-3-1978 को देश में लगभग 5,00,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं

"लेसद" से बीजों में सुधार

1214. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस के वैज्ञानिकों द्वारा "लेसद" की सहायता से बीजों में सुधार करने की जानकारी है (यू० एन० आई० कृषि सेवा, 13-1 1983) और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने इस दिशा में इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम चलाए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) भारत में बीजों में सुधार लाने के लिए "रेडिएशन" के प्रयोग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इस प्रणाली से विकसित किए गए बीजों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम के देशों में शुरू किए गए "रेडिएशन" प्रणाली न्यूनाधिक रूप से छोड़ दी गई है और यदि हां, तो इस प्रणाली की भारत में क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) रूस में लेसर बीम्स से फसल में सुधार के लिए किए गए कार्य के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है तथा फसल के सुधार के लिए लेसद बीम्स के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

विकिरण द्वारा फसल सुधार सामान्य फसल कार्यक्रमों तथा प्रायोजनाओं का एक अभिन्न अंग है तथा विशेषकर इस प्रायोजन के लिए अलग से बजट का आबंटन नहीं किया जाता है। भारत में फसल सुधार के लिए विकिरण उपचार के उपयोग में प्रमुख प्रगति गेहूं की किस्मों जैसे शर्बती सोनोरा, एन० पी० 836, तथा आगे सुधार हेतु व्यावसायिक किस्म जैसे सी० 306 तथा एन० पी० 880 को विकसित करने में हुई है। अरण्डी की सुधरी किस्म अरुणा, बोनी, जल्दी पकने वाली चावल की किस्में जैसे सी० आर० एम०-13 तथा कल्चर न० 1, मूंगफली की किस्में टी० जी० 3 तथा टी० जी० 17 तथा जूट की किस्म टी० जे० 40 विकिरण के उपयोग से विकसित की गई तथा जो अधिक उपज देने वाली हैं, की खेती के लिए रिलीज किया गया है।

(घ) हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि पश्चिम देशों में फसल सुधार के लिए शुरू की गई विकिरण पद्धति को उनके देशों द्वारा लगभग छोड़ दिया गया है। जहां तक हमारा संबंध है भारत के कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भाभी अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई तथा कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में विकिरण उपचार के द्वारा अभी भी फसल में सुधार किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा करनाल बंट रोग से ग्रस्त गेहूं के भण्डार की सप्लाई

1215. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डार में ऐसा कोई गेहूं है जो करनाल बंट रोग से पूरी तरह मुक्त हो और यदि हां, तो इसकी मात्रा का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर इसका भण्डारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : भारतीय खाद्य निगम खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार गेहूं की खरीददारी करता है। इन विनिर्दिष्टियों में ग्रेड 1 और 2 के मामले में क्षतिग्रस्त अनाज के लिए सीमा क्रमशः 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत है। जिस गेहूं के स्टाक में करनल बंट से प्रभावित अनाज की अधिकतम सीमा ग्रेड 2 के मामले में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में वसूल किए गए गेहूं में स्वीकृत विनिर्दिष्टियों के अन्दर-अन्दर करनल बंट से प्रभावित अनाज हो सकता है, लेकिन यह बताना नहीं होगा कि भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े गेहूं को कितनी मात्रा इस संक्रमण से मुक्त अथवा इसका कहां भण्डारण किया गया है।

राज्यों में स्टेडियमों का निर्माण

1216. **श्री हन्नान मोलाह :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी राज्य में मिश्रित स्टेडियम के निर्माण के बारे में विचार कर रही

है या ऐसे स्टेडियम के निर्माण के लिए किसी राज्य की मदद कर रही है और यदि हां, तो कहां ?

(ख) क्या सरकार कलकत्ता में साटलेक स्टेडियम के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता देने के बारे में विचार कर रही है अथवा विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेल विभाग राज्य खेल परिषदों इत्यादि को अनुदान नामक एक केन्द्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत संयुक्त स्टेडियमों/खेल परिसरों के निर्माण सहित खेलों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को साझेदारी के आधार पर कुछ विशिष्ट सीमाओं पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आवेदन-पत्र आमत्रित किए जाते हैं और उन पर इस विभाग द्वारा अखिल भारतीय खेल परिषद के परामर्श से विचार किया जाता है। असम, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश सरकारों से अपने-अपने राज्यों में संयुक्त स्टेड़ियम/खेल परिसरों के निर्माण से सम्बन्धित खर्चे का भाग वहन करने के वास्ते 1982-83 के दौरान सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन-पत्रों पर इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अन्य आवेदन पत्रों के साथ अखिल भारतीय खेल परिषद के परामर्श से विचार किया गया है। जब कभी भी सम्बन्धित राज्य सरकारें चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करेंगी तो उनको संयुक्त स्टेडियमों के निर्माण के लिए अनुमत्य केन्द्रीय अनुदान मुक्त कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष में कलकत्ता में साल्ट लेक स्टेडियम के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से वित्तीय सहायता के वास्ते कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। जब कभी ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ तो उस पर अखिल भारतीय खेल परिषद के परामर्श से गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

गन्ने की डिलीवरी के तुरन्त बाद किसानों को इसके मूल्य की अदायगी करने का प्रस्ताव

1217. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत किसानों को गन्ने का मूल्य तत्काल मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहनों की मांग और सप्लाई में गतिरोध

1218. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान तिलहन के उत्पादन में अत्याधिक गिरावट के कारण तिलहन की मांग में और सप्लाई में अन्तर बहुत बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में तिलहन के प्रत्याशित उत्पादन में कितनी गिरावट आई है और अच्छी संभावनाओं की तुलना में उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का खाने का तेल आयात किया जाएगा और इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1982 के दौरान कुछ राज्यों में सूखे तथा अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण मूंगफली की खरीफ की फसल पर मुख्यतः गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खरीफ की मूंगफली के उत्पादन में आई कमी के रबी तिलहनों विशेषकर तोरई और सरसों के अधिक उत्पादन से अंशतः पूरा हो जाने की आशा है। तथापि, तिलहनों की मांग और आपूर्ति में अन्तर का अन्तिम अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

(ग) सरकार खाद्य तेलों के मूल्यों पर लगातार नजर रखे हुए है तथा उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुधार के सभी कदम उठा रही है। खाद्य तेलों के आयात की मात्रा विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, जिसमें देशी तेलों की मांग और उत्पादन, मूल्य स्थिति, विदेशी मुद्रा की बाधाएं आदि शामिल हैं।

कीट नाशक दवाओं के बदले हुए उपभोग पर चिन्ता

1219. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि 'सैन्ट्रल फूड लेबोरेटरी' के वैज्ञानिकों ने खाद्यान्नों के लिए पेकेधिआन जैसे कीटनाशक दवाओं को छिड़कने पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ता है ;

(ख) क्या नियंत्रण और रोकथाम के उचित वैज्ञानिक तरीकों की कमी के कारण खाद्यान्न में सहन शक्ति की सीमा में अधिक अवशिष्ट कीटनाशक दवायें रहती हैं और

(ग) यदि हां, तो आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान ने कुछ समय पहले सूचना दी है कि खाद्य वस्तुओं के नमूनों में कीटनाशी औषधियों के अवशिष्ट खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्धारित सहनीय स्तर से बहुत अधिक है।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों में सहनीय स्तर से अधिक कीटनाशी औषधियों के अत्यधिक अनियमित और अवैज्ञानिक प्रयोग करना है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं कि वे कीटनाशी औषधियों के अवशिष्टों को नियंत्रित करने हेतु कार्यकलापों पर जोर दें और यह सुनिश्चित करें कि वे सहनीय स्तर से अधिक नहीं हैं।

दिल्ली में भवनों में एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण

1220. **श्री कमला मिश्र मधुकर** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में भवनों में एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया और क्या अतिरिक्त एक मंजिल के निर्माण के लिए नक्शे मंजूर करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, नयी दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनुदेश कब जारी किए गए ; और

(घ) क्या मकान मालिकों को और निर्धारित नीति के अनुसार अनुमति दी गई है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने भूमि तल अथवा 1000 वर्ग फी०, जो भी कम हो, पर अधिकतम अनुमय निर्माण के 50 प्रतिशत तक बरसाती तल पर अतिरिक्त निर्माण के प्रस्ताव पर आपत्तियां तथा सुझाव आमन्त्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

स्थानीय निकायों के उप नियमों के संशोधन होने के बाद ही मकान मालिकों को आज्ञा दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न गोदाम

1221. **श्री राम अवध :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कितने खाद्यान्न गोदाम स्थापित किए गए और उनसे कितने लोगों को लाभ हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : इस अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम, सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में 52 भण्डारण काम्पलेक्सों का निर्माण किया गया था। इन काम्पलेक्सों ने अन्य परिणामी लाभों के अलावा रोजगार, खाद्यान्नों तथा अन्य जिन्सों का भण्डारण करने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। तथापि. जिन लोगों को इसका लाभ पहुंचा है, उनकी संख्या का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है।

वसूली मूल्य की तुलना में आयातित गेहूं का मूल्य

1222. **श्री शिव शरण वर्मा :**
प्रो० मधु दण्डवते : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से 14 1/2 लाख टन गेहूं का आयात किया जा रहा है जिसकी कीमत भारत में किसानों को दिये गये न्यूनतम मूल्य से प्रति क्विंटल 40 रु० अधिक है ;

(ख) क्या सरकार की यह नीति किसान विरोधी है और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के रास्ते में बाधा है और यदि हां, तो क्या सरकार अपनी गेहूं आयात नीति को बदलेगी ; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्न समस्या, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों को उनका उपज के लिए लाभप्रद मूल्य देने जैसी मूल समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से नवम्बर, 1982 में 14.55 लाख मीटरी टन गेहूं आयात करने का एक ठेका किया है इस गेहूं के उतरने की औसत लागत और देशी गेहूं की अभिग्रहन लागत के बीच अनुमानित अन्तर 41.74 रुपये प्रति क्विंटल है और यह मुख्यतया आयातित गेहूं पर खर्च किए गए समुद्री भाड़ों, समुद्रयात्रा बीमा प्रभारों और पत्तन पर निकासी प्रभारों के कारण है।

(ख) जी नहीं। भारत सरकार अपनी गेहूं आयात करने विषयक नीति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में बफर स्टाक तैयार करने और मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ही आयात करना पड़ा है।

(ग) सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य देने के लिए अधिकतम प्रयास कर रही है। राज्यों द्वारा उठाए गए पगों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, उर्वरकों का पर्याप्त और संतुलित प्रयोग करना, बेहतर किस्म के बीजों का वितरण करना और पर्याप्त पौध संरक्षण उपाय करना आदि शामिल हैं।

पंजाब में धान की फसल का नुकसान

1224 **श्री तारिक अनवर :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि पिछले वर्ष खुले मैदान में भण्डारण करने के कारण एक लाख टन धान खराब हो गया था, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब में खरीदे गये कुछ धान का खुले मैदान में भण्डारण किया गया था ; और

(ख) प्राधिकारियों द्वारा इस जोखिम को उठाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले वर्ष खुले में भण्डारण करने के कारण लगभग एक लाख मीटरी टन धान तक्षिग्रस्त हो गया था

1982-83 के दौरान पंजाब धान की भारी वसूली होने के कारण उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर काफी दबाव पड़ा था और धान की कुछ मात्रा खुले में रखनी पड़ी थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने जनवरी, 1983 के अन्त तक ऐसे स्टाक की निकासी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था और इस समय पंजाब में धान का कोई स्टाक "कवर तथा प्लिथ" भण्डारण में सुरक्षित नहीं पड़ा हुआ है।

राज्यों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित जल विभाग प्रबन्ध

1225. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां सरकार ने बाढ़ की संभावना वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध के लिए योजनाएं आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें लागू किये जाने के बाद क्या-क्या कार्य आरम्भ किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गंगा बेसिन में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना हिमाचल प्रदेह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शासित क्षेत्र में 1980-81 से चल रही है।

(ग) इस योजना में बाढ़ो को रोकने और तलघट में कमी लाने के लिए आकस्मिक वर्षों के पानी के अवधारण, अनुरक्षण और समुपयोजन की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से उपयुक्त कटाव नियंत्रण और आर्द्रता संरक्षण के उपायों से कृषि भूमि, वन भूमि और बेकार भूमि का उपचार करने का विचार है। प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1980-82 में 161,84 याख रुपए की लागत से लगभग 13000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। 1982-83 में 743 लाख रूपए की अकमानित लागत से 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किए जाने की संभावना है।

खेलकूद बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता

1226. **श्री जेवियर अराकल :**
श्री जे० एस० पाटिल क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलकूद तथा दूसरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी मदद या सहायता दी जाती है ; और

(ख) क्या सरकार गैर-सरकारी खेलकूद क्लबों को मान्यता और प्रोत्साहन देती है ; यदि हां, को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेल विभाग एक केन्द्रीय योजना कार्यान्वियन कर रहा हैं अर्थात् राज्य खेल परिषदों के लिए अनुदान जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मामले में कुछ विशिष्ट सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषदों की सलाह पर खेल-कूद के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों राज्य खेल परिषदों को साझेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :—

(i) राज्य स्तर पर वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ;

(ii) ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना अनुरक्षण ।

(iii) गैर खर्चीली प्रकार के खेल उपस्कर की खरीद ;

(v) खेल के मैदानों का विकास ;

(v) स्टेडियमों तरण तालों का निर्माण, क्रीड़ा स्थलों आदि का फ्लडलाईटिंग ; और

(vi) खेल परिसरों का निर्माण ।

इसके अतिरिक्त क्रमशः राष्ट्रीय महिला खेल समारोह और ग्रामीण खेल प्रतियोगिता योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः महिलाओं और ग्रामीण युवकों के लिए ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के माध्यम से राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषद को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) देश में खेलों के विकास प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा किए गए सभी उपायों से सभी पुरूष और महिला खिलाड़ियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है चाहे वे गैर-सरकारी खेल क्लबों से सम्बन्धित हो अथवा नहीं। कोई भी खिलाड़ी, जो किसी खेल में दक्षता प्राप्त कर लेता है, उसे सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा विशेष खेल सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यथा समय चुन लिया जाता है। इसी प्रकार सर्वोच्च सरकारी खेल पुरस्कार अर्थात् अर्जुन पुरस्कारों के मामले में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है चाहे खिलाड़ी गैर सरकारी खेल क्लब से सम्बन्धित हो अथवा किसी राज्य निकाय संस्था से सम्बन्धित हो।

भारत में खाद्यान्न उत्पादन के बारे में खाद्य और कृषि संगठन के विचार

1227. **डा० कृपा सिन्धू भाई :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने चालू वर्ष के दौरान भारत के अनाज विशेष रूप से मोटे अनाजों के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट आने की भविष्यवाणी की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ; और

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है और यह वर्तमान कमी के साथ देश की मांग को किस प्रकार पूरा करेंगे तथा उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खाद्य और कृषि संगठन द्वारा "फंड आउटलुक" के जनवरी, 1983 के अंक में बताये गये अस्थाई अनुमानों के अनुसार केलेन्डर वर्ष 1982 में धान्यों के उत्पादन में वर्ष 1981 की तुलना में लगभग 7.8 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। मोटे अनाजों के उत्पादन से लगभग 10 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है।

(ख) सरकार द्वारा किये गये प्राथमिक मूल्यांकन के अनुसार 1982 के दौरान धान्यों के उत्पादन में समग्र कमी वर्ष 1981 की तुलना में 4 से 7 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

(ग) और (घ) सरकार ने खरीफ उत्पादन में हुई क्षति की यथा सम्भव पूर्ति करने के लिए

एक प्रभावी रबी अभियान शुरू किया है तथा इस प्रयोजन के लिए डीजल, बिजली, बीज, उर्वरक कीटनाशी दवाईयां आदि जैसे आवश्यक आदानों को उपलब्ध कराने के लि ए कदम उठायें हैं। सरकार ने खाद्यान्न भंडारों, जो जनवरी, 1983 के शुरू में कुल 127 लाख मीटरी टन के थे, को सुदृढ़ बनाने के लिए 39.5 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने की भी व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए गुजरात द्वारा मांगी गई तथा उसे मन्जूरी की गई सहायता

1228. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि की मांग की है और वास्तव में कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया और गुजरात में उन दो वर्षों में कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया गया ;

(ग) यह काम किस प्रकार का कितनी मात्रा में किया गया ;

(घ) वर्ष 1982-83 के लिए अपेक्षित पूरी धनराशि राज्य सरकार को कब तक दे दी जाएगी ; और

(ङ) इस दिशा में किए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधन एक फार्मूला के आधार पर आवंटित किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कृषि श्रमिकों सीमान्त कृषकों की संख्या पर 75 प्रतिशत तथा निर्धनता के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल दिया जाता है। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के लिए रखे गये समग्र आवंटन में से प्रत्येक राज्य का अंश इस आधार पर आंका जाता है। और राज्यों की आवश्यकताएं अलग से प्राप्त नहीं की जाती हैं। अतः प्रश्न नही उटता।

(ख) 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, निम्न प्रकार है :—

	लाख श्रमदिन
1981-82	56.55
1982-83	149.79 (जनवरी 83 तक)

श्रमदिनों पर आधारित सृजित रोजगार सामान्य-तया केन्द्र द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार है।

(ग) गुजरात में कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए निर्माण कार्य लघु सिंचाई, वनरोपण, सामाजिक बानिकी, पेय जल कुओं, सामुदायिक सिंचाई कुओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातितों के लिए सामूहिक आवास/भूमि विकास, गांव के तालाबों, ग्रामीण सड़कों, भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि को कृषि योग्य बनाने, स्कूल तथा वालवाड़ी भवनों, पंचायत घरों से संबंधित हैं। 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को 1982-83 के लिए आबंटित सम्पूर्ण संसाधन बंटित किए जा चुके हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात राज्य में सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	कार्यों की मदें	1981-82	1982-83 दिसम्बर, 82 तक)
1.	वनरोपण/सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	2376	2968
2.	अनुसूचिल जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेय जल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, सामूहिक आवास तथा भूमि विकास संख्या)	5474	6620*
3.	गांवों के तालाबों का निर्माण (संख्या)	34	51*
4.	लघु सिंचाई कार्यों, बाढ़ सुरक्षा कार्यों आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	2885	190*
5.	भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि को कृषि योग्य बनाने आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	3271	3488

1	2	3	4
6.	निर्मित ग्रामीण सड़कें (कि० मी०)	533	1930*
7.	निर्मित स्कूल तथा बालवाड़ी भवन/पंचायत घर आदि (संख्या)	31	32
8.	अन्य निर्माण कार्य (संख्या)	40	55*

*—कुछेक निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकास के लिए गांवों को स्वीकार

1226. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक, सहकारी, अनुसंधान और अन्य संगठनों द्वारा गांवों को स्वीकार करने के लिए कोई निर्धारित मानक तय किये हैं ;

(ख) विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस समय विकास के लिए स्वीकार किए गए गांवों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) "एडाप्टिंग एजेंसियों" को क्या-क्या सहायता उपलब्ध है ; और

(घ) क्या यह दिशा में अब तक किए गए कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालल में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक कृषि उत्पादकता तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के कृषि संबंधी मदों के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों को प्रति ब्लाक कम से कम एक या एक से अधिक गांवों को अपनाने के लिए कहें।

(ख) संस्थावार अपनाए गए ग्रामों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अपनाने वाली संस्थाएं/एजेंसियां	अपनाए गए ग्रामों की संख्या
1. कृषि विश्व विद्यालय/अनुसंधान संस्थान/अनुसंधान केन्द्र आदि।	
2. भाम विश्व विद्यालय	207

1	2	1
3.	उर्वरक उद्योग एकक	921
4.	राज्य सरकारों के विभाग/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन	1877
5.	अन्य	454
	अपनाए गए ग्रामों की कुल संख्या	3975

(ग) गांवों को अपनाने वाली एजेन्सियों को कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती है।

(घ) अब तक मिली जानकारी के अनुसार 5000 ग्रामों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 3900 से अधिक ग्राम अपनाए गए हैं। गांवों को अपनाने वाली कुछ एजेन्सियों से मिली रिपोर्टों से उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। बारानी खेती, तिलसन तथा दलहन कार्यक्रम सहित कृषि उत्पादन बढाने, ऋण सुविधाएं और कृषि उपस्रनण मुहैय्या करने, उर्वरक संवर्धन, जैव गैस विकास, सामाजिक वानिकी, विपणन, मिनीकिट प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण आदानों के वितरण मृदा परीक्षण, कुएं खोदने, बागवानी विकास आदि संबंधी विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए कई ग्रामों में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा शुरू किए गए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्य और लक्ष्य

1230. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंकि कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संगठनात्मक ढांचा क्या है ;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कौन से मुख्य कार्य पहले ही किए गए हैं ;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं पहले ही शुरू की हुई हैं ;

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अब तक के अनुसंधान कार्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य कार्य विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संगठनात्मक ढांचा विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से हैं :—

1. फसलों, पशुओं, मछली उत्पादन, कृषि प्रणाली कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, उपयोगिता आदि तथा इन से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान करना ;

2. कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि और संबद्ध विषयों में शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के निष्पादन में संरचना आधार के विकास में सहायता देना ;

3. उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए प्राथमिक प्रदर्शनों को हाथ में लेना और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में स्थित 34 अनुसंधान संस्थानों में चल रहे हैं । अभी तक दो राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 5 प्रायोजना निदेशालय, 58 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं और 5 विश्व बैंक प्रायोजनाएं स्थापित की गई हैं । प्रत्येक संस्थान में आधारभूत और व्यावहारिक प्रकृति की प्रायोजनाओं में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है जबकि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं में स्थान विशेष की समस्याओं पर कार्य किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त परिणामों का विभिन्न सस्य-जलवायवीय स्थितियों में उनकी व्यवहारिकता पर परीक्षण किये जाते हैं ।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि अनुसंधान की सबसे पुरानी संस्था है जिसकी स्थापना सन् 1929 में हुई थी । इस अवधि के दौरान कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार शिक्षा और विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में इसने अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियों की बदौलत अब तक देश में खाद्य और पशु उत्पादन के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य हुआ है उनका वर्णन करना मुश्किल होगा । कुछ अति विशिस्ट उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(i) छटे दशक के मध्य के बाद देश में जो अभूतपूर्व हरित क्रान्ति आई उसको लाने में फसलों को अनेक अधिक उपज देने वाली, कीट और रोग रोधी तथा उन्नत किस्मों की खोज ;

(ii) इसी प्रकार पशु विज्ञान के क्षेत्र में डेरी पशुओं की अधिक दूध देने वाली, भेड़ों की बढ़िया गलोचा और उन देने वाली और मुर्गियों की ज्यादा मांस और अण्डे देने वाली नस्लों का विकास ;

(iii) विभिन्न मृदा और जल परिस्थितियों में प्रति इकाई उपज वृद्धि के लिए गहन कृषि प्रणालियों पर उन्नत प्रौद्योगिकी ;

(iv) फसलों और पशुओं की मुख्य बीमारियों और कीट-व्याधियो के लिए त्रुटिहीन नियन्त्रण उपाय ; पशुओं की मुख्य बीमारियों के लिए टीकों का उत्पादन ;

(v) छोटे और बड़े सभी किसानों के काम में आने वाले कृषि औजारों और अभियन्त्रों के प्रारूपों का निर्माण ;

(vi) दुग्ध परिरक्षण, प्रक्रिया और विभिन्न तैयार करने के लिए अभिनव तकनीकों का विकास ;

(vii) मछली पालन के अन्तर्गत भारतीय और चीनी कार्यों का सफल प्रजनन ; इन दोनों नस्लों के लिए आधुनिक कार्य हैचरी का विकास ;

(viii) टाइगर झींगा का सफल प्रजनन व मुक्ता शुक्ति के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और मुक्ता संवर्धे का उत्पादन ।

विवरण-एक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य

(क) भारत में और इसके संरक्षित राज्यों में और इसके किसी भी अन्य क्षेत्र में अथवा भारत सरकार द्वारा किए गए अनुबन्ध, संधि, अनुदान कार्यों, मौन अनुमति या अन्य कानूनी साधनों के अन्तर्गत कृषि और पशुपालन शिक्षा, अनुसंधान और इसकी व्यवहार में कार्यरूप देना, इन विषयों के वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करना ताकि प्रतिदिन के कार्यों में इनका उपयोग किया जा सके तथा इन साधनों का विपणन और विकास करना ।

(ख) सूचना का वितरण केन्द्र के रूप में न केवल अनुसंधान से संबंधित कार्य करना बल्कि कृषि तथा सामान्यतया पशुचिकित्सा मामलों में भी कार्य करना ।

(ग) सोसायटी के उद्देश्यों के लिए बेचान बट्टा निकालना और स्वीकार करना तथा बनाना और भारत सरकार ने समझौता करके दूसरे बचनपत्रों हुण्डी विनियम पत्रों तथा दूसरे समझौते करने के योग्य साधनों से चैक प्राप्त करना ।

(घ) सोसायटी की दी गई निधियों का या दिए गए रुपयों का ऐसी प्रतिभूतियों या इस तरह से जो शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सके, निबेश करना और ऐसे निवेशों को बेचना और स्थान बदलना ।

(ङ) जहां कही भी भारत में स्थित हो जो सोसायटी हेतु आवश्यक तथा सुविधाजनक हो उसे खरीदना, पट्टे पर लेना, उपहार के रूप में स्वीकार करना या कोई भूमि तथा बिल्डिग अन्यथा प्राप्त करना ।

(च) सोसायटी के लिए आवश्यक बिल्डिंग को बनाना या परिवर्तन करना ।

(छ) सोसायटी की सम्पत्ति को बेचना, पट्टे, विनियम या अन्यथा सभी का या किसी भाग का तबादला करना ।

(ज) सोसायटी के पढ़ने तथा लिखने से संबंधित कमरों के उद्देश्य के अनुसरण में अनुसंधान तथा संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना तथा रखरखाव करना और उसे पुस्तकों, समीक्षाओं पत्रिकाओं अखबारों तथा अन्य प्रकाशनों से सुसज्जित करना ।

(झ) वे सभी अन्य कार्य करना जिसे सोसायटी उपरोक्त उद्देश्यों की उपलब्धियों के लिए आवश्यक, आनुसंगिक तथा सहायक समझें ।

विवरण-दो

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक सोसायटी है जो सोसयटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड की गयी है। केन्द्रीय कृषि मंत्री (कैबिनेट स्तर के) इस सोसायटी के प्रेसीडेन्ट और केन्द्रीय राज्य मंत्री जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्य देखते हैं इसके वाइस प्रेसीडेन्ट हैं।

1. केन्द्रीय कृषि राज्यमन्त्री के अतिरिक्त इस सोसायटी में निम्न व्यक्ति भी शामिल हैं— केन्द्रीय वित्त योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और वाणिज्य मन्त्री, कृषि मंत्रालय के अन्य मन्त्री, राज्यों के कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी मन्त्री, सदस्य योजना आयोग जो कृषि के प्रभारी हैं, छः संसद सदस्य, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि मन्त्रालय के सभी सचिव, सचिव-योजना आयोग, चेयर मैन-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चेयरमैन-अणु ऊर्जा आयोग, सदस्य-वित्त, कृषि विश्वविद्यालयों के चार कुलपति, चार तकनीकी प्रतिनिधि-कृषि आयुक्त, पशुपालन आयुक्त, संयुक्त आयुक्त मात्स्यकी और महावनपाल, 15 वैज्ञानिक, वाणिज्य और उद्योग के 3 प्रतिनिधि, 8 कृषक और ग्रामीण क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के संस्थानों के निदेशक, और सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।

2. सोसायटी के अपने शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति, क्षेत्रीय समितियां और वैज्ञानिक पैनल हैं ।

3. महानिदेशक, जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मन्त्रालय के सचिव भी हैं, सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं । सचिव, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को, जो कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव भी हैं, सोसायटी के सभी प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार दिया गया है ।

4. सोसायटी के 38 अनुसन्धान संस्थान/कृषि और पशु विज्ञान में अनुसन्धान और शिक्षा

प्रायोजना निदेशक और इन संस्थानों के निदेशकों को वित्तीय और प्रशानस को अधिकार दिए गए हैं।

5. परिषद के मुख्यालय में 2500-3000 रु० के वेतनमान में चार उपमहानिदेशक हैं। परिषद के मुख्यालय और उसके अनुसंधान संस्थानों के प्रशासकीय और वित्तीय मामले निदेशक (कार्मिक), निदेशक (निर्माण) और तीन अपर सचिवों द्वारा देखे जाते हैं। यदि कोई मामला इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो उसके लिए उन्हें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के सचिव और महानिदेशक के आदेश/स्वीकृति लेनी होती है। परिषद के उपमहानिदेशकों की सहायता के लिए 20 सहायक महानिदेशक हैं जो विभिन्न विजयों के ज्ञाता होते हैं, उपरोक्त अधिकारिकों को वैज्ञानिकों और प्रशासकीय स्टाफ/अधिकारियों से सहायता प्राप्त होती है।

6. परिषद और उसके संस्थानों से सम्बन्धित प्रकाशन और सूचना से सम्बन्धित कार्य निदेशक (प्रकाशन और सूचना) देखता है जिसके अन्तर्गत चीफ प्रोडक्शन औफिसर, चीफ पबलिस्टी एण्ड पब्लिक रिलेशन औफिसर और दो मुख्य सम्पादक (अंग्रेजी और हिन्दी) कार्य करते हैं। इन सभी अधिकारों को अन्य सहायक अधिकारियों और कर्मचारियों से सहायता प्राप्त होती है।

7. एक कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल है जिसके लिए एक पूर्ण समय के लिए सरकार की स्वीकृति से एक चेयर मैन नियुक्त किया गया है। यह बोर्ड एक स्वतन्त्र अभिकरण की तरह कार्य करता है तथा कृषि अनुसन्धान सेवा के पद तथा अन्य पद तथा सेवाएं जो समय-समय पर प्रेसीडेन्ट द्वारा उसे सुपुर्द किया जाता है, उसको करने का उत्तरदायित्व उसी का होता है। उसकी सहायता के लिए सचिव, परीक्षा नियन्त्रक और अन्य अधिकारी हैं।

8. परिषद के विधि सलाहकार के अन्तर्गत एक विधि कक्ष (लिगल सेल) भी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्माण में उपभोग किया गया घटिया सामान

1231. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री एन० ई० होरो : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा बनाई जा रही इमारतों में इस समय घटिया सामान का उपयोग किया जा रहा है और उसके कारण इमारतें टिकाऊ नहीं तथा लोगों का जीवन निरन्तर खतरे में रहता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है कि भविष्य में इमारतों के निर्माण में अच्छे स्तर के सामान का इस्तेमाल हो ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इमारतों के निर्माण में उपयोग में लाई गई ईंटों, सीमेंट, आदि की किस्म एवं मात्रा की इमारतें पूरी हो जाने के बाद अच्छी तरह से जांच की जाए और जांच रिपोर्ट इमारत के टिकाऊ काल की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखी जायें ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माण कार्यों के लिए ठेकों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियां अनुबन्धित की जाती है ।

ये विशिष्टियां व्यापक हैं तथा इनमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण सामग्री की उचित कोटि उपयोग में लाई जाती है, निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यों के आवधिक आदेशात्मक परीक्षणों की व्यवस्था है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादिन निर्माण कार्यों का स्थल पर पर्यवेक्षण कनिष्ठ इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधीक्षक इंजीनियर तथा कुछ इंजीनियर भी यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षण करते हैं कि निर्माण कार्य विशिष्टियो के अनुसार ही किए जाते हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण कोटि नियन्त्रण स्कन्ध तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन के अधिकारियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से भी आकस्मिक कोटि परीक्षण किए जाते हैं ।

इसी प्रकार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों के लिए भी निर्माण सामग्री की नियमित रूप से उपयोग करने से पहले जाँच की जाती है तथा कोटि नियन्त्रण पर बल दिया जाता है । आवश्यक जांच करके निर्माण सामग्री की आवधिक रूप में कोटि का परिक्षण करने के लिए इस विषय पर स्थल स्टाफ के लिए स्थायी अनुदेश हैं । इन अनुदेशों के अनुपालन को भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल पर दौरा करके सुनिश्चित किया जाता है । निर्माण सामग्रियों की नियमित रूप से जांच की जाती है तथा जांच परिणामों को कायम रखा जाता है । कोटि नियन्त्रण में दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य तकनीकी संगठन भी इन निर्माण कार्यों की जांच करता है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भी एक मुख्य इंजीनियर के अधीन एक कोटि नियंत्रण स्कन्ध हाल ही में स्थापित किया गया है तथा यह स्कन्ध विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण करता है । निर्माण कार्यों की नियमित जांच हेतु मण्डल तथा परिमण्डल स्तर पर भीं ऐसे ही स्कन्ध स्थापित किए गए हैं। निर्माण की मुख्य सामग्रियों की जांच करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मानक इंजीनियरी पद्धति के अनुसार ईट, सीमेंट जैसी निर्माण सामग्रियों की जांच की आवश्यकता है । स्थल स्टाफ को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि निर्माण कार्य में विभिन्न अंशों की उचित मात्रा मिलाई जाती है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के कोटि नियंत्रण स्कन्ध तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा यह जांच करने के लिए निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुसार किए गए हैं,

अचानक नमूने लिए जाते हैं तथा उनकी जांच की जाती है। निर्माण कार्यों के अन्य तकनीकी तथा लेखा रिकार्डों के साथ ही प्रभारी इंजीनियर से निर्माण सामग्रियों की जांच रिपोर्टों को भी रखने की अपेक्षा की जाती है।

खाद्य तेलों का आयात

1232. **श्री सुधीर कुमार गिरि :**

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों का बहुत अधिक लागत पर अनवरत आयात राष्ट्रीय हित में हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार बार-बार इसका आयात क्यों करती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरे सहित औचित्य क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) देशीय स्रोतों से प्राप्त होने वाले खाद्य तेलों की मांग व उसकी आपूर्ति के मौजूदा अन्तर को, जो प्रति वर्ष अनुमानतः 10 से 12 लाख मीटरी टन के बीच है, के संदर्भ में सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उपभोक्ताओं के हित में उचित मूल्यों पर तेलों की उपलभ्यता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य तेलों का आयात करें। तथापि, सरकार द्वारा देशीय तेलों का उत्पादन तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई दीर्घ-कालिक तथा अल्पकालिक उपाय किए जा रहे हैं ; ताकि खाद्य तेलों के आयात को धीरे-धीरे कम किया जा सके।

आवश्यक वस्तुओं के लिए विवरण प्रणाली

1233. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की लगातार मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसी वस्तुओं की सप्लाई के लिए किसी प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं को विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उचित तथा मुनासिब मूल्यों पर उपलब्ध कराने तथा इन वस्तुओं के खुले बाजार के मूल्यों को बढ़ने से रोकने की दृष्टि से, देश के सभी भागों में

सरकार की नीति के अंग के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही लागू की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों तथा अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कुछ आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस प्रकार के वितरण के लिए जिन वस्तुओं की सिफारिश की गई है वे हैं :— गेहूं, चावल, आयातित खाद्य तेल, चीनी और मिट्टी का तेल तथा इनके अलावा साफ्ट कोंक तथा नियन्त्रित कपड़ा भी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को इस बात का विकल्प है कि वे जिन अन्य वस्तुओं को आवम्यक समझें उनकी आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनका वितरण करें। राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा इसका विस्तार करने और इसे उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा करने के योग्य बनाने के लिए समय-समय पर पग उठाए जाते हैं। इसमें उचित दर की और दुकानें खोलना, उनके कार्य पर नियमित रूप से निगरानी रखना तथा एक कारगर आधार ढांचे का विकास करना शामिल है।

बाणसागर सिंचाई परियोजना के लिए मध्य प्रदेश का अंश

1234. **श्री कमल नाथ :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार को बाणसागर सिंचाई परियोजना के लिए अपने बढ़ते हुए वार्षिक अंश को पूरा करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ग) क्या इस मामले को नई दिल्ली में जनवरी, 1983 में हुई बाण सागर केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में उठाया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) मध्य प्रदेश में इस परियोजना से सम्बन्ध कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बाणसागर बांध परियोजना एक अन्तराज्यिक परियोजना है, जिसके लिए धन की व्यवस्था मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य द्वारा 2:1:1 के अनुपात में की जाती है। परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। बाणसागर परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) बाणसागर नियन्त्रण बोर्ड की जनवरी, 1983 में आयोजित की जाने वाली बैठक स्थगित कर दी गई थी।

(घ) प्रश्न उत्थान नहीं होता।

(ङ) मध्य प्रदेश में मुख्य बांध के कार्य की बड़ी मदों तथा नहरों के निर्माण-कार्यों की सितम्बर, 1982 को समाप्त होने वाली तिमाही तक प्रगति निम्न प्रकार हैं :—

मद	कुल मात्रा	निष्पादित की जा चुकी मात्रा
I. मुख्य बांध		
(क) खुदाई	1152 हजार घन मीटर	63 हजार घन मीटर
(ख) कंक्रीट	260 हजार घन मीटर	9 हजार घन मीटर
(ग) चिनाई	1101 हजार घन मीटर	37 हजार घन मीटर
2. पत्थर-भराई बांध		
(क) खुदाई	1369 हजार घन मीटर	128 हजार घन मीटर
(ख) तटबंध	कार्य अभी आरंभ नहीं किया गया है।	

3. **काठी (सैंडल) बांध** अकेली सैडल बांध पर निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। अन्य 4 सैंडल बांधों पर निर्माण-कार्य अभी हाल में आरम्भ किया गया है।

II मद	कुल मात्रा	निष्पादित की जा चुकी मात्रा
सिंचाई प्रणाली		
1. सामान्य जल वाहक (मिट्टी का कार्य)	7910 हजार घन मीटर	160 हजार घनमीटर
2. **नहरें**		
मिट्टी का कार्य		
(1) पुरवा नहर (136.4 किलो मीटर लम्बी)	9777 हजार घन मीटर	72 हजार घन मीटर
(2) केस्ती नहर (94.4 किलो-मीटर लम्बी)	3582 हजार घन मीटर	54 हजार घन मीटर

दक्षिण तट नहर, सिहरवाल नहर, टंडर लिफ्ट नहर तथा गढ़ लिफ्ट नहर पर निर्माण-कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है।

तिलैया-ढाडर मोड़ परियोजना

1235. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग जिले (बिहार) में स्थित तिलैया बांध से तिलैया-ढडर मोड़ परियोजना बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो सूखे की संभावना वाले क्षेत्र, हजारी बाग की, 34 किलोमीटर लम्बी "टटल" से पानी लेकर और उस पर करोड़ों रुपये बर्बाद करके, उपेक्षा करना कहां तक उचित है ; और

(ख) क्या हजारी बाग जिले के चम्पारण, बाढ़ी, कोडरमा, जय नगर तथा अन्य ब्लाकों में लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिए इस योजना को पुनरीक्षित किया जाएगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बिहार की प्रस्तावित तिलैया-ढाडर व्यपवर्तन स्कीम में दामोदर घाटी निगम के वर्तमान तिलैया जलाशय से 247 मिलियन घन मीटर (2 लाख एकड़ फुट) जल को, 5.16 कि० मी० लम्बे खुले जलमार्ग और 9.4 कि० मी० लम्बी घोड़े के नस्ल के आकार वाली सुरंग और उसके बाद 1.0 कि० मी० लम्बी लिंक नहर के जरिए गंगा बेसिन में ढाडर नदी में व्यपवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। व्यपवर्तित जल को ढाडर नदी पर 1.5 मीटर ऊंचे और 118 मीटर लम्बे एक वीयर पर उठाने का प्रस्ताव है, जहा से बिहार के गया और नवादन के सूखा प्रवण जिलों में प्रतिवर्ष 31,-700 हैक्टेयर (79.200 एकड़) क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए दोनों ओर से एक-एक नहर निकलती है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 46.74 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले, उनकी सलाहकार समिति द्वारा अभी इसे स्वीकृत किया जाना है।

बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है जिसमें हजारी बाग जिले के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस स्कीम में कोई संशोधन करने का सुझाव दिया सया हो।

नालन्दा जिले का कृषि उद्योगों की स्थापना के लिए चयन

1236. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि उद्योग की स्थापना के लिए अन्य जिलों में से नालन्दा जिले (बिहार) का भी चयन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त उद्योग का विकास करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं और कितना आवंटन किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) तथा (ख) नालन्दा जिला खास तौर से कृषि उद्योगों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार की किसी योजना के तहत नहीं चुना गया है। तथापि, यह बहुत छोटे तथा लघु क्षेत्रों में ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के सम्बर्धन के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत लाया गया है।

विदेशों के ऐजेंटों द्वारा एशियाड की टिकटों का वापस किया जाना

1237. **डा० बसंत कुमार पंडित** :

श्री पीयूस तिरकी : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम एशियाई खेल 82 को विदेशों में बिक्री हेतु टिकटें कुछ विशेष एजेंसियों को आवंटित की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं, उनमें से प्रत्येक को कितनी और कुल कितने मूल्य की ऐसी टिकटें दी गई ;

(ग) क्या विदेशों में बिक्री हेतु उपरोक्त टिकटों में से कुछ टिकटें एजेंटों द्वारा बिना बेचे ही वापस कर दी गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो बिना बिक्री टिकटों की संख्या कितनी है, उनका कुल मूल्य कितना है और प्रत्येक एजेंट द्वारा किस-किस तारीख को वापस की गई ;

(ङ) विदेशों में बहुत सी बिना बिक्री टिकटें वापस किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या एशियाड की टिकटों को विदेशों में बेचने के लिए नियुक्त एजेंटों को कोई कमीशन अदा किया गया था, उनका एजेंटवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बाहर देशों में टिकटों की बिक्री का कार्य नीचे दिया दिए गए ब्यौरों अनुसार एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस को सौंपा गया था :—

एजेंसी	आबंटित टिकटे	
	संख्या	मूल्य
1. एयर इंडिया	43,280	1,19,980 अमरीकी डालर
2. इंडियन एयर लाइंस	9,380	26.550 अमरीकी डालर
	52,660	1,46,530

(ग) और (घ) बिना बिक्री टिकटों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

एजेंसी	बिना बिक्री टिकटें	
	संख्या	मूल्य
1. एयर इंडिया	30,380	70,560 अमरीकी डालर
2. इंडियन एयर लाइंस	3,976	10,883 अमरीकी डालर
	34,356	81,443 अमरीकी डालर

इन एजेंसियों से बिना बिक्री टिकटों के बारे में सूचना नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति को खेल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई है। यह सूचना प्राप्त होने पर विशेष आयोजन समिति ने बचे हुए स्थानों के लिए भारत में टिकटों की बिक्री की, इसके परिणाम स्वरूप विदेशों में बेची जाने वाली टिकटों में से कुछ बिना बिक्री रह गयीं। विशेष आयोजन समिति एजेंटों से लेखों के मिलान के बाद टिकटें वापस लेगी।

(ङ) बाहर के देशों में इन टिकटों की मांग का अभाव।

(च) टिकटों की बिक्री के लिए कोई कमीशन नहीं दिया गया।

आन्ध्र प्रदेश को सप्लाई किया गया गेहूं

1238. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को सप्लाई किये जाने वाले गेहूं के कोटे में वृद्धि कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी हां। 1982 के दौरान आन्ध्र प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन को सितम्बर के 6,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अक्तूबर में 9,000 मीटरी टन, नवम्बर के 11,000 मीटरी टन से बढ़ाकर दिसम्बर में 21,000 मीटरी टन कर दिया गया था और आवंटन के इस बढ़े हुए स्तर को तब से बनाए रखा जा रहा है।

सैक्टर-1 आर० के० पुरम में भूमि का विकास

1239. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री सैक्टर-1, रामकृष्ण पुरम, नयी दिल्ली में भूमि के विकाक के बारे में 30 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55-79 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को विकास हेतु हाल ही में भूमि सौंपी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली नगर निगम को भूमि कब तक सौंपे जाने की संभावना है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण से पुनर्ग्रहण के बाद इस भूमि को 5-11-82 को दिल्ली नगर निनम को सौंपने का प्रस्ताव किया गया, परन्तु ऐसा नही किया जा सका क्योंकि वास्तविक सर्वेक्षण पर यह पता चला कि आवंटित प्लाट के आकार में तथा स्थल में कुल भिन्नता है। वास्तविक क्षेत्र का कब्जा शीघ्र ही दिल्ली नगर निगम को देने के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय को निर्देश दिये गये हैं।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आधुनिकीकरण योजनाओं को मंजूरी देना

1240. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को सिंचाई के आधुनिकीकरण के लिये कुछ योजनाएं मंजूरी हेतु प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आधुनिकीकरण की 38 योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इनसे 16.1 लाख हैक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई सुविधा मिलेगी ; और

(घ) केन्द्र की मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई 38 आधुनिकीकरण स्कीमों में से, 7 स्कीमें कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन 7 स्कीमों से 0.53 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

(घ) बिभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्ताविक आधुनिकीकरण स्कीमों में पेचीदा तकनीकी मुद्दे तथा प्रचुर परिव्यय अन्तर्गस्त होते हैं और इसलिए, उन्हें योजना द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व, केन्द्रीय जल आयोग की उनकी विस्तृत तकनीकी जांच करनी होती है। स्वीकृति में लगने वाला समय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों की प्रकृति और संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे जाने की गति पर निर्भर करता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1981

1241. **श्री मूलचंद डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को क्रियान्वित करने के लिये हाल ही में एक सितम्बर, 1982 को अधिसूचित किया गया है ;

(ख) क्या चोर बाजारी की रोकथाम तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखना अधिनियम, 1980 को हाल ही में बनाना गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन कानूनों के अन्तर्गत पृथक-पृथक दायर किए गए मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(घ) इन कानूनों के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उनके अंतर्गत कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 19-19-82 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, दादरा व नागर हवेली, लक्ष द्वीप द्वीप-समूह तथा मिजोरम के केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर) में अधिसूचित किया गया है। चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय आध्यादेश अक्तूबर 1979 में प्रख्यापित किया गया था और बाद में फरवरी, 1980 में इसे संसद के अधिनियम का रूप दिया गया था। चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत, इस अधिनियम के जारी किए जाने की तरीख से लेकर 15-2-83 तक जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश जारी किएं गए उनके बारे में की गई कार्रवाई तथा जिन्हें रिह आदि किया गया गया उनकी संख्या के बारे में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत की गई कार्रवाई के व्यौरे का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

चोरी बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, इस अधिनियम के जारी किए जाने की तारीख से लेकर 15-2-83 तक जिन व्यक्तियों की नजरबंदी के आदेश जारी किए गए तथा जिन्हें रिहा आदि किया गया, उनकी संख्या के बारे में राज्यवार सूचना।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या जिनके की नजरबंदी के आदेश दिए गए	व्यक्तियों की संख्या, जिनकी रिहाई आदेश दिए गए: राज्य सरकरा के आदेशों पर	सलाहकार मडल की राय पर	न्यायालय के आदेश पर	नजरबंरी की अवधि पूरी होने पर	फरार	नजरबंदी
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	19	1	3	12	पि०(3)*	—	शून्य
असम	1	1	—	—	—	—	शून्य
बिहार	34	—	9	4	5 पि०(5)*	9	2
गुजरारत	126	14	53	45	3	3	8
हिमाचल प्रदेश	4	4	—	—	—	—	शून्य
कर्नाटक	58	22	7	27	1	1	शून्य
मध्य प्रदेश	79	12	9	15	11 पि०(13)*	13	6
महाराष्ट्र	65	1	8	30	22	—	4
उड़ीसा	28	12	10	1	2 पि०(1)*	—	2
पंजाब	14	—	—	4	10	—	शून्य
राजस्थान	5	—	1	1	3	—	शून्य
उत्तर प्रदेश	147	45	32	23	28	14	5
अरुणाचल प्रदेश	1	—	1	—	—	—	शून्य
दिल्ली	18	8	9	1	—	—	शून्य
योग	599	120	142	163	85 पी०(22)*	40	27

(*कोष्ठक में दिये गये आंकड़े उन व्यक्यिों के हैं, जिन्हें उक्त तारीख से छः महीने अथवा उससे काफी पहले नजरबंद किया गया था तथा जिन्हें अब तक रिहा कर दिया गया होगा, लेकिन जिनके रिहा किए जाने के बारे में संबंधित राज्य सरकार से ब्यौरा अभी तक प्राप्त नही हुआ है।)

सहकारी क्षेत्र में मकानों का निर्माण

1242. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में मकानों का निर्माण तेजी से करने और उसे प्रोत्साहन देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार सभी पंजीकृत सहकारी समितियों को भूमि आवंटित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अनुसार ऐसा समितियों की संख्या 35000 होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग), (घ) और (ङ) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों और उनके अधिकरणों द्वारा सहकारी आवास समतियों को भूमि आबंटित की जाती है। तथापि, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आवास निजी पर गठित कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि सहकारी आवास समितियों के लिए पूर्वनिर्धारित दरों पर भूमि उद्दिष्ट की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ।

मछुओं के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि

1243. **श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मछुआ एसोसियेशन ने मछुओं के लिये राष्ट्रीय कल्याण निधि का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव किया गया है कि समुद्री मत्स्य की उत्पादों के निर्यात से अर्जित की गई कुल

विदेशी मुद्रा पर न्यूनतम 10 प्रतिशत उपकर लगाया जाए ताकि मछुओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण कोष का सृजन किया जा सके।

(ग) इससे पहले केन्द्रीय, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि गैर संगठित क्षेत्र जिसमें मत्स्यकी क्षेत्र भी शामिल है, के विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याण कोष की स्थापना हेतु राज्य और संघ शासित क्षेत्र उपयुक्त उपाय करेंगे।

इस समय मछुओं के लिए कोई राष्ट्रीय कल्याण कोष नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने हाल में मछुओं के कल्याण के लिए दो योंजानाएं चलाई हैं जो ये हैं :— (1) कार्यशील मछुओं के लिए सामूहिक बीमा पर राज सहायता देना, (2) मछुआ समुदाय का तकनीकी-सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना।

खाद्य तथा पेय पदार्थों के स्तर में विषमताएं

1244. **श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1955 'के० पी० एफ० ए०' नियमों तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 और भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित स्तरों के बीच खाद्य तथा पेय पदार्थों के संबंध में विद्यमान विषभताओं की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसे हटाने तथा भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारि गुणवत्ता स्तरों को स्वैच्छिक तथा अप्रभावी रहने देने के बजाए सांविधिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के अंतर्गत खाद्य और पेय पदार्थों के लिए नियम किए गए मानक भारतीय मानक संस्था द्वारा इन वस्तुओं के लिए तैयार किए गए मानकों से भिन हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि इन दो किस्मों के मानकों का उद्देश्य अगल-अलग हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में नियत किए गए मानकों का उद्देश्य मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य तथा पेय पदार्थों से मानव उपयोग के लिए उपयुक्त खाद्य और पेय पदार्थों को अलग करना है। दूसरी ओर भारतीय मानक संख्या द्वारा तैयार किए गए मानकों का उद्देश्य मूलतः उद्योग द्वारा विनिर्मित खाद्य तथा पेय पदार्थों की किस्म को सुधारना है और उनमें गुणवत्ता के आधार पर एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न ग्रेड हैं। भारतीय मानक संख्या के मानकों में रखे गए न्यूनयम ग्रेड, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित विशिष्टियों से कम नहीं हैं। मानकों की ये दोनों किस्में तत्वतः एक दूसरे की पूरक हैं।

(ख) मानकों की इन दोनों किस्मों में उपयुक्य तालमेल स्थापित करने के लिए, भारतीय मानक संस्था के प्रतिनिधियों को खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों से संबंधित इसकी सभी उप समितियों में शामिल किया जाता है। दूसरी ओर, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के प्रतिनिधि भारतीय मानक संस्था की खाद्य तथा पेय पदार्थों के बारे में कार्य-वाही करने वाली सभी समितियों में शामिल किए जाते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के तहत कोलतार खाद्य रंगों तथा फूड ग्रेड टाइटेनियम डाइआक्साइड के लिए भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न अनिवार्य है। इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत दूध से बने पदार्थों, खाद्य रंगों तथा खाद्य ज्यों के लिए भारतीय मानक संस्था का प्रभाणन चिह्न अनिवार्य करने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

समुद्री जीव संसाधनों का उपयोग

1245. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री बी० जी० सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सन् 2000 में जब जनसंख्या में वृद्धि की वर्तमान दर से भारतीय नगर अधिक जनसंख्या वाले तथा परिस्थिति विज्ञान की दृष्टि से असंतुलित हो जाएंगे खाद्य समस्या से निपटने के लिए समुद्री जीव संसाधनों के उपयोग के लिए अब तक क्या प्रयत्न किए हैं ; और

(ख) क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) चार्टर, संयुक्त उद्योग, आयात एवं स्वदेशी निर्माण के जरिए गहरे समुद्रीमत्स्यन बेड़े को बढ़ाना ;

(2) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से गहरे समुद्री मत्स्यन जलयानों की खरीद के लिए उदार ऋण की व्यवस्था तथा स्वदेशी निर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता देना।

(3) जीवंत स्रोतों का अधिकतम सर्वेक्षण तथा चचालक प्रशिक्षण ;

(4) उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित वृहत एवं लघु मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना।

(5) भारतीय समुद्री जल क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 को लागू करके विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन।

(ख) उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

(1) भारतीय सागर से मत्स्यन स्रोतों का उपयोग करने के लिए चार्टर द्वारा 48 गहरे समुद्री जलयान, आयात द्वारा 53 जलयान तथा स्वदेशी निर्माण से 15 जलयान लगाए गए हैं।

(2) 20 जलयान प्राप्त करने के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति ने 10 कम्पनियों को कुल लगभग 264 लाख रुपए के ऋण से वितरित किए हैं।

(3) तटीय समुद्र में 1700 से अधिक यंत्रीकृत नौकाएं कार्यरत हैं।

(4) मात्स्यकी स्रोतों का पता लगाने के लिए एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है और 1981 तक 1669 मत्स्य प्रचालकों को प्रशिक्षित किया गया।

(5) पत्तन, मत्स्यन जलयानों एवं पोतों को ठहराने एवं माल उतारने की सुविधाएं देने के लिए समुद्र तट पर लगभग 90 स्थानों को विकसित किया गया है।

(6) राज्यों द्वारा भेजे गए उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार 1980 में पकड़ी गई समुद्री मछली की यात्रा बढ़कर 15.55 लाख मीटरी टन हो गई जबकि 1961 में यह 6.84 लाख मीटरी टन थी।

एशियाड के दौरान स्टेडियम में अप्पू को लाया जाना

1246. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री राम किंकर : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 82 के दौरान शुभंकर अप्पू को जिसका आरम्भ से अंत तक प्रचार किया गया था स्टेडियम में न लाए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार आरम्भ से ही अप्पू को स्टेडियम में लाना नहीं चाहती थी तथा यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की स्थिति क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उनके लिए कौन जिम्मेदार हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फूल से बनाए गए अप्पू का तीन विमितीय मॉडल, स्टेडियम में उद्घाटन तथा समापन समारोहों में प्रस्तुत किया गया था, जैसे कि इस संबंध में पहले ही योजना बनाई गई थी।

(ख) (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाओं का प्रावधान

1247. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए विभिन्न राज्यों में कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं कौन सी हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों में उनमें से कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा के किन जिलों को लाया गया है ;

(ङ) चालू योजना में अब तक उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कितने गांवों को पेय जल की पूर्ति की जाती है ; और

(च) छठी योजना के अंत तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्त सरकारों को पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए, उनके संसाधनों को बढ़ाने हेतु अनुदान दिये जाते हैं। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत, नल-जल पूर्ति, हैण्ड पम्प सहित नलकूप इत्यादि जैसी उचित जल पूर्ति योजनायें क्रियान्वित की जाती हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में योजनाओं की संख्या तथा इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये गये ग्रामों की संख्या के उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण एक में दिये गये हैं ।

(घ) तथा (ङ) यह सूचना संलग्न विवरण दो में दी गई है

(च) केन्द्र तथा राज्य परियोजनाओं में उपलब्ध निधियों से छठी योजनावधि के अन्त तक 1-4-80 की स्थिति के अनुसार 23,616 समस्याग्रस्त ग्रामों को कम से कम एक स्वच्छ जल स्रोत उपलब्ध करा कर जल मुहैया कराने के प्रयास किए जायेंगे

विवरण

18-2-83 की स्थिति के अनुसार, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी स्थापना से 1977-78 के दौरान अनुमोदित योजनाओं की स्थिति

नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित ग्रामों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1595
2.	असम	1173
3.	बिहार	1968
4.	गुजरात	1389
5.	हरियाणा	627
6.	हिमाचल प्रदेश	3428
7.	जम्मू और काश्मीर	1289
8.	कर्नाटक	5668
9.	केरल	724
10.	मध्य प्रदेश	9711
11.	महाराष्ट्र	2602
12.	मणिपुर	197
13.	मेघालय	332
14.	नागालैण्ड	158
15.	उड़ीसा	7032
16.	पंजाब	566
17.	राजस्थल	8970
18.	सिक्किम	195
19.	तमिलनाडु	3473
20.	त्रिपुरा	1205
21.	उत्तर प्रदेश	9597

1	2	3
22.	पश्चिमी बंगाल	917 पाइप जल पूर्ति योजना 2372 ट्यूब बैल हैंड पम्प योजना
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15
24.	अरुणाचल प्रदेश	126
25.	चण्डीगढ़	
27.	दादर और नागर हवेली	
28.	गोबा, दमन और द्वीव	20
29.	लक्षद्वीप	
30.	मिजोरम	
31.	पांडिचेरी	73

विवरण-दो

उड़ीसा राज्य में त्वारित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या

जिले का नाम	वर्ष के दौरान लाभान्वित किये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या		
	1980-81	1981-82	1982-83 (सितम्बर-82 तक)
1. कटक	90	283	51
2. पुरी	97	194	85
3. बालासोर	216	344	88
4. गंजम	27	61	41
5. फुलबानी	19	86	13
6. सम्बलपुर	140	87	74
7. बोलनगीर	56	84	26

1	2	3	4
8. कालाहण्डी	32	53	—
9. सुन्दरगई	49	53	13
10. क्योन झार	38	78	30
11. धेनकनाल	35	75	17
12. कोरापुट	9	52	33
13. मयूरभंज	50	52	14
योग	858	1502	485

सुचारू वसूली कार्य के लिए खाद्यान्न को निर्बाध ढुलाई पर प्रतिबन्ध

1248. **श्री बालकृष्णन वासनिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने आगामी रबी फसल सत्र में अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने का केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत सरकार के पास अब तक इस बारे में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में रबी विपणन मौसम 1983-84 के लिए सरकार की नीति को राज्य सरकारों की राय, यदि कोई दी गई, सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

1983, 1984 और 1975 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के जिलों को ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय नियतन ।

1249. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983, 1984 और 1985 के लिए आन्ध्र प्रदेश के विशाखा पटनम, श्री काकुलम और विजी अंगनम जिलों के लिए ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापटनम, श्रीकाकुलम तथा विजयानगरम जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे इस मन्त्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ताष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। छठी योजना प्रलेख में यह व्यवस्था की गई है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां देने का मानदण्ड योजना के अन्तिम तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रतिखंड 8 लाख रुपये की दर से होगा। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मन्त्रालय द्वारा राज्यवार आबंटन किए जा रहे हैं और वास्तविक जिलावार आबंटन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार दिए जा रहे हैं।

रावी-व्यास समस्या का हल

1250. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का अन्तर्राज्यीय रावी-व्यास जल समस्या पर कोई हल ढूंढने से पूर्व राजस्थान के मुख्य मन्त्री से परामर्श और विचार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) रावी-व्यास के अधिशेष जल के बटवारे के सम्बन्ध में राज्यों के बीच करार स्वयं किए गए थे और इस प्रकार, पुनरीक्षण के लिए किसी प्रस्ताव के मामले में, राजस्थान सहित, सम्बन्धित राज्यों से परामर्श किया जाएगा।

हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में प्रति व्यक्ति मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा

1251. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त बिक्री के लिए तथा राशन कार्डों पर वितरण के लिए हरियाणा पंजाब तथा दिल्ली को कितना मासिक कोटा आवंटित किया जा रहा है तथा इसके आवंटन का आधार क्या है;

(ख) क्या राशन कार्डों पर चीनी के वितरण का हरियाणा में प्रति व्यक्ति कोटा 400 ग्राम प्रतिमास है जबकि दिल्ली में यह 1 किलो है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भिन्नता के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्यों/संघ शाशित प्रदेशों को मुक्त बिक्री की चीनी का कोई आबंटन नहीं किया जाता है और राशन के कार्डों पर वितरित करने के लिए प्रत्येक मास केवल लेवी चीनी का ही आबंटन किया जाता है। 1981 की जनगणना के अनुसार 1-3-1981 को जन संख्या के लिए 425 प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल, 1982 से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का पुन-निर्धारण किया गया था। तथापि, दिल्ली सहित कुछेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जहां पर अतीत के कोटों में से प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 425 ग्राम से अधिक पाया गया था, के मामले में उनके कोटों को घटाने की बजाए उन्हें अतीत के स्तर पर रखा गया है। तदनुसार हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को क्रमश: 5462 मी० टन, 7085 मी० टन और 6104 मी० टन लेवी चीनी के मासिक कोटे आवटित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) पहली मार्च, 1981 के बाद जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के लेबी चीनी के मासिक कोटों में से प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम के कम है और इसलिए इन राज्य सरकारों ने राज्य में कुल राशन यूनिटों के आधार पर लेवी चीनी की वितरण की वर्तमान मात्रा 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास है। तथापि, क्योंकि ऊपर (क) में उल्लिखित कारणों से दिल्ली का मासिक कोटा अधिक है इसलिए दिल्ली प्रशासन के लिए 900 ग्राम प्रति यूनिट प्रति मास की मात्रा के हिसाब से लेवी चीनी वितरित करना सम्भव है।

पीतमपुरा के विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में शिकायतें

1252. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा रैजीडेण्टस एसोसियेशन ने पीतमपुरा क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की शिकायत थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि शिकायतें पीतमपुरा क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में हैं। शिकायतों के ब्यौरे और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

शिकायतों का विवरण		की गई कार्रवाई
1. **पेय जल**	निबासियों को अलग-अलग पानी के कनैक्शन न देना	पानी की लाइनें बिछाने का काम शीघ्रपूर्ण हो जाएगा और इसके बाद निवासियों को अलग-अलग पानी के कनैक्शन दिए जाएंगे।

1	2	3	4
2.	**मल-निर्यास**	डिस्ट्रिक पार्क के सामने मल निर्यास की मुख्य लाइन बिछाने के काम की धीमी प्रगति व्यक्तिगत कनैक्शन देने में विलम्ब	मल निर्यास की मुख्य लाइन बिछाने का काम इस वर्ष के मध्य तक शीघ्र पूरा हो जाएगा । अलग-अलग सीवर कनैक्शन नियमित रूप से दिया जा रहा है ।
3.	**सड़कें**	सड़कों की मरम्मत और कुछ ब्लाकों में नई सड़कों का निर्माण	सड़क की मरम्मत का काम पहले ही पूरा हो गया है । नई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष के मध्य तक पूर्ण होने की संभावना है ।
4.	**साइन बोर्ड**	पीतमपुरा (यू) में साइन बोर्ड न लगाना	साइन बोर्ड शीघ्र लगा दिए जाएंगे ।
5.	**विपणन केन्द्र**	पीतमपुरा (यू) में कोई विपणन केन्द्र नहीं हैं ।	पीतमपुरा (यू) के ब्लाक "एस" में विपणन केन्द्र का निर्माण पूरा हो गयाहै ।
6.	**स्कूलों के लिए स्थल**	स्कूल के लिए स्थलों का निर्धारण कर दिया गया है किन्तु दिल्ली प्रशासन को इसका कब्जा नहीं दिया गया है ।	आवश्यक कार्यवाई की जा रही है ।

विकास कार्यों के लिए पीपल्स फार डेवलपमेंट, इंडिया (पाडी) द्वारा प्राप्त सहायता

1253. **श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (इंडिया) विकास कार्यकलापों के लिए सहायता प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो बर्षों के दौरान किस प्रकार की सहायता प्राप्त की गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सम्बन्धित अवधि के दौरान विदेशों से दान के रूप में निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई है :—

1981	30, 33, 549.25 रुपये
1982	6, 91, 685.00 रुपये

रबी की फसल की संभावनाएं

1254. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि रबी की फसल में अधिक वृद्धि होने की आशा है (टाइम्स आफ इंडिया—6-1-1983)

(ख) यदि हां, तो गेहूं का आयात करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को भंडारण में काफी हानि होने की आशंका है तथा क्या यही कारण है कि सुरक्षात्मक उपायों के लिये आयात का निर्णय लिया गया है ;

(घ) क्या सरकार को यह भी आशंका है गेहूं के ऐसे बीज के उपयोग तथा व्यापक रूप में आरम्भ करने जिससे करनाल बैट बीमारी का डर है जिस विषय में वैज्ञानिकों ने भी दी थी, भविष्य में उपज में कमी की संभावना है ; और

(ङ) क्या सरकार ने अपने अनुसंधान तंत्र का पुनर्गठन जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोग प्रतिरोधन और खाद्यान्न भंडारण आदि समस्याओं पर जोर-शोर से ध्यान दिया जा सके और करनाल बन्ट और कोकोनर विल्ट जैसे रोगों के सम्बन्ध में, जो हमारा खराब रिकार्ड है, उस प्रकार की स्थित न हो ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981-82 की तुलना में 1982-83 में रबी की फसल के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) और (ग) देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बफर स्टाक बनाने के लिए आयात की व्यवस्था की गई है। सरकार को भण्डारण में बड़े पैमाने पर हानि की आशंका नहीं है।

(घ) गेहूं के ऐसे बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है जो करनल बंट वीमारी से संवेदनशील हैं। फिर भी, सरकार इस पर नियंत्रण रखने के लिए कदम उठा रही है बीज की किस्म के अलावा पैदाबार कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे वर्षा और मौसम संबंधी

स्थितियां, भूमि का उपजाऊपन, उर्वरकों का उपयोग और खेती करने के वैज्ञानिक तरीके इत्यादि ?

(ङ) बीमारी को सहने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और भण्डारण वैज्ञानिक तरीके अपना कर भण्डारण को हानियों की भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न।

1255. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 (आज तक) (राज्य-वार) कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया ;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित खाद्यान्न का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किस सीमा तक उपयोग किया गया तथा आवंटन का उपयोग न किए जाने के संपूर्ण काराण बतायें ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित खाद्यान्न को राज्य सरकार यदि कोई हो तो कितना खाद्यान्न अन्य कार्यक्रमों के लिए भेजा गया तथा उसके कारण बतायें एवं उसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों तथा उपयोग में लाई गई खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाले एक **विवरण** संलग्न है। आम तौर पर, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी तीसरी तिमाही से आती है तथा संसाधनों का अधिकांश उपयोग वित्तीय वर्ष की आखिरी दो तिमाहियों में होता है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों का अन्य कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब भी ऐसे कोई विशिष्ट मामले सूचित किए जाते हैं, उन्हें सदैव संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान बंटित, पुनर्वेधीकृत खाद्यान्नों तथा उनके उपयोग (अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार) को दर्शाने वाला विवरण।

(आँकड़े मीटरी टनों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1982-83 में उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों की मात्रा	उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा	अवधि जिससे कालम-4 की सूचना संबंधित है।
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21,781.00	10,080.00	सितम्बर, 82
2.	असम	4,300.00	शून्य	सितम्बर, 82
3.	बिहार	44,200.00	12,554.30	दिसम्बर, 82
4.	गुजरात	9,911.00	6,373.00	जनवरी, 83
5.	हरियाणा	1,150.00	794.80	सितम्बर, 82
6.	हिमाचल प्रदेश	2'389.00	243.00	अक्तूबर, 82
7.	जम्मू व काश्मीर	1,690.00	170.00	नवम्बर, 82
8.	कर्नाटक	10,600,00	1,391.48	नवम्बर, 82
9.	केरल	8,600.00	77.41	अक्तूबर, 82
10.	मध्य प्रदेश	15,435.00	शून्य	सितम्बर, 82
11.	महाराष्ट्र	40,750.00	शून्य	दिसम्बर, 82
12.	मणिपुर	150.00	36.80	दिसम्बर ,82
13.	मेघालय	140.00	शून्य	जुलाई, 82
14.	नागालैंड	150.00	शून्य	सितम्बर, 82
15.	उड़ीसा	18,035.00	8,064.80	अक्तूबर, 82
16.	पंजाब	1,680.00	279.13	दिसम्बर, 82
17.	राजस्थान	9,160.00	1,848.76	नवम्बर, 83
18.	सिक्किम	222.00	100.44	जनवरी, 82

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	24,600.00	17,658.00	दिसम्बर, 82
20.	त्रिपुरा	960.00	1,180.00	सितम्बर, 82
21.	उत्तर प्रदेश	40,670.00	शून्य	दिसम्बर, 82
22.	पश्चिमी बंगाल	37,795.00	91,558.00	नवम्बर, 82
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	405.00	71.88	नवम्बर, 82
24.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	—	सितम्बर, 82
25.	चण्डीगढ़	24.00	—	अगस्त, 82
26.	दादरा व नागर हवेली	87.00	—	सितम्बर, 82
27.	दिल्ली	20.00	—	—
28.	गोवा, दमन व दिव	150.00	—	सितम्बर, 82
29.	लक्ष द्वीप	30.00	—	नवम्बर, 82
30.	मिजोरम	233.00	—	अक्तूबर, 82
31.	पांडिचेरी	261.00	104.07	दिसम्बर, 82
	योग	2,75,978.00	83,551.42	

रावी-व्यास समस्या का हल

1256. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का अन्तर्राज्यीय रावी-व्यास जल समस्या पर कोई हल ढूंढ़ने से पूर्व राजस्थान के मुख्य मन्त्री से परामर्श और विचार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्वन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) रावी-व्यास के अधिवेशन जल के बटवारे के संबंध में राज्यों के बीच करार स्वयं किए गए थे और इस प्रकार, पुनरीक्षण के लिए किसी प्रस्ताव के मामले में, राजस्थान सहित, संबंधित राज्यों से परामर्श किया जाएगा।

नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के पदों को भरा जाना

1257. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल विकास बोर्ड के अधिकारियों और गैर-अधिकारियों वर्ग के सदस्यों के रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके कारण बोर्ड के लिए कार्यकारी समिति का निर्वाचन नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) नारियल विकास बोर्ड पहले ही गठित किया गया है, इसमें 16 सदस्य हैं । शेष सदस्यों के नामांकन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) नारियल विकास बोर्ड की वर्तमान सदस्यता के आधार पर बोर्ड द्वारा कार्यकारी समिति गठित की जा सकती है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष को आवश्यक निदेश दे गए हैं ।

वन-नीति का संशोधन

1258. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि यदि वर्तमान गति से वनों का काटा जाना जारी रहता है तथा शीघ्र ही व्यापक पैमाने पर वनरोपण शुरू नहीं किया जाता है, तो इस शताब्दी के अन्त तक भारत में कोई वन बचा नहीं रह जाएगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था करके वास्तविक आधार पर वर्तमान वन-नीति को संशोधित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ख) सरकार वनों को निर्वनीकरण से बचाने तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने के महत्व के बारे में जागरूक है । इस दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ये हैं :—

(1) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लागू किया गया ताकि किसी भी वन भूमि को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-वन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल न किया जा सके । इस अधिनियम के परिणामस्वरू, जब से यह अधिनियम पास किया गया है वर्ष 1951 से 80 के

बीच निर्वनिकरण की दर 1.5 लाख हैक्टार प्रति वर्ष से घटकर लगभग 3500 हैक्टार प्रतिवर्ष हो गई है।

(2) वृक्षारोपण कार्यक्रम में तेजी लाई गई है।

वानिकी विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 692.48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पांचवीं योजना में केवल 235.78 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। पांचवीं योजना के 12.21 लाख हैक्टार क्षेत्र के मुकाबले छठी योजना के दौरान कुल पौधरोपण का लक्ष्य 21.47 लाख हैक्टार है।

कृषि नाशी खरपतवार नाशी तथा कीटनाशी और कीटनाशी औषधियों का अन्धाधुन्ध उपयोग

1259. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के रूप में रसायनों अथवा कृषि नाशी खरपतवार नाशी तथा कीटनाशी औषधियों का अन्धाधुन्ध उपयोग हानिकारक सिद्ध हुआ है ;

(ख) हानिकारक प्रभाव के बारे में अनुसंधान करने वाली संस्थायें कौन-कौन-सी हैं; और

(ग) उपरोक्त के संबंध में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकारी सूचना के अनुसार देश में उर्वकों, कृमि-नाशी, खरपतवार नाशी या कीटनाशी औषधियों का कोई अन्धाधुन्ध उपयोग नहीं होता है।

(ख) कृमिनाशी के हानिकारक प्रभाव के बारे में अनुसंधान करने वाली मुख्य संस्थाएं निम्नलिखित हैं :—

1. हाफकिन संस्थान, बम्बई।
2. औद्योगिक विष वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
3. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद।
4. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
5. अखिल भारतीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता।
6. कुछ कृमिनाशी औषधियों के विनिर्माताओं द्वारा स्थापित अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं।

कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उर्वरकों और खादों से भूगत जल में एन-आइओन्स के होने के बारे में प्रथक अध्ययन किए गए हैं।

(ग) जहां राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई करने के लिए समुचित प्रावधान है वहां कृमि-नाशी औषधियों के अन्धाधुन्ध उपयोग को रोकने के लिए कीटनाशी औषधी अधिनियम 1968 और कीटनाशी औषधी नियम 1971 लागू किए गए है। इसी प्रकार कृमिनाशी औषधियों के विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे लेबल तथा उसके साथ में भेजे जाने वाले साहित्य पर अधिक जहरीले और कम जहरीले के लिए क्रमशः लाल रंग और हरे रंग के त्रिकोण का संकेत दें। उपयोग के लिए उचित निर्देश, घातकता और उपचार के लक्षणों के साथ-साथ चेतावनी और सावधानी सकेत भी प्रकाशित किए जाते हैं। विस्तार कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य सरकारें सुरक्षात्मक वस्त्र और युक्तियां सहित कृमिनाशी औषधियों के सुरक्षित संभाल में किसानों की प्रशिक्षण देती हैं।

एशियाई खेलों पर हुआ खर्च तथा उनसे प्राप्त राशि

1560. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1982 में एशियाई खेलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) टिकटों की बिक्री और अन्य साधनों से कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ग) सरकार अथवा दिल्ली महानगरीय प्राधिकार और गैर-सरकारी अधिकरणों द्वारा तरण-तालों, खेल के मैदानों आदि पर कितनी धन-राशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेल विभाग में 1982 के एशियाई खेलों का व्यय नवम्बर, 1982 में 2.80 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था।

(ख) विशेष आयोजन समिति के अनुसार 31-1-1983 तक टिकटों की बिक्री तथा अन्य स्रोतों से 5.84 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

(ग) इस समय उपलब्ध संकेतों के अनुसार, एशियाई खेल, 1982 के लिए स्टेडियमों आदि से निर्माण पर कुल सरकारी व्यय लगभग 45 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें तालकटोरा तरण ताल और इन्डोर स्टेडियम तथा राजघाट खेल परिसर के निर्माण के लिए सरकार का अंशदान भी शामिल है। सरकार को एशियाड निर्माण परियोजनाओं पर दिल्ली महानगर प्राधिकरण अथवा अन्य प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में एकत्रित की जाने वाली राशि

1261. **श्री रवीन्द्र वर्मा** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने पर एक बड़ी राशि की वसूली बकाया है ;

(ख) यरि हां, तो वह राशि कितनी है और कब से बकाया पड़ी है ;

(ग) इस राशि को अविलम्ब वसूल किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 27.88 करोड़ रुपये जनवरी, 1981 से बकाया है और शेष राशि का एक बड़ा भाग 1982 के द्वितीयार्द्ध से बकाया है।

(ग) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम प्राधिकारी अपने ग्राहकों से उनपर शेष राशि की शीघ्र अदायगी के लिए नियमित रूप से अनुरोध कर रहे हैं। लीबिया में भारतीय उच्चायुक्त भी शीघ्र अदायगी के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहा है।

तमिलनाडु की चावल की मांग

1262. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु को चावल की आवश्यकता उसकी मांग पूरी करने में पर्याप्त है क्योंकि राज्य ने बच्चों को पौष्टिक आहार कार्यक्रम और विधवा तथा विकलांग व्यक्तियों सहित बूढ़े लोगों को मध्यान्ह काल भोजन कार्यक्रम आरम्भ किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : तमिलनाडु की सरकार ने सूचित किया है कि मानसून के असफल हो जाने के फलस्वरूप राज्य में चावल के उत्पादन पर काफी कुप्रभाव पड़ा है जिसके कारण खुले बाजार में चावल की उपलब्धता में कमी हुई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भार बढ़ा है। उन्होंने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल से फरवरी, 1983 और उसके बाद से 85,000 मीटरी टन चावल का आवंटन करने की मांग की है। तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, राज्य सरकारों के पास पहले से उपलब्ध स्टाक, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान मे रखकर किया जाता है। उपर्युक्त की दृष्टि में फिलहाल राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से चावल का आवंटन करना संभव नहीं हुआ है।

झाकम सिंचाई परियोजना

1263. **श्री जय नारायण रौत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झाकम सिंचाई परियोजना कब तक पूरी नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना के लिए अब कितना धन आवंटित किया गया है ।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) झाकम सिंचाई परियोजना है, जिसे योजना आयोग द्वारा 11.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1974 में अनुमोदित किया गया था ।

यह परियोजना निर्माण की अग्रिम अवस्था में है । मुख्य बांध को मार्च, 1985 तक पूर्ण किया जाना अनुसूचित है । दक्षिणी मुख्य नहर 23.76 किलोमीटर की कुल लम्बाई की तुलना में, 17.40 किलोमीटर की लम्बाई तक पूरी हो चुकी है और वाम मुख्य नहर 39.9 किलोमीटर की कुल लम्बाई की तुलना में, 14.0 किलोमीटर की लम्बाई तक पूरी हो चुकी है ।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के पूर्ण होने में देरी, भू-वैज्ञानिकों शैल-समूह पाए जाने के कारण, नींव में कठिनाइयां पेश आने के परिणामस्वरूप और पहले के वर्षों में धन अपर्याप्त उपलब्ध होने के कारण, जिससे लागतों में वृद्धि हुई है तथा सीमेंट आदि जैसी निर्माण सामग्रियों की कमी होने के कारण भी हुई है ।

43.00 करोड़ रुपए की संभावित संशोधित अनुमानित लागत की तुलना में, 1982-83 तक इस परियोजना पर पर कुल 24.49 करोड़ रुपए व्यय होंगे । योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा वर्ष 1988-84 के लिए 6.00 करोड़ रुपए की धनराशि की सिफारिश की गई है । वार्षिक योजना बजट में धनराशि का वास्तविक आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

एशियाई खेल आयोजित कराने में लगे कर्मचारी

1264. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल आयोजित कराने में कुल कितने कर्मचारी काम पर लगाए गए ;

(ख) उनका स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के रूप में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया और मापदंड अपनाया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने खेलों के पूरा होने के बाद अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौवें एशियाई खेलों की खेल आयोजन समिति (खे० आ० स०) द्वारा खेल आयोजित करने के लिए 1184 कर्मचारी वेतन आधार पर नियुक्त किए गए थे।

(ख) क्योंकि खेल आयोजन समिति एक अस्थायी स्वरूप की समिति है, अतः कोई कर्मचारी स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था।

(ग) खेल आयोजन समिति में नियुक्त स्टाफ तथा अधिकांश कर्मचारियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से उनके सेवा रिकार्डों के आधार पर लिया गया था। स्टाफ की कुछ कमी को पूरी करने के लिए स्टाफ सीधी भर्ती द्वारा भी नियुक्त किया गया था और ये नियुक्तियां परीक्षाओं/साक्षात्कारों के आधार पर आवश्यकता के अनुसार की गई थीं। ऐसी नियुक्तियां करते समय, सरकार में समान पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तरों को ध्यान में रखा गया था। ऐसी नियुक्तियां निर्धारित अवधि के लिए ही की गई थीं।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में इन्जीनियरों की पदोन्नति

1265. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जूनियर इन्जीनियरों तथा असिस्टेंट इंजीनियरों की पदोन्नति की है ;

(ख) क्या जूनियर इन्जीनियरों तथा असिस्टेंट इन्जीनियरों की पदोन्नति विचाराधीन है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय लोक निर्माण तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को अपने यहां खपा लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पदोन्नतियां, रिक्तियों की उपलब्धता तथा कार्य भार पर निर्भर करती है। तथापि, एक पैनल बना हुआ है और भाव पदोन्नतियां प्रशासनिक तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जायेंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कनिष्ठ अभियन्ता अपने कार्य सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण में आए और उन्हें दिल्ली प्राधिकरण की सेवा में समावेश कर लिया गया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड से प्रतिनियुक्तियां पर लिए गए कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके संगठन में कार्य-भार में कमी के फलस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण में उनका समावेशन कर दिया गया।

मत्स्य पत्तनों का विकास

1266. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 तक मत्स्य पत्तनों के विकास के लिए सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान समुद्र तटीय राज्य में निर्माण के लिए स्वीकृत मत्स्य पत्तनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र में कौन-कौन से मत्स्य पत्तन काम कर रहे हैं ; और

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र में और अधिक मत्स्य पत्तनों का निर्माण करने तथा कुछ मत्स्य पत्तनों के विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) बारह स्वतःपूर्ण मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण के प्रस्ताव 31 मार्च, 1982 को परिसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर थे।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धामरा स्थित लघु मत्स्यन बन्दरगाह तथा चांदीपुर स्थित लघु मत्स्यन जलयानों के लिए घाट की सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) उड़ीसा में अष्टरंग स्थित मत्स्यन बंदरगाह को ब्रिटेन से द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तावित किया गया हैं तथा उड़ीसा में पारादीप पर क्षेत्रीय जांच की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान तटीय राज्यों में निर्माण के लिए मंजूर किए गए मत्स्यन बंदरगाह/घाट संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा

मत्स्यन बंदरगाह/घाट के केन्द्र का नाम	राज्य	स्वीकृत लागत (लाख रुपए)	स्वीकृति की तिथि
1. लाफरावाद	गुजरात	13.92	जून, 1982
2. सलाया	,,	16.80	फरवरी, 1983

1	2	3	4	5
3.	पजायर	तमिलनाडु	67.32	सितम्बर, 1982
4.	टोंडी	,,	41.00	दिसम्बर, 1982
5.	कोट्टेपट्टिनम	,,	22.00	जनबरी, 1983
6.	पाबाकोडे	केरल	15.00	दिसम्बर, 1982
7.	चेट्टूवई	,,	19.50	फरवरी, 1983
8.	सवेलियां	उड़ीसा	2.07	दिसम्बर, 1982

आवास तथा नगरी विकास निगम द्वारा मंजूर की गई नयी परियोजनाएं

1267. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री नवीन रवाणी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरी विकास निगम ने कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। तथा उनके लिए राज्यवार कितनी निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जब कभी भी हुडको अपने मार्ग निर्देशनों के अनुसार राज्यों के विभिन्न अभिकरणों से आवास तथा नगर विकास परियोजनायें प्राप्त करता है तो वह उनके लिए ऋण स्वीकृत करता है।

(ख) अपनी स्थापना से लेकर 31-1-1983 तक योजनाओं की संख्या और हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण, इसके अन्तर्गत आए शहरों की संख्या पूरी हो गई योजनाओं की संख्या के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

हुडको से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण (31 जनवरी 1983 की स्थिति)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	पूरी हुई योजनाओं की संख्या	इनके अन्तर्गत आये शहरों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	दी गउ राशि	वापस लौटाई गई राशि	स्वीकृत एकक रिहायशी गैर रिहायशी	स्वीकृत प्लाट
				(……करोड़ रु० में……)					
आन्ध्र प्रदेश	244	61	79	155,64	100,41	48,81	13,07	185035	2401
असम	8	2	21	5,83	4,07	2,64	0,30	1909	—
बिहार	39	2	8	43,12	25,83	9,09	3,67	39493	1073
गुजरात	276	111	45	199,99	118,02	71,61	27,00	204754	5759
हरियाणा	78	51	13	56,38	41,10	30,40	14,73	27305	109
हिमाचल प्रदेश	32	14	12	7,56	5,41	2,81	1,55	1961	647
जम्मू और कश्मीर	20	1	8	12,83	9,65	4,76	1,24	3902	9817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	190	32	34	131,76	772,27	40,78	15.13	246235	3846
केरल	73	22	36	83,59	51,73	39,10	10,41	124355	35
मध्य प्रदेश	130	46	25	60,90	44,88	28,50	19,77	35873	19388
महाराष्ट्र	214	60	26	169,76	110,54	61,86	19,09	83315	3202
मणिपुर	3	—	1	3,16	2,09	0,02	0,01	394	—
नागालैण्ड	1	—	—	2,58	1,57	—	—	1	—
उड़ीसा	60	21	13	49,68	32,70	12,13	3,92	39706	791
पंजाब	96	22	14	63,71	42,87	23,56	8,68	41376	1969
राजस्थान	222	77	28	129,80	28,64	55,09	19,66	89305	2745
तमिलनाडु	231	152	54	138,03	88,76	67,64	20,22	92062	9511
उत्तर प्रदेश	179	72	34	154,46	112,22	75,09	26,43	88527	16149
पश्चिम बंगाल	43	2	7	44,64	32,38	21,57	11,82	13749	887

1	2	3	4	5	6	7	8	9
संघ राज्य क्षेत्र								
चण्डीगढ़	25	8	1	33,17	22,81	16,55	3,19	1393
दिल्ली	17	9	1	27,05	20,76	14,01	11,78	13947
गोआ, दमन और द्वीप	2	9	1	0,21	0,11	0,07	0,06	126
पाण्डिचेरी	1	1	1	2,02	1,42	0,57	0,18	1161
योग :	2237	167	467	1575,87	1046,25	626,78	231,31	1356584

कोंकण क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता

1268. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में आरम्भ की गई बांध जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो सिंधदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ तथा ठाणे जिलों सहित महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में बांध तथा सिंचाई योजनाओं जैसी परियोजनाओं को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ; और

(ग) क्या महाारष्ट में पिछड़े कोंकण क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से और अधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्र द्वारा राज्य सर-को उपलब्ध की जाने वाली धनराशि ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में होती में और यह किसी विशिष्ट परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं होती ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक लाइसेंस

1269. **श्री जैनुल बशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से चीनी मिलें लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए अब तक उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7 मामलों में आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं, 4 मामलों को रद्द कर दिया गया है और शेष 3 आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है । एक विवरण संलग्न है जिसमें इन आवेदन पत्रों और जिन स्थानों पर इन यूनिटों को स्थापित किया जाना है, का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नई चीनी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	चीनी फैक्ट्रियों का प्रस्तावित स्थान तथा जिला	औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख	कैफियत
1.	सितारगंज, जिला नेनीताल	30-10-80	16-1-81 को आशय पत्र दिया गया था।
2.	हंसा (सेमी-खेरा) जिला बरेली	30-6-80	28-3-81 को मेंाशय पत्र दिया गया था।
3.	अकबर, चिला फैजामाद	31-10-80	रद्द कर दिया गया।
4.	घोसी, जिला आजमगढ़	30-10-80	31-12-80 को आशय पत्र दिया गया था।
5.	ज्ञनसठ, जिला मुजफ्फरनगर	30-10-80	31-12-80 को आशय पत्र दिया गया था।
6.	पूर्णपुर, जिला पीलीभीत	30-10-80	9-3-82 को आशय पत्र दिया गया था।
7.	बिजनौर-भरतपुर, जिला मुरादाबाद	4-11-80	रद्द कर दिया गया।
8.	मठ, जिला मथुरा	3-11-80	रद्द कर दिया गया।
9.	प्रतापपुर-सैदपुर, जिला बुलन्दशहर	3-11-80	रद्द कर दिया गया।
10.	नानपाड़ा, जिला बराइच	1-12-80	23-3-81 को आंशय पत्र दिया गया था।
11.	पीवायान, जिला शाहजहांपुर	17-12-80	विचाराधीन
12.	तहसील घाटमपुर जिला कानपुर	29-1-82	विचाराधीन

1	2	3	4
13.	सम्पूर्णानगर, तहसील निघासन, जिला खीरी	15-2-77	9-2-82 को आशय पत्र दिया गया था
14.	गदारपुर (बाजपुर यूनिट (जिया नैनीताल)	9-7-82	विचाराधीन

राज्यों से गेहूं की मांग की तुलना में गेहूं का आयात

1270. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री के० प्रधानी : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अमेरिका से कितना गेहूं आयात किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 तक भारत में कितना गेहूं पहुंच गया है ;

(ग) इसमें से प्रत्येक राज्य को वितरित किये गए गेहूं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को कुछ राज्यों से वहां की सूखे की स्थिति के कारण अतिरिक्त गेहूं की मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और अन्य राज्यों को सितम्बर से दिसम्बर, 1982 तक प्रतिमाह कितना गेहूं सप्लाई किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) 1982 1983 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 36.50 लाख मी० टन गेहूं का आयात करने का ठेका किया गया है जिसको सुपुर्दगी सितम्बर, 1982 से मई, 1983 तक को जाएगी। इसमें से 5.65 लाख मी० टन गेहूं दिसम्बर, 1982 के अन्त तक भारत पहुंच चुका है।

(ग) भारत पहुंचने पर संयुक्त राज्य से आयातित गेहूं वितरण के प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम के कुल स्टाक का भाग बन जाता है।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें सितम्बर, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों समेत विभिन्न राज्यों की गेहूं की मांग और उनको किए गए आवंटन का ब्यौरा गया है। (उपाबन्ध)

विवरण

सितम्बर से दिसम्बर, 1982 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों मी केन्द्रीय पुल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं को मांग और उसके आवंटन को बताने वाला विवरण ।

(हजार मीट्रिक टन में)

राज्य	सितन्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	मा०	आ०	मां०	आ०	मां०	आ०	मां	आ०
* आन्ध्र प्रदेप	14.0	9.0	14.0	9.0	14.0	11.0	31.0	21.1
* असम	17.5	14.0	17.5	14.0	17.5	19.0	17.5	19.0
* बिहार	100.0	34.4	100.0	25.5	100.0	50.0	100.0	50.0
* गुजरात	40.0	10.0	40.0	17.5	40.0	17.5	40.0	17.5
* हरियाणा	15.0	2.0	15.0	8.0	15.0	8.0	15.0	8.0
x हि० प्र०	5.0	2.0	5.0	2.0	5.0	2.5	5.0	2.5
x जम्मू और कश्मीर	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	9.0	7.0	9.0
x कर्नाटक	10.0	3.0	10.0	3.0	10.0	5.0	10.0	5.0
x केरल	10 0	3.0	10.0	4.0	10.0	24.0	10.0	24.0
x मध्य प्रदेश	60.0	23.0	60.0	23.0	60.0	25.0	60.0	25.0
x महाराष्ट्र	60.0	45.0	60.0	45.0	60.0	55.0	70.0	55.0
मणिपुर	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
x मेघालय	1.3	1.1	1.3	1.1	2.3	2.2	1.1	2.1
नागालैण्ड	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	1.0	1.5	1.0
x उड़ीसा	17.0	0.0	15.0	7.0	15.0	12.0	15.0	12.0
x पंजाब	5.0	5.0	15.0	8.0	15.0	8.0	15.0	8.0
x राजस्थान	60.0	24.0	60.0	25.0	60.0	28.0	60.0	28.0
x सिक्किम	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
x तमिलनाडु	10.0	4.0	10·0	4.0	10.0	4.0	11.0	4.0
त्रिपुरा	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	3.5	0.7	2.5
उत्तर प्रदेश	75.0	35.0	75.0	30.0	75.0	40.0	75.0	40.0
पश्चिमी बंगाल	100.0	60.0	120.0	60.0	120.0	65,0	145.0	95.0
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4	0.4	1.4
चण्डीगढ़	1.0	1.5	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5	1.5
दादर और नगर हवेली	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
दिल्ली	60.0	40.0	60.0	40.0	60.0	41.0	60.0	41.0
गोआ, दमन दीप	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.3	1.5	2.3
पांडिचेरी	0.24	0.17	0.24	0.17	02.4	0.17	0.24	0.17
मिजोरम	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	1.05	0.05	1.05
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—

मां = मांग आ० = आवंटन x = सूखे से प्रभावित राज्य.

x = इसमें बाढ़ों के लिए 10,000 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

ग्रामीण विकास के लिए सुझाव

1271. **श्री चिन्तामणि जेना** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान के निदेशक डा० एम० एम० रामास्वामी ने सुझाव दिया है कि सरकार को देश में ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिये एक भारतीय विकास सेवा (आई० डी० एस०) बनाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) जी हां। यह बात ध्यान में आई है कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के निदेशक डा० एन० एस० रामास्वामी द्वारा सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए इस प्रकार का सुझाव दिया गया है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के बिचाराधीन नहीं है।

जल पूर्ति योजना का क्रियान्वयन

1272. **श्री रामलाल राही** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1983 में हुई राज्यों के आवास मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक में जल आपूर्ति के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया था।

(ख) यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों के संबंध में जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं कोई कड़े निदेश जारी किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 19 जनवरी, 1983 को आयोजित्त सम्मेलन में, पेय जल पूर्ति कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और कई संकल्प पारित किए, पारित संकल्पों में से एक संकल्प यह था कि छठी योजना की शेष अवधि के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था करने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गति बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारें आवश्यक प्रयास करें।

(ख) चूंकि राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है, इसलिए इस पहलू पर कार्रवाई करने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में चल रही सिंचाई परियोजना

1273. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई** मन्त्री राज्य तथा उत्तरी क्षेत्र में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के पूरा किये जाने के बारे में 4 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रही सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं तथा क्या वे छठी योजना के अन्त तक पूरी हो जायेंगी ;

(ख) बिहार में चल रही परियोजनाओं को पूरा होने की समय अनुसूची क्या है ; और

(ग) क्या राजस्थान, गंडक तथा कोसी परियोजनाएं छठी योजना के अन्त तक पूरी हो जायेंगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों में संसाधनों की स्थिति अनिश्चित होने के कारण बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की कार्यसूची के बारे में योजना संबंधी अभी हाल में हुए विचार-विमर्श में विचार नहीं किया गया है। तथापि, 12 निर्माणाधीन बृहद सिंचाई स्कीमों तथा सात निर्माणाधीन मध्यम स्कीमों के सातवीं योजना के दौरान पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 1983-84 की अपनी-अपनी वार्षिक योजना में निर्दिष्ट किए गए कार्यक्रम के अनुसार, राजस्थान नहर चरण-एक, गंडक तथा पूर्वी कोसी परियोजना को छठी योजना के अन्त तक पूर्ण कर लिये जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

बिहार की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें छठी योजना के दौरान पूरा किया जाना अनुसूचित था।

एक—**बृहद स्कीमें**

1. गण्डक परियोजना (भारतीय भाग)
2. कोसी वदराज और पूर्वी नहर
3. सोन उच्च स्तरीय नहर
4. राजपुर नहर

दो—**मध्यम स्कीमें**

1. अजनवा जलाशय
2. बक्सा जलाशय
3. एल० बकी
4. जनसाई
5. बुचोंपा बांध का नवीकरण

6. बूटनडूबा जलाशय
7. बदुआ द्वितीय अनुपूरक
8. गोवई बराज
9. ओरिया डबरो जलाशय
10. हीरु जलाशय
11. लोटिया जलाशय
12. मसारिया जलाशय
13. उदरस्थान सिंचाई
14. पाइमर बराज
15. अजान जलाशय
16. मालय जलाशय
17. बटाने जलाशय
18. चिरका जलाशय
19. सूरजगढ़ पम्प
20. बदुआ अपर नाला जलाशय
21. पंडरवा जलाशय
22. चिन्दा जलाशय
23. सुन्दर जलाशय
24. जयपुर जलाशय
25. पल्ना जलाशय
26. नकती जलाशय
27. बल्हरना जलाशय
28. चौसे पर गंगा जल को पम्प करना
29. अनराज जलाशय
30. ओरनी जलाशय
31. बिलासी जलाशय
32. बटेश्वर स्थान पम्प चरण-दो
33. पारन जलाशय
34. लरगारा जलाशय
35. भुराबीर जलाशय
36. सकरी गली पम्प
37. फलवरिया जलाशय

बड़ा नाला सिंचाई परियोजना

1274. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ा नाला मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में शुरू करने की मंजूरी दे दी है और उड़ीसा सरकार को सूचित कर दिया है ; और

(ख) विश्व बैंक इस परियोजना के लिए अब तक कितनी सहायता और धन देने पर सहमत हुआ है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बड़ा नाला सिंचाई परियोजना, योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1981 में अनुमोदित की गई थी उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चालू वर्ष, अर्थात 1982-83 में 90 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है।

(ख) विश्व बैंक, उड़ीसा की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण संबंधी करार के अन्तर्गत, वित्तीय सहायता के लिए इस परियोजना को शामिल करने पर सहमत हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाएं

1275. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए छठी योजना के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं ;

(ख) क्या कुछ राज्यों/संघ शासी क्षेत्रों ने उनके मन्त्रालय की योजनाओं के अलावा ग्रामीण विकास की अपनी योजनायें शुरू की हैं ;

(ग) ग्रामीण विकास की योजनानाओं और कार्मक्रमों के संबंध में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं :

(घ) इसके लिए राज्यों और केन्द्र द्वारा 1982-83 तक की वार्षिक योजनाओं में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई और क्या लक्ष्य प्राप्त हुए ; और

(ङ) इसमें कौन सी समस्या सामने आई और केन्द्र द्वारा उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम गठाए गए ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ग) छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो अत्यधिक महत्वपूर्ण

कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) है। इन कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है।

(ख) जी हां।

(घ) व (ङ) एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

1. 1980-81 से लेकर 1982-83 तक बंटित निधियां तथा प्राप्त किए गए लक्ष्य

	केन्द्र सरकार द्वारा 1980-81 से 1982-83 तक बंटित* निधियां (करोड़ रुपए में)	1980-81 से 1982-83 तक प्राप्त लक्ष्य
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	300.96*	74.12 लाख लाभभोगी*
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	698.73 ×	10,107.20 (सृजित रोजगार के लाख श्रम* दिन)

*राज्यों द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए अपने बजट में इतनी ही धनराशि सुलभ की जानी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 1980-81 में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूप से वित्तपोषित किया गया था।

*सूचना 31 जनवरी, 1983 की है (अनन्तिम)

× सूचना 15 फरवरी, 1983 की है।

*अनन्तिम

2. अनुभव की गई समस्याएं और इन्हें हल करने के लिए उठाए गए कदम

1. **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

ऋण प्राप्त करने तथा प्रशासनिक आधारभूत ढांचा संबंधी कमियां कुछेक मुख्य अड़चनें हैं। मन्त्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और बैंकों के साथ ऋण समस्याओं को उठा रहा है। जहां तक प्रशासनिक आधारभूत ढांचे का संबंध है, भारत सरकार के

पास एक योजना है जिसके अन्तर्गत यह विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी-वर्ग को मजबूत बनाने पर हुए व्यय को बांटता है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

मुख्य अड़चनें खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तथा उनके विवरण से संबंधित थी। इस संबंध में खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के साथ हुई पुनरीक्षा बैठकों के फलस्वरूप कुछ अड़चनों को दूर करना संभव हो पाया है। मन्त्रालय द्वारा गठित अन्तर-मन्त्रालीय समिति में भी प्रचालनात्मक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण के लिए सलाहकार परिषद के लिए बैठक

1276. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण के लिए गेहूं तथा चावल के मासिक आवंटन को दूसरे सप्ताह तक राज्यों को आवंटित कर दिया जाएगा ताकि वे उसे समय पर उठा सकें ;

(ख) क्या यह निर्णय नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली में समाप्त हुई सार्वजनिक वितरण के लिए सलाहकार परिषद की बैठक के पश्चात किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो सलाहकार परिषद की बैठक में अन्य क्या सुझाव दिए गए थे ;

(घ) क्या बैठक में सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रियों ने भाग लिया था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए थे तथा रेलवे से राज्यों को खाद्यान्नों के शीघ्र वितरण के लिए गाड़ियों को उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दिए जाने को कहा गया है ; और

(च) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) इस समय खाद्यान्नों के मासिक आवंटन आदेश, आवंटन से संबंधित मास से पहले के मास के मध्य जारी किए जाते हैं। यह कार्य नवम्बर, 1982 में सार्वजनिक वितरण से संबंधित परामर्श-दात्री परिषद में इस विषय पर की गई सिफारिश के अनुरूप है।

(ग) से (च) 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रियों ने नवम्बर, 1982 में सार्वजनिक वितरण संबंधित परामर्शदात्री परिषद की बैठक में भाग लिया।

कुछ अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व संबन्धित राज्य सरकारों के बरिष्ठ अधिकारियों ने किया था। राज्यों द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव इन विषयों पर थे : खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर की जाए, अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित की जाए और सहकारी समितियों को ब्याज की कम दरों पर ऋण सुविधाएं दी जाएं। इस बारे में केन्द्रीय सरकार और उसके अभिकरणों द्वारा किए गए उपायों के बारे में बैठक में भाग लेने वालों को अवगत कराया गया। रेलवे बोर्ड ने सार्वजनिक वितरण के लिए अपेक्षित खाद्यान्नों की ढुलाई को अति उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे और अधिक उचित दर की दुकानें खोलकर सार्वजनिक बितरण प्रणाली का विस्तार करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जो कुछ भी आवंटित किया जाता है वह वास्तविक उपभोक्ताओं को समान रूप में वितरित किया जाए। अनियमितताओं को वर्तमान कानूनों के दांडिक उपबन्धों के जरिए नियंत्रित करें। राज्यों में सार्वजनिक वितरिण प्रणाली के आधार ढांचे को विभिन्न उपायों के माध्यम से उनके द्वारा मजबूत किया जाना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुक्कट पालन अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यकरण की जांच

1277. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 12 वर्षीय पुरानी कुक्कट-पालन अनुसंधान परियोजना के कार्यकरण की जांच के बारे में कोई मांग की गई है ;

(ख) क्या देश में कुक्कट प्रजनन स्टाक के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के 14 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्रों में फैली हुई परियोजनाएं 1970 में आरम्भ की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजनाओं की जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यह जांच समिति कब तक नियुक्त की जाएगी ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या 1970 में आरम्भ की गई परियोजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य में सफल नहीं हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। कृषि मन्त्रालय को ऐसी किसी मांग के बारे में मालूम नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। ये प्रायोजनाएं अंडा और मांस के लिए मुर्गी उत्पादन की आनुवंशिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने की दृष्टि से तथा अन्त में 500 दिनों के दौरान

मानक आकार के कम से जम 220 ग्राम वजन प्राप्त करने वाली और 8 सप्ताह की आयु में कम से कम 1200 ग्राम वजन प्राप्त करने वाली व्यापारिक मुर्गियों को विकसित करने के लिए की गई थी ।

अनुसंधान के इस उद्देश्यों की प्राप्त के लिए देश में उपलब्ध या विदेश मंगाई गई अनेक प्रजातियों का शुद्ध नस्ल और उसके सदृश्य संकर नस्ल की मुर्गियों का मूल्यांकन किया गया है और अन्त: मुर्गियों के चयन द्वारा उनमें और सुधार लाया गया है ।

इस प्रायोजना में अंडे और मांस वाली दोनों प्रकार की संकर नस्ल वाली व्यावसायिक मुर्गियों का विकास किया गया है । इस प्रायोजना के अन्तर्गत अंडे देने वाली संकर नस्ल (आई० एल० आई०-8) की विकसित की गयी मुर्गियों को केन्द्रीय मुर्गी उपजाति रिलीज समिति ने व्यावसायिक उपयोग के लिए रिलीज किया गया है जो हेन हाउस आधार पर 262 अंडे और हेन डे के आधार पर 275 अंडे देती हैं । दो और अंडे देने वाली प्रजातियां आई० एल० जे०-83 और आई० एल० एच०-83 विकरित की गई हैं और जनवरी, 1983 के दौरान भुवनेश्वर में मुर्गी प्रजनन से संबधित ए० आई० सी० आर० पी० पर आयोजित पिछले वर्कशाप में व्यावसायिक उपयोग के लिए रिलीज करने हेतु सिफारिश की गई है ।

आई० एल० आई०-80 के जनक स्टाक की सप्लाई विभिन्न राज्य सरकारों को की गयी है । इसी तरह, व्यावसायिक मांस वाली संकर नस्ल बी-77 और बी० एल०-80 का विकास किया गया था और व्यावसायिक उपयोग के लिए उन्हें रिलीज किया गया तथा इन मुर्गियों के जनक स्टाक की सप्लाई राज्य और केन्द्रीय सरकार के फार्मों को की गई है । आई० बी० एल०-80 नस्ल 8 सप्ताह में 1.6 किलो० वजन प्राप्त कर लेती है और इसमें आहार को परिवर्तित करने और जीवित रहने की अच्छी क्षमता है ।

अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन अनुसंधान संस्थान पर आयोजित वर्कशाप द्वारा दूसरी नस्ल आई० बी० बी०-80 व्यावसायिक उपयोग के लिए सिफारिश की गई थी । यह नस्ल 8 सप्ताह की आयु में 1500 ग्राम शारीरिक वजन प्राप्त कर लेती है और इसमें 2.4 की आहार क्षमता पाई जाती है ।

और अधिक श्रेष्ठ व्यावसायिक नस्लों के विकास के लिए शुद्ध नस्ल के रूप में और संकरों में से चयन और लगातार परीक्षण के द्वारा अनेक नस्लों में और आगे सुधार लाने के लिए अनुसंधान कार्य को जारी रखा जा रहा है ।

अन्य समन्वित प्रायोजनाओं की तरह प्रायोजना के आरम्भ से ही इसके कार्यों के मूल्यांकन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मुर्गी प्रायोजन के कार्यों पर अपना संतोष व्यक्त किया है और इसे जारी रखने की सिफारिश की है ।

(ग) (घ) और (ङ) उपरोक्त "क" को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) नस्ल के आगे के विकास के लिए निरन्तर अनुसंधान किया जा रहा है उपलब्धियों का ब्यौरा पहले ही उपरोक्त (ख) में दिया जा चुका है ।

स्टेडियमों क: निर्माण करने के मामले में राज्यों की सहायता करने की योजना

1278. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक संख्या में स्टेडिममों का निर्माण करने के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू करने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में यह योजना कब तक शुरू की जाएगी ;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों की प्राथमिकता दी जाएगी ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटासिंह) (क) से (ग) राज्यों की अधिक संख्या में स्टेडियम निर्माण करने में सहायता करने हेतु कोई नई योजना लागू करने का प्रस्ताव नहीं है तथापि खेल विभाग पहले ही राज्य खेल परिषदों को अनुदान नाम की एक केन्द्रीय योजना का कार्यान्वियन कर रहा है जिसके अन्तर्गत अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाह पर खेलों के विकास के लिए, जिसमें स्टेडियमों का निर्माण भी शामिल है, राज्यों को साझेदारी के आधार पर प्रत्येक के मामले में कुछ विशेष सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाती है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों की प्राथमिकता का सम्बन्ध है, स्टेडियम स्थान सम्बन्धी मामला (चाहे यह ग्रामीण क्षेत्रों में हो अथवा कहीं और हो) राज्य सरकारों के विधेयक पर ही उस समय छोड़ दिया जाता है जब वे उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अपने-अपने प्रस्ताव भेजते हैं ।

(घ) यद्यपि, भारतीय संविधान के अन्तर्गत खेल एक राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्रीय सरकार देश में खेलों की प्रगति एवं उन्हें लोक प्रिय बनाने के लिए उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत कई प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कार्यक्रमों में अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, निम्नलिखित हैं :—

(क) ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने ; वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने ; खेल मैदानों के विकास, गैर खर्चीली किस्म के खेल उपस्करों की खरीद, स्टेडियमों, तरण

तलों इत्यादि के निर्माण के लिए राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना ।

(ख) खेल प्रतिभा खोज छात्र-वृत्तियों के माध्यम से युवा आयु में खेल प्रतिभा व्यक्तियों को ढूंढने में राज्यों की सहायता करना ;

(ग) कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों की प्रगति खेल मैदानों के विकास, व्यायाम-शालाओं के निर्माण और प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिता शिविरों के आयोजन के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन के माध्यम से वित्तीय सहायता ;

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने और ऐसी प्रतियोगिताओं को ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना ;

(ङ) महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय खेल समारोह आयोजित करना, और राज्य सरकारों को, ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर महिला खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए सहायता देना ;

(च) राष्ट्रीय खेल संघों/एसोसिएशनों को प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, बाहर जाने वाली टीम के यात्रा खर्च के लिए अनुदान, भारत आने वाली विदेशी टीमों राष्ट्रीय चैम्पियनशिप्स, सहायक सचिवों के वेतन, खेल उपस्कर खरीदने इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता ।

(छ) प्रत्येक वर्ष उच्च कोटि के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के लिए उनके खेल निष्पादन के आधार पर अर्जुन पुरस्कार दिये जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार ग्राही को 2 साल की रामयावधि के लिये 200 रु० प्र० मा० की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

देश में भूकम्प

1279. **श्री लक्ष्मण मलिक : कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान देश के विभिन्न भागों से कितनी बार भूकम्प के झटके सूचित किये गये ;

(ख) भूकम्प के कारण उन स्थानों में कितनी क्षति हुई ; और

(ग) उन क्षतियों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

(ग) किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से केन्द्रीय सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान भारतीय मौसम विज्ञानी विभाग की भू-कम्प विज्ञानी बेधशालाओं द्वारा भू-कम्प के झटकों का पता लगाया गया था। तथापि, कोई क्षति होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

एशियाड स्टेडियमों तथा ग्राम को उपयोग में लाने की योजनाएं

1280. **श्री एन० ई० हीरो :**

श्री जे० एस० पाटिल : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने नए वास्तुकला के चमत्कार, इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम का खेलों से भिन्न कार्यों के लिए भी उपयोग करने की योजनायें तैयार की हैं, लेकिन इसका शुल्क देने पर तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन 50,000 रुपए और इससे अधिक शुल्क रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक वसूली की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने खेल प्रयोजनों के लिए एशियाड ग्राम सहित विभिन्न स्टेडियमों की दरें निर्धारित करने के लिए कोई समिति गठित की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन्डोर स्टेडियम बहु-उद्देशीय स्टेडियम है और खेल स्पर्धाओं के अलावा अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसने यह भी सूचित किया है कि किराया प्रभारों की अन्तिम दरों की सूची को ग्राहक की किस्म तथा आयोजित की जाने वाली स्पर्धा की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभी तक 8,14,150 रुपए वसूल किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वयं वित्त पोषित फ्लेटों की किस्तें

1281. **श्री केशवराव पारधी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, पाकेट 'बी' में बनाए गए स्वयं वित्त पोषित फ्लैटों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अलाटियों से पहली और दूसरी किस्त मार्च 1982 में, तीसरी किस्त सितम्बर 1982 में वसूल की थी तथा चौथी अन्तिम किस्त मार्च, 1983 में देय है ;

(ख) क्या ठेकेदारों द्वारा इन फ्लेटों को पूरा करने की तारीखें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बढ़ाई गई हैं और अभी तक मुश्किल से 20 प्रतिशत प्रगति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अलाटियों द्वारा चौथी किस्त का भुगतान करके की तारीख को मार्च, 1983 से आगे बढ़ाने का विचार करेगी ताकि वे कम से कम इस राशि पर ब्याज अर्जित कर सकें तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की कमियों के लिए दंडित न हो ; और

(घ) इन फ्लेटों के निर्माण को, जो किनियत समय से एक वर्ष से अधिक पीछे चल रहा है, शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और अलाटियों को ये फ्लेट कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माण कार्य की प्रगति लगभग 30 प्रतिशय है तथा दिसम्बर, 1983 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भाग (ख) में उल्लिखित स्थिति की दृष्टि से किस्त आस्थागित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माण कार्य की प्रगति भवन निर्माण सामग्री विशेषतः सीमेंट की उपलब्धता पर निर्भर करती है । इसने यह भी सूचित किया है कि सीमेंट की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है तथा दिसम्बर, 1983 तक फ्लैटों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

काजू के उत्पादकों की हुई कठिनाइयां

1282. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान काजू उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों की तरफ दिलाया गया है (इकोनामिक टाइम्स, 18 जनवरी, 1982) ;

(ख) यदि हां, तो इस समय क्या स्थिति है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए वसूल किए जाने वाले कर का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस धनराशि का अन्य मदों पर खर्च करने और उसकी उस फलता पर जांच के आदेश देगी।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में काजू के उत्पादन की उत्पादकता में सुधार लाने पर कितना योगदान रहा है ; और

(ङ) क्या कुम्हालने के रोग की रोकथाम की असफलता के कारण नारियल के उत्पादन में भी इसी प्रकार की शिथिलता बरती जा रही है और यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य का विकेन्द्रीकरण करके, कोष को राज्य सरकारों की एजेन्सियों को स्थानान्तरित करेगी ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकारों को 12-1-83 तथा 18-1-1983 के अंकों में प्रकाशित प्रैस रिपोर्ट के बारे में मालूम हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजू के निर्यात मूल्य में कमी आई है।

ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि काजू को सामान्य मुद्रा वाले क्षेत्रों तथा अब तक जिन बाजारों का पता नहीं लगाया गया है उनमें बेचा जाय। काजू निर्यात उन्नयन परिषद/वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा अन्य निर्यात उन्नयन उपाय भी किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। काजू के निर्यात से 95 लाख रु० (1981-82) की अनुमानित राशि हर वर्ष उपकर के रूप में एकत्रित की जा रही है। आठ राज्यों तथा गोवा संघ शासित राज्य में 1980-85 के दौरान 544 लाख रु० की कुल योजना लागत से काजू के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्य कर रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में काजू पर अनुसंधान के लिए निम्नलिखित योजनाएं चालू हैं :—

प्रायोजना	केन्द्र	छठी पंचवर्षीय योजना लागत
(I) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना	सात केन्द्र	36.89 लाख रु०
(II) आई० डी० ए० से सहायता प्राप्त बहु राज्यीय काजू प्रायोजना (अनुसंधान घटकों)	पांच	53.02 लाख रु०

1	2	3	4
	(III) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में पर्णीय निदान पर उपकर निधि योजना	एक	0.29 लाख रु

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान भी काजू पर अनुसंधान कर रहा है और यह उसकी मुख्य गतिविधियों में से एक है।

उपरोक्त सूचना को ध्यान में रखते हुए यह देखा जायगा कि काजू अनुसंधान तथा विकास पर उपकर प्राप्ति से एकत्र किए गए रु० की अपेक्षा अधिक रु० खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार यह जरूरी नहीं समझा गया कि जांच के आदेश दिए जाये।

(घ) पिछले पांच वर्षों के लिए काजू के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टर)	उत्पादन (टन)
1977-78	385895	165323
1978-79	419292	171817
1979-80	444376	190266
1980-81	464465	185250
1981-82	481043	195760

यह देखा जा सकता है कि 1977-78 में जो उत्पादन 165323 टन था वह बढ़कर 1981-82 में 195760 टन हो गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि पिछले पांच वर्षों की अवधि में उत्पादन बढ़ा है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अखिर मुरझान रोग पर अनुसंधान के लिए पर्याप्त आदमी तथा सामग्री पुर्न संसाधन प्रदान किया है, और रोग को रोकने तथा उसे दूर करने के कुछ उपयोगी परिणाम प्राप्त हुए हैं। पंचवर्षीय समीक्षा दल, जिसने केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के कार्य का मूल्यांकन किया था, उसने अनुसंधान संस्थान के कार्य का मूल्यांकन किया था, उसने अनुसंधान के बारे में कई सिफारिशें की हैं और उन पर विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में शहरी और ग्रामीण गांवों का पुर्नविकास

1283. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में शहरी और ग्रामीण गांवों की संख्या अलग-अलग कितनी है ;

(ख) उन गांवों के क्या नाम हैं जिनके विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को अलग-अलग सौंपा गया है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अलग-अलग अब तक गांबों की कितनी पुर्नविकास योजनाओं को पारित किया जा चुका है ; और

(घ) सभी योजनाएं कब तक पारित कर दी जाएंगी ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ख) तक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए काफी-होल्डरों की आरक्षित रिक्तियां

1284. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोंड, नई दिल्ली में कापी होल्डरों की आरक्षित श्रेणी की कुछ रिक्तियां काफी समय से खाली पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों तथा कितनी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं ; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए मुद्रणालय प्राणिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड, नई दिल्ली में 1-2-1983 का शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षित कापी होल्डर का एक पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़ा था।

(ग) उपर्युक्त पद को शीघ्र भरने के लिए प्रेस प्राधिकारियों को अनुदेश दे दिए गए हैं।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा और कृषि विकास संबंधी व्यय का पुनरीक्षण

1285. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा और कृषि विकास संबंधी व्यय का पुनरीक्षण किया है और यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) मन्त्रालय के प्रत्येक विभाग पर केन्द्र सरकार ने 1950-51, 1960-61, 1970-71, 1980-81 और 1981-82 में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खर्च की ;

(ग) मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में, 1950-51 से 1981-82 तक कुल व्यय और प्रशासनिक/स्थापना व्यय, यात्रा भत्ते और वाहन चालन में अलग-अलग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(घ) 1950-51 की तुलना में 1980-81 में केन्द्र सरकार के कुल खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ङ) वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा दोनों में से प्रत्येक विभाग में धनराशियों के उपयोग की क्षमता और उसकी सम्बद्धता का पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाता है, पुनरीक्षण कितनी-कितनी अवधि के बाद किया जाता है और क्या प्रत्येक विभाग की 1950-51 से राजस्व वसूलियों में तुलनात्मक वृद्धि हुई ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(च) छठी योजना के प्रस्तावों पर निगरानी के लिए विभागवार क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दोनों विभागों में व्यय की समीक्षा करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है :—

कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग

इस विभाग की समस्त अनुसंधान योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है जो समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। इसके नियमों एवं विनियमों के अनुसार परिषद के कार्यों एवं भौतिक उपलब्धियों और कोष की उपयोगिता का आवधिक प्रबोधन परिषद के शासी निकाय द्वारा किया जाता है जिसमें वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (व्यय) विभाग के अपर सचिव/सचिव के स्तर का) वित्त-सदस्य के रूप में कार्य करता है। व्यय की समीक्षा की भूमिका शासी निकाय से सम्बद्ध उस वित्त-सदस्य के माध्यम से प्राप्त की जाती है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधाम परिषद अपनी वित्तीय और अन्य प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी की

जाती है तथा संसदीय लोक समिति और प्राक्कलन समिति द्वारा भी आवधिक समीक्षा की जाती है। योजनाओं के कार्यकलापों अथवा लेखा-खातों के अन्त पहलुओं में पाई गई त्रुटियों, जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्टों में अथवा अन्य प्रकार से पाया गया हो, की जांच शासी निकाय द्वारा की जाती है और उनका निपटान शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाता है।

कृषि और सहकारिता विभाग
(कृषि विकास से सम्बद्ध)

भारत सरकार में समेकित वित्त पद्धति के प्रचलन के साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित व्यय की समीक्षा के संबंध में वित्त मन्त्रालय की भूमिका सामान्यतया प्रत्येक मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा की जाती है। वित्तीय सलाहकार व्यय की समीक्षा निम्न माध्यमों से करता है ; (i) विभागीय लेखा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत व्यय विवरणियों के मासिक विवरण (ii) विषय से सम्बद्ध प्रभाग/वित्त प्रभाग द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के व्यय की संस्वीकृति/समीक्षा की प्रगति रिपोर्ट (iii) विभागों के सचिवों तथा वित्त मन्त्रालय के सचिव (व्यय) द्वारा की गई बैठकें। अनुवर्ती कार्रवाई, वित्तीय सलाहकार, विभाग के सचिव/व्यय सचिव द्वारा की गई टिप्पणियों, जिसे उपरोक्त आवधिक समीक्षाओं द्वारा किया जाता है, पर की जाती है।

(क) तथा (ग) 174-795 से पूर्व सरकारी खातों में व्यय के वर्गीकरण में उन विभागों एवं संगठनों में परस्पर निकट सम्पर्क रखा जाता था जिनमें लेन-देन होता था और इसमें स्थापना संबंधी मूल्य, यात्रा व्यय, सामग्री एवं उपकरण आदि जैसे आधान होते थे, ताकि व्यय के सम्बद्ध में मदवार नियन्त्रण रखा जा सके। 1974-75 के आगे, मुखर्जी-समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, विभागों के बावजूद जिनमें व्यय किया गया, कार्यकलाप, कार्यक्रम तथा योजनाओं पर आधारित विभिन्न वर्गीकरण संरचना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, जहां तक कृषि विभाग का संबंध है, कृषि विपणन, सामुदायिक विकास, 'लघु सिंचाई', 'कमान क्षेत्र', कृषि अनुसंधान आदि जैसे विषयों, जो पहले कृषि विभाग के अंग थे, अन्य विभागों को हस्तांतरित्त कर दिए गए हैं, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने 1-4-1966 से कृषि एवं जिन्स अनुसंधान का कार्य करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वायत्त निकाय को हस्तांतरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, लेखन की विद्यमान पद्धति में वाहन प्रचालन आदि जैसी मदों के व्यय के ब्यौरे का पृथक खाता नहीं रखा गया है। अतः 1974-75 से पूर्व तथा बाद के व्यय से सम्बन्धित आंकड़ों से तुलना के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न सही ही है और न ही संभव है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग अभी केवल 15 दिसम्बर, 1974 में ही बना है। फिर भी वर्ष 1974-75 के दौरान इसका व्यय कृषि विभाग के लिए संसद द्वारा पारित अनुदानों के माध्यम से पूरा किया गया। इसका स्वतंत्र लेखा-जोखा वर्ष 1975-7 से6 ही शुरू किया गया। इसका स्वतंत्र लेखा-जोड़ा वर्ष 1975-76 से ही शुरू किया गया। अतः कृषि अनुसंधान और शिक्षा

विभाग के संबंध में उक्त अवधि से पहले के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे। तथापि, उस समय मौजूदा दो विभागों के सम्बन्धित, सम्बद्ध वर्षों के अपेक्षित आंकड़े नीचे दे दिये गए हैं :—

वर्गीकरण	वर्ष	कृषि विभाग (करोड़ रु०)	जानकारी एकत्र करने का स्रोत
			सम्बद्ध वर्षों के लिए लिए विनियोग खाते
पशुपालन मात्स्यकी	1950-51	15.63	
बन और सहकारिता	1960-61	67.47	
जैसे कृषि और संबद्ध			
क्षेत्रों के अन्तर्गत	1970-71	236.94	
कुल व्यय	1980-81	1864.16	
	1981-82	1736.39	
कृषि अनुसंधान	1980-81	73.21	तदेव
और शिक्षा	1981-82	87.98	

(घ) भारत की संचित निधि से पूरा किया गया केन्द्र सरकार का कुल व्यय नीचे दिया गया है—

वर्ष	वास्तविक व्यय
1950-51	2015.32 करोड़
1980-81	73790.35 करोड़
1950-51 की तुलना में 1980-81 के दौरान प्रतिशत वृद्धि	3557 प्रतिशत

(ङ) भाग (क) में बताई गई स्थिति प्रासंगिक है। तथापि, जहां तक व्यय की प्रासंगिकता का सम्बन्ध हैं, इसे अलग-अलग योजनाओं के सम्बन्ध है, इसे अलग-अलग योजनाओं के सम्बन्ध में नियुक्तियां स्वीकृत करते समय ध्यान में रखा जाता है। राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में नियुक्तियाँ स्वीकृत करते समय ध्यान में रखा जाता है। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में, यह उल्लेख करना संगत होगा कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग बुनियादी रूप से उन अनुसंधान योजनाओं के बारे में कार्यवाही करता है जिनका कि लागत-लाभ अनुपात रूप में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं

होती है। इसी प्रकार कृषि और सहकारिता विभाग भी एक सामान्य आर्थिक सेवा विभाग भी एक सामान्य आर्थिक सेवा विभाग के रूप में कार्य करता है, जहां कि आय प्राप्तियों के तत्वों का किए गए व्यय से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। इन्हीं कारणों से दो विभागों की आय प्राप्ति तथा व्यय में आनुपातिक वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती।

तथापि, इन दोनों विभागों के संबंध में आय प्राप्ति के आंकड़े नीचे दे दिए गए हैं:—

वर्ष	विभाग	राशि (करोड़ रु०)	स्रोत जहां से जानकारी एकत्रित की गई	टिप्पणी
1950-51	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग			इस वर्ष विभाग नहीं बना था।
	कृषि और सहकारिता विभाग	2.94	वर्ष 1950-51 का वित्त लेखे	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल के बगैर भी) की आय शामिल है।
1980-81	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को छोड़कर)		कृषि और सहकारिता विभाग के केन्द्रीय लेन-देन का विवरण	विदेशों से उपहारों के रूप में प्राप्त उपस्कर सहायता सामग्री और लाभांश ब्याज
	कृषि और सहकारिता विभाग		23.12	की वजह से प्राप्त आय

1	2	3	4	5
				शामिल नहीं है । इसमें उर्वरकों आदि की बिक्री से वसूलियों जैसी पूंजी प्राप्तियां भी शामिल नहीं है ।

(च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति संगत है । प्रत्येक विभाग में बजट परिव्यय के बारे में व्यय की प्रगति का प्रबोधन प्रतिमाह विभागों के प्रभागों/सचिवों द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया विभाग में समेकित वित्त विभाग के सहयोग से की जाती है। इन समीक्षाओं से राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग भी प्लान योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियां और व्यय की प्रगति के प्रबोधन में शामिल होता है।

उड़ीसा को तूफान तथा बाढ़ के लिए स्वीकृत धनराशि

1286 : **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूफान तथा सूखे और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उड़ीसा को वर्ष 1982-83 के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा वास्तव में कितनी धनराशि दी गयी ; और

(ख) राज्य में पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जानकारी नीचे दी गयी है :

प्राकृतिक आपदा का स्वरूप	केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी व्यय की अधिकतम सीमा	निर्मुक्त की गई धनराशि	
		(करोड़ रुपए)	
		बाढ़ें तथा चक्रवात	
(1) बाढ़	113.95	(1) लेखा अदायगी	85.00

1	2	3	4
(2) चक्रवात	56.55	(2) मंजूर की गयी धनराशि में से साधनोपाय की पेशगी समायोजित की जानी है। सूखा	5.00
(1) सूखा	0.28	(1) लेखा अदायगी	5.00
(2) सूखे के सम्बन्ध में पूरक ज्ञापन			

*सूखे के संबंध में पूरक ज्ञापन मिलने पर एक केन्द्रीय दल ने भी राज्य का दौरा किया है और राहत सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा दी गयी सहायता का स्वागत किया है और राज्य सरकार आपदाओं के कारण लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

वस्तुओं का मूल्य सूचकांक

1287. **श्री हरीश रावत** : या खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीने से वनस्पति तेल, सब्जियां, गेहूं, सिगरेट जैसी दैनिक उपभोग की कुछेक वस्तुओं के साप्ताहिक मूल्य सूचकांक की क्या प्रवृत्ति है; और

(ख) इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं और इन कीमतों को कम करने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) संबंधित जानकारी अनुबन्ध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 59378/3]

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान सब्जियों के थोक मूल्य सूचकांकों में गिरावट आई है। वनस्पति तेलों में मिश्रित रुख रहा है। जबकि वनस्पति, करड़ी के तेल, बिनौले के तेल और

सरसों के तेल के थोक मूल्य सूचकांकों में गिरावट आई है, नारियल के तेल और जिंजली के तेल के मूल्य सूचकांक ऊपर चढ़े हैं। मूंगफली के तेल के मूल्य सूचकांक में सीमांत वृद्धि हुई है। यही बात सिगरेटों के मामले में रही है। गेहूं के मूल्त सूचकांक में वृद्धि हुई है। अन्य वस्तुओं के मामले में भी पिछले तीन महीनों के दौरान मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं के मूल्तों में हुई वृद्धि मुख्यतः व्यापक सूखे और खरीफ की फसलों के उत्पादन में संभाबित कमी के कारण हुई कहा जा सकती है। सिगरेट के मूल्यों में इस कारण हुई वृद्धि कि उन पर ली जाने वाली उत्पादन शुल्क की रियायत दरों को 30 नवम्बर, 1982 से वापिस ले लिया गया।

सूखी सहायता के लिए राजस्थान को मंजूर की गयी राशि

1288. **श्री विरदा राम फुलवारिया :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखी सहायता कार्य आरम्भ करने के लिए वर्ष 1982-83 में राजस्थान को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी तथा सरकार कितनी राशि उपलब्ध कराना चाहती है ; और

(ख) राज्य के पहले के ओवरड्राफ्टों की बकाया राशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान के लिए मंजूर की गयी व्यय की अधिकतम सीमा 29.86 रुपए है। इस अधिकतम सीमा 29.86 करोड़ रुपए है। इस अधिकतम सीमा में से 11.87 करोड़ रुपए सूखा सहायता निर्माण कार्यों से संबंधित कार्यों से सम्बन्धित रोजगार सृजन के लिए रखे गए हैं। यह व्यय 31 मार्च तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

(ख) राज्य सरकारों के भारतीय रिजर्व बैंक पर ओवरड्राफ्ट उनकी प्रतिदिन की तक स्थिति प्रतिबिम्बित करते हैं और मात्रा में प्रतिबिम्बित करते हैं और मात्रा में प्रतिदिन घटते-बढ़ते हैं। अतः उनकी प्रमात्रा किसी विशेष तिथि के संदर्भ में ही बताई जा सकती है। राज्य के लेखों में से असंतुलन दूर करने पर यह ओवरड्राफ्ट समाप्त हो जाते हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा देय ओवरड्राफ्ट के कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हो सकते।

राज्यों द्वारा गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात करने की अनुमति मांगना

1289. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों से गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली कुछ नौकाओं का आयात करने की मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी नौकाएं खरीदने का प्रस्ताव है ; और

(ग) केन्द्र की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दो फैक्टरी ट्रालरों के आयात के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से आंध्र प्रदेश मात्यस्की विकास निगम का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। मत्स्यन जलयान अधिग्रहण समिति ने मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा भुगतान की विधि से संबंधित कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव को पास कर दिया। निगम से आगे कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया था। उनकी प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी हे।

उड़ीसा ससुद्रों और चिकित्सा क्षेत्र विकास निगम ने भी नीदरलैंड से 2 श्रिम्प ट्रालर आयात करने के लिए आवेदन पत्र भेजा। निगम को बीजक तथा अन्य ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया गया था, जो अभी प्राप्त होने हैं।

तमिलनाडु सरकार ने चार श्रिम्प ट्रालर आयात करथे हेतु आशय-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया।

विस्तृत विशिष्टियों और जलयान के स्रोत का उल्लेख करने वाला पक्का प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 1982 के दौरान (महीना-बार) उपभोक्ता मदों के मूल्य

1290. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1982 तथा अक्तूबर से दिसम्बर, 1982 तक महीनावार उपभोक्ता मदों के मासिक औसत मूल्य क्या कर रहे हैं ;

(ख) वे कौन-सी मदें हैं जिनके मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) 1981, 1981 तथा 1978 के उन्हीं महीनों में उनके मूल्य क्या रहे हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) संबंधित सूचना अनुबन्ध-1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5938/83]

(ग) सम्बन्धित सूचना अनुबन्ध-2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 5938/83]

घटिया किस्म के बीजों और पौधों की बिक्री

1291. **श्री राम जी भाई मावणि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान घटिया किस्म के बीजों और पौधों की बिक्री की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़िया किस्म के बीज, और पौधे बेचने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा हाल ही में बंगलौर में की गयी घोषणा के अनुसार, उक्त घटिया किस्मों की बिक्री करने वाले पौधे-उद्यानों को कड़ा दण्ड देने का प्रावधान करने के लिए सरकार का विधान लाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधेयक कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारत सरकार को जब भी बीजों और पौधे की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है। बीजों और पौध के वितरण तथा उनकी किस्म को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का कार्य है।

(ख) भारत सरकार ने बीजों की किस्म को नियोजित करने के लिए एक कानून अर्थात् बीज अधिनियम, 1966 बनाया है। अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक अधिकार दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीजों के उत्पादन और गुण नियंत्रण को संगठित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) राज्यों की बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय बीज कार्यक्रमों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(2) प्रजनक और आधारी बीजों के उत्पादन के लिए पर्याप्त अवस्थापना स्थापित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों को सहायता दी जा रही है।

(3) मिलावट को दूर करके बीजों की किस्म को सुधारने हेतु अनेक परिसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की गयी है।

बागवानी फसलों की अच्छी पौधरोपण सामग्री की व्यवस्था करने के लिए, सरकार ने भारतीय राज्य फार्म निगम के 10 फार्मों पर उत्कृष्ट फलोद्यानों की स्थापना के लिए एक योजना स्वीकृत की है। ये फलोद्यान किसानों को सप्लाई करने के लिए सर्वोत्तम किस्म की पौदों का उत्पादन करेंगे।

(ग) और (घ) फिलहाल सरकार के समक्ष पौधशालाओं द्वारा उत्पादित पौदों की किस्म के नियंत्रण हेतु कानून बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, अनेक राज्यों ने अपने राज्यों में पौधों की किस्म के विनियमन के लिए कानून बनाए हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था तथा सभी समस्या प्रधान गांवों को पीने के पानी की सप्लाई

1292. **श्री राम जी भाई मावणि : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि छठी योजना समाप्त होने से पहले सभी समस्या-प्रधान गांवों को पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिएं ;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाएं, जिनका उद्देश्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण निर्धन लोगों का उत्थान करना है, योजना की बाकी अवधि में तेज की जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने और पूरा करने के लिए प्रत्येक विभाग तथा राज्य द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) तक छठी योजना में समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की सप्लाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इस नए 20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। छठी योजना के दौरान, सभी पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों (1-4-1980 को लगभग 2.31 लाख) को पेय जल के कम से कम प्रकोप करें। मर जल उपलब्ध हो सहित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। छटी योजना में इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय पांचवीं योजना (1974-79) में 429.27 करोड़ रुपये की तुलना में 2007.11 करोड़ रुपये तक पर्याप्त रूप में बढ़ा दिया गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण के कार्यक्रमों को नए-20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है।

छोटी से छोटी संरचना के लिए पर्याप्त निधियों सहित स्थल तथा सेवा मुहैया करना, लाभ-भोगियों को 3,000 रुपये तक प्रति एक ऋण दिया जाना जोकि ब्याज की रियायती दरों पर 20-25 वर्ष की अवधि में देय हो, की नीति है । छटी योजना में लगभग 485 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । यह आभास होता है कि प्रस्तावित परिव्यय से लगभग 16.2 लाख परिवार लाभ उठायेंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुमान है कि छठी योजना में आवास तथा नगर विकास निगम लगभग 600 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश करेगा जिसमें से लगभग 180 करोड़ रुपए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए होंगे । हुडको ने, अपनी स्थापना से 31-1-1981 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 9.74 लाख से अधिक रिहायशी एकक स्वीकृत किए हैं ।

नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, यह भी सम्भावना है कि मार्च, 1985 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन परिवारों को आवास स्थल दे दिए जायेंगे तथा पात्र परिवारों को निर्माण सहायता देने के कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा ; इस योजना में 68 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का आवास स्थल तथा 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता मुहैया करने की व्यवस्था पर विचार किया गया है । 1971 में योजना के प्रवर्तन के बाद, सितम्बर, 1982 तक, 101 लाख परिवारों को आवास स्थल तथा 21-30 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है । इन योजनाओं के लिए छटी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 350.50 करोड़ रुपये है ।

जहां तक समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल सुविधाओं के प्रावधान की प्रगति का सम्बन्ध है, वर्ष 1980-81 सं 25,978 समस्याग्रस्त ग्राम तथा वर्ष 1982-83 में लगभग 42,000 समस्या-ग्रस्त ग्रामों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है ।

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों तथा खेल संगठनों के सुझाव

1293. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 के दौरान (1) कतिपय खेल संगठनों और (2) गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों से, विभिन्न खेल-कार्यकलापों और उनके प्रोत्साहन के लिये, कुछ सुझाव और योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) नवम एशियाई खेल में विजेता भारतीयों की विशेष प्रतिष्ठा, सम्मान तथा प्रोत्साहन के लिए क्या विशेष पदक दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) देश में खेलों के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में खेल संगठनों आदि से सामान्य सुझाव इस विभाग में समय-

समय पर प्राप्त होते हैं। सुझावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। तथापि, खेल कार्यकलापों के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में को विशिष्ट योजना गुजरात सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार से जनवरी, 1983 के माह के दौरान प्राप्त नहीं हुई है। राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार से प्रशिक्षण शिविर के आयोजन तथा एक व्यायामशाला के निर्माणार्थ 1982-83 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए दो आवेदन-पत्र इस विभाग में प्राप्त हुए हैं। गुजरात सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, इसके दो प्रस्तावों के लिए योजना में अनुपत्य अनुदान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत किए जायेंगे।

(ग) जिन पुरुष तथा महिला खिलाड़ितों का निष्पादन नौवें एशियाई खेलों में उत्कृष्ट रहा है, उन्हें अर्जुन पुरस्कार, जो देश में खिलाड़ियों के लिए उच्चतम पुरस्कार है, देने के सम्बन्ध में निश्चय ही विचार किया जाएगा।

उड़ीसा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में चावल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

1294. **श्री के० प्रधानी :** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा बाढ़ और सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में इस समय चावल और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तथा वहां पर्याप्त भंडार नहीं हैं ;

(ख) क्या उचित दर की सभी दुकानों को चावल और मिट्टी के तेल की सप्लाई करने तथा इन वस्तुओं को स्थानीय हाथों और सहकारी संस्थानों के माध्यम से बेचने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की शीघ्रता से सर्वेक्षण करने के लिए भेजे गए केन्द्रीय दल के दौरे के बाद, उक्त वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए किए गए दीर्घावधि उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गीपालन अनुसंधान परियोजना को हुई हानि

1295. **श्री सूर्यनारायण सिंह :**

श्री नारायण चौबे : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला ब्यौरा सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आई० सी० ए० आर०) की मुर्गी-पालन परियोजना उसके प्रारम्भ से ही हानि में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के केन्द्र को हुई हानि का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या परियोजना के कार्य की कोई जांच पड़ताल कराई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन अनुसन्धान प्रायोजना भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा चौथी योजना में प्रारम्भ की गयी थी जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) व्यावसानिक मुर्गियों को तैयार करना जो 500 दिन की आयु में कम से कम 220 अंडे दे सकें।

(2) व्यावसायिक मांस वाली मुर्गी या मुर्गे तैयार करना जो 8 सप्ताह की आयु में कम से कम 1200 ग्राम वजन की हो सकें।

अनुसन्धान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में पायी जाने वाली या बाहर से मंगाई गयी अनेक प्रजातियों का शुद्ध नस्लों और सदृश्य संकर नस्लों के रूप में मूल्यांकन किया गया है और उन्हीं नस्लों में से फिर चयन द्वारा उनमें और सुधार लाया गया है। इस प्रायोजना में अंडे वाली और मांस वाली दोनों तरह की व्यावसायिक मुर्गियों का विकास किया गया है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत विकसित की गयी संकर नस्ल (आ० एल० आई०—80) को केन्द्रीय मुर्गी उपजाति रिलीज समिति द्वारा व्यावसायिक तौर पर उपयोग करने के लिए रिलीज किया गया है जो "हेन हाउस" के आधार पर 262 अंडे और "हेन डे" के आधार पर 275 अंडे देती हैं। दो और अंडे देने वाली नस्लें आई० एल० जे० 83 और आई० एल० एच०—83 का विकास किया गया है और जनवरी, 1984 में भुवनेश्वर में आयोजित मुर्गी प्रजनन से संबंधित ए० आ० सी० आर० पी० पर आयोजित पिछले वर्कशाप में व्यावसायिक उपयोग के लिए उन्हें रिलीज करने की सिफारिश की गयी है। आई० एल० आई०—80 नस्ल की जनक मुर्गियों की सप्लाई अनेक राज्य सरकारों को की गयी है।

इसी तरह, ब्रायलर व्यावसायिक बी० 77 और आई० बी० एम०-80 का विकास किया गया और इनके जनक मुर्गे, मुर्गियों की राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के फार्मों में सप्लाई की गयी है। आई० बी० एल०—80 नस्ल 8 सप्ताह की आयु में 1.6 किलोग्राम वजन की हो जाती है और उसमें भोजन को मांस में बदलने और जीवित रहने की अच्छी क्षमता है। अन्य नस्ल आई० बी० बी०—80 की अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन अनुसन्धान प्रायोजना पर आयोजित वर्कशाप द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए इसे रिलीज करने की सिफारिश की गयी। यह नस्ल

8 सप्ताह की आयु में 1500 ग्राम शारीरिक वजन प्राप्त कर लेती है और इसमें आहार की क्षमता 2.4 है।

अच्छी मुर्गियों की व्यावसायिक नस्ल तैयार करने के लिए शुद्ध नस्ल के रूप में और संकरों में और निरन्तर जांच के द्वारा अनेक नस्लों में और अधिक सुधार लाने के लिए अनुसन्धान कार्य जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्य समन्वित प्रायोजनाओं की तरह, प्रायोजना के क्रिया-कलापों के मूल्यांकन के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा एक समीक्षा समिति नियुक्त की गयी थी। उक्त समिति ने प्रायोजना के क्रिया-कलापों पर संतोष व्यक्त किया है और इसे जारी रखने की सिफारिश की है।

वराह क्षेत्र में कोसी नदी पर बांध

1296. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वराह क्षेत्र में कोसी नदी पर बहु-उद्देशीय बांध का निर्माण करने सम्बन्धी व्यावहारिकता रिपोर्ट किस तारीख को महामहिम की सरकार, नेपाल को सौंपी गई थी, और क्या उसके बाद कोई स्मरण-पत्र भेजे गए थे, तथा उस पर महामहिम की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम स्तर पर बैठक बुलाने सहित क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ;

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) वराह क्षेत्र में, कोसी नदी पर प्रस्तावित बहु-प्रयोजनी परियोजना के लिए अद्यतन की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट अगस्त, 1981 में नेपाल की महामहिम सरकार को भेजी गई थी। इस मामले को सचिव (जल संसाधन), नेपाल का महामहिम सरकार की अध्यक्षता में नेपाली अधिकारियों के दल के साथ, जिसने फरवरी, 1982 में भारत का दौरा किया था, विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया था, जब यह बताया गया था कि नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। तथापि, इस मामले पर अधिकारियों के स्तर पर होने वाली अगली बैठक में, जिसके अब शीघ्र आयोजित किए जाने की सम्भावना है, विचार-विमर्श करने के बारे में सहमति हुई थी।

अन्य देशों में प्रतिबंधित घातक कीटनाशी दवाओं का भारत में प्रयोग।

1297. **श्री आर० आर० भोले :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, मेथाइल पेराथियोन, हेप्टाक्लोर, लिंडान, डी० बी० सी० पी०, 2, 4 डी, पारागाट और अन्य जैसी अनेक घातक कीटनाशी दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जबकि अन्य देशों में इन पर प्रतिबंध हैं ;

(ख) वर्ष 9181-82 1980-81, 1979-80 में कितने लाख किलोग्राम कीटनाशी दवाओं का उत्पादन किया गया और क्या इनके उपयोग पर किसी भी प्रकार से विनियमों द्वारा नियंत्रण किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ऐसी घातक कीटनाशी दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) डी० बी० सी० पी० के अलावा किसी भी कीटनाशी दवा पर भारत में प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान इन कीटनाशी दवाओं (तकनीकी ग्रेड की सामग्री) का देश में हुए उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(दस लाख किलोग्राम में)

कीटनाशी दवा	देश में हुआ उत्पादन		
	1979-80	1980-81	1981-82
बी० एच० सी०/लिंडान	31.829	28.760	28.366
डी० डी० टी०	4.731	4.004	3.248
मेथाइल पेराथिआन	2.533	1.213	2.092
2, 4-डी	0.192	0.338	0.398
पारागॉट	0.114	0.077	0.128

इन कीटनाशी दवाओं का उपयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बड़े नियमों के द्वारा संचालित किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत स्थापित पंजीकरण समिति से सभी कीटनाशी दवाओं, जो अन्य देश में प्रतिबंधित हैं, के वर्तमान उपयोग की समीक्षा करने के लिए कहा गया है ।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उचित दर की दुकानों के माध्यम से घटिया किस के गेहूं आदि की सप्लाई

1298. श्री **हरीश रावत** : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से लोगों को घटी हुई मात्रा में तथा सड़े गेहूं की सप्लाई की जा रही है और कोयले तथा खाद्य तेलों जैसे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यता संबंधित राज्य किसी सरकार की है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न राज्यों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किया जाने वाला गेहूं उचित किस्म का हो और भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसके सील बन्द नमूने उचित दर दुकानों को उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रदर्शित करने हेतु दिये जाते हैं। उचित दर की दुकान द्वारा सार्वजनिक वितरण की किसी भी आवश्यक वस्तु के वितरण में की जा सकने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण किया जाता है। इस संबंध में शिकायत की जांच राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उचित प्रतिकारी उपाय किए जाते हैं। किसी भी अनियमितता के आधार पर यह कहना कि सब जगह स्थिति ऐसी ही है अथवा यह कहना कि कुछ राज्यों में कोयला तथा खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, सही नहीं होगा, हालांकि इतने बड़े आकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अस्थायी तथा स्थानीय स्वरूप की कुछ कमियों से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता है। जब भी ऐसे मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आते हैं, संबंधित राज्य सरकार साथ के तालमेल से उचित कदम उठाए जाते हैं।

पायलट फसल बीमा योजना

1299. **श्री रामविलास पासवान** :
श्री सुभाष यादव :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में विद्यमान सूखा स्थिनि के कारण भारी निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए सामान्य बीमा निगम पायलट फसल बीमा योजना को जारी रखने के पक्ष में नहीं है ;

(ख) इस योजना के लागू किए जाने के बाद सामान्य बीमा निगम को दावों का कितना भुगतान करना पड़ा ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) सामान्य बीमा निगम द्वारा 1981-82 तक भुगतान किए गए दावों की रकम की कुल रकम 15.75 लाख रुपए थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

हरियाणा में नमकीन पानी की समस्या

1300. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री सुभाष यादव :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 27 दिसम्बर, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचारों को पढ़ा है जिनमें यह बताया गया है कि एक डच विशेषज्ञ दल ने हरियाणा का अध्ययन करने के बाद बताया है कि यदि तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही न की गई तो आगामी 50 वर्षों में हरियाणा राज्य को नमकीन पानी के संकट का सामना करने पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा समन्वेषी की छेदन (ड्रिलिंग) के जरिये मीठे और लवण भूमिगत जल के क्षेत्रों का तथा उन क्षेत्रों का, जहां उथला भूमिगत जल थोड़ा है और गहरा भूमिगत जल लवणीय है, मानचित्रण किया है। इसके परिणाम 1976 के भारतीय जल-भू-वैज्ञानिक मानचित्र में प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) इस समस्या का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त एक परियोजना हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

भूमिहीन को भूमि वितरण

1301. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री चिन्तामणि जैना : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने, जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन आता हैं, की उपलब्धि में बाधा आई है ;

(ख) यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया अथवा कितनी उपलब्धि हुई है ; और

(घ) छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) छठी योजना में यह परिकलपना की गई है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को कब्जे में लेने तथा इसे वितरित करने का कार्यक्रम 1982-83 तक पूरा हो जाएगा। अधिकतम भूमि सीमाओं के बारे में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए शुरू किए गए अधिकतम भूमि सीमाओं के कार्यान्वयन के आरम्भ से 41.7 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया है, 26.8 लाख एकड़ भूमि को कब्जे में लिया गया है तथा 19.6 लाख एकड़ भूमि को पात्र परिवारों में वितरित किया गया है। वर्ष 1982 के लिए राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के भूमि-धारकों से प्राप्त हुई विवरणियों की जांच लगभग पूरी हो गई है। तथापि, भूमि को फालतू घोषित करने और उस पर कब्जा लिए जाने के पश्चात् प्रभावित पक्ष इस पर एक अथवा किसी दूसरे रूप में मध्यस्थता की मांग करने के लिए अदालत में जाते हैं। यही मुख्य कारण है कि फालतू घोषित की गई भूमि तथा कब्जे में ली गई भूमि को वितरित नहीं किया जा सका। कब्जे में ली गई कुछ भूमि को वनरोपण, सामाजिक वानिकी आदि प्रयोजना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राज्य सरकारों को इस भूमि जिसे पात्र व्यक्तियों को आबंटित किया जा सकता है, के विवरण में आने वाली प्रशासनिक तथा अन्य अड़चनों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ष 1982 के दौरान वितरित की गई भूमि (एकड़ में)
आंध्र प्रदेश	9754
असम	5231

1	2
बिहार	8799
गुजरात	6295
हरियाणा	2217
हिमाचल प्रदेश	अप्राप्य
कर्नाटक	49956
केरल	1670
मध्य प्रदेश	7859
महाराष्ट्र	—
मणिपुर	37
उड़ीसा	4184
पंजाब	959
राजस्थान	9435
तमिलनाडु	4915
त्रिपुरा	124
उत्तर प्रदेश	358
पश्चिम बंगाल	6802
दादर और नागर हवेली	91
दिल्ली	374
पांडेचेरी	23
योग :	122083

भूमि सुधार उपायों को लागू करना

1302. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बनाए गए भूमि सुधार अधिनियम और उनको अब तक क्रियान्वित किए जाने के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार का छठी योजना की शेष अवधि में उक्त मामले के संबंध में क्या कार्यक्रम है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : विभिन्न राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए बनाये गये भूमि सुधार के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित मुख्य विधानों को दर्शाने वाला **विवरण संलग्न है।**

[ग्रन्थालय में रखा। **देखिए संख्य एल० टी०** 5939/83]

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शेष भूमि को अधिकतम सीमा से भूमि का पूरा वितरण करने का प्रस्ताव है। काश्तकारों के सामान्य निकाय को स्वामित्व अधिकार देने के लिए विधान उन राज्यों द्वारा पूरा किया जाना है जिनमें इस प्रयोजन के लिए अभी कानून बनाते रहते हैं। विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया को समय-समय पर शुरू किया जाता रहेगा। जोतों की चकबन्दी उन राज्यों द्वारा शुरू की जानी है जिन्होंने इसे अभी शुरू नहीं किया है ताकि इस कार्यक्रम को दस वर्षों में पूरा किया जा सके। शेष काश्तकारों के लिए काश्त की प्रत्याभूति की व्यवस्था स्थायी आधार पर की जानी है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा को आवंटित धनराशि

1303. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा के विभिन्न जिलों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए 1981-82 के दौरान इन जिलों को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा इन्होंने वास्तव में कितनी खर्च की ;

(ग) सभी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने के लिए केन्द्र अथवा राज्य द्वारा उन जिलों को क्या मार्ग निर्देश दिये गये ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) 1982-82 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा के विभिन्न जिलों को आवंटित धनराशि, 1981-82 में वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) व (घ) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निदेश जारी किए गये हैं कि वे गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लाभभोगियों का चयन करने, खण्ड योजनाएं तैयार करने तथा क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा करने के लिए सतत प्रयास करें। लाभभोगियों को शीघ्र ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक जिले में ऋण सम्बन्धी कार्यशालाएं भी आयोजित की जानी हैं।

विवरण

वर्ष 1981-82 तथा 1882-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में आवंटित तथा उपयोग में लाई गई धन-राशि (जिलावार) को दर्शाने वाला विवरण-1

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	जिले का नाम	1981-82 आवंटन	1981-82 उपयोग	1982-83 आवंटन
1.	बालासौर	114.00	82.06	152.00
2.	बोलंगीर	120.00	112.09	160.00
3.	कटक	246.00	204.05	328.00
4.	ढेनकनाल	96.00	102.89	128.00
5.	गंजम	174.00	223.31	232.00
6.	कालाहाण्डी	108.00	72.39	144.00
7.	क्योंझर	78.00	71.63	104.00
8.	कोरापुट	252.00	109.51	336.00
9.	मयूर भंज	156.00	71.73	208.00
10.	फुलबनी	90.00	77.55	120.00
11.	पुरी	174.00	192.77	232.00
12.	संभलपुर	174.00	112.97	232.00
13.	सुन्दरगढ़	102.00	82.90	136.00
	योग	1884.00	1495.85	2512.00

चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं लगाना

1304. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में प्रस्तावित आरम्भ की जाने वाली मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं नौर उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उन प्रत्येक परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) उन प्रत्येक परियोजनाओं को आरम्भ करने पर कुल कितनी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) उड़ीसा में वर्तमान वित्तीय वर्ष (1982-83) के दौरान 11 बृहत और 27 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन परियोजनाओं के नाम उनकी अनुमानित लागत सहित, उन पर अब तक किया गया व्यय और उनसे प्राप्त होने वाले अन्तिम सिंचाई लाभों को दिखाने वाला **विवरण संलग्न है।**

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 1982 तक हुआ	प्रत्याशित व्यय (82-83)	अन्ततः सृजनीय क्षमता
	(क) बृहत स्कीमें				
	एक छठी योजना से पूर्व की स्कीमें				
1.	रेंगाली सिंचाई	72203.32*	3883.53	1200	423.60
2.	अपर कोलाब सिंचाई	9669.85*	1844.81	600	93.93
3.	अपर इन्द्रावती सिंचाई	14738.00*	1618.07	610	185.83
4.	आनन्दपुर	1128.00	745.97	100	40.18
5.	महानदी बीस्पा बराज	0264.90	553.74	1000	

*इन बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी बांध की लागत का भाग सम्मिलित है।

	दो—**नई स्कीमें**				
6.	सुवर्ण रेखा	35969		382	166.82
7.	चिरोली	3000	6.10	20	32.79
8.	लोअर इन्द्रा	3000	22.00	20	43.47
9.	कानपुर	3800	4.74	20	52.85
10.	समकोई	4000	52.12	20	37.50
11.	हीरा कुण्ड बांध का अतिरिक्त उमड़ मार्ग	2000		3.16	

1	2	3	4	5	6
	(ख) मध्यम स्कीमें				
	एक—विश्व बैंक स्कीमें				
1.	रेमल	1016.66	671.66	185	5.83
2.	रमिआला	1128.43	829.42	95	13.81
3.	डाहा	1116.34	969.41	80	6.87
4.	पिलासाल्की	669.44	582.93	55	3.47
5.	डुमेरबाहल	305.60	289.45	9	3.78
6.	गोहिरा	1370.45	905.45	200	13.40
7.	सुनेई	1280.01	740.01	180	11.16
8.	कुनारिया	981.60	726.60	160	5.33
9.	झरबन्धा	264.33	158.78	60	236
10.	सरुफगढ़	455.00	330.42	34	3.38
11	तलसारा	535.00	313.08	65	4.17
12.	हरभगी	1878.00	508.37	202	14.48
13.	कन्झारी	1551.90	561.83	350	16.50
14.	हरिहरजोरे	1776.45	16.48	230	4.35
15.	बारसुआन	461.20	16.48	10	4.35
16.	कँसबहल	996.90	61.38	1.25	7.04
17.	अपरजोंक	2028.70	29.65	96	11.70
18.	बंकाबहल	1512.65	138.08	125	7.31
	दो—गैर-विश्व बैंक स्कीमें				
19.	ओंग	1800.00	821.13	100	24.96
20.	सुन्दर	518.82	567.78	50	4.23

1	2	3	4	5	6
21.	कालो	630.17	590.79	16	6.51
22.	दादर घाटी	649.93	502.89	27	6.32
23.	अनौली	202.00	111.58	18	0.89
24.	अपर सुकताल	235.05	62.51	60	1.52
25.	बधुआ चरण-दो	475.45	26.27	1	4.38
26.	बोन्डा-पिपली	470.45	207.13	45	3.80
	तीन—मध्य स्कीमें (नई)				
27.	बड़ा नाला (विश्व बैंक)	1336.00	33.18	150	12.25

ब्रुटंग सिंचाई परियोजना

1305. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक के सहायता प्राप्त करने के लिये ब्रुटंग सिंचाई परियोजना भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अनुमानों का ब्यौरा क्या है तथा क्या केन्द्रीय सरकार भी इस परियोजना पर धन खर्च कर रही है?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

मनी भद्रा परियोजना

1306. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने महानदी सम्बन्धी मनी भद्रा परियोजना केन्द्रीय सरकार को भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अनुमानों का ब्यौरा क्या है तथा क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना का वित्तपोषण कर रही है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (ख) उड़ीसा सरकार से महानदी पर प्रस्तावित मनी भद्र परियोजना के संबंध में एक प्रारंभिक नोट प्राप्त हुआ है। इस

नोट के अनुसार, मनी भद्र परियोजना (चरण-एक) की लागत 545 करोड़ रुपये बताई गई है। जल संसाधनों से संबंधित परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मांग

1307. **श्री पी० एम० सईद :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई सप्लाई के लिए राज्य सरकारों की समस्त मांग पूरी न करने का निर्णय लिया है

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई निदेश भेजे गये हैं ;

(ग) राज्यों को वर्ष 1982 के दौरान कुल कितनी आवश्यक वस्तुयें सप्लाई की गयीं

(घ) उनकी मांगें क्या थीं और क्या खाद्यों की कमी के कारण स्थिति खराब रहेगी और

(ङ) राज्यों की मांगें पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) राज्यों में उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति खुली बाजार व्यवस्था से होती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसकी अनुपूर्ति करती है। राज्य इस स्थिति से पहले से ही अवगत हैं। इसलिए, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की कुल उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की अपेक्षित आवश्यकताओं, बाजार में उनकी उपलभ्यता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। वर्ष 1982 के दौरान उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 4,51,190 मीटरी टन आयातित खाद्य तेलों का आवंटन किया गया और लगभग 160.00 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़ा पैक किया गया तथा विभिन्न राज्यों को समान रूप से वितरित किया गया।

वर्ष 1902 के दौरान विभिन्न राज्य संघ शासित क्षेत्रों की खाद्यान्नों की मांग की तथा आवंटित की मात्रा और साथ ही चीनी की आवंटित की गई मात्रा का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इस समय खाद्यान्नों की कमी होने की आशंका करने का कोई कारण नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982 (जनवरी से दिसम्बर 82) के दौरान खाद्यान्नों की मांग/आवंटन तथा चीनी के आवंटन की मात्रा दर्शाने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टनों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र		खाद्यान्न (चावल, गेहूं आदि)		चीनी का आवंटन*
		मांग	आवंटन	
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	977.00	637.00	43,578
2.	असम	1062.00	622.00	16,000
3.	बिहार	1996.00	914.16	56,604
4.	गुजरात	966.16	431.40	28,464
5.	हरियाणा	463.89	157.20	9,408
6.	हिमाचल प्रदेश	170.50	85.50	3,309
7.	जम्मू और काश्मीर	414.00	282.50	4,792
8.	कर्नाटक	1090.00	462.00	29,958
9.	केरल	1860.00	1342.00	12,291
10.	मध्य प्रदेश	1824.00	630.00	42,681
11.	महाराष्ट्र	2010.50	1452.40	51,381
12.	मणिपुर	83.00	57.60	1,133
13.	मेघालय	141.70	104.20	1,057
14.	नागालैण्ड	99.00	72.00	680
15.	उड़ीसा	516.50	253.20	21,889
16.	पंजाब	518.30	265.80	13,649
17.	राजस्थान	1173.00	347.00	27,251
18.	सिक्किम	45.15	45,15	266,5

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	1611.00	604.00	30,309
20.	त्रिपुरा	166.50	119.00	1,635
21.	उत्तर प्रदेश	2045.00	1218.00	88,872
22.	पश्चिम बंगाल	4100.00	2845.00	45,150
23.	अण्डमानऔर निकोवार द्वीप समूह	16.40	16.40	380
24.	अरुणाचल प्रदेश	49.45	46.70	495
25.	चण्डीगढ़ प्रशासन	29.00	29.50	550
26.	दिल्ली	1365.75	956.00	12,208
27.	दादर और नगर हवेली	0.96	0.96	80
28.	गोआ, दमन दीव	86.21	78.80	940
29.	मिजोरम	144.50	72.08	378
30.	पांडिचेरी	17.82	14.44	487
31.	लक्षद्वीप	5.89	5.89	130

*1981 की जनगणना की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के आधार पर।

छोटे और माध्यम दर्जे के नगरों के विकास के लिए राज्यों को दी गई सहायता की धन वापसी

1308. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के विकास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता की धनवापसी के लिए कहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा 1979-80 में ऐसी कोई योजना तैयार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को पता चला है कि वर्ष 1979-80 और 1980-81 में परियोजनाओं के लिए दी गई पहली किश्त का राज्य द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वित करने में धनराशि का उपयोग करने में कौन-कौन राज्य विफल रहे हैं और कितने राज्यों ने धनराशि वापस दी है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिसंबर, 1979 में चालू की गई छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों से चुनीदा नगरों के बारे में परियोजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। मूल्यांकन तथा जांच पड़ताल के आधार पर अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुमोदित लागत के 50 प्र॰श॰ की सीमा तक अथवा 40 लाख रुपये, जो भी कम हों, केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। 1979-80 में 31 नगरों तथा 1980-81 में 92 नगरों में अनुमोदित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को पहली किश्त दी गई थी। परियोजना अवधि सामान्यतः तीन वर्ष की होती है। कई राज्य सरकारों ने इस धन का पूरी तरह उपयोग नहीं किया था तथा दूसरी किश्त के लिए मांग की थी। नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन कार्यक्रम का निरन्तर प्रबोधन करता है तथा मन्त्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। इस विषय में राज्य सरकारों को पत्र लिख दिए गए हैं। स्थानीय शासन तथा नगरीय विकास की केन्द्रीय परिषद ने फरवरी, 1982 तथा जनवरी, 1983 में कार्यान्वियन तथा प्रबोधन के लिए राज्य तथा स्थानीय स्तर पर बजट प्रावधान, भू अर्जन, निर्माण सामग्री तथा संगठनात्मक प्रबन्ध जैसी विभिन्न समस्याओं से निपट कर इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वियन को त्वरित करने का राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किए थे। परिषद ने राज्य सरकारों से केन्द्रीय सहायता एवं राज्य बजट प्रावधान का पूर्ण रूपेण उपयोग करके योजना अवधि के अन्त तक अधिकांश अनुमोदित योजनाओं को पूरा करने उपाय करने का भी अनुरोध किया।

(घ) निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति एक अथवा अधिक परियोजनाओं के लिए 1979-80 तथा 1980-81 में लिए गए धन को अब तक पूर्णरूपेण उपयोग में लाने में असफल रहे हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक

7. केरल

8. मध्य प्रदेश

9, महामाष्ट्र

10. मणिपुर

11. राजस्थान

12. सिक्किम

13. तमिलनाडु

14. त्रिपुरा

15. उत्तर प्रदेश

16. पश्चिम बंगाल

17. गोआ, दमण तथा दीव

18. पांडिचेरी

तथापि, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोकित योजनाएं सम्पूरणता के भिन्न-भिन्न सोपानों में हूं। किसी भी राज्य ने दी गई केन्द्रीय सहायता को अब तक वापिस नहीं किया है।

भूदान आन्दोलन

1306. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) उस आन्दोलन से लोगों को कितनी भूमि दान में दी गई;

(ग) इसमें से कितनी भूमि भूमिहीन किसानों को वितरित की गई; और

(घ) क्या दानकर्ताओं को उनके कृषि कार्य में कोई आर्थिक या अन्य सहायता दे रहा है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) सरकार द्वारा भूदान आन्दोलन की प्रगति का मूल्यांकन राज्य सरकारों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करके किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत 41.3 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त हुई है।

(ग) 19.6 लाख एकड़ भूमि को 7.0 लाख मात्र परिवारों में वितरित किया गया है।

(घ) भूमि के लाभभोगियों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता सुलभ करने हेतु

भारत सरकार के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, भूदान भूमि के आवंटी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त करने हेतु उसी तरह पात्र है जिस प्रकार, इस प्रकार की अन्य भूमि जोतों के भूमि धारक पात्र होते हैं।

राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू करना

1310. **श्री रसूल कोचक** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों मे केन्द्र सरकार को इस बात का आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय ग्रारीण रोजगार कार्यक्रम के लिए छठी योजना के लक्ष्यों को उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और फण्ड का कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) कितना रोजगार दिया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राज्य क्षेत्र में सुलभ की गई निधियों सहित छठी योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु कुल 1620 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ किया गया है। केन्द्र तथा राज्य दोनों क्षेत्र के अधीन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक उपयोग के लिए 1021.06 करोड़ रुपये उपलब्ध किए हैं। जैसा कि राज्यों सूचित किया है, योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल 718.39 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 1982-83 में उपयोग की गई निधियों की रिपोर्टें वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही प्राप्त होंगी। छठी योजना में प्रतिवर्ष 300 से 400 मिलियन श्रम-दिवसों का रोजगार सृजित किए जाने का लक्ष्य है। इसके मुकाबले में छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कार्यकम के अन्तर्गत सृजित रोजगार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सृजित रोजगार
	(मिलियन श्रमदिनों में)
1680-81	420.81
1981-82	354.52
1982-83	335.30
(कुछ भाग)	(अब तक प्राप्त सूचना)
	1010.72

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर यह प्रत्याशा की जाती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना छठी योजना लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

एशियाड के लिए हथियारों पर हुए खर्च की अदायगी

1311. **श्री ए० के० बालन** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मन्त्री ने एशियाड में मन्दिरों के हाथी भेजने पर हुए खर्च की अदायगी हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी धनराशि की अदायगी करने हेतु कहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विशेष आयोजन समिति को एशियाड-82 के लिए मन्दिर के हाथी भेजने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए केरल के मुख्य मन्त्री से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल से रेलगाड़ी द्वारा हाथियों का परिवहन

1312. **श्री ए० के० बालन** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 उल्लंघन करके केरल से मन्दिरों के हाथी रेलगाड़ी द्वारा एशियाड में लाए गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इन हाथियों को दिल्ली लाने के लिए केरल सरकार पर दबाव डाला था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को बकाया सरकारी धनराशि की बाढ़ग्रस्त किसानों से वसूली रोक देने के निदेश

1313. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों से भूमि राजस्व और विद्यालय शुल्क न लेने तथा सरकारी देय राशि और तकावी की वसूली रोक देने के कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की सहायता करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं । ये मदें राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं और वे उन पर अपने विवेक से निर्णय ले सकती हैं ।

दूध और दुग्ध उत्पादों में आत्म-निर्भरता

1314. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम चेयरमैन द्वारा दिए गए कथित विवरण की ओर दिलाया गया है कि देश ने दूध और उत्पादों में अधिक अथवा कम आत्म-निर्भरता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो देश में दूध और दुग्ध उत्पादकों के प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता क्या है और प्रति व्यक्ति उपलब्ध क्या है;

(ग) यदि हां, तो देश में कुल उपलब्धता कीं तुलना में आयातित दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) कथित विवरण पर सरकार कीं क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने 201 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से औसतन न्यूनतम पौषणिक आवश्यकता की सिफारिश की है । इसकी तुलना में, दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1979-80 में 125 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आंकी गई थी ।

(ग) तथा (घ) दूग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । पिछले कुछ वर्षों में कोई दूध और दुग्ध उत्पाद विदेशी मुद्रा से वाणिज्यिक रूप में आयात नहीं किए गए हैं । तथापि, देश में डेरी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए निधि के सृजन के लिए स्किम दुग्ध चूर्ण

मक्खन/बट आयल उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1973-74 के 109.6 ग्राम से निरन्तर बढ़ते हुए 1979-80 में 125 ग्राम तक बढ़ी है। न्यूनतम पौषणिक आवश्यकता का 54.5 प्रति से 62 प्रतिशत (1) इस प्रकार दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट की पूर्व प्रवृत्ति काफी बदल रही है।

दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमेशा जनसंख्या की वृद्धि दर से संबंधित होती है। यद्यपि दूध के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, तथापि, जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण मांग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पूरी होने वाली सिंचाई योजनाएं

1315. **श्री गिरिधर गोमांगी**

श्रीमती जयन्ती पटनायक

श्री माधवराव सिंधिया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में अब भी बड़ी संख्या में मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, उन्हें किस वर्ष स्वीकृति दी गयी थी, परियोजाओं की प्रावकलित लागत क्या है और पूरा होने पर कितने क्षेत्र की सिंचाई की जानी है, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करने तथा पूरा करने में विलम्ब न होने देने हेतु उनके मन्त्रालय तथा राज्यों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर और छठी पंचवर्षीय योजना तक की अवधि के दौरान राज्य-वार माध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) लम्बी अवधि से चल रही परियोजनाओं और अन्य परियोजाओं के कार्य को शीघ्र निबटाने हेतु राज्यों को क्या मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

एशियाड के आधारभूत विकास में शहरी विकास मानदण्डों का उलंघन

1319. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी विकास और आयोजना के विशेषज्ञों ने सार्बजनिक रूप से यह आलोचना की है कि दिल्ली में एशियाड के लिए आधार-भूत सुविधाओं के रूप में कई उपरि-पुल और पुलों का निर्माण शहरी विकास और आयोजना के सभी मानदण्डों का उल्लंघन करके किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस आलोचना की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तक नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन ने सूचित किया है कि दिल्ली के ऊपरि-पुलों तथा पुलों पर नगर विकास तथा आयोजना के विशेषज्ञों द्वारा कोई आलोचना करने का उन्हें पता नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकर ने सूचित किया है कि एशिया खेलों के लिए दिल्ली में यातायात को परिचालित करने में सुधार हेतु बनाए गए ग्रेड सैपरेटर्स दिल्ली की बृहत योजना कार्यान्वियन के भीतर है। तथापि, दिल्ली नगर कला आयोग ने कुछ ऊपरि पुलों के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ पेड़ों को गिराए जाने की आलोचना की थी। परियोजना प्राधिकारियों ने कहां कहीं भी सम्भव था पेड़ों को दूसरे स्थानों पर लगाने तथा नये पेड़ लगाने की भी कार्यवाही की। उपर्युक्त परियोजनाओं को अनुमादित करते समय दिल्ली नगर कला आयोग ने कतिपय बहुमूल्य सुझाव दिये जिनका सम्बन्धित्त परियोजना प्राधिकारियों ने योजना में शामिल कर लिया था।

सिंचाई परियोजनाओं में चिनाई के लिए ईंटें बनाने हेतु राज्यों को कोयले की सप्लाई

1317. **श्री शान्तुभाई पटेल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 में यह निर्णय लिया गया था कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 1500 वेगन कोयला प्रति माह सप्लाई किया जाएगा ताकि वे राज्य अपनी सिंचाई परियोजनाओं के कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंटे तैयार कर सकें ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा जो वैगन सप्लाई किए गए थे वे निर्धारित्त संख्या से काफी कम थे जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई परियोजनाओं का कार्य बहुत पीछे रह गया है; और

(ग) पूरी निर्धारित संख्या में वैगन सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं और इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ सीमा तक, जी हां।

(ग) वैगनों की कमी के कारण, रेलवे द्वारा वस्तुतः निर्धारित संख्या में वैगन सप्लाई नहीं किए गए थे यद्यपि इस मामले को बहुत ऊंचे स्तर पर उठायाँ गया था।

डी० डी० ए० फ्लैटों के गिरने की जांच करने सम्बन्धी समिति की रचना

1318. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों के गिरने के कारणों की जांच करने हेतु नियुक्त उच्च स्तरीय समिति के कुल कितने सदस्य हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी आयोग में नियुक्त किया गया है जो स्वयं इस घटना अथवा घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की इस समिति में नियुक्ति करने का क्या औचित्य है, और उससे क्या फायदा है; और

(घ) उच्च जांच आयोग के सदस्यों का चुनाव किसने किया और उन्हें किन आधारों पर नियुक्त किया गया ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विकासपुरी में निर्माणाधीन दिल्ली विकास प्राधिरण के फ्लैटों के एक इलाके के एक हिस्से के गिरने के कारणों की जांच करने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित सदस्यों की एक विशेष समिति का गठन किया :—

1. श्री वी० आर वैश,
   भूतपूर्व निर्माण निदेशक,
   केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग — अध्यक्ष

2. प्रो० बी० एम० अहूजा,
   प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग,
   भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान,
   नई दिल्ली । — सदस्य

3. श्री जे० एल० मिन्टो,
   मुख्य इंजीनियर,
   (कोट नियन्त्रण)
   दिल्ली विकास प्राधिकरण — सदस्य सचिव

(ख) दिल्ली विकास प्रधिकरण ने बताया है कि किसी व्यक्ति को जो इस घटना के लिए या इन फ्लैटों में घटिया सामग्री के कथित उपयोग के लिए स्वयं उत्तरदायी था, समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने विशेष समिति के सदस्यों का चुनाव उनके अनुभव एवं प्रतिष्ठा के आधार पर दिया था ।

खरीफ की फसल को क्षति

1319. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ के कारण खरीफ उत्पादन में क्षति होने का भय है;

(ख) क्य इस सम्बन्ध में केन्द्र ने राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) खरीफ उत्पादन में हुई क्षति को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से रबी के लक्ष्यों में संशोधन किया गया है तथा खाद्यान्नों और तिलहनों के सम्बन्ध में क्रमशः 620 लाख मीटरी टन तथा 58.4 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

राज्य सरकारों को निम्नलिखित उत्पादन नीति अपनाने का सुझाव दिया गया था :—

(1) रबी फसलों के लिए बीजों, उर्वरकों ऋण आदि की ठीक समय पर सप्लाई करना;

(2) गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों का ठीक समय पर बोया जाना;

(3) नहरों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई जल की पर्याप्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना; और

(4) पर्याप्त और ठीक समय पर वनस्पति संरक्षण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना ।

रबी अभियान को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को परिचालित की गई नियन्त्रण सूची में उक्त योजना का ब्यौरा दिया गया है ।

राज्य इस दशा में भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

डी० डी० ए० प्लाटों के अत्यधिक मूल्य

1320. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पहले दिल्ली में भूमि की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो डी० डी०ए० द्वारा मनमाने रूप से डी० डी० ए० के प्लाटों के अत्याधिक मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या 18 जनवरी, 1983 को कीर्ति नगर में निर्धारित नीलामी का जनता ने *बहिष्कार* किया था ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) शहरी भूमि की कीमतों में अवांछित वृद्धि को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों को मार्ग निदेशक परिचालित कर दिये गये हैं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह मनमाने ढंग से प्लाटों की नीलामी के लिए अत्याधिक कीमत निश्चित नहीं करता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण मोटे तौर पर एक ही आकार के इसी प्रकार के प्लाटों के लिए पिछली नीलामी में प्राप्त हुई बोलियों के आधार पर नीलामी के लिए आरक्षित कीमत निश्चित करता है । जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है वहां उसी महत्व एवं उपयोग के इसी प्रकार के क्षेत्रों से प्राप्त बोलियों के आधार पर नीलामी के लिए आरक्षित कीमत निश्चित की जाती है ।

(ग) जी, हां । तथापि, ये प्लाट अनुवती तिथि को बेचे गये ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अवरुद्ध होना

1321. **श्री रशीद मसूद** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन' अवरुद्ध हो गया है और छोटे कस्बों का विकास बहुत असन्तोषजनक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1979-80 से इस संबंध में उपलब्धि क्या है और कार्यक्रम के अवरुद्ध होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) प्रगति को तेज करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ;

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वियन ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है और इस प्रकार छोटे कस्बों के विकास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मंत्रालय में समितियां/परिषदें/बोर्ड

1322. **श्री रशीद मसूद**

श्री दौलत राम सारण

श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मंत्रालय में कितनी समितियां/परिषदें/बोर्ड हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन समितियों/परिषदों/बोर्डों के वास्तविक कार्य क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन समितियों/परिषदों/बोर्डों की उपयोगिता या अन्यथा के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

1323. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1981-82 और 1982-83 में विभिन्न राज्य सरकारों को इस कार्य के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने पूरी धनराशि को खर्च नहीं किया है और जो धनराशि खर्च नहीं की गई है उसे केन्द्र सरकार को वापस कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक वापस की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को दी केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) व (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक योजना कार्यक्रम होने के कारण विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध किए संसाधनों का कुछ भाग

संचलन प्रक्रिया में पड़ा रहाता है। इस प्रकार किसी दिए गए समय में सम्पूर्ण संसाधनों को उपयोग में लाना सामान्य रूप से सम्भव नहीं है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सम्पूर्ण योजना परिव्यय को योजना अवधि के दौरान उपयोग में ले लिया जाए।

विवरण

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1981-82 के दौरान बंटित केन्द्रीय सहायता	1982-83 के दौरान आबंटित केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1896.00	1983.00
2.	असम	400.00	400.00
3.	बिहार	1210.00	2540.00
4.	गुजरात	560.00	590.00
5.	हरियाणा	190.00	160.00
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00	120.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	80.00	160.00
8.	कर्नाटक	828.00	874.00
9.	केरल	804.00	847.00
10.	मध्य प्रदेश	1320.000	1390.00
11.	महाराष्ट्र	1420.00	1498.00
12.	मणीपुर	10.00	20.00
13.	मेघालय	10.00	20.00
14.	नागालेण्ड	20.00	20.00

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	820.00	895.00
16.	पंजाब	252.00	266.00
17.	राजस्थान	688.00	492.00
18.	सिक्किम	8.00	16.00
19.	तमिलनाडु	1480.00	1560.00
20.	त्रिपुरा	60.00	60.00
21.	उत्तर प्रदेश	3340.00	3513.00
22.	पश्चिम बंगाल	1348.00	1414.00
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्विप समूह	16.00	32.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	28.00
25.	चण्डीगढ़	—	8.00
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	16.00
27.	दिल्ली	—	4.00
28.	गोवा दमन तथा द्वीव	—	32.00
29.	लक्ष्यद्वीप	—	8.00
30.	मिजोरम	32.00	32.00
31.	पांडिचेरी	16.00	32.00
	योग	16,694.00	19,000.00

चीनी मिलों का बन्द होना

1324. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ चीनी मिलें बन्द बड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन चीनी मिलों के बन्द होने के कारण हैं ;

(घ) उक्त चीनी मिलों के बन्द होने के कारण कितने कामगार बेकार हो गए ; और

(ङ) इन चीनी मिलों को पुनः खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) एक **विवरण** संलग्न है जिसमें राज्यवार उन मिलों के नाम दिये गए हैं जिन्होंने चालू चीनी वर्ष के दौरान और 22-2-1983 तक कार्य नहीं किया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के पास सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी पेराई मौसम में मिलें समय से पिराई कार्य शुरू करें, यह संबंधित राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी होती है।

विवरण

22-2-1983 की स्थित

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मिल का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) किरलामपुडी शुगर मिल्स लि०, पो० आ० पिथापुरम, जिला पूर्वी गोदावरी।
		(2) शिवकामी शुगर लि०, पो०आ० टनुकू, जिला गोदावरी।
2.	बिहार	(1) बिहार शुगर वर्क्स, पो० आ० पचरुखी, जिला सारन।
3.	महाराष्ट्र	(1) श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, असुरले, तालुक पन्हाला, जिला कोल्हापुर।
4.	तमिलनाडु	(1) पलार शुगर प्रा० लि०, पो०आ० मेलपट्टी, जिला उत्तरी आरकाट।
5.	उत्तर प्रदेश	(1) एक्सपेरिमेंटल शुगर फैक्ट्री, एन०एस०आई०, पो०आ० कल्याणपुर, कानपुर।
		(2) यू० पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट सखौती टांडा, पो०आ० सखौती टांडा।

बारानी खेती

1325. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

श्री के० मालन्ना :

श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारानी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्यक्रम से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होंगे और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संबंधित सभी विभागों के प्रयासों को समन्वित कराने और कृषि आदानों के वितरण के लिए राज्यों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंसान परिषद, आई०सी०आर० आई०एस०ए०टी० कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा विकसित बारानी खेती प्रौद्योगिकी किसानों के खेतों पर उपलब्ध कराई की जा रही है। बारानी खेती के लिए अपनाई गई नीति दो प्रकार की अर्थात (1) सघन सीमित और (2) विस्तार नीति हैं। सघन नीति के अन्तर्गत, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों के, चुनिन्दा जिलों के लिए बरा बारानी खेती क्षेत्रों हेतु जल संरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिये एक मार्गद ीं परियोजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों ने सघन विकास के लिये अब तक 26.35 लाख हक्टेयार क्षेत्र में 3095 सूक्ष्म जलविभाजकों को चुना जा चुका है। विस्तार नीति के अंतर्गत, उन्नत बारानी कृषि प्रणाली के लिए 145.6 लाख हैक्टार क्षेत्र शामिल किया गया है। बारानी खेती के क्षेत्रों में किसानों को उर्वरक एवं-ड्रिल, अन्य उपस्करों, उर्वरकों, उन्नत बीजों, बनस्पति संरक्षण आदि की आपूर्ति की गई है।

(ख) सभी राज्यों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बारानी खेती प्रौद्योगिक अपनाने की सलाह दी गई है।

(ग) सभी राज्यों को उनकी बहु उद्देश्योय नीति को ध्यान में रखते हुए बारानी खेती की आयोजना, क्रियान्वयन, समन्वय, और प्रबोधन के लिये एक कार्यात्मक कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी गई हैं। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि बे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान सुलभ हों उनसे बरानी क्षेत्रों के लिए समेकित/जलविभाजकों/विकास परि-योजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और प्रबोधन हेतु, खण्ड स्तर पर एक बहु-उद्देशीय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है तथा बारानी खेती के विकास के लिए अन्य सम्बन्द्ध विभागों, ग्रामीण विकास और कृषि के चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की देख-रेख और समन्वय करने के लिए राज्य स्तर पर अन्तर्विभागीय समिति की स्थापना करने का भी अनुरोध किया गया है। चुनिन्दा जलविभाजकों को कृषि आदानों और ऋण के वितरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

वनस्पति के मूल्य

1326. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री वनस्पति के मूल्य को घटाने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में 8 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैकों के मूल्य 16.5 किलोग्राम टिन के मूल्य से सहसंबद्ध नहीं है ;

(ख) क्या पनघट के 16.5 किलोग्राम टिन और 1 से 5 किलोग्राम रथ के मूल्य दर्शाए जाएंगे और सहसंबद्ध किए जाएगे ; और

(ग) क्या निर्माताओं पर घी के छोटे पैकों की केवल सीमित मात्रा का उत्पादन करने के लिए पाबन्दी लगाई जाएगी ताकि वे जनता का बड़े पैमाने पर शोषण न कर सकें ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) व (ख) इस समय वनस्पति के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है । तथापि, वनस्पति उद्योग द्वारा एक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का पालन किया जा रहा है, जिसके अनुसार 16.5 कि० ग्रा० के टीन का अधिकतम कारखाना मूल्य 217 रु० नियत किया गया है । यद्यपि छोटे पैकों में वनस्पति की मूल कीमत थोक पैकिंग के अनुसार होती है, तथा पैकिंग, साज-संभाल आदि की लागत अधिक होने के कारण इसकी कीमत थोड़ी अधिक होती है ।

(ग) सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन

1327. **श्री गदाधर साहा** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास में हुए सिंचाई राज्य मन्त्रियों के 7वें भारतीय सम्मेलन में की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है जिसमें इस तथ्य को चिंताजनक ढंग से नोट किया गया है कि योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में मुख्य रुकावट अपर्याप्त धनराशि दिया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के मद्रास में, दिसम्बर, 1982 में हुए सातवें अखिल भारतीय सम्मेलन में, क्षमता के सृजन और उपयोग के अधिकतम संभव स्तर को प्राप्त करने के प्रयास में, अन्य बातों के अलावा,

अपर्याप्त वित्तीय निवेश की होने वाली एक बड़ी तंगी को नोट किया गया। फिर भी, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई सेक्टर के लिए अधिकतम संभव धन आवंटित करें ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

लक्ष्मी चीनी मिल, महोली का वर्ष-वार चीनी उत्पादन

1328. **श्री राम लाल राही :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी चीनी मिल, महोली का अधिग्रहण करने के बाद प्रतिवर्ष चीनी का उत्पादन कितना रहा है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों की तुलना में इन दो वर्षों के दौरान गन्ना पेराई का औसत कितना रहा है ; और

(ग) मिल में कितने दिनों तक काम हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) लक्ष्मीजी शुगर मिल्स, महोली ऐसी एक फैक्ट्री नहीं है, जिसके प्रबन्ध को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम, 1978 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था ; यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबन्ध में हैं। इसका प्रबन्ध उनके द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर के माध्यम से किया जा रहा है। 1976-77 से 1981-82 के वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन, पेरे गए गन्ने और उसकी अवधि (दिनों की संख्या जब मिल ने काम किया) और 1982-83 के लिए उद्यतन उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1982-83 मौसम के लिए पिराई कार्य अभी जारी हैं।

विवरण

1976-77 चीनी वर्ष से लक्ष्मी चीनी मिल महोली द्वारा पेरे गए गन्ने, उत्पादित चीनी और 22 घंटे के हिसाब से कार्य अवधि के बारे में सूचना देने वाला विवरण

चीनी	पेरा गया गन्ना	उत्पादित चीनी	अवधि (दिन)
	(मी० टन)	(मी० टन)	(22 घंटे के हिसाब से)
1976-77	209870	19373	180
1977-78	209870	19373	225

1	2	3	4
1978-79	221902	18421	199
1879-80	80781	7000	62
1980-81	152727	15247	120
1981-82	265273	22949	234
1982-83 (31-1-83 तक)	65780	6012	52

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन

1329. **श्री नारायण चौबे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्र का खाद्यान्न आवंटन उनकी मांग से बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की वर्ष 1982 के दौरान मासिक मांग और आवंटन कितना था ; और

(ग) मांग को पूरी तरह से पूरा न करने के कारण क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों समेत विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल से ये आवंटन, राज्य में खाद्यान्नों की खुले बाजार में उपलब्धता में कमी को पूरा करने के इरादे से किए जाते हैं और इनसे समूची जनसंख्या की खपत सम्बन्धी कुल जरूरतों को पूरा करने की आशा नहीं की जा सकती है। एक विवरण उपाबंध संलग्न है जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को वर्ष 1982 की खाद्यान्नों को मासिक मांग और उनके आवंटन के बारे में बताया गया है।

विवरण

पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की 1982 के दौरान खाद्यान्नों की मांग और उनको किए गए आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मां-मांग आ० आवंटन

राज्य		जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित०	अक्तू०	नव०	दिम०	जोड़
बिहार	मां	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	58.0	183.0	183.0	183.0	183 0	1996.0
	आ	88.0	88.0	93.0	93.0	89.77	55.77	55.77	57.77	70.77	60.77	80.77	80.77	914.16
उड़ीसा	मां	22.5	25.0	25.0	25.0	25.0	75.0	25.0	32.0	82.0	80.0	60.0	40.0	515.5
	आ	12.6	12.6	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	24.6	36.6	24.6	29.6	29.6	253.2
सिक्किम	मां	3.15	3.15	3.15	3.65	3.65	4.15	4.0	4.5	4.15	4.15	4.15	3.65	45.15
	आ	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	45.15
पश्चिमी बंगाल	मां	320.0	320.0	330.0	330.0	330.0	330.0	330.0	330.0	330.0	375.0	375.0	400.0	4100.0
	आ	220.0	220.0	225.0	225.0	245.0	235.0	235.0	245.0	250.0	245.0	250.0	250.0	2485.0
असम	मां	88.0	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88,5	88,5	88,5	88,5	88.5	1062.0
	आ	4.0	4.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	83.0
मेघालय	मां	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	141.6
	आ	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	104.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नागालैंड मां	5.5	5.5	7.0	6.0	8.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	99.0
आ	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	72.8
त्रिपुरा मां	12.5	12.5	11.0	11.0	13.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	13.5	166.5
आ	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	119.0
अरुणाचल													
प्रदेश मां	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	4.5	4.5	4.5	4.5	3.9	3.9	3.9	49.45
आ	3.85	3.85	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	8.9	3.9	3.9	3.9	3.9	46.7
मिजोरम मां	9.0	10.5	15.5	15.5	15.5	15.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	144.5
आ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	72.0

लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि

1330. **श्री नारायण चौबे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1982 से लेवी चीनी के मूल्यों में 10 पैसे की वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री : (श्री भागवत झा आजाद) : 5 लाख मीटरी टन चीनी के बफर स्टाक को बनाए रखने के लिए वित्त प्रदान करने हेतु चीनी पर विकास उपकर की दर को 5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति क्विंटल कर देने के फलस्वरूप पहली दिसम्बर. 1982 से लेवी चीनी के खुदरा उपभोक्ता मूल्य को 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसबा से बढ़ा दिया गया।

गांवों को पीने के पानी की सुविधा जुटाना

1331. **श्री सत्यनरायण जटिया :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1983 तक देश से कितने गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ; और

(ख) पिछली तीन योजनाओं नें पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजनाओं और किए गए प्रयास का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना में इस दिशा में अलग-अलग क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) तथा (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। तदनुमार, ठीक ठीक सूचना केवल राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी। केन्द्रीय सरकार, पता लगाए गये समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई करने के लिए ही इस कार्यक्रम से सम्बद्ध है जिसके लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि 1979-1980 के अन्त तक लगभग 1.84 लाख गांव जलपूर्ति की एक या दूसरी प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए थे। समस्याग्रस्त गांवों के बारे में, जहां तक समस्याग्रस्त ग्रामों का सम्बन्ध है यह अनुमान लगाया है कि मार्च, 1980 तक लगभग 95,000 ग्रामों में स्वच्छ पेय जल पूर्ति की सुविधाएं मुहैया कर दी गई हैं। 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गाँवों में पेय जल पूति

के कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांव थे। इनमें से, वर्ष 1980-81 के दौरान 25978 समस्याग्रस्त गांवों में और वर्ष 1981-82 के दौरान 29837 समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1982-83 का लक्ष्य लगभग 42000 समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल सुविधाएं मुहैया करने का है।

खिलाड़ियों को सुविधायें और भत्ते

1332. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवें एशियाई खेलों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और भत्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले में हाकी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराई गयी थीं

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) नवें एशियाई खेलों के दौरान भारतीय दल में शामिल भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों को (i) निःशुल्क भोजन और आवास के साथ-साथ वे अन्य सुविधाएं जो नवें एशियाई खेल गांव में अन्य भाग लेने वालों को उपलब्ध कराई गई थी (ii) निशुल्क समारोह और प्रदर्शन से संबन्धित कट उपलब्ध कराई गई थीं।

(ख) जी नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा रेपसीड मस्टर्ड उत्पादन में सफलता

1333. **श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को रेपसीड, मस्टर्ड उत्पादन में भारी सफलता मिलने का दावा किया है और उसके परिणामों के बारे में मंत्रिमण्डल को सूचित किया है ;

(ख) यदि हां, तो दावे और निष्कर्षों का पूर्ण ब्यौरा क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित उच्च पैदावार वाली कितनी किस्मों के बीज, किस्मवार, उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के पास भरथल गांव में 40 किसानों को 1980-81 की न्यूनतम पैदावार की तुलना में 1981-82 में प्रति हेक्टेयर कम पैदावार मिली थी ; 1980-81 और 1981-82 में प्रति किसान की भूमि और उत्पादन के अलग-अलग ब्यौरे सहित कारण क्या हैं; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थान के ऐसे घटिया कार्यनिष्पादन के फलस्वरूप इसके बढ़ते हुए योजना व्यय के प्रतिशत की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी हो रही है जैसा कि 15 जनवरी, 1983 के 'सूर्या इण्डिया' में प्रकाशित हुआ था ; प्रत्येक परियोजना की वार्षिक आय की तुलना में 1979-80 से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में परियोजनायें वर्षवार, योजना और गैर योजना व्यय कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सरसों की दो श्रेष्ठ किस्मों की पहचान की है जिनका नाम पूसा कल्याणी और पूसा बोल्ड है । 1980-81 के दौरान, अस्थिर प्रबन्ध निवेशों से विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों के अन्तर्गत पूसा बोल्ड से प्रति हेक्टर 15-25 क्विटन पैदावार प्राप्त हुई । इस तरह इस किस्म में प्रति हैक्टर करीब 24 क्विटल पैदावार देने की क्षमता है ।

उन्नत किस्मों के प्रजनक बीजों को तैयार करने और, बुनियादी अवस्था में उसके और आगे संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बीज नियम की सप्लाई करने का उत्तरदायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है । 1982 के दौरान पूसा बोल्ड के 50 किलो प्रजनक बीज निगम को सप्लाई किया गया था और उसने इससे इस किस्म के 20 क्विटल मूल बीज पैदा करने का इरादा रखता है । यह रिपोर्ट मिली है कि राष्ट्रीय बीज निगम 40 क्विटल पूसा कल्याणी के बीज रखेगा, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित दूसरी उन्नत किस्म है ।

(ग) 1981-82 में किये गये प्रदर्शनों में इससे औसत उपज 18.25 क्विटल प्रति हैक्टर प्राप्ति की गई जबकि 1980-81 में ऐसे 15 प्रदर्शनों में इससे प्रति हैक्टर 24.46 क्विटल औसत पैदावार मिली थी । 1981-82 में कम पैदावार का कारण पाला, एफिड कीट का आक्रमण है जिसके कारण फलियां गिर पड़ी । इसका क्षेत्रफल और उत्पादन का ब्यौरा विवरण में दिया है ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से एक अनुसंधान संस्थान है और संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रायोजनाओं के उत्पाद से प्राप्त आय प्राप्तियों के रूप में इसके कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाता है । इसलिए, प्रत्येक प्रायोजना पर किये गये खर्च और आय प्राप्ति के साथ तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

ग्राम भरथल, दिल्ली में पूसा बोल्ड सरसों के किए गए प्रदर्शनों में प्राप्त पैदावार के नतीजे

क्रम सं०	किसान का नाम	प्रदर्शन का क्षेत्र	उपज क्विटल हैक्टर में
1	2	3	4
	I—रबी 1980-81		
1.	श्री गोपीराम सुपुत्र श्री झन्डू	1.00	26.00
2.	श्री सूरत सिंह सुपुत्र श्री हरि सिंह	1.00	26.00

1	2	3	4
3.	श्रीमती काजनी पत्नी श्री सरुपी	1.00	27.10
4-	श्री रामकुमार सुपुत्र श्री हरि सिंह	1.00	25.50
6.	श्री नवल सिंह सुपुत्र श्री श्रीचन्द	1.00	25.00
6.	श्री टेकन सुपुत्र श्री सिबलाल	1.00	24.30
7.	श्री लक्खी सुपुत्र श्री चाजीवरम	1.00	22.20
8.	श्री महेन्द्र सुपुत्र श्री सूरत	1.00	24.00
9.	श्री भारत सिंह सुपुत्र श्री ग्यानी	1.00	24.20
10.	श्री हीरालाल सुपुत्र श्री ग्यानी	1.00	25.10
11.	श्री लाल चन्द्र सुपुत्र श्री भारतू	1.00	23.10
12.	श्री सतवीर सुपुत्र श्री लाल चन्द्र	1.00	22.20
13.	श्री प्रलाहद सुपुत्र श्री छोटेलाल	1.00	24.00
14.	श्री छोटे सुपुत्र श्री माम चन्द	1.00	22.20
15.	श्री श्रीभन सुपुत्र श्री सुखपाल	1.00	26.10
	II—रबी 1981-82		
1.	श्री सदन सुपुत्र श्री खैराती	1.00	16.10
2.	श्री दलीप सुपुत्र श्री कन्हैया	1.00	17.00
3.	श्री वेदप्रकाश सुपुत्र श्री दलीप	1.00	16.30
4.	श्री धर्मवीर सुपुत्र श्री भूप सिंह	1.00	19.10
5.	श्री भगवान सुपुत्र श्री दयाराम	1.00	15.20
6.	श्री काशीराम सुपुत्र श्री भूप सिंह	1.00	16.00
7.	श्री मुन्शीराम सुपुत्र श्री रामेश्वर	1.00	17.20
8.	श्री जोतराम सुपुत्र श्री देश राम	1.00	20.20
9.	श्री अजीत सुपुत्र श्री मुन्शी	1.00	19.00

1	2	3	4
10.	श्री मीरसिंह सुपुत्र श्री देश राम	1.00	20.30
11.	श्री भरत सिंह सुपुत्र श्री रत्नी	1.00	14.20
12.	श्री ईश्वर सुपुत्र श्री भारत सिंह	1.00	15.00
13.	श्री राजेन्द्र सुपुत्र श्री सदाराम	1.00	21.00
14.	श्री रणवारी सुपुत्र श्री राम स्वरूप	1.00	18.20
15.	श्रीमती धापा पत्नी श्री राम स्वरूप	1.00	19.00
16.	श्री भगवान सुपुत्र श्री रूप सिंह	1.00	17.10
17.	श्री जय किशन सुपुत्र श्री भगवान	1.00	18.00
18.	श्री राम कर्ण सुपुत्र श्री रामपत	1.00	20.00
19.	श्री राम किशन सुपुत्र श्री रामपत	1.00	20.20
20.	श्री शेर सिंह सुपुत्र नाथवा	1.00	21.20
21.	श्री भगवान सुपुत्र श्रीं छत्तर	1.00	16.00
22.	श्री कन्हैया सुपुत्र श्री कंवर सिंह	1.00	20.00
23.	श्री गोपी सुपुत्र श्री झंडा	1.00	18.00
24.	श्री साहब राम सुपुत्र श्री सदाराम	1.00	19.00
25.	श्री खाजन सुपुत्र श्री वसन्ता	1.00	20.15
26.	श्री किशन सुपुत्र श्री मामचन्द	1.00	17.10
27.	श्री भारती सुपुत्र श्री नन्द लाल	1.00	14.00
28.	श्री सतवीर सुपुत्र श्री पृथ्वी	1.00	17.30
29.	श्री सुरजान सुपुत्र चन्दगी	1.00	19.00
30.	श्री लाल चन्द्र सुपुत्र श्री रूप चन्द्र	1.00	20.10
31.	श्री करन सुपुत्र श्री महासिंह	1.00	19.00
32.	श्री जय सिंह सुपुत्र श्री रघुवीर	1.00	22.00
33.	श्री श्रीभगवान सुपुत्र श्री सुख लाल	1.00	17.20
34.	श्री कुकम सुपुत्र श्री देश राम	1.00	19.20

1	2	3	4
35.	श्री सुन्दर सुपुत्र श्री भारती	1.00	18.00
36.	श्री हरि सिंह सुपुत्र श्री सुरता	1.00	19.00
37.	श्री हवा सिंह सुपुत्र श्री सदा राम	1.00	17.10
38.	श्री हुकम सुपुत्र श्री मेहरु	1.00	18.00
39.	श्री उमराव सुपुत्र श्रीचन्द	1.00	19.10
40.	श्री नवल सुपुत्र श्रीचन्द	1.00	20.00

टिश्यू कल्चर के माध्यम से हाइब्रिड नेपियर ग्रास उगाना

1334. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भारत में हाइब्रिड नेपियर ग्रास और नारियल के पौधे टिश्यू कल्चर में उगाए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उन प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जहां इस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) इस तरीके से उत्पादित हाइब्रिड नेपियर ग्रास की मात्रा कितनी है और इसे अब तक कितने क्षेत्रफल में उगाया गया है ; और

(घ) इस तरीके से उत्पादित नारियल अथवा अन्य पौधों की सख्या कितनी है और अब तक सफलतापूर्वक प्ररिरोपण के परिणाम क्या निकले हैं और देश में नारियल क्रान्ति लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) अभी तक हाइब्रिड नेपियर घास के टिश्यू कल्चर पर कार्य नहीं किया गया है। फिर भी, नारियल के मामले में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कासर गोड स्थित केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान में टिश्यू कल्चर के द्वारा नारियल के पौधे तैयार करने से संबंधित परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और सेन्ट एल्वायसियस कालेज, मंगलोर में नारियल के टिश्यू कल्चर पर दो सेस फन्ड स्कीमों को निधि प्रदान कर रही है। इन केन्द्रों में होने वाला कार्य प्रायोगिक अवस्था में है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह कार्य अभी भी प्रायोगिक स्तर पर हैं और इसको माननीकृत करने तथा बड़े पैमाने पर नारियल के पौदों के उत्पादन के लिए इस तकनीक के उपयोग करने में कुछ वर्षों का समय लग सकता है।

कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तरीके

1335. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार की आशावादी भविष्यवाणियों और अनुमान के अनुसार अनेक राज्यों में रबी फसल की पैदावार नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि तदर्थ उपयोग में लाए गए तरीके गलत हैं जिस कारण से गेहूं, दूध, तिलहनों के उत्पादन में अधिकतम उत्पादन होने की भविष्यवाणी के बावजूद, कमी आयी है और जिसके कारण अधिकतम आयात करना पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार फसल उत्पादन की भविष्यवाणी करने के वर्तमान तरीकों में सुधार लाएगी और इसकी घोषणा करने वालों को, जिन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, घोषणाएं लम्बित करने की सलाह देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) अधिकांश राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इस रबी मौसम की फसल बहुत अच्छी है।

(ख) और (ग) कृषि जिंसों के उत्पादन का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया पद्धति विज्ञान वस्तुपरक है तथा विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है और अनुमानों की यथार्थता में वृद्धि करने हेतु अधिक शोधन करने के लिए इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। अतः इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा बताए गए अनुमानों से गेहूं आदि में कोई कमी आई है।

पशु बीमा योजना का असफल होना

1336. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पशु बीमा योजना भी असफल रही है और कुछ क्षेत्रों में इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है जैसे कि कुछ जोनों में कार योजना का दुरुपयोग हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पशु बीमा योजना अपने प्रारम्भ, 1674 से ही संतोषजनक प्रगति कर रही है और यह कहना सही नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग हो रहा है। बीमा कम्पनियों ने योजना की व्यवस्थित प्रगति, प्रभावी नियंत्रण और न्यूनतम हानि को सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की है। तथापि, सरकार आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपाय करने के लिये सर्वदा सतर्क रहती है।

हिमाचल प्रदेश की आटा मिलों को लाइसेंस जारी करना

1337. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में आटा मिलों की संख्या क्या है और 1982 में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा कितना गेहूं उन्हें पीसने के लिए दिया गया और लाइसेंसों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) क्या सरार ने छोटी आटा मिलों को भरतीय खाद्य निगम का गेहूं सप्लाई न करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो कब से ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) हिमाचल प्रदेश में कार्यरत तीन लाइसेंस शुदा गेहूं रोलर मिलो का विवरण नीचे दिया जाता है :—

क्रम संख्या	मिल का नाम	वार्षिक क्षमता मीटरी टन में
1.	मैं० हिमाचल फ्लोर मिल्स कांगड़ा	900
2.	मैं० शिमला रोलर फ्लोर मिल्स शिमला	5400
3.	मैं० अमर फ्लोर मिल्स परवानू	9000

इन मिलों को 1982 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से रोलर फ्लोर मिलों के खाते पर 21760 मीटरी टन गेहूं सप्लाई किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्पोशीजकर संस्थान

1338. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा छठी योजनां में स्पीशीजकर अनेक नए संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) आज जब कि बल कृषि प्रणालियों पर है उस समय नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पौधों तथा जानवरों के अलग-अलग वर्तमान संस्थाओंकी सूची क्या है ;

(ग) प्रत्येक संस्थान का 1979-80 से वार्षिक आयोजना बजट संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय तथा राजस्व वसूलिया क्या थीं तथा गैर आयोजना मदों के अन्तर्गत तुलनीय ब्यौरे क्या थे ;

(घ) प्रत्येक स्पीशींज संस्थाद के आरंभ से उस इमारतें, उपकरणों पर तथा मात्रा भत्ते पर आवर्ती आक्समिकताओं पर वार्षिक व्यय कितना हुआ;

(ङ) प्रत्येक संस्थान के अधीन भूमि के क्षेत्रफल क्या हैं तथा वर्षवार वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है तथा 1979-80 से प्रत्येक मौसम में कितने क्षेत्र में खेती हुई तथा प्रत्येक वस्तु का कितना उत्पादन हुआ और उसका मूल्य क्या था; और

(क) क्या सरकार इस कार्य निष्पादन से संतुष्ट है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी नहीं, श्रीमान् । परिषद मे छठी योजना में भैंस पर अनुसंधान के लिए केवल एक नयी प्रजाति पर आधारित संस्थान का प्रस्ताव किया है।

(ख) फसलों और पशुओं के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संसथानों की वर्तमान और और नयी प्रजाति पर आधारित सूची परिशिष्ट-एक में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल० टी० 594/83]

(ग) संवद्व सूचना परिशिष्ट दो तथा तीन में दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल० टी० 594/83]।

(घ), (च)(च) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राय चौक मत्स्य पत्तन का परिचालन

1339. **श्री इन्द्रजीत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कहा है कि उसके राज्य मत्स्य विकास निगम को राय चौक मत्स्य पत्तन का परिचालन तथा प्रबन्ध करने की अनुमति दी जाए।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने आवश्यक मंजूरी नहीं दी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने पत्तन के प्रबन्ध का अपने हाथ में लेने से इन्कार कर दिया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास ने मछली पकड़ने वाले बन्दर गाह की व्यवस्था करने में कई कठिनाईयां बताई हैं ।

दालों तथा खाद्यानों की खेती वाली भूमि

1340. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में खाद्यानों तथा दालों का कितने टन का उत्पादन हुआ तथा इसके लिए कुल कितने हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया गया ; और

(ख) वर्ष 1983 के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्यानों तथा दालों की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली कुल हैक्टेयर भूमि के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981-82 के दौरान खाद्यानों तथा दलहनों का क्षेत्र तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1981-82 में खाद्यानों का क्षेत्र तथा उत्पादन

मद	क्षेत्र	उत्पादन
—	(लाख हैक्टार)	(लाख मीटरी टन)
सभी खाद्यान्न (धान्य तथा दालों सहित)	128.8	133.1
दलहन	23.9	11.4

(ख) 1963 के दौरान विभिन्न खाद्यन्नों तथा दलहनों की बुयाई के क्षेत्र का ब्यौरा सभी राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

सतलुज, ब्यास और रावी के पानी के बटवारे संबंधी करार की पुनरीक्षा

1341. **श्री चतुर्भुज** :

श्री वृद्धि चंद्र जैन : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सिंचाई के उद्देश्य के लिए रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के बटवारे

संबंधी करार में सम्मिलित राज्यों के नाम क्या है और किन तारीखों को करार किया गया और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें करार के अनुसार इस समय रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के बांधों के जलाशयों से पानी दिया जाता है और उन्हें कुल कितना पानी दिया जाता है और करार के अनुसार राजस्थान को पानी न दिए जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के बटवारे के लिए किये गए करार की पुनरीक्षा हेतु कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भूतपूर्व पंजाब राज्य और राजस्थान के बीच हुए 1959 के भाखड़ा नंगल करार के जरिये सतलुज के जल का पूरी तरह आबंटन किया जा चुका है। विभाजन-पूर्व के उपयोगों से अधिक, रावी-ब्यास के अधि-शेष जल का भूतपूर्व पंजाब (पेप्सू सहित), राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर को 29-1-1955 के करार द्वारा आबंटन किया गया था और उसे बाद में, 31-1-1981 के करार द्वारा पंजाब राजस्थान, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर और दिली के बीच पुनः आबंटित किया गया था। करारों के अनुसार, उपर्युक्त जल में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के हिस्से **विवरण** में दिखाए गए हैं।

भाखड़ा जलाशय सतलुज पर स्थित है और पौंग जलाशय ब्यास पर स्थित है। इस समय, रावी पर कोई जलाशय नहीं है।

भाखड़ा और व्यास जलाशयों से, समय-समय पर, जल के छोड़े जाने के बारे में निर्णय भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड की तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें राजस्थान सहित, सभी भागीदार राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन जलाशयों से इस प्रकार छोड़े गए जल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर और दिल्ली के हिस्सों और रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियों के प्रवाहों, में हिस्सों का निर्धारण भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उपर्युक्त करारों के अनुसार किया जाता है। भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड उपर्युक्त आबंटन को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों को आवश्यक निर्देश भी जारी करता है। कमियों, यदि कोई हों, की जांच की जाती है और उनका तकनीकी समिति की बैठक में समाधान किया जाता है।

(ग) यह करार राज्यों द्वारा आपस में स्वयं किये गए थे। उनका एकपक्षीय पुनरीक्षण केन्द्र द्वारा अपेक्षित नहीं है।

विवरण

रावी, ब्यास और सतलुज के जल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा जल सप्लाई के हिस्सों को दिखाने वाला विवरण।

(मिलियन एकड़ फुट में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	जम्मू और कश्मीर	दिल्ली जल सप्लाई	कुल
सतलुज (भाखड़ा नंगल करार)	7.88	4.27	1.40	—	—	13.55
रावी-ब्यास विभाजन-पूर्व उपयोग	1.98	—	1.11	0.04	—	3.13
अधिशेष जल से आबंटन (1981 का करार)	4.22	3.50	8.60	0.65	0.20	17.17

कोटा और झालावाड़ जिलों में सिंचाई परियोजनायें

1342. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों में मध्यम और बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और 31 जनवरी 1983 तक उन पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई आरम्भ होने का निर्धारित समय क्या है और क्या समयबद्ध कार्यक्रम में कोई विलम्ब हुआ है ; और

(ख) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रायय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले में निर्माण की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा, जिसमें अनुमानित लागत, जनवरी, 1983 तक किया गया व्यय, अन्तत: सृजनीय सिंचाई क्षमता, स्कीम के आरंभ का वर्ष, अशोक सिंचाई क्षमता के सृजन का वर्ष और पूर्ण किए जाने का संभावित वर्ष दिया गया है, **संलग्न विवरण** में दिया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अद्यतन अनुमानित लागत (लाख रु०	जनवरी, 83 तक व्यय (लाख रु० में)	अन्ततः सिंचाई (हैक्टे० में)	स्कीम के आरंभ होने का वर्ष	आशिक सिंचाई क्षमता के सृजन का वर्ष	स्कीम के पूरा होने का प्रत्याशित्त वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चम्बल परियोजना की लिफ्ट स्कीमें (छः स्कीमें)*	कोटा	301.19	116.41	15000	1979-80	1982-83	सातवीं योजना
2.	भीम सागर	झालवाड़	1417.36	614.61	8200	1954-55	1982-83	सातवीं योजना
3.	छापी	झालवाड़	1822.20	60.00	6000	1980-81	——	सातवीं योजना
4.	हरिश्चन्द्र सागर	झालवाड़	350.00	289.07	15000	1954-55	1981-82	1983-84
5.	परवान लिफ्ट स्कीम	कोटा	349.00	34.58	8180	1981-82	——	सातवीं योजना
6.	बिलास	कोटा	629.70	47.14	2600	1980-81	——	सातवीं योजना
7.	सावन भादों	कोटा	855.90	23.94	4000	1981-82	——	सातवीं योजना

*तैयार की गई 23 स्कीमों में से छः स्कीमों को राज्य सरकार द्वारा नुमोदित किया जा चुका है जिसमें से तीन पहले ही पूरी हो चुकी हैं और तीन पर कार्य प्रगति पर है।

राज्यों में फसल बीमा योजना

1343. **श्री चतुर्भुज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैक्टेयरों में फसलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिसका सरकार ने 1982-83 में

बीमा करने का निर्णय लिया है और 1981-72 के लिए फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य कितना है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ; और

(ग) 1983-84 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय सामान्य बीमा निगम राज्य सरकारों के सहयोग से फसल योजना की वर्तमान योजना को प्रायोगिक आधार पर चला रहा है। वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शामिल की गई फसलों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण एक तथा दो में दिया गया है। चूंकि यह योजना प्रायोगिक स्वरूप की है इसलिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। कृषि मंत्रालय द्वारा 10 व 11 फरवरी, 1983 को बुलाई गई फसल बीमा संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला में चालू योजना के शेष 2 वर्षों के लिए बीमा की गई राशि के राज्यवार लक्ष्य भारतीय सामान्य बीमा निगम और 12 राज्य सरकारों, जो इस योजना में भाग ले रही हैं, के परामर्श से निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1983-84 में 15 करोड़ रुपए का बीमा किए जाने की सम्भावना है।

विवरण-एक

भारतीय साधारण बीमा निगम

वर्ष 1981-82 के दौरान मार्गदर्शी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	फसल	मौसम	शामिल राज्यों की संख्या	स्ट्राटा की सं०	किसानों की सं०	शामिल किया गया क्षेत्र (हैक्टार में)	बीमा की गई राशि (रुपये)	प्रिमियम (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	धान	खरीफ	72	25	2483	2708.29	2545005.82	125494.79
		ज्वार	"	72	10	1232	1506.88	883882.49	38124.19
		मूंगफली	"	72	5	599	474.96	507299.40	25364.86
		धान	रबी	17	17	877	786.88	1039643.70	41236.78
		ज्वार	"	"	4	110	161.30	96944.32	3964.09
		मूंगफली	"	"	10	181	226.92	232644.35	9767.66
				72	71	5482	5865.23	5305389.00	243953.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	हरियाणा	बाजरा	खरीफ		3	70	272.30	114002.00	5700.10
		धान			12	479	681.50	93393.51	44778.35
		जौ	रबी	36	2	9	8.50	7991.50	388.55
		गेहूं	"		15	223	175.20	37234.00	16791.34
		चना	"		2	28	49.90	28590.00	1374.55
				36	34	809	1137.30	1456839.00	99032.89
3.	हिमाचल प्रदेश	धान	खरीफ	6	1	15	23.29	2526.80	126.65
		मक्का			5	146	55.76	38195.45	152.91
				6	6	161	79.05	40722.25	1979.26
4.	कर्नाटक	चावल	खरीफ	7	7	318	356.44	345632.00	17834.69
				7	7	318	356.44	345632.00	17834.69
5.	महाराष्ट्र	ज्वार	खरीफ		4	2269	1508.00	751664.60	35512.73
		धान	"	10	6	3827	2 23.72	1209406.99	9299.91
				10	10	6096	4031.72	1961071.59	84909.64
6.	उड़ीसा	धान	खरीफ		15	834	1193.63	497562.20	23633.96
			रबी	20	5	1600	1375.45	2108473.00	22470.98
				20	20	2434	2596.08	2606035.20	46104.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	तमिलनाडु	धान-1	खरीफ		9	1996	2745.63	2048672.35	87070.36
		धान-2	,,	22	13	1653	3195.64	2167909.39	65539.98
				22	22	3649	5941.57	4216581.74	152619.34
8.	पश्चिम बंगाल	अम्मा धान	खरीफ		29	4140	3728.45	2483481.50	96842.91
		आलू	रबी	45	8	1253	536.49	1564604.00	31893.55
		बोरो	,,		7	489	254.34	398811.00	13283.58
		धान		45	44	5082	4522.28	4446896.50	142020.04
		कुल खरीफ			131	18408	77778.85	12361215.1	551633.11
		कुल रबी		218	83	6423	6773.92	8017952.26	206711.06
		कुल योग		218	214	248431	24552.77	20379167.37	758344.17

विवरण-दो

वर्ष 1982-83 (खरीफ) के दौरान मार्गवर्शी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्र का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य	किसानों की संख्या	शामिल किया गया क्षेत्र (हैक्टार)	बीमा की गयी राशि (रुपये)	प्रिमियम (रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	9,721	12,217.29	1,12,18,700.68	4,53,778.72
2.	हिमाचल प्रदेश	44	204.92	0,389.43	415.65
3.	कर्नाटक	449	1,091.01	6,36,015.13	23,615.66
4.	महाराष्ट्र	8,776	7,595.81	39,58,746.82	1 44,544.53
5.	तमिलनाडु	3,29	6,498.78	53,31,625.59	1,66,399.78
6.	उड़ीसा	4,130	5,831.07	33,7´,492.41	1,21,663.18
7.	पश्चिम बंगाल	11,993	9,669.03	68,23,617.81	2,07,117.08
8.	मध्य प्रदेश	4,767	13,977.64	45,81,208.00	1,74,950.83
9.	बिहार	354	5 2.99	2,81,710,15	8,769.49
		43.428	57,668.54	2,62,18,587.02	13,01,264.92

1344. **श्री मौहम्मद असरार अहमद** : क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित खेल सामग्री का वर्तमान मूल्य क्या है ;

(ख) क्या उनमें से किसी का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे निर्यात का मूल्य क्या है ; और

(ग) खेल सामग्री उद्योग को प्रोत्साहित करने और ऐसी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण औरा आवासमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) देश में निर्मित खेल सामान का वर्तमान अनुमानित मूल्य 50 करोड़ रु० वार्षिक से अधिक है ।

(ख) जी हां । देश में निर्मित खेल सामान का जैसे कि नीचे दिया गया है, काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है :—

वर्ष	निर्यात किए गए खेल सामान का मूल्य
1980-81	28.49 करोड़ रु०
1981-82	29.89 करोड़ रु०
1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर, 82)	17.36 करोड़ रु०

(ग) खेल सामान उद्योग को प्रोत्साहन देने और ऐसे सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है ।

विवरण

आन्तरिक भाग तथा निर्यात के लिए आजकल जिन कुछ मुख्य सामानों का निर्माण किया जा रहा है, वे हैं फुटबाल और फूले हुए चमड़े के अन्य बाल, क्रिकेट और हाकी के बाल, हाकी स्टिक. क्रिकेट बैट, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस के लिए लकड़ी के रैकेट, दस्ताने, पैड इत्यदि जैसे संरक्षण के लिए चमड़े के उपस्कर, कैरम बोर्ड और अन्य अन्तरंग खेल, ई० पी० एन० एम० खेल ट्राफी इत्यादि ।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों के अलावा विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग) भी आवश्यक तकनीकी सलाह, सामान्य सुविधा सेवा, विभिन्न

प्रकार के खेल सामान के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है : सम्भावित खेल सामानों की परियोजना संबंधी रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं और नये यूनिटों की स्थापना और विद्यमान यूनिटों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में उद्यमियों को मार्ग-दर्शाने के लिए प्रकाशित की जा रही हैं। खेल उद्योग के लाभ के लिए विस्तार केन्द्र, मेरठ में विभिन्न प्रकार के चमड़े के खेल सामानों को तैयार करने तथा परिष्कृत करने के लिए सामान्य सुविधा सेवा शुरू की जा रही है। जालन्धर स्थित खेल विस्तार केन्द्र भी विभिन्न खेल सामानों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षण सुविधाएं देने के लिए सुसज्जित हैं। छठी योजना अवधि के दौरान खेल सामान और खिलौनों के लिए एक उत्पादन और प्रक्रिया विकास केन्द्र स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है।

खेल उद्योग के लिए अपेक्षित चमड़ा और लकड़ी तैयार करने के लिए क्रमशः केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी प्रयास किए जा रहे हैं। खेल सामान उद्योग के लिए प्रस्तावित उत्पादन और प्रक्रिया विकास केन्द्र खेल के नये सामान विकसित करने तथा प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर को बढ़ाने, निर्यात योग्य सामानों का पता लग,ने , उत्पादन में किफायत लाने के लिए एवजी सामग्री तथा प्रक्रिया मशीनरी का विकास करने में सहायता मिलेगी। केन्द्र उद्योग के लिए निपुण दस्तकारों पर्यवेक्षकों को भी प्रशिक्षित करेगा और तकनीकी सूचना और उद्योग की जानकारी का संग्रह और प्रसार करेगा। केन्द्र में कार्यशाला/प्रयोगशालाओं और परीक्षण की भी पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

खेल सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(क) खेल सामान की विभिन्न मदों के निर्यात पर नकद पूरक सहायता देना ;

(ख) खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद और खेल सामान उद्योग को भी बाहर के देशों में और अपने देश में भी मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है और खेल सामान के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बाहर के देशों का दौरा करने के लिए अध्ययन दल प्रायोजित करने के लिए सरकार भी अनुदान देती है ; और

(ग) उद्योगों की उनके प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के में सहायता करने के लिए आई० टी० सी० एस० आई० डी० ए० सहायता के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं।

पूर्वी चम्टारण जिले के लिए स्वीकृत/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनायें

1345. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी चम्पारण जिले मोतीहारी के लिए स्वीकृत निर्माणाधीन मध्यम और बड़े मैमाने की सिंचाई परियोजनाओं के नाम और उनकी संख्या क्या है ;

(ख) उनके पूरा होने की लक्ष्य तारीख कौन सी है ; और

(ग) इन सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गंडक परियोजना को बिहार के पूर्वा चाम्पारण और मोतीहारी जिलों के लाभार्थ कार्यान्वयन के लिए आरम्भ किया गया है।

(ख) अधिकांश निर्माण-कार्यों के पूरा होने का निर्धारित तिथि 1984-85 है।

(ग) गंडक परियोजना के सम्बन्ध में वित्तीय तथा भौतिक प्रगति नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

(1) अनुमानित लागत	415.81
(2) 1981-82 के अन्त तक हुआ व्यय	289.19
(3) प्रत्याशित व्यय, 1982-83	37.50
(4) कार्यकारी दल, 1983-84 द्वारा यथा अनुशासित परिव्यय	31.00
(5) अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता	11.51
(6) 1981-82 तक सृजित सिंचाई क्षमता	822.50
(7) 1982-83 तक प्रत्याशित सिंचाई क्षमता	894.00

छोटा नागपुर में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

1346. **श्री० के० राय** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में निर्माणाधीन अथवा निर्मित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के नामों सहित उनका तथ्यपरक ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आई है ;

(ख) इन प्रमुख बांधों के निर्माण के कारण कितनी भूमि जलमग्न हो जाएगी और कितनी संख्या में लोग प्रभावित होंगे, परियोजना-बार तथ्यपरक ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात कितनी भूमि सिंचित की जाएगी ;

(घ) उन विस्थापित लोगों का प्रतिशत कितना है जिनको इन सिंचाई परियोजनाओं में रोजगार दिया गया है अथवा पुनर्वासित किया गया है, तथ्यपरक ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि मैदानी क्षेत्र के धनी किसानों की भूमि को सिंचित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी लोगों की भूमि जलमग्न हो जाएगी जिससे भारी असंतोष है और यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कोई बृहत सिंचाई परियोजना पुरी नहीं हुई है हजारी बाग और गिरेडीह जिलों में सिंचाई के लिए उत्तर कोइल जलाशय परियोजना, सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनी परियोजना तथा वर्तमान कोनार जलाशय के व्यपवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य किया जा रहा है। संलग्न **विवरण** में लागत, लाभों, जलमग्न होने वाले क्षेत्र तथा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के बारे में ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) और (ङ) जल संसाधन परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में भूमि अधिग्रहण के लिए मानदण्ड तथा अपनाए जाने वाले पुनर्वास उपायों पर बिहार सरकार द्वारा निर्णय किया गया है, जिसमें परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर विस्थापितों के लिए रोजगार को व्यवस्था करने और बैकल्पिक रोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधाएं देने पर बल दिया गया है। बिहार सरकार, जहां तक व्यवहार्य है, भूमि के बदले भूमि का आबंटन करने का भी प्रयास करती है।

विवरण

बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में निर्माणाधीन/पूर्ण की गई बृहत परियोजनाओं की सूची।

क्रम	परियोजना का नाम	अद्यतन अमुमानित लागत (लाख रु० में	लाभ (हजार हैक्टेयर में)	जलमग्न क्षेत्र (हैक्टे०)	प्रभावित होने वाले व्यक्ति	अभियुक्त
1.	कोनार सिंचाई परियोजना (हजारी बाग और गिरिडीह)	8182.00	62.82	2649*	शून्य	*वर्तमान कोनार जिससे सिंचाई के लिए जल व्यपवर्तित किया जा रहा है जलमग्न होने वाला क्षेत्र है।

1	2	3	4	5	6	7
						कोनार सिंचाई परियोजना के कारण कोई नया क्षेत्र जल मग्न नहीं हो रहा है । इस तरह संभवतः इस परियोजना से जनसंख्या प्रभावित नहीं होगी ।
2.	उत्तर-कोइल जलाशय (पलामऊ)	15000.00	109.40	6478	3524	
3.	स्वर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना (सिंह भ्रम)			17611	34,853	
	(क) चांदिल में जलाशय	48090.09 (बहार के	241.87			
	(ख) इचा में जलाश	भाग की लागत 37848.62		12750	17,000	

छोटा नागपुर में सिंचित भूमि का प्रतिशत

1367. श्री ए० के० राय :

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सिंचित भूमि राष्ट्रीय औसत से कम है और छोटा नागपुर में बिहार से भी कम है और यदि हां, तो 1 जनवरी, 1983 के अनुसार तथ्यपरक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बांधों की अपेक्षा छोटे बांध अधिक उपयुक्त हैं ;

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर "मिनी डेम" बनाने और भू-क्षरण को रोकने के लिए कोई योजना है ; और

(घ) यदि हाँ, तो विस्तृत ब्यौरा क्या है और उस पर कौन से कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कृषि विभाग से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों (1978-79) के अनुसार 27.5 के अखिल भारतीय औसत की तुलना में, बिहार में सिंचाई की प्रतिशतता लगभग 2 प्रतिशत है।

(ख) पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, छोटा नागपुर डिवीजन लघु बांध सामान्यतः अधिक उपयुक्त हैं।

(ग) और (घ) छठी योजना के आरम्भ तक, 550 भूतल जल सिंचाई स्कीमें, 241 लिफ्ट सिंचाई स्कीमें और 1329 बृहत व्यास वाले कूओं का निर्माण पूरा किया जा चुका था। इनसे सृजित की गई कुल क्षमता 64.000 हैक्टेयर थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा की महिला कर्मचारियों के वेतनों का बकाया

1348. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूषा, नई दिल्ली में काम कर रही महिला कर्मचारियों को 1965 मे हुई वेतन वृद्धि के बकाया की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) क्या उस समय महिला तथा पुरुष कर्मचारियों के वेतनमान एक ही थे परन्तु पुरुष कर्मचारियों को वेतन वृद्धि सम्बन्धी बकाया राशियों अदायगी कर दी गई जबकि निम्न स्तरीय महिला अधिकारियों की राशियां रोक ली गई; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर महिला कर्मचारियों को 1965 की वेतन वृद्धि की बकाया राशियों की अदायगी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान समय-समय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कर रहा था। सन् 1962 में सरकार ने यह अनुदेश जारी किए थे कि संस्थान (महिलाओं किशोर तथा बच्चों के सिवाय) में मजदूरों को जो कि लगातार 24 जनवरी, 1961 से पहले सेवा में थे, उन्हें दिनांक 1-7-1959 या नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, उनका वेतन 70 रुपये प्रति माह निश्चित किया जाना चाहिए, यह भी अनुबद्ध किया गया था कि 70 रुपया प्रतिमाह निश्चित वेतन के लाभ को 740 मजदूरों जिनमें पांच वर्ष से अधिक सेवा सम्मिलित है, दिया जाना चाहिए। भारत सरकार के इस निर्णय के आधार पर संशोधित मजदूरी का भुगतान महिला मजदूरों के लिए नहीं किया गया था।

(ख) भाग (क) के सम्बन्ध में दिए गए जबाव में यह देखा जाएगा कि उस समय महिला और पुरुष श्रमिकों की मजदूरी की दरें एक समान नहीं थी। चूंकि पुरुष श्रमिकों की मजदूरी की दरों में संशोधन किया गया था, इसलिए महिला मजदूरों को बकाया के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

पारिश्रमिक अधिनियम के नियम 4 (3) अध्याय 1 की शर्त के अनुसार इस अधिनियम के शुरू होने से पहले उसको (पुरुष) या महिला को देय पारिश्रमिक की दर का प्रावधान इस उपधारा में नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोविन्दपुरी में जल तथा मल निकासी सुविधायें

1349. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में जल प्रदाय और मल निस्सारण उपक्रम के साथ गोविन्दपुरी में जल तथा मल निकासी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक 20 वर्षीय समजौता किया गया था ;

(ख) यदि हां, क्या उक्त समझौते के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग इस समझौते के पूर्ण कार्यान्वियन की असफलता के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा जल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 1971 में जल प्रदाय तथा मल व्ययन समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार नियमित कालोनियों के लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभारों का पहले भुगतान करने की मांग किए बिना ही जलपूर्ति तथा मल व्ययन सेवाओं की व्यवस्था की जानी है। उपर्युक्त सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्लाट क्षेत्र के 8 रुपये प्रति वर्ग मी० की एक समान दर निश्चित की गई थी। यह लागत ब्याज सहित 20 वार्षिक किश्तों में वसूल की जानी थी। प्लाटधारियों को विकास प्रभारों के भुगतान की शर्तों का करार निष्पादित करना अपेक्षित था। इस नीति के अनुसरण में 1972 में लोगों ने कुछ करारनामों पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के अनुसार उक्त नीति के अनुसरण में निर्धारित की गई शर्तों में से एक शर्त यह कि कार्य तब आरम्भ किया जाएगा जब 65 प्र०श० प्लाटधारी करारनामों को निष्पादित कर देंगे। क्योंकि अपेक्षित संख्या में प्लाटधारियों ने कार्य निष्पादित नहीं किए इसलिए यह कार्य पहले आरम्भ नहीं किया जा सका। इस संस्थान ने यह

भी सूचित किया है कि नियमित कालोनियों में सेवाओं की व्यवस्था के कार्य को आरम्भ करने की वर्तमान नीति यह है कि अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम रूप में प्राप्त हो जाय। इस संस्थान ने सूचित किया है कि गोविन्दपुरी में लाभभोगियों से न्यूनतम विकास प्रभार प्राप्त करने के बाद जलपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए लगभग 18.51 लाख रुपये की एक योजना आरम्भ कर दी गई है और 70 प्र०श० कार्य पहले ही पूरा हो गया है। इस संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि गोविन्दपुरी में मल व्ययन के लिए 90.23 लाख रुपये का एक प्राक्कलन बनाया गया है और यह कार्य उनकी वर्तमान नीति के अनुसार आरम्भ किया जायेगा;

अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट, दिल्ली पर यात्रियों द्वारा अनुभव की जा रही दिक्कत

1350. **श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्यर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट, दिल्ली पर दुकानदारों तथा फेरी वालों द्वारा चाय, खाना, खाद्य पदार्थ, सिगरेट, बीड़ियां आदि बाजार भावों से ऊंचे भावों पर बेचे जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस अड्डे पर रात के समय शौचालय में पानी की सप्लाई नहीं होती और क्या ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारी यात्रियों को शौचालय का उपयोग प्रति यात्री 50 पैसे लेने पर ही करने देते हैं और वहां पर शिकायतें दर्ज कराने की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) क्या सरकार इन मामलों की जांच करेगी और यात्रियों के साथ होने वाली ज्यादतियों को रोकने के लिए कदम उठायेगी।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इनकार किया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल पर शौचालयों में पानी की सप्लाई दिन-रात उपलब्ध है। इसने इस बात से इनकार कर किया है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी प्रत्येक यात्री से 50 पैसे वसूल करने के बाद ही यात्रियों को शौचालयों का प्रयोग करने देते हैं। इसने यह भी बताया है कि शिकायतें प्राप्त करने के प्रबन्ध हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के निरन्तर उपाय किए जाते हैं कि यात्रियों को सताया न जाय।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त किए गए टेकेदारों द्वारा दैनिक मजूरी वालों को मजूरी की अदायगी न करना

1351. **श्री निहाल सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न गोदामों की राज्यवार संख्या क्या है और प्रत्यक गोदाम में काम करने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले 2 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम गोदामों में खाद्यान्न जमा करने तथा उसके भण्डारण के लिए जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया उनके ब्यौरे क्या है ;

(ग) उन ठेकेदारों के ब्यौरे क्या हैं जो दैनिक मजूरी वाले मजदूरों को मजूरी की अदायगी दिए बिना भाग गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन मजदूरों को उनकी मजूरी की अदायगी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) **विवरण** एक संलग्न है जिसमें राज्यवार गोदामों की संख्या दी गई है **विवरण** दो भी संलग्न है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के डिपो कैडर के वास्तविक स्टाफ के बारे में बताया गया है ।

(ख) से (घ) क्योंकि देशभर में सैकड़ों स्थानों पर स्थानीय स्तर पर ठेके किए जाते हैं इसलिए यह सूचना इकट्ठी नहीं की जा रही है ।

विवरण-एक

राज्यवार गोदामों की संख्या बताने वाला विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	अपने	राज्य सरकार पोर्ट ट्रस्ट	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन	स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन	ए० आर० डी० सी०	प्राइवेट पार्टी	अन्य	जोड़
	पूर्वी जोन								
1.	असम	17	1	1	6	21	19	1	66
2.	बिहार	16	2	4	2	42	10	—	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	एन० ई० एफ० क्षेत्र	5	7	3	—	3	2	1	21
4.	उड़ीसा	19	4	4	2	2	2	—	33
5.	पश्चिम बंगाल	14	69	4	10	5	115	—	217
6.	जेएम (पी ओ) कलकत्ता	9	4	—	—	9	4	—	26
	उत्तरी ज़ोन								
7.	दिल्ली	3	—	1	—	—	1	—	5
8.	हरियाणा	28	1	3	32	62	2	1	129
9.	हिमाचल प्रदेश	—	8	—	—	—	3	2	13
10.	जम्मू तथा कश्मीर	3	3	—	—	—	2	—	8
11.	पंजाब	110	2	9	16	199	49	—	385
12.	राजस्थान	34	—	4	24	27	1	—	90
13.	उत्तर प्रदेश	39	16	19	44	70	24	—	212
	दक्षिणी जोन								
14.	आन्ध्र प्रदेश	24	—	24	11	71	1	3	134
15.	जेएम (पीओ) विजाग	1	—	—	—	—	—	2	3
16.	केरल	17	4	2	2	5	9	1	40
17.	कर्नाटक	8	—	4	7	23	—	1	43
18.	तमिलनाडु	40	—	11	6	20	—	1	78
19.	जेएम (पीओ) मद्रास	1	1	—	—	—	—	—	2
	पश्चिमी जोन								
20.	गुजरात	9	—	4	—	8	2	3	23
21.	मध्य प्रदेश	42	20	5	67	20	90	1	246
22.	महाराष्ट्र	10	4	2	—	8	—	3	27
23.	कांडला	—	1	1	—	—	—	—	2

विवरण-दो

डिपो संवर्ग (क्षेत्रवार) में 30-9-1982 को स्वीकृत स्टाफ और वास्तविक स्टाफ की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र/जोन का नाम	ए०एम० (डिपो)	ए०जी-1 (डिपो)	ए०जी-2 (डिपो)	ए०जी-3 (डिपो)
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्यालय	—	—	—	—
2.	जोनल कार्यालय (उत्तरी)	1	—	—	—
3.	दिल्ली क्षेत्र	16	62	89	209
4.	पंजाब क्षेत्र	135	417	749	1356
5.	हरियाणा क्षेत्र	50	103	220	427
6.	राजस्थान क्षेत्र	42	111	172	328
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4	5	6	67
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	15	27
9.	उत्तर प्रदेश	122	520	271	1343
10.	जोनल कार्यालय (पश्चिमी)	—	1	—	—
11.	महाराष्ट्र क्षेत्र	108	341	479	728
12.	गुजरात	21	64	119	266
13.	मध्य प्रदेश	46	119	285	902
14.	पो०आ० कांडला	8	23	87	87
15.	जोनल कार्यालय (दक्षिणी)	4	4	1	—
16.	तमिलनाडु	37	135	155	443
17.	आन्ध्र प्रदेश	51	341	262	788
18.	कर्नाटक	10	59	58	161
					247

1	2	3	4	5	6
19.	केरल क्षेत्र	29	131	198	362
20.	जे०एम० (पो०ओ०) विजाग	16	37	52	95
21.	जे०एम० (पो०ओ०) विजाम	43	123	177	144
22.	जोनल कार्यालय (पूर्वी)	9	5	7	1
23.	पश्चिरी बंगाल	5	85	1100	885
24.	बिहार क्षेत्र	25	212	260	456
25.	उड़ीसा क्षेत्र	6	38	100	109
26.	एन० ई० एफ० क्षेत्र	4	32	74	78
27.	असम	7	55	233	540
28.	जे०एम० (पो०ओ०) कलकत्ता	55	62	345	472

उर्वरकों की मांग

1352. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान उर्वरक की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) देश की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार की क्या योजना है ;

(ग) क्या सरकार का अन्य देशों से उर्वरकों का आयात करके उर्वरकों की आवश्यकता पूरी करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1982-83 (खरीफ और रबी मौसम) के लिए उर्वरकों की कुल आवश्यकता 74.03 लाख मीटरी टन आंकी गई है और खरीफ, 1983 के लिए 31.89 लाख मीटरी टन पोषक आंकी गई है। रबी 1983-84 और वर्ष 1984-85 के लिए आवश्यकता का जायजा उपयुक्त समय पर लगाया जाएगा।

(ख), (ग) और (घ) उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति देशीय उत्पादनों द्वारा की जाती है तथा आवश्यकताओं और देशीय उपलब्धता के बीच के अन्त की पूर्ति विभिन्न सम्बद्ध पहलुओं

को देखते हुए आयात द्वारा की जाती है। इस अवस्था में आयात से सम्बन्धित अन्य ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में वांछनीय नहीं है।

हुडको द्वारा हरियाणा में वित्त पोषित योजनायें

1353. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडकों द्वारा हरियाणा, मैं पिछले तीन वर्षों में कियनी योजनाओं का वित्त पोषण किया गया ;

(ख) ऋण के रूप में कितनी धनराशियां दी गई और उन पर ब्याज कितना है ;

(ग) हुडकों द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम धन लगाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पूंजी निवेष में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठायें जाने हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) 1980-81 से 1982-83 (31-1-1983 तक) की अवधि के दौरान, हुडकों ने ब्याज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों की योजनाओं के लिए 15.85 करोड़ रुपए की ऋण की वचनबद्धता सहित हरियाणा में विभिन्न आवास अभिकरणों को 28 परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता स्वीकृत की हैं।

(ग) तथा (घ) : भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और दूसरे तथ्यों पर आधारित हुडकों ने 1982-83 के लिए ऋण की राशि का विभाजन 8.30 करोड़ रुपये निर्धारित की थी जोकि अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं की व्यवहार्यता की शर्त पर थी। यह लक्ष्य पहले ही अधिक बढ़ गया है।

इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में काम पर नियुक्त किए गए विदेशी तकनीशियन

1354. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **निर्माण और** आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रप्रस्थ इनडोर स्टेडियम में काम करने के लिए ठेके के आधार पर नियुक्त किए गए तकनीशियन बिना नोटिस दिये काम को बीच में छोड़कर देश से चले गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ; और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जैसा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, ठेकेदार के विदेशी सहयोगी जिसको स्टेडियम के एक हिस्से के कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, को 1.25 लाख रुपए की राशि सहयोग शुल्क ल रूप में दी गई थी।

क्रिकेट में बम्पर बाल फेंकने पर प्रतिबन्ध

1355. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या खेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि श्री लंका का एक क्रिकेट खिलाड़ी छाती पर बम्पर बाल लग जाने के कारण पिच पर ही मर गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ढंग से बाल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (भा० क्रि० नि० बो०) ने, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता है, यह सूचित किया है कि उन्हें इस मामले की जानकारी है परन्तु ब्यौरों के बिना जो उनके पास उपलब्ध नहीं है, वे यह नहीं जह सकते कि तुरन्त मृत्यु बंपर बाल की वजह से हुई थी या किसी अन्य कारण से।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बंपरों, जिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, का सामना करने के लिए सभी बल्लेबाज हेलमेटों सहित गार्डस पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि मौजूदा नियमों के अन्तर्गत लगातार बम्पर बोलिंग करना भयंकर बोलिंग समझी जाती है और यह वर्जित है। बम्पर जो भयंकर नहीं है उसे वेज बौलर का एक वैध शस्त्र समझा जाता है।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र सम्बन्धी योजना

1356. **श्री तारिक अनवर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों संबंधी कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य के किन-किन क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की जाएगी अथवा की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास के लोगों के पूर्णवास के लिए भी कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) बाढ़-नियन्त्रण राज्य-विषय होने के कारण, बाढ़-नियन्त्रण तथा सम्बन्धित परियोजनाओं के आयोजन, अन्वेषण तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और इस क्षेत्र के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने वार्षिक योजना बजटों में की जाती है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास का कार्य जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। देश में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए कोई एकीकृत स्कीम नहीं है। राज्यों को ऐसी स्कीमें अपने-अपने क्षेत्रों के लिए स्वयं तैयार करनी होती है।

ग्रामीण गतिवर्धित जल प्रवाय योजनाओं के लिए राज्यों का वित्तीय सहायता

1357. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर।**
श्री के० मालन्ना : निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की शृा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष के दौरान पेयजल प्रदान योजनायें कितने गांवों में लागू की गई है और उनकी जनसंख्या क्या है ; और

(ख) ऐसे गांव कितने प्रतिशत हैं और इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लाए गए (एक) समस्या वाले गांवों तथा (दो) अन्य गांवों में लिए प्रत्येक राज्य के लिए पृथक-पृथक जनसंख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, पता लगाए गए समस्या ग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने की प्रगति में गति लाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती हैं। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 192भ से जनवरी 1983 की अवधि के दौरान पेय जल सुविधायें मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना स्पष्ट नहीं है। तथापि, 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में पता लगाये गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या तथा वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का विवरण दो संलग्न है।

विवरण एक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या उपलब्धि
1. उत्तर प्रदेश	3144
2. कर्नाटक	51 8
3. आंध्र प्रदेश	2761
4. सिक्किम	35
5. राजस्थान	2774
6. पंजाब	64
7. उड़ीसा	1661
8. मध्य प्रदेश	4506
9. तमिलनाडु	2289
10. जम्मू तथा कश्मीर	148
11. गुजरात	636
12. हरियाणा	197
13. बिहार	1303
14. असम	1127
15. मणिपुर	103
16. केरल	46
17. हिमाचल प्रदेश	543
18. त्रिपुरा	296
19. महाराष्ट्र	1383

1	2	3	4
	20. नागालैंड	22	
	21. मेघालय	90	
	22. पश्चिम बंगाल	283	

दिसम्बर मासिक प्रगति रिपोर्ट

विवरण-दो

क्रम संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-1980 का समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	लाभान्वित समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या 1980-81	1981-82	1-4-1982 की स्थिति के अनुसार लाभान्वित किए गए शेष समस्याग्रस्त ग्राम
1 2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	8206	487	2032	5687
2. असम	15743	963	1148	13632
3. बिहार	15194	2660	2700	9834
4. गुजरात	5318	525	581	4212
5. हरियाणा	3440	240	295	2905
6. हिमाचल प्रदेश	7815	1166	1180	5469
7. जम्मू तथा काश्मीर	4698	321	304	4073
8. कर्नाटक	15456	2063	2906	4073
9. केरल	1158	78	83	997
10. मध्य प्रदेश	24944	7195	5562	12187
11. महाराष्ट्र	12935	2674	2932	7329

1	2	3	4	5	6
12.	मणीपुर	1212	34	210	968
13.	मेघालय	2927	52	95	2780
14.	नागालैंड	649	72	82	495
15.	उड़ीसा	23616	1630	2447	19530
16.	पंजाब	1767	80	50	1637
17.	राजस्थान	19803	2402	3854	13547
18.	सिक्किम	296	21	30	245
19.	तमिलनाडु	6649	710	749	5190
20.	त्रिपुरा	2800	579	193	2028
21.	उत्तर प्रदेश	28505	612	870	26723
22.	पश्चिम बंगाल	24243	874	1148*	23221
23.	अण्डमान निकोबार द्विप समूह	173	18	7**	148
24.	अरुणाचल प्रदेश	1740	172	291	1277
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
26.	दिल्ली	99	35	27	37
27.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—	—
28.	गोवा दमन तथा द्वीव	66	7	9	50
29.	लक्ष द्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	214	—	13	201
31.	पांडिचेरी	118	8	39	71
	योग	2,30,784	25978	29837	174969

* इसमें आंशिक रूप से लाभान्वित ग्राम भी शामिल हैं।

** इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोतों के जिला परिषद कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम शामिल नहीं है।

हिमाचल प्रदेश को केन्द्र प्रायोजित पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

1358. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में केन्द्र प्रयोजित पेयजल प्रदाय योजानाओं के लिए प्रतिवर्ष अलग-अलग कोई वित्तीय सहायता प्रदान की और प्रतिवर्ष की राशियों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई तथा व्यय का अनुमान क्या है तथा आबंटन की तारीख क्या है ;

(ग) क्या मूल्यवृद्धि को देखते हुए इन आबंटनों में कोई वृद्धि की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना में कितनी वृद्धि हुई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया अनुदान निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्माण कार्यों के लिए दी गई निधियां
1980-81	561.77 लाख रुपये
1981-82	364.50 लाख रुपये
1982-83	273.73 लाख रुपयें

(ख) (ग) तथा (घ) पेय जलपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं तथा राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से इन्हें कार्यान्वित करती हैं तथापि, केन्द्र, द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल पूर्ति की सुविधाओं की व्यस्था को त्वरित करने के लिए की जाती है। केन्द्रीय सहायता योजनाकार नियत नहीं की जाती है अपितु प्रत्येक राज्य के सम्पदा कार्यक्रम के लिए दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार केन्द्रीय कार्यक्रम पूर्ण अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करती है। छठी योजना के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यो के लिए 12 करोड़ रुपये की कुल राशि नियत की गई थी। यह सम्पूर्ण राशि पहले ही दे दी गई हैं।

"पाडी" द्वारा आरम्भ की गई प्रायोगिक परियोजना

1359. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** .क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीपुल्ज एक्शन फार डेवलपमेंट इन इंडिया की गतिविधियों का क्षेत्र क्या है और उस संगठन के उद्देश्य क्या हैं ; और

(ख) इस संनठन की सामान्य परिषद तथा शासी निकाय का गठन क्या है और प्रत्येक निकाय सहित उनका कार्यशाल क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) एक पंजीकृत सोसायटी है। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु लोगों की कार्यवाही वाले कार्यक्रमों के संबंधित पहलुओं में सहयोग एवं सहायता देना तथा उनका विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) की सामान्य निकाय का अन्तिम वार पुनर्गठन 5-4-78 को किया गया था तथा इसकी सदस्य संख्या 137 थी। शासी परिषद को अन्तिमवार 30-10-79 को पुनर्गठित किया गया थीं और इसके 17 सदस्य थे। इन दोनों निकायों का पुनर्गठन विचाराधीन है क्योंकि इन दोनों निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा पर्वतीय राज्यों में समुदायिक विकास खण्डों का चयन।

1360. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में 9 अगस्त 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4607 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने उस प्रकार के अध्ययन के लिए, जैसा अध्ययन उत्तर प्रदेश के पोड़ी गढ़वाल जिले में किया गया था, किसी अन्य पर्वतीय राज्य में किसी अन्य सामुदायिक खण्ड का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पर्वतीय राज्य के खण्डों के नाम क्या हैं, किस तारीख से अध्ययन आरंभ किया गया और इसे कब तक पूरा किया जाना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य पर्वतीय राज्यों में खंडों का चयन कब तक किया जायेगा और अध्ययन कब आरंभ किए जायेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हां । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने एक विस्तृत खण्ड योजना तैयार करने हेतु हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नदौन खण्ड का चयन किया है जैसाकि उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में किया गया था । खण्ड योजना तैयार करने का कार्य मार्च, 1983 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जायेगा । 1983 तथा 1984 के दौरान हिमाचल क्षेत्र में भी दो और अध्ययन किया जाने का प्रस्ताव है— एक अध्ययन उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में तथा दूसरा अध्ययन अरुणाचल प्रदेश में खण्ड योजना में किया जायेगा । अरुणाचल प्रदेश में खण्ड चयन के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारिताओं के माध्यम से दी गई सहायता

1361. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में सहकारिताओं के माध्यम से सहायता के रूप में कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) कृषि विभाग द्वारा सूखा और बाढ़ों से प्रभावित किसानों को ऋण देने के लिए इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारी । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी समितियां के माध्यम से उपयोग में लाने के लिए निम्नलिखित राशि और अनुदान के रूप में दी थी :—

(करोड़ रुपयों में)

	1979-80	1980-81	1981-82
1) ऋण	31.14	24.15	50.46
2) अनुदान	7.86	5.87	6.60
जोड़	39.00	30.02	57.06

(ख) कृषि विभाग सूखे और बाढ़ से प्रभावित किसानों को ऋण की मंजूरी नही देता है । ऐसे किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए अधिकतम अनुदान में से वैकल्पिक खेती शुरू करने के लिए कृषि आदानों हेतु राज-सहायता दी जाती है । वर्ष 1982-83 के दौरान, प्राकृतिक विपत्तियां जैसे बाढ़, ओला वृष्टि, सूखे से प्रभावित विभिन्न राज्यों को भारत सरकार द्वारा अब तक कुल 738.33 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की गई है ।

गहन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले

1362. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों तथा राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है ; और

(ख) इन कार्यक्रमों के अधीन किस प्रकार की सहायता दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 31 मार्च, 1971 को सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत के जिलों के राज्यवार नाम निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	सघन कृषि जिला कार्यक्रम के जिले का नाम
1.	तमिल नाडु	तन्जावुर
2.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
3.	बिहार	शाहबाद
4.	मध्य प्रदेश	रायपुर
5.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
6.	पंजाब	लुधियाना
7.	केरल	अपेली तथा पालघाट
8.	पश्चिम बंगाल	बर्द्वान
9.	कर्नाटक	माडंया
10.	उड़ीसा	सम्बलपुर
11.	गुजरात	सूरत तथा वुल्सर
12.	असम	कछार
13.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू तथा अन्नतनाग
14.	दिल्ली	दिल्ली
15.	हरियाणा	करनाल

(ख) कृषि विकास के लिए नई नीति में प्रमुख रूप से अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम को शामिल करने से प्रत्येक सक्षम व्यवहार्य क्षेत्रों में सघन कृषि उत्पादन की प्रोद्योगिकी हस्तान्तरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीज, उर्वरक, पौध रक्षण उपाय आदि जैसे आदान भी दिए गए हैं। कुछ राज्यों द्वारा प्रशिक्षण एवं दौरा पद्यति के माध्यम से परामर्श सेवा तीव्र की जा रही है।

आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण

1363. **श्री बी० वी देसाई :**

श्री चित्त बसु :

श्री विजय कुमार यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा प्रस्ताव है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और वितरण के कार्य को एक ही छत्र-नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन लाया जाए ;

(ख) क्या इस प्रकार का प्रस्ताव प्रंधान मंत्री के विचाराधीन था ;

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन आवश्यक हो गया है कि नागरिक पूर्ति मंत्रालय का इस समय उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके अधीन यह मंत्रालय आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा लोगों को उसका वितरण विनियमित कर सकता है ; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) सभी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के कार्य को नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन लाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। उन आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य के बारे में नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी है जिन पर दूसरे मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट रूप से कार्यवाही नहीं की जाती है। उनके बारे में इसके अतिरिक्त, हाल के एक आदेश के अनुसार, खाद्य विभाग को, जो खाद्यान्नों तथा चीनी के बारे में कार्रवाई करता है, नागरिक पूर्ति मंत्रालय के साथ, जो खाद्य तेलों के बारे में कार्यवाही करता है, जोड़ा गया है और राज्य मंत्री के स्वतन्त्र प्रभार हैं एक नया खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय बनाया गया है।

प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से चीनी सम्बन्धी संकट का हल होना

1364. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकट ग्रस्त चीनी उद्योग ने अपने प्रभावकारी समस्याओं के हल के लिए प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन ने कुछ सर्वमान्य मुद्दे पेश किए थे जिन्हें प्रधान मंत्री के समक्ष रखा गया था ;

(ग) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के सामने क्या मुद्दे रखे गये थे ; और

(घ) चीनी मिल संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्रालय ने किस हद तक विचार कर लिया है और उनकी मांगों को पूरा करने हेतु अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन के एक शिष्टमण्डल ने प्रधानमन्त्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीनी उद्योग की समस्याओं का उल्लेख किया गया है ।

(ग) इस अभ्यावेदनन में गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 15.50 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा लेवी चीनी के मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि करने, खपत को बढ़ाने के लिए उत्पादन शुल्क में कमी करने, अधिक उदार बैंक ऋण सुलभ करने और बफर स्टाक की मात्रा में वृद्धि करने विषयक मुख्य-मुख्य बातों को उठाया गया है । यह भी सुझाव दिया गया है कि फैक्ट्रियों को प्रारम्भ में केवल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने और सांविधिक मूल्य और राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य के बीच के अन्तर के भुगतान को आस्थगित करने की इजाजत दी जाए ।

(घ) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य लेवी मूल्य को निर्धारित करने, अधिक उदार बैंक ऋण उपलब्ध करने, 5 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तैयार करने और निर्यात करने आदि से संबंधित बातों पर सरकार द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है और इन मुद्दों पर निर्णय ले लिए गए हैं । गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य होता है जिससे कम मूल्य मिलें गन्ना उत्पादकों को अदा नहीं कर सकती हैं । तथापि, राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों को अदा करने की अनिवार्यता तभी पैदा होती है जब गन्ना उत्पादकों, स्वयं मिलों और राज्य सरकारों के बीच हुए करार में से मिलें स्वयं एक पार्टी हों । निर्मुक्ति तन्त्र का सूझ-बूझ के साथ इस्तेमाल कर बाजार और मूल्यों पर प्रभावकारी ढंग से निगरानी करने से बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फैक्ट्रियां गन्ना उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य अदा करने के लिए काफी समक्ष हों ।

केरल को घटिया किस्म के चावल की सप्लाई

1365. **श्री ए० नीललोहिथादसन नाडार :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने के लिए केरल को मिला चावल अत्यन्त घटिया किस्म का है, यद्यपि इस चावल को बेहतरीन किस्म के चावल के रूप में वर्गीकृत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी किस्म सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी हां। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1982 के दौरान आन्ध्र प्रदेश और पंजाब से प्राप्त बहुत बढ़िया किस्म के चावल की कुछ मात्रा में अधिक प्रतिशतता में बदरंग अनाज था और दिखाई देने में भी यह स्टाक अच्छा नहीं था। जहां कहीं भी यह स्टाफ अच्छा नहीं था। जहां कहीं भी अधिक प्रतिशतता में बदरंग अनाज पाया गया वहां ऐसे स्टाक को जारी करने से पहले अपग्रेड किया गया था। दिसम्बर, 1982 से तथा उसके बाद प्राप्त हुआ बढ़िया किस्म के चावल का स्टाक अच्छी किस्म का है।

केरल के लिए जल प्रदाय योजनायें

1366. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कितनी जल प्रदाय योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृति कब तक दिए जाने की आशा है ; उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) केन्द्रीय द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में 1977-78 से 2,557.326 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 724 समस्याग्रस्त ग्रामों की ग्रामीण जलपूर्ति योजनायें अनुमोदित की गई हैं। इस मन्त्रालय में अब अनुमोदन के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विझिन्जम में मछली की खोज करने सम्बंधी कार्यवाही की प्रगति

1367. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विझिन्जम में मछली की खोज करने संबंधी कार्यवाही की प्रगति क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में सूचना संतोषजनक है ; और

(ग) विझिन्जम मत्स्य.पत्तन परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के लिए स्वीकृति प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्भ करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जनवरी से जून, 1982 के दौरान वाडगे तट क्षेत्र में किए गए अन्वेषण की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) रिपोर्ट में मत्स्य उपायों को प्रयोग में लाने की सम्भावना बतायी गयी है ।

(ग) कोई विलम्ब नहीं हुआ है । निवेश संबंधी निर्णय लेने से पूर्व योजना को मूल्यांकन ऐजेंसियों में प्रचारित किया गया है ।

भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन

1368. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया गया था ;

(ख) क्या उक्त अधिनियम उड़ीसा में भी प्रवृत है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के बड़े किसानों से सरकार ने कुल कितने एकड़ भूमि अपने अधिकार में ली है ;

(घ) उन किसानों के नाम क्या हैं और उनसे कुल कितने एकड़ फालतू भूमि अधिकार में ली गई है ; और

(ङ) फालतू भूमि को भूमिहीन निर्धनों के बीच बांटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है । इससे भारत सरकार द्वारा 1972 में कृषि जातों में सम्बन्धित अधिकतम सीमा के बारे में जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किए गए अधिनियम को लागू करने की तारीखों का पता लगेगा ।

(ख) से (घ) उड़ीसा के भूमि की अधिकतम सीमा कानून के अन्तर्गत 123453 एकड़ भूमि को कब्जे में लिया गया है इसमें से 105574 एकड़ भूमि को राज्य में 80918 भूमिहीनों तथा अन्य पात्र परिवारों में वितरित किया गया है । उन किसानों जिनसे फालतू भूमि प्राप्त की गई है, के नामों की संख्या इतनी अधिक है कि भारत सरकार द्वारा इनका रिकार्ड नहीं रखा जा सकता है । भारत सरकार द्वारा इनके रिकार्ड एकत्र नहीं लिए जाते हैं और न ही इनके रिकार्ड रखे जाते हैं ।

(ङ) अधिक फालतू भूमि प्राप्त करने के हेतु भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अ तर्गत निपटान न किए गए मामलों को निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । लम्बित पड़े मुकद्दमों का शीघ्र निपटान करने तथा अन्य कारणों जो पहले से कब्जे में ली गई भूमि के वितरण में बाधक हैं, का निराकारण करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख
आन्ध्र प्रदेश	1-1-1975
असम	10-10-1972
बिहार	19-5-1973
गुजरात	1-4-1976
हरियाणा	23-12-1972
हिमाचल प्रदेश	28-7-1973
जम्मू तथा काश्मीर	13-7-1978
कर्नाटक	1-3-1974
केरल	1-1-1970
मणिपुर	1-8-1976
महाराष्ट्र	2-10-1975
मध्य प्रदेश	7-3-1974
उड़ीसा	2-10-1973
पंजाब	2-4-1973
राजस्थान	1-1-1973
सिक्किम	3-6-1978
तमिलनाडु	15-2-1970
त्रिपुरा	30-4-1974
उत्तर प्रदेश	8-6-1973
पश्चिम बंगाल	15-2-1971

कृषि उत्पादन

1369. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या छठी योजना में राज्यों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि में की गई प्रगति के बारे में कोई राज्यवार पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान योजनावधि के दौरान उड़ीसा में चावल, गेहूं, दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा में खाद्यान्नों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। फसल वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

उत्पादन लाख मीटरी टन में

फसल	1979-80 (छठी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष)	1980-81	1981-82
1. खाद्यान्न	38.72	59.77	62.54
2. चावल	29.18	45.01	46.92
3. दालें	5.67	8.86	7.61
4. गेहूं	0.82	1.22	1.18
5. तिलहन	2.79	4.85	5.49*

अनाज भण्डारण क्षमता बढ़ाना

1370. **श्री हरिहर सोरन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों को मार्गनिर्देश कब भेजे गये ; और

(ग) अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए उन राज्यों ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) यद्यपि खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता की व्यवस्था प्रमुखतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है लेकिन सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और 16 राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशनों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता के एक भाग को भी खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशनों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से भी राय अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्य ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने से संबंधित केन्द्रीय योजना के अधीन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए भी पग उठा रहे हैं। इस केन्द्रीय योजना के अधीन सहकारी समितियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता का इस्तेमाल खाद्यान्नों सहित बिभिन्न जिन्सों के लिए किया जाना होता है।

उड़ीसा में डेरी विकास परियोजनायें

1371. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में (वर्षवार) उड़ीसा विकास परियोजनाओं के लिये कितनी कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ परियोजनाओं का अन्य देश अथवा विश्व बैंक वित्तपोषण कर रहा है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा में डेरी विकास पर राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वर्षवार व्यय और प्रस्तावित निम्न सारणी में दिए गए हैं :—

(लाख रुपए)

1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
वास्तविक	वास्तविक	प्रत्याशित व्यय	प्रस्तावित परिव्यय
9.30	2.16	0.62	3.45

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय डेरी निगम ने दिसम्बर, 1982 तक धेनकनाल, क्योंझर, पुरी और कटक जिलों में आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 219.91 लाख रुपये निर्मुक्त किए हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा में 996 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक डेरी विकाल परियोजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत डेरियों, पशु आहार संयंत्रों और तकनीकी आदानों के

लिए अवसंरचना आदि पर निवेश किया जाएगा। आपरेशन फ्लड-2 के लिए वांछित निधि विश्व बैंक ऋण और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से दान में प्राप्त डेरी जिसों की बिक्री से प्राप्त राशि के माध्यम से उपलब्ध होती है। भारतीय डेरी निगम राज्य सरकार के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी परियोजना प्राधिकरण है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समूची विदेशी सहायता भारतीय डेरी निगम के माध्यम से उपयोग में लाई जाती है।

गोहत्या पर प्रतिबंध

1373. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) गोवंश संरक्षण के मामले में इस समय राज्यों के विधान मण्डलों को कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। उपरोक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने गाय तथा इसकी संततित के बध पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाए हैं।

विश्व बैंक सहायता करने वाली सिंचाई परियोजनायें

1374. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विश्व बैंक सहायता पाने वाली सिंचाई परियोजनायें कौन-कौन सी हैं ;

(ख) उनकी प्रगति संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों में भारत को कितनी राशियां मंजूर की गई ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की सूची को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति संतोषप्रद रही है और यथा-निर्धारित लक्ष्य सामान्यतः पूरे किये जा रहे हैं।

(ग) विश्व बैंक से ऋण सहायता की राशि, जिसके लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे, निम्न प्रकार है :—

विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक)	स्वीकृत राशि मिलियन अमरीकी डालर
1980	403
1981	277
1982	220
- 1983	238.3

(1 जुलाई से अब तक)

विवरण

विश्व बैंक की ऋण सहायता प्राप्ति करने वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण की राशि मिलियय अमरीकी डालर में)	हरार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1.	राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास सोपान-एक	83.0	31-8-1974
2.	नागार्जुनसागर परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)	145.0	10-6-1976
3.	पेरियार-बैगाई परियोजना (तमिलनाडु)	23.0	30-6-1977
4.	जायकवाडी परियोजना (महाराष्ट्र)	70.0	11-10-1977
5.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना (मध्य परियोजनाएं)	70.0	11-10-1977
6.	कर्णाटक सिंचाई परियोजना (अपर कृष्णा परियोजना)	117.64	12-5-1988
7.	गुजरात सिंचाई परियोजना (मध्यम परियोजनाएं)	85.00	17-7-1978
8.	हरियाणा सिंचाई परियोजना	111.00	16-8-1978
9.	पंजाब सिंचाई परियोजना	129.0	30-3-1979
10.	उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूल परियोजना	18.0	12-5-1980
11.	महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना-दो	210.0	14-4-1980
12.	गुजरात सिंचाई परियोजना-दो	175.0	12-5-1980
13.	महानदी बराज परियोजना (उड़ीसा)	83.0	5-12-1980
14.	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजन;	140.0	26-3-1981
15.	कर्णाटक टैंक सिंचाई परियोजना	54.0	26-3-1981
16.	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना	220.0	24-2-1982
17.	कनाडा सिंचाई और वृक्ष फसल विकास परियोजना (केरल)	60.0 (आई० डी० ए०) 20.0 (आई० बी० आर० डी०	6-7-1982

1	2	3	4
18.	चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई परियोजना-2	31.0	7-9-1982
19.	लुर्ण्णरेखा सिंचाई परियोजना (बिहार तथा उड़ीसा)	117.4	9-11-1982

खाद्यान्न की आवश्यकता की तुलना में इसका उत्पादन

1375. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में देश में चावल और गेहूं का अनुमानित उत्पादन कितना है और क्या सरकार को चावल का 1 करोड़ 20 लाख टन और गेहूं का 20 लाखट न कम उत्पादन होने की आशंका है ;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 में खाद्यान्न के उत्पादन से और 22.5 लाख टन गेहूं के आयात से जुलाई 1982 के मध्य तक भण्डार केवल 1 करोड़ 30 लाख टन का और वर्ष 1982–83 में उत्पादन में कमी 1 करोड़ 40 लाख टन की है, यदि हां, तो सरकार के अनुमान से यह कमी कितनी हैं ;

(ग) 1979 के जन संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और 1982-83 में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान है ;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न की इस कमी को पूरा करने के लिए खाद्यान्न के में वृद्धि हेतु आपातकालीन कार्यक्रम चलाने का है ; और

(ङ) यदि हां तो कहां तो इसके क्या परिणाम निकलेंगें और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के लिए चावल और गेहूं के अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी प्राथमिक मूल्यांकन के अनुसार, चावाल और मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होगी, लेकिन आशा है कि गेहूं का उत्पादक गत वर्ष के रिकार्ड स्तर से अधिक होगा। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से 50 से 80 लाख मीटरी टन कम होने का अनुमान है सार्वजनिक एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्नों का स्टाक 1-8-1982 को 145 लाख मीटरी टन तथा 1-1-1983 को 127 लाख मीटरी टन था।

(ग) 1979 से 1983 (एक मार्च को) में जनसंख्या में 610 लाख की वृद्धि होने का

अनुमान है। गत तीन वर्षों के लिए औसत उपलब्धि पर आधारित खाद्यान्नों की कुल मांग 103 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने अनेक राज्यों को प्रभावित करने वाले सूखे की स्थिति में खरीफ मौसम के दौरान आकस्मिक कार्यक्रम शुरू किये। उसके अतिरिक्त खरीफ मौसम के दौरान फसल की क्षति को पूरा करने की दृष्टि से एक गहन रबी उत्पादक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, डीजल और नहरी जल की समय पर सप्लाई सुनिशिएत करने, राज्यों द्वारा की गई मांग की तुलसा में बीजों की व्यवस्था करने तथा उर्वरकों की उपलब्धि को सुनिशिएत कराने के विशेष उपायों और ऋणों की आपूर्ति में वृद्धि करने पर बल दिया गया। ये उपाय रबी फसल को उगाने वाले सभी राज्यों में किये गये। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार चालू रबी मौसम में खाद्यान्नों का उत्पादन एक रिकार्ड स्तर तक होने की सम्भावना है।

"ससपेंशन आफ आई० सी० ए० आर० एम्प्लाईज" शीर्षक के समाचार

1376. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री ए० यू० आजमी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एक गमशुदा फाईल जो काफी समय से मिल नहीं रही थ्रीं के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान-परिषद के कर्मचारियों के निलम्बन का उल्लेख था और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है (इण्डियन एक्सप्रेस 22-4-83)।

(ख) क्या यह गुमशुदा फाईल उन 8 गुमशुदा फाइलों की सूची में सम्मिलित थी जिनके बारे में क्रमशः दिनांक 21-12-81 और 8-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1767 और 2401 के उत्तर में जिक्र किया गया था और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा भारतीय कृषि अनुसंधष्न परिषद के कार्यकारण संबंधी गड़बड़ा जांच का आदेश देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) सरकार का ध्यान ऐसे समाचार की ओर गया है। उप सचिव (डेयर) के निजी सहायक द्वारा रखे गये रेकार्ड के अनुसार एक वैज्ञानिक के इस्तीफा को स्वीकार करने से सम्बन्धित फाइल संख्या 33 (एस-3) 81-कार्मिक-11 को उस समय के उप सचिव (डेयर) द्वारा 21-4-81 को अबर सचिव (आई० सी० 1) को (मार्क की गयी) भेजी गयी थी। लेकिन फाइल प्राप्त करने वाले पक्ष के पक्ष के पास उपलव्ध रेकार्ड के अनुसार यह फाइल अवर सचिव (आई० सी० 1) द्वारा प्राप्त नहीं की गयी। इसकी प्रारंभिक जांच की गयी थी और यह निर्णय लिया गया कि इस फाइल को सुनिश्चत रखने/भेजने का संयुतत उत्तर-

दायित्व दोनों सम्बन्धित निजी सहायकों का था । अतः उच्चतम स्तर पर पूर्ण विचार करने के बाद संबंधित दोनों निजी सहायकों को निलम्बित कर दिया गया । इन दोनों के खिलाफ औपचारिक विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है ।

(ग) कार्रवाही करने पर फैसला लेने के लिए जांच करने वाले अधिकारी के नतीजे की प्रतीक्षा की जा रही है । डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति और हाल ही में संसदीय प्राक्कल समिति द्वारा कुछ समय बाद भारतीय कृषि अनुसंधात परिषद के कार्यों की जांच की गयी । उनकी सिफारिशों की जांच करने के बाद वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया है । इस प्रकार इस समय किसी प्रकार की जांच के आदेश आवश्यक नहीं समझे गये हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

1377. डा० कृपा सिंध भोई : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के बारे में गम्भीर संशय प्रकट किये हैं; यदि हां तो उन पर विचार करने लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : वर्तमान सरकार ने इस प्रकार के किसी सन्देह का व्यक्त नहीं किया है । सरकार न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को पुनर्जीवित करने और क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय किया है । इस क्षेत्र के चारों ओर के चयनित शहरों एकीकृत विकास के लिए एक केन्द्रीय योजना चालू है । इस क्षेत्र के लिए योजना बनाने, प्रबोधन करने और विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक सांविधिक समन्वय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन के परामर्श से प्रगति पर है ?

डी० डी० ए० वाणिज्यिक प्लाटों की नीलामी करना

1378. डा० कृपा सिंन्धू भाई : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० द्वारा वाणिज्यक प्लाटों की नीलामी के कारण आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के अलावा जमीन के दामों में भी तो तीव्र वृद्धि हुई है यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) डी०डी०ए० द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफे में कमी लाने और गरीब जमीन मालिकों उचित मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने के लिए क्या कार्य करने का विचार है ?

ससंदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार कर दिया है कि वह मुनाफाखारी करता है। जिन भू धारिकों अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार अनुगृहीत की गई उसका मुआवजा अदा किया जाता है।

चीनी उद्योग का संकट

1379. **डा० कृपा सिंधु भोई :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के अधिक उत्पादन को विनियमित करने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा रिकार्ड उत्पादन के लिए गन्ना —उत्पादकों को दंडित किया गया है;

(ख) क्या सरकार रक्षित भंडार निर्यात अथवा वित्तीय समर्थन मुहैया करने में असफल रही है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि चीनी उद्योग के साथ मिलकर केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने चीनी के बहुतायत से हुए उत्पादन से उत्पन्न इस संकट की उपेक्षा की है; और

(घ) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) 1981-82 में 84.83 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। आशा है कि 1981-83 के दौरान 75 से 78 लाख मीटरी के कम स्तर का उत्पादन होगा। 1981-82 के दौरान गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13 रुपये प्रति क्विंटल था। इस मूल्य को 1982-83 वर्ष के लिए बढ़ाया नहीं गया है। 81-82 के दौरान गन्ना उत्पादकों को सांविधिक न्यूनतम मूल्य बहुत अधिक मिला था और वर्तमान वर्ष के दौरान अधिकांश के राज्यों गन्ना उत्पादकों को अच्छे अथवा लगभग अच्छे मूल्य मिल रहे हैं 1981-82 मौसम के उत्पादन में से 5 लाख मीटरी टन का एक बफर स्टाक पहले ही तैयार कर लिया गया है। पंचांग वर्ष 1983 के लिए 7 लाख मी. टन रावेल्य(905 लाख मीटरी टन सफेद क्रिस्टल चीनी)का निर्यात कोटा प्राप्त कर लिया गया है। उद्योग को उच्चतर बैंक ऋण सीमा और बैंक मार्जिन में कमी के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता भी सुलभ की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजनाएं

1380. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या कृषि मन्त्री भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद परियोजनाओं के बारे में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1211 दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 तथा राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 727 दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि मुर्गी पालन अनुसन्धान परियोजना पर वास्तविक व्यय के बहुत अधिक कम होने के बावजूद वित्त मन्त्रालय ने पांचवी तथा छठी योजनाओं के दौरान बहुत, बड़ी वार्षिक बजट राशि को लगातार मंजूरी दी ;

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की मुर्गी पालन परियोजना जिसमें वार्षिक अनुमानित वसूलियां चारे पर अनुमानित व्यय से कम थीं, के वित्तीय रूप से असन्तोष जनक कार्यकरण के बावजूद छठी योजना सम्बन्धी मंजूरियों से सहमत था ;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने बजट मंजूरियों की तुलना में वास्तविक वार्षिक आयोजना व्यय के कम होने के बावजूद बकरियों, भेड़ों तथा पशुओं सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए छठी योजना की मंजूरियों के लिए अपनी सहमति दी है ; और

(घ) क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं और कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पशु प्रजनन प्रायोजना के मामले में, इस नए केन्द्र के लिए कर्मचारियों की भर्ती, उपकरणों की खरीद और आवश्यक पशु-घरों के निर्माण में कुछ समय लगेगा, जिससे आवंटित निधियों के उपयोग में देर हो सकती है। इसके वार्षिक खर्च में वृद्धि पायी गयी है जैसाकि 1974-75, पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में यह खर्च 30.35 लाख रु० है और 1981-82 में 42.49 लाख रु०।

(ख) आहार पर किए गए खर्च उससे प्राप्त आय के आधार पर प्रजनन अनुसंधान प्रायोजना के कार्य को आंका नहीं जा सकता। मुर्गा प्रजनन अनुसन्धान प्रायोजना कोई व्यावसायिक कार्य नहीं है और इसके यूनिटों को काफी संख्या में प्रजनक मुर्गी को तब तक रखना पड़ता है जब तक उनके सहवर्ती मुर्गियों के अंडा देने के माध्यम से उनके आनुवंशिक गुण तथा मांसवाली मुर्गियों के मामले में नर और मादा संतति की सूचना प्राप्त होती रहती है। इसी तरह, कुछ मुर्गियां आवश्यकता से अधिक समय तक रखी जाती हैं और उनके पूरे वर्ष के उत्पादन को दर्ज किया जाता है। आय की प्राप्ति अतिरिक्त अंडों और परीक्षण के लिए वध किए गए मुर्गे/मुर्गियों के मांस को बेचने से होती है न कि चूजों की बिक्री से जो व्यावसायिक प्रजनन फार्मों का एक प्रमुख धंधा है। प्रायोजना के संतोषजनक कार्य की जांच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

द्वारा नियुक्त किए गए उच्च स्तरीय मूल्यांकन दल की रिपोर्ट से की जाती है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और इसके प्रगति पर अपना सन्तोष व्यक्त किया है। केन्द्रीय उपजाति रिलीज समिति ने 1980 में दो संकर नस्लों एक अंडा देने वाली, और दूसरी मांस वाली, को रिलीज करने की सिफारिश की है जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाएगा। प्रायोजना के वार्षिक वर्कशाप ने दो और संकर नस्लों की सिफारिश की है जिनकी केन्द्रीय मुर्गी उपजाति रिलीज समिति द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए रिलीज करने हेतु जांच की जाएगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। वित्त मन्त्रालय ने निधि उपयोग की प्रगति के अतिरिक्त प्रायोजना के तकनीकी प्रगति पर विचार करने के बाद बकरियों, भेड़ों और पशुओं से सम्बन्धित छठी योजना प्रायोजना को स्वीकृति दी है।

(घ) इस कार्य की लगातार समीक्षा की जाती है तथा जहां आवश्यक समझा जाए वहां सरकार द्वारा विभिन्न दोषनिवारक उपाय किए जाते हैं।

इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा चीनी के उत्पादन की घटती जा रही दर पर चिन्ता व्यक्त किया जाना

1381. **श्री के० लकप्पा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन (आई० एम० ए०) के मतानुसार, नवम्बर, 1982 से चीनी के उत्पादकों में कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ताकि चीनी का उत्पादन यथोचित रूप से जारी रहे ;

(ग) क्या सरकार ने चीनी के उत्पादन के बारे में देश के चीनी के कारखानों को विभिन्न उपाय और तरीके निर्देशित किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर चीनी मिलों तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) हालांकि 1982-83 मौसम के दौरान नवम्बर में चीनी का उत्पादन 1981-82 मौसम के दौरान नवम्बर में हुए 5.64 लाख मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में 5.07 लाख मीटरी लाख हुआ था अर्थात कम हुआ था, लेकिन अब तक 1982-83 के मौसम के शेष सभी महीनों में 1981-82 मौसम के तदनुरूपी महीनों में हुए उत्पादन की तुलना में अधिक हुआ है। अतः 1982-83 मौसम के दौरान 7 फरवरी तक चीनी का उत्पादन 36.26 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि 1981-82

मौसम में उसी तारीख तक 35.36 लाख मीटरी टन का उत्पादन था अर्थात उत्पादन में 0.90 लाख मीटरी टन का वृद्धि हुई है।

(ख), (ग) और (घ) चीनी के उत्पादन को अपेक्षित स्तर तक बनाए रखने के हित में सरकार गन्ना-उत्पादकों को चीनी फैक्ट्रियों से गन्ने के लाभकारी मूल्य का भुगतान करवाना सुनिश्चित कर रही है।

मैनग्रोव वृक्ष कटने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री कटाव

1382. **श्री आर० बी० गायकवाड़ :**
श्री एस० बी० सिदनाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैनग्रोव वृक्ष कटने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री कटाव बढ़ रहा है ;

(ख) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हालैंड सरकार द्वारा भारत की यांत्रिक मत्स्य पोतों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

1383. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड सरकार के नौवहन मन्त्रालय ने भारत की यांत्रिक मत्स्य पोतों की सभी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने हालैंड सरकार से सम्पर्क किया है ?

कृषि कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

ऊष्ण कटिबंधीय वनों का संरक्षण

1384. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एम० पुत्ते गौडा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तट-रेखा संहित उष्ण कटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए कार्यदल की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं।

'एशियाड' के दौरान आयात किया गया सामान

1385. **श्री सूरज भान :**

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या खेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाड के अवसर पर उपयोग के लिए किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया ;

(ख) उनमें से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट थी और किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क अदा किया किया गया तथा कितना अदा किया गया ;

(ग) नवें 'एशियाड' के दौरान किन वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(घ) किन वस्तुओं का जीवन काल कम है और उनको एक वर्ष अथवा उसके लगभग समय के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सकता ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एशियाड-82 के लिए भारतीय टीमों तथा एथलीटों के प्रशिक्षण तथा एशियाड के आयोजन तथा संचालन के सम्बन्ध में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और नौवें एशियाई खेलों की आयोजन समिति द्वारा आयात की गई मदें अपेक्षित विवरण सहित क्रमशः अनुबन्ध-1 और अनुबंध 2 में दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखे गए देखिए सख्या एल० टी० 5941/83]

(ख) एशियाड, 1982 के सम्बन्ध में आयात की गई सभी मदों पर सीमा शुल्क में छूट दे दी गई थी ;

(ग) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने यह सूचित किया है कि एशियाड के लिए आयात की गई सभी मदों का, एशियाड के लिए, उपयोग किया गया और फुटबाल, बालीबाल, बास्कटबाल, गोल्ध बाल आदि जैसी उपयोग मदें, जो कुछ बड़ी संख्या में आयातित करनी पड़ी थीं, भविष्य में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। खेल आयोजन समिति के अनुसार, एशियाड के दौरान इसके द्वारा आयात की गई मदों का एशियाड में व्यापक उपयोग किया गया।

(घ) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के अनुसार, अधिकांश उपयोग्य वस्तुएं एक वर्ष से अधिक समय तक टिकाऊ रहने वाली वस्तुएं हैं तथा उनका उपयोग एक वर्ष के अन्दर कर लिया जायेगा और शटिल कोक्स तथा कलें पीजियन्स जैसी वस्तुओं को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता और इनका उपयोग इनके खराब होने से पहले किया जायेगा। खेल आयोजन समिति ने यह सूचित किया है कि जहां तक आयातित वस्तुओं का सम्बन्ध है, पोल रोइड केमरों के लिए फिल्में, रिबन कैसेट्स अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती और एशियाड के दौरान इनका व्यापक उपयोग किया गया था।

———

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपकी अनुमति मांग रहा हूं। **(व्यवधान)**

कृपया कुछ सेकेण्ड के लिए मेरी बात सुनिये और और अपने अभिमत प्रस्तुत करिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपन मुझे पूर्व सूचना ही है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पूर्व सूचना दे चुका हूं

अध्यक्ष महोदय : क्या नियम 377 के अधीन ?

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 377 के अधीन नहीं, मैंने एक अलग प्रस्ताव अर्थात स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : फिर आप इसको अस्वीकार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा

प्रो० मधु दण्डवते : जनता पार्टी के एक उम्मीदवार को

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पत्र लिख दें ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यही दिल्ली में हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ला एण्ड आर्डर सिच्यूशन पर एक कालिंग एटेंशन एडमिट कर लीजिए, लेकिन आपने नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड आ रही हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में ला एण्ड आर्डर सिच्यूशन बिगड़ने का यह प्रमाण है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई । मैंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को अनुमति नहीं दी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कानून अपने अनुसार कार्यवाही करेगा । मैं इसको नहीं ले सकता ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली के संसद सदस्य के नाते हमारा कोई कर्त्तव्य है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मन्त्री को पत्र लिख सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मुझे अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति देने का कोई प्रश्न हो । डा० स्वामी को यदि वे कुछ कहना चाहते हैं, अनुमति दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपका तर्क नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इसकी गम्भीरता को महसूस करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे गम्भीरता का पता है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप उनके अधिकार को अनुमति नहीं दे रहे हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

मैं नहीं दे सकता । मैं सभा में व्यक्तिगत मामले नहीं ले सकता । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आप एक अच्छे सांसद हैं । आप अनावश्यक रूप से मुझे परेशान कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके प्राधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, आप कोई रास्ता निकालिए । इस बारे में मेरी आपसे अपील है ।

अध्यक्ष महोदय : रास्ता निकल सकता है ।

(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप ला एंड आर्डर के बारे में कालिंग एटेंशन एडेमिट कर कीजिए । यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से बात करिए ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मयम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्वी) : दिल्ली में पुलिस तथा डाकुओं के बीच संबंध पर चर्चा की जानी है हमें सामान्य हालातों पर चर्चा करनी है व्यक्तिगत मामलों पर नहीं ।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बदागार) : महोदय मुझे...

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव मिला है । यह मुझे मिल चुका है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नी कृष्णन, हम कार्यवाही शुरू कर चुके हैं ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बादागार) : मैं जाना चाहता हूं कि क्या आपको कोई सूचना मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको कर दिया है । जब तक .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक उन्हें बोलने के लिए मेरी अनुमति नहीं मिल जाती कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं लिख चुका हूं . मैंने कार्यवाही शुरू कर दी है और मैं मामले पर अविलम्ब कार्यवाही करूंगा । मैं वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह (बागपत) : मैं आपसे दिल्ली की ला एण्ड आर्डर सिच्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : हो जाएगा बाद में कोई रास्ता निकल आयेगा । रास्ता निकाल लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्व पूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं **(व्यवधान)** इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री नीलालोहिथा दसन नाडार को...**(व्यवधान)***

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही शुरू कर चुका हूं।

(**व्यवधान**)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : पटना के पास हरिजनों को बाकायदा...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया मुझे एक निवेदन...करने की अनुमति दीजिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : निवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, जवाहर यूनिवर्सिटी बन्द हो गई है। वहां-पर बहुत विस्फोटक परिस्थिति है...

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास विचाराधीन है। वह आ जायेगा।

(**व्यवधान**)

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, तीन साल से संसदों के ऊपर...*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)*

बजट (सामान्य रूप) से पेश किए जाने के बारे में

मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि परम्परा के अनुसार, सदन आज सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए 5 बजे पुनः समवेत होने के लिए 4-30 बजे के लिए स्थापित किया जाएगा।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : श्रीमन, बिहार के छोटा नागपुर में लोगों की जमीनों को छीना जा रहा है, वहां पर आदिवासी बेकार होते जा रहे हैं। मैंने इस सबंध में कालएटेंशन मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

(**व्यवधान**)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह का मामला उठाऊं। जनता पार्टी के एक उम्मीदवार की जान का खतरा है . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये ; मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां उम्मीदवार को मारने के लिए रिवाल्वर दिया गया है। मैं वह रिवाल्वर आपको सौंपूंगा ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से अनुमति नहीं दूंगा। आप मेरे पास आकर बात कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : थोड़ी सी ढिलाई से राजनैतिक हत्या हो जाएगी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहते हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभा पटल पर पत्र रखे जाएं राव वीरेन्द्र सिंह।

(व्यवधान) x

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 713 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 नवम्बर, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अगस्त, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों, संघ क्षेत्रों और वस्तु बोर्डों को उर्वरकों के देशी निर्माताओं द्वारा उर्वरकों के संभरण संबंधित आदेश दिया गया है, सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5899/83]

हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

---

xकार्यवाही वृत्तान्त में में सम्मिलित नहीं किया गया।

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5900/83]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना, असम बाट माप सेवा नियम, 1981 के मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1981–82 का वार्षिक प्रतिवेदन, निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर न रखे जाने का कारण बताने वाला विवरण, जांच आयोग अधिनियम 1982 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का ज्ञापन

संसदीय कार्य खेल, तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : श्री भागवत झा आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1982-83 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1983, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 40(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5901/83]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए असम बाट और माप सेवा नियम, 1980 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 सितम्बर, 1982 के असम राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए० जी० ए० 240/7 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थायय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5902/83]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 819क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक्र प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०5903/83]

(6) भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

]ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5904/83]

(7) जांच आयोग अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारत सेवक समाज के मामलों की जांच सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन* पर "की गई कार्यवाही का ज्ञापन" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5905/83]

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं एक विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : यह इस सदन का अपमान है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति चाहे मेम्बर हो या सिविलियन आदमी हो, हर एक को जजान माल का अधिकार है— यहां के कानून के अन्तर्गत उसकी रक्षा कीनी चाहिए। कोई अफसर या कोई सिविलिन ऐसा करता है तो यह अनाधिकार चेष्टा है...

(व्यवधान)

* प्रतिवेदन 22 दिसम्बर 1983 को सभा-पटल पर रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : चाहे कोई बड़ा अफसर हो या सुप्रीमन्टेडेन्ट पुलिस हो वह भी उतना ही जिम्मेदार है। इसलिए हम पहले बात कर लें, उसके बाद यहां तो बात करें, तो ठीक होगा। अगर इस तरह से इण्डिविजुअल केस लायेंगे तो यहां काम नहीं चल सकेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : मैं इसे आपके फेबर में ही सौंपूंगी **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव : किसका रिवाल्वर है। कौन से लाइसेंस का रिवाल्वर है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको चैंबर में मिलूंगा। पुलिस को कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मि० मधु दण्डवते यहां रिवाल्वर कैसे लाए। क्या इसका लाइसेंस इनके पास है।...**(व्यवधान)**... ये रिवाल्वर लेकर यहां कैसे आए और इनके पास यह रिवाल्वर कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए। स्थित लाइसेन्स के ये रिवाल्वर कैसे यहां लाए हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इससे सहमत हूं। मैंने आपका विवाद सुन लिया है क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं आपके प्रकोष्ठ में मिलूं और इस सम्बन्ध में आपको पूरा विवरण दूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखिए और मुझे मेरी प्रकोष्ठ में मिलिए।

आचार्य भगवान देव : यह सदन में रिवाल्वर लेकर आए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते, आप ऐसा क्यों करते हैं। आप मुझ से बात कर लें।

आचार्य भगवान देव : बिना लाइसेंस के रिवाल्वर लेकर ये यहां कैसे आए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यह बहुत गम्भीर मामला है। हम सब सदन के कुछ प्रतिमानों का पालन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।

प्रो० के० के० तिवारी : इस संभावित सदन के इतिहास में पहली बार कसा हुआ है कि एक माननीय सदस्य, विपक्षी दलों के एक नेता ने सदन के समक्ष रिवाल्वर रखा हो। इसकी पीठाध्यक्ष द्वारा अत्याधिक निन्दा करनी चाहिए। आपको श्री दण्डवते के इस व्यवहार की निन्दा करनी चाहिए तथा मैं गृह मन्त्री से मांग करता हूं कि वह इसकी जांच कराएं कि सदन में रिवाल्वर किस तरह लाया गया। यह सदन की सुरक्षा का प्रश्न है जिसका उल्ललंघन किया गया है।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : **यह बहुत संगीन मामला है ।...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, देखिये आपने सुना नहीं । मैंने पहले ही कह दिया था कि रिवाल्वर यहां अन्दर नहीं आना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : तो यह कैसे यहां आया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो होम मिनिस्टर जानें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मधु दण्डवते, ऐसा काम कभी नहीं करते । ...**(व्यवधान)**... इस हाउस में रिवाल्वर लाने की नौबत क्यों आई । इसके बारे में आप सरकार से कुछ नहीं कहेंगे ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कहूं । सारे यही काम कर रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको जो कहना है, क्या यह सिर्फ मधु दण्डवते जी को कहना है । मधु दण्डवते, इस तरह से व्यवहार नहीं करते आर० पहली दफा यह बात हुई है, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा ।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, यह आपत्तिजनक है । ...**(व्यवधान)**...देश में ये अराजकता लाना लाना चाहते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । ऐसे नहीं हुआ करता है ।

श्री राम विलास पासवान : आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनुंगा हिसाब से । आपने ही ये कानून बनाए हैं ...**(व्यवधान)**...आप क्या कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको शर्म नहीं आती, यह कहते हुए । ...**(व्यवधान)**... आप कानून पढ़े इसमें साफ लिखा हुआ है । इसलिए में प्रोफेसर साहब से कह रहा हूं । ...**(व्यवधान)**...

आचार्य भगवान देव : आप व्यवस्था दीजिए ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है । और शान्ति के कोई काम आप नहीं कर सकते हैं । बगैर अगर आप उत्तेजित हो कर बात करेंगे, तो कोई समाधान नहीं निकल सकता है । आप मेरी बात सुनिए । ये कानून आपके बनाए हुए हैं । मैं अपने कानून से काम नहीं कर रहा हूं । अगर कानून के मुताविक इस हाउस को चालू नहीं करना है, तो मैं हाउस से बाहर चला जाता हूं । इसमें यह लिख चुका हूं । ...**(व्यवधान)**... आप बैठते क्यों नहीं हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी अनुमति से मि० मधु दंडवते मामला उठा सकते हैं, कानून इसमें बाधक नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, वह मैंने तो नहीं दिया । आप क्यों कर रहे हैं । इन लोगों को क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं । यह मेरा दायित्व है । इसे मुझे करना है ।

आप क्यों अपने माथे पर लगा रहे हैं ? मैने मधु जी से यही कहा था कि आप मेरे स आकर बात करो, या तो आप मुझे समझा दें, या मैं आपको समझा दूंगा । यह बात थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सदन कल भी यहां बैठेगा, परसों भी यहां यहां बैठेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, यह नहीं हो सकता । यह बहुत गलत है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर इंडीविजुअल केसिज में हाउस डिस्कस करने लगा तो काम नहीं चलेगा ।

"सदन में शास्त्रालय का प्रदर्शन निषिद्ध है।" यह आपने अच्छा नहीं किया ।

अध्यक्ष-महोदय : यह शस्त्रारम नहीं है । इसमें न गोली है न कारतूस । मैं केवल इसे आपको सौंपना चाहता था । मैं इसे आपको आपके चैंबर में सौंपने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुबा मेरे से बात कर सकते थे मैं आपको मिलने के लिए यहां हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने अभी-अभी कहा है कि इसे आपको आपके चैंबर में सौंपने के लिए तैयार हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद...

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं इस पर आपका सुस्पष्ट निर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने कर लिया है, अब क्या कर सकता हूं । मैं पहले ही कर चुका हूं ।

अब सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र...

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

असम राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत असम कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अस्थाई शक्तियां) अधिनियम 1983

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री पी० बी० वेंकट सुब्बैय्या) : मैं असम र-ज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1982 की धारा (3) के अन्तर्गत, असम कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1983 (1983 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटक पर रखता हूं

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5906/83]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, एक व्यवस्था के प्रश्न पर **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मद संख्या 5 के सम्बन्ध में...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता) : विपक्षी उम्मीदवार अन्तग्रस्त हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उस मामले में कोई भी हो ; चाहे वह उम्मीदवार है या नहीं ; हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप सदन के अध्यक्ष हैं । आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं । आपको इस मामले में गम्भीरता से विचार करना होगा...

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता । **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : व्यवस्था के प्रश्न पर, जब सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य पर आक्षेप लगाया गया था, आपने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी थी—डा० गुलाम याजदानी... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने भोगेन्द्र झा श्री जगपाल सिंह उस सदस्य के लिए जो कुछ भी मैंने किया, मैं पूर्णतः निस्पक्ष रहा हूं मैं कभी का किसी का पक्ष नहीं लेता । यह आपके लिए अपमान-जनक है कि आपने मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया है । मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, महोदय, मूल्यांकन में कुछ गलतियां हो सकती है कई बार गलत मूल्यांकन किए जा सकते हैं । महोदय मैं जानना हूं कि आप एकदम तटस्थ हैं...

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं इस मामले में जिससे सदन में उत्तेजना है, के सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय सदस्यों को संबोधित करना चाहता हूं । वे अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े वरिष्ठ नेता हैं । इस सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के सुस्थापित और सुनिर्णीत नियम हैं । पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य ने शस्त्र दिखाकर । इस सदन को आश्चर्य में डाल दिया हो ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शस्त्र दिखाकर नहीं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) मैंने शस्त्र दिखाया नहीं...(**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : ठीक है महोदय, यह प्रदर्शित किया गया...(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उन्होंने 'दिखाना' शब्द वापिस ले लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, उन्होंने यह शब्द वापिस ले लिया है । उन्होंने कहा है । "प्रदर्शित किया गया"

श्री बूटा सिंह : यह आपकी कोई पूर्व सूचना बिना सदन के भीतर शस्त्र का प्रदर्शन है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए नहीं ।

श्री बूटा सिंह : ...और सदन के सुरक्षा कर्मचारी को कोई सूचना दिए बिना । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : और बिना लाइसेंस के ।

श्री बूटा सिंह : महोदय मैं प्रो० मधु दण्डवते जैसे वरिष्ठ नेता पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता । लेकिन कुल 532 संसद सदस्यों में से कोई भी सदस्य उनकी इस बात का अनुकरण कर सकता है । आज वह शस्त्र लाए हैं । कल कोई अन्य सदस्य कुछ विस्फोटक पदार्थ भी ला सकता है । यह बहुत गम्भीर बात है । मैं विपक्ष के सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस दीर्घा, में ऐसी वस्तुएं प्रदर्शित करने के पहले सौ बार सोच लिया करें और गम्भीरतापूर्व सोचना चाहिए

कि इसकी सदन में क्या प्रतिक्रिया होगी...(**व्यवधान**) और इसलिए मैं आपसे, विपक्ष के नेता होने के नाते अनुरोध करता हूं और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने चैम्बर में सभी विपक्षी नेताओं की बैठक बुलायें, और हमेशा के लिए फैसला कर लें क्योंकि आज सदन में अपने माननीय सदस्य श्री मधु दडंवते को प्रश्न करने की भी अनुमति नहीं दी, जो कि वह उठाना चाहते थे...(**व्यवधान**) ।

मैं अध्यक्ष से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं । अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री मधु दडंवते को प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने पेशकश की है कि श्री दडंवते उनको उनके चैम्बर में मिले, ताकि वे चर्चा करके उनकी इच्छा के अनुरूप प्रश्न रखने का हल निकाल सकें...(**व्यवधान**) ।

यह सदन में हुई एक गम्भीर घटना है । आपकी अनुमति से, मैं समझता हूं कि प्रो० मधु दण्डवते को अपने किए पर अवश्य खेद व्यक्त करना चाहिए । मैं विपक्षी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे भी हमारा साथ दें ताकि कुछ मानदण्ड बनाये जा सकें ताकि सदस्यों को जीवन की रक्षा की जा सके और माननीय सदस्यों को जोखिम में न डाला जाए ।

यह ठीक है कि आपका नाम समाचारपत्रों में सुर्खियों में आए, लेकिन अगर कोई यहां, किसी माननीय सदस्य को मारता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा ?...(**व्यवधान**) ।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं । संसद के कार्य संचालन, प्रक्रिया और व्यवहार में भी संबद्ध भाग में लिखा है कि चैम्बर के अन्दर बिना अध्यक्ष की पूर्वानुमति के और वह भी वृद्ध अवस्था या बीमारी की हालत को छोड़कर सहारे के लिए छड़ी भी नहीं लायी जा सकती । मुझे बिश्वास है—श्री दण्डवते एक अनुभवी और निपुण संसदविज्ञ हैं और मुझे संसदीय और मैं सांविधानिक प्रक्रिया बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने मन में श्री दण्डवते अपने किए पर दुःखी हो रहे होंगे। और उनको सदन में किसी किस्म का खेद अवश्य प्रकट करना चाहिए । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर ऐसी कोई आचार संहिता बनायें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो ।...

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री ने आपको एक सुझाव दिया है...

श्री के० लकप्पा (टुमकर) : महोदय, क्या यह एक गम्भीर बात नहीं है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा से अधिक समझता हूं ।

(व्यवधान)

कृपया मुझे सुनें। माननीय सदस्य ने मुझ से कहा है कि में खेद प्रकट करूं और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो उनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि मुझे सुन सकें। श्रीमन्, मैं तो मात्र यही बता रहा था कि...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है, बह बड़े दुख की बात है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मधु दण्डवते जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये गरिमा की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, ऐसा नहीं। क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं ज्यादा ज्ञानी नहीं बना करते।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि, मेरे संसदीय जीवन में मैंने संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा को अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत से ज्यादा समझा है। मैं माननीय मंत्री द्वारा यहां व्यक्त की गई भावनाओं का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हथियार यहां लाया गया है उसमें चलने वाला कोई भी कारतूस नहीं है। मैं इसे केवल आपके चैम्बर में आपको देना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि यह...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें क्या इतराज की बात है। सारा रिकार्ड जाएगा, यह नहीं जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रमाण के साथ ही जाएगा। उसके बगैर मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि लोग यह भी पढ़ेंगे कि पिस्तौल लाने की बात क्यों आई ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं ऐसा बिना प्रमाण नहीं कहलवा सकता। बिना प्रमाण के मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप भी मेरी जगह होते तो इसकी अनुमति नहीं देती।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मैंने कोई असंसदीय बात कही है तो आप इसे कार्यवाही से निकाल सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बूटा सिंह : महोदय, क्या उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को ही थी या आपकी अनुमति प्राप्त की थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने पहले ही सारी घटना के बारे में आपको लिखा है... **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। वह क्या कह रहे हैं ? आप बैठ क्यों रहे हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रो० साहब को मेरे से इजाजत लेनी चाहिए थी कि इसको मैं लाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। सिक्योरिटी स्टाफ को या मुझे बता देना चाहिए था, फिर लाना चाहिए था, यह बात बिल्कुल क्लियर है।

(व्यवधान)

तब मैं उन्हें अनुमति देता या नहीं। यह मेरा विशेषाधिकार था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। उन्होंने किसी बात के लिए सूचना दी थी और मैं चाहता था कि उनसे विचार कर इस पर फैसला करूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब आपने मुझे थोड़ा बोलने के लिए कहा है तो मैं मामले के गुणावनुणां पर नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री साठे, आप अध्यक्ष नहीं है। आप मात्र एक मंत्री हैं। आपकी और मेरी स्थिति एक सी है। अध्यक्ष की स्थिति में न आइए ? कृपया चुप रहें।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य सदन में हथियारों का प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं और...

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। मैं कह रहा था कि जहां तक प्रक्रिया के नियमों के पालन का प्रश्न है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इनको सबसे पहले मानता हूं। जहां तक गांधी जी के शांति और अहिंसा के पाठ को मानने की बात है, मैं इसे मानने में किसी से कम नहीं हूं...

वे हंस सकते हैं। उन्होंने गांधी जी को कार्य करते हुए नहीं देखा है...

इसलिए, श्रीमन्, अगर इस हथियार को आपको आपके चैम्बर में देने के लिए अनजाने में, अगर यह भी...

यह क्या हो रहा है,* आप क्यों बोलने नहीं देते हैं ?

एक माननीय सदस्य : उनको बोलने न दिया जाये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि उन्होंने अपील की है, इसलिए मुझे पूरी बात कह लेने दें। श्रीमन्, इस हथियार को आपको आपके चैम्बर में देने के लिए, मैं मानता हूं कि मनमाने में ही प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि मैं सदन की गरिमा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सदन में हथियार को दिखाए जाने के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं।

श्री राजेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : यह गैर कानूनी ढंग से पिस्तौल लाने के लिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो गया है आपको ?

आप क्यों नहीं बैठ जाते। यह कानून का काम है। आपका काम है क्या पकड़ना उनको ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने यह आपके चैम्बर में अपने दावे को उठाने के पूर्वाग्रह के बिना ही किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय वाजपेयी जी, आप आइटम नम्बर : पर बोलना चाहते थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, श्री वेंकटसुब्बैय्या ने जिस अधिनियम की प्रति...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा...

(व्यवधान)

*अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, श्री पी० वेंकटसुब्बया से असम कार्यकारी मैजिस्टेट, जुडिशियल मैजिस्टेट अधिनियम, 1983 की एक प्रतिसभा के पटल पर रखना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि प्रतिसभा पटल पर रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कारण मैं बता रहा हूं······**(व्यवधान)**

यह अधिनियम 29 जनवरी, 1983 को गजट में प्रकाशित हुआ था। इस अधिनियम का निर्माण जो संसद ने अधिकार डेलीगेट किये हैं, उसके अन्तर्गत किया गया है। लेकिन उसमें एक शर्त यह थी कि इस तरह का कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून असम के बारे में जो कन्सल्टेटिव कमेटी बनी है उसके सामने रखा जाएगा मै उद्धृत करना चाहूंगा।

> "बशर्ते कि ऐसा कोई अधिनियम बनाते समय राष्ट्रपति जी, जब कभी भी वे इसे व्यवहार्य समझेंगे, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई 30 संसद सदस्यों की समिति ये सलाह परामर्श करेंगे।"

मेरा निवेदन यह है कि 29 जनवरी को गजट में प्रकाशित करने से पहले इस विधेयक को कन्सल्टेटिव कमेटी के सामने रखा जा सकता था। क्यों नहीं रखा गया ? कानून यह व्यवस्था करता है। कि अगर रखना व्यावहारिक न हो, अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह कौन तय करेगा व्यावहारिक था कि नहीं ? क्या सरकार के पास कन्सल्टेटिव कमेटी की बैठक बुलाने का समय नहीं था ? समय था, इसका फैसला सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक के द्वारा असम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की संस्था खत्म कर दी गई, सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिये गये। रीजन फार इनएक्टमेंट में जो कहा गया है, में उद्धृत करना चाहता हूं।

> "असम राज्य में विद्यमान असाधारण परिस्थितियों की बाबत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का असम राज्य पर उसके लागू होने में, अस्थायी तौर पर, तीन मास की अवधि के लिए संशोधन किया जाए। और छोटे-मोटे अपराधों तथा शान्ति और लोक प्रशान्ति से संबंधित अपराधों का विचारण अनन्यतः कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंप दिया जाए तथा उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ ही साथ प्रति-प्रेषण मंजूर करने की शक्तियों का प्रयोग करने में समर्थ बना दिया जाए। अध्युपाय इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।"

असम में इस कानून पर जिस तरह से व्यवहार हुआ है, उसका में एक उदाहरण देना चाहता हूं।

गोहाटी के 300 वकीलों ने इस कानून के खिलाफ जलूस निकाला। शहर में दफा 144 लगी थी, उन्होंने उसको तोड़ा। उनका मुकदमा एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने गया, जुडि-

शियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। दफा 144 तोड़ना एक साधारण अपराध है। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि 10 हजार की जमानत लाओ और 10,000 का मुचलका दाखिल करो। वकीलों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर मजिस्ट्रेट ने 13 दिन का रिमांड ले लिया और 300 वकीलों को जेलखाने भेज दिया गया। लेकिन मामला गोहाटी हाईकोर्ट में उठा। हाई कोर्ट ने शाम को ही मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट ने पर्सनल एश्योरेंश पर वकीलों को छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इतना गम्भीर अपराध नहीं है जिसके लिये 13 दिन का रिमांड लिया जाये या 20,000 के जमानत और मुगल के लिये जायें।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। वह नियमों के अधीन ही बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसलिये बीच में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं मि० पनिका ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्देशक सिद्धान्त हमारे सामने हैं। भले ही संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों को अदालतों में एन्फोर्स न कराया जा सके, लेकिन सरकार को तो उन्हें अपने सामने रखना चाहिये। निर्देशक सिद्धान्त, आर्टिकल 50 में लिखा है।

> "राज्य इस बारे में कदम उठायेगी कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जायेगा।"

क्या यह कानून इस कसौटी पर खरा उतरता है ? असम में ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिये। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मानो संस्था ही खत्म कर दी गई। पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की बाई पास करना यह पार्लियामेंट को बाई-पास करने के बराबर है। मैं जानता हूं, गृह-मन्त्री कहेंगे कि यह व्यावहारिक नहीं था, मगर मेरा निवेदन है कि इसका फैसला आप सरकार पर न छोड़ें, इसका फैसला आपको करना है कि 29 जनवरी के पहले गजट में नोटीफाई करने से पूर्व क्या कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक नहीं बुलाई

जा सकती थी ? अगर बुलाई जा सकती थी तो सरकार ने क्यों नहीं बुलाई ? क्या सरकार सदन की अवमानना करने की दोषी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की भी सुनिये, फिर अपना निर्णय सुरक्षित रखिये ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मैं यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं । मेरी आपत्ति यह है कि यह अधिनियम जिसकी चर्चा की जा रही है, मूल अधिनियम अर्थात असम राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1982 के अन्तर्गत बनाया गया है ।

अति आश्चर्य की बात है कि इस अधिनियम में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई हैं पहले ही संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेहात जरूरी करने की शक्ति प्राप्त है । संविधान में इतना ही किया गया है । इसके द्वारा कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है । मैं केवल इन दोनों में भेद करना चाहता हूं । यदि अध्यादेश जारी किया जाता है तो इसे सभा में अनुमोदार्थ रखना होता है जबकि इस मामले में अनुमति की आवश्यक नहीं है । उन्हें केवल सभा के समक्ष कानून रखना होता है तथा यदि उसमें कोई रूप भेद किया गया है। तो उस पर विचार किया जायेगा । इसका अर्थ है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन संविधान की शक्ति से परे है इसमें राष्ट्रपति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक शक्तियां दी गई हैं।

इस संदर्भ में मैं काले एण्ड डाकघर का उल्लेख करना चाहूंगा । शक्तियों के प्रत्यायोजन के कुछ सिद्धान्त हैं । क्या कोई अधिकारी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकता है । इस पर उच्चतम न्यायालय ने विचार किया था । 'काल एण्ड डाकघर' के पृष्ठ 604 में बताया गया है ।

> "न्यायिक निर्णयों के आधार पर अब यह माना जा सकता है कि भारत में यह परम्परा स्थापित हो चुकी है कि विधानमण्डल को यह क्षमता नहीं है कि वह कार्यपालिका या किसी अन्य निकाय को किसी अत्यावश्यक मामले में अपने कानून बनाने के प्राधिकार दे दे, अर्थात किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में वह अपने विधायी अधिकार किसी ओर को नहीं दे सकता जो विधान सम्बन्धी नीति का विषय हो ।"

साथ ही उच्चतम न्यायालय के बहुत से मामले हैं जिनमें यह फैसला दिया गया है ।

मेरा निवेदन है कि शक्ति उससे उत्पन्न नहीं होती । वे 1982 के अधिनियम से शक्ति प्राप्त करते हैं जोकि संविधान की शक्ति से बाहर है । और इसलिए इससे शक्ति प्राप्त नहीं होती हैं ।

दूसरे में, मैं एक और बात पर आग्रह करना चाहता हूं । माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने बताया कि संसद की असम सम्बन्धी परामर्शदाता समिति का अभिलंघन किया गया है । वास्तव

में ऐसी समिति से परामर्श करने का अनिवार्य उपबन्ध कि उस समिति से परामर्श किया जाना चाहिए। कहा गया है। ऐसी समिति गठित की जायेगी।" शब्दावलि यह है कि ऐसा अधिनियम अधिनियमित करने से पूर्व राष्ट्रपति जब भी व्यवहार्य समझे इस उद्देश्य के लिए गठित समिति से परामर्श करे। इसमें 'करेगी' है 'करे' नहीं। यह अनिवार्य उपबन्ध है। मेरा निवेदन है कि इन दो विशिष्ट कारणों से ये दोनों बातें अच्छी नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): श्रीमान् मद एक के बारे में, मैं एक व्यवस्था का सहन उठाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार नहीं, मुझे पहले लिखकर दीजिए। इसके अलावा अब हम मद एक पर हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों को सुना दिया है। पहली बात यह है कि आसाम सम्बन्धी परामर्श दातृ समिति से इस अधिनियम को बनाने से पूर्व परामर्श नहीं किया गया। जबकि वह इसे पढ़ ही रहे थे, उन्होंने सभा को बताया कि जब तक व्यवहार्य हो परामर्श किया जाना चाहिए। हमने कारणों सम्बन्धी कथन में बताया है यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। हम आसाम सम्बन्धी परामर्श दातृ समिति से परामर्श नहीं कर पाये तथा उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया जा चुका है जिनमें यह घोषणा करनी पड़ी।

साथ ही अधिनियम 3 महीने की अस्थाई अवधि के लिए है। हम व्यापक मैजिस्ट्रेटों की शक्ति को समाप्त नहीं कर रहे हैं। यह स्थायी कानून नहीं है। हम बता चुके हैं। कि यह तीन हीं महीने की बात है। हम छोटे-छोटे माम न विचारण के लिए सौंप रहे हैं तथा ऐसे अपराध जिनका शान्ति तथा सार्वजनिक शान्ति से सम्बद्ध है केवल कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों के पास हैं। केवल 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पर अभूपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए कसून बनाया गया है।

श्रीमान् मुझे इतना ही कहना है।

उन्होंने कार्यकारिणी को न्यायपालिका से पृथक करने का मामला उठाया है। यह मामला इस अधिसूचना से सर्वथा संगत नहीं है।

यह एक बड़ा प्रश्न है जिसका हल अलग से निकाला जा सकता है।

श्रीमान् श्री शेजवलकर शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रश्न उठाया है। श्रीमान् यह राष्ट्रपति का प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत है। उन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग किया है। तथा इसका सांवैधानिक औचित्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान, क्या आप मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं। परामर्शदातृ समिति को क्यों नहीं बुलाया गया। काफी समय था।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं उस पर विचार नहीं कर सकता। मैंने आपको तथा श्री शेजवलकर को सुन लिया है। मेरे पास इसी समय अधिनियम है। अधिनियम 3 की उपधारा 4 में व्यवस्था है।

> "संसद का कोई भी सदन, उस तारीख से, जिसको अधिनियम उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रखा गया है, तीस दिन के भीतर, जो अवधि एक सत्र में या दो अनुक्रमक सत्रों में पूरी हो सकेगी, पारित संकल्प द्वारा, अधिनियम में कोई उपांतर किए जाने का निदेश दे सकेगा, और यदि संसद का दूसरा सदन उस सत्र में, जिसमें वह अधिनियम समक्ष ऐसे रखा गया है या उसके उत्तरवर्ती सत्र में उन उपान्तरों पर सहमत हो जाएं तो राष्ट्रपति, उपधारा (2) के अधीन संशोधन अधिनियम अधिनियमित करके उनको प्रभावी करेंगे।"

इससे यही कहा गया है। तथा मंत्री महोदय को सांविधिक आवश्यकता पूरी करने के लिए इसे सभा पटल पर रखना होता है। मैं यही समझता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान्, पर सांवैधानिक आवश्यकता आसाम के लिए कानून बनाने के लिए आसाम सम्बन्धी परामर्शदातृ समिति से परामर्श किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बाद में वादविवाद कर सकते हैं। इस समय उन्हें इसे सभा-पटल पर रखना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान, मैं आप से निर्णय चाहता हूं। आप मंत्री महोदय से कह सकते हैं कि वह दस्तावेज को अभी कि वह रोके रखें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्हें इसे सभा पटल पर रखना है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैंने पहले ही इसे सभा पटल पर रख दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते मद 5-क पर बोलें।

प्रो० दण्डवते : श्रीमान्, मंत्री महोदय, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 2 के अंतर्गत जारी की गई घोषणा की प्रति सभा पटल पर रखना चाहते हैं जिसके द्वारा 19 मार्च 1982 को जारी की गई घोषणा को समाप्त किया गया है। अत: वास्तव में आप राष्ट्रपति के शासन को लागू करने वाली घोषणा को समाप्त कर आसाम में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार को

सत्ता संचालन का अवसर दे रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। राष्ट्रपति का शासन इसलिए लागू किया गया कि राष्ट्रपति संतुष्ट थे कि वहां की तत्कालीन सरकार कानूनी तौर पर शासन नहीं चला सकती है, अतः, परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति का शासन लागू करनी पड़ा। अब जबकि उन्होंने अनुभव किया कि इसकी अवधि 19 मार्च, 1983 को समाप्त हो जायेगा तथा उन्होंने निर्वाचित कार्य को हाथ में लिया अतः स्वाभाविक रूप से वे इस दस्तावेज को सभा पटल पर रख रहे हैं जिससे राष्ट्रपति का शासन लगाने वाली घोषणा स्वतः समाप्त हो जायेगी। घोषणा ने समाप्त किए जाने के पश्चात् मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या निर्वाचित सरकार आसाम की जनता को स्थिर हालात दे सकेगी तथा राष्ट्रपति के शासन को स्थान दे सकेगी। श्रीमान् मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं इस निर्वाचित सरकार का मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। एक निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 64000 थी। कुल 440 मत पड़े उसमें से 425 कांग्रेस आई के प्रतिनिधि को पड़े। भारतीय साम्यावादी पार्टी को 11 मतें पड़े। स्वतंत्र उम्मीदवार को एक मत पड़ा। एक अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार को शून्य मत पड़े। 3 मत अवैध थे। अतः 64000 मतों वाले निर्वाचित क्षेत्र से कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार को 425 मत पड़े तथा वह असाम विधान सभा में एक जन प्रतिनिधि निर्वाचित हुए।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं मैं आपकी अनुमति से विधिवत सूचना देकर बोल रहा हूं। क्या आप उन्हें प्रक्रिया बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय आप उन्हें शान्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान् उनका यह कथन सही नहीं है;

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : इसीलिए आप सज्जनो आप यहां हैं और मैं यहां हूं। **(व्यवधान)** मुझे खेद है मैंने उन्हें सज्जन कहा है मुझे इस सभा का एक माननीय सदस्य बोलना था इस सभा में कोई सज्जन नहीं हैं; सभी माननीय सदस्य हैं। **(व्यवधान)** इस प्रकार यदि एक निर्वाचित क्षेत्र में एक प्रतिनिधि को 425 मत मिले और आसाम के सभी क्षेत्रों में वैसी ही स्थिति बतायी जाती हैं। तथा कथित असम की निर्वाचित सरकार आसाम की जनता की भाषाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और इसलिए यदि राष्ट्रपति का शासन वास्तव में समाप्त होगा तथा लोकतंत्रीय सरकार सत्ता संभालेगी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आसाम में स्थापित होने वाली सरकार आसाम के लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर पायेगी; संविधान के संबद्ध उपबन्धों का पालन वास्तविक एवं कानूनो तौर पर कर सकेगी और यदि ऐसा नहीं है, तो क्या वह वर्तमान आलोकतंत्रीय सरकार का बने रहने देने के निर्णय को बदलेंगे तथा क्या वे विधान सभा भंग किये जाने की सिफारिश करेंगे तथा सरकार को बरखास्त करके, फिर से तब तक

के लिए राष्ट्रपति का शासन स्थापित करेंगे जब तक कि विदेशी नागरिकों की समस्या का समाधान नहीं होती।

आचार्य भगवान देव : ये मगर के आंसू बहा रहे हैं, इनको वहां एक भी सीट नहीं मिली है।

प्रो० कृष्ण चन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रो० मधु दण्डवते ने ने जो कुछ कहा है उसके अलावा सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों में कहा गया है कि "श्री प्रकाश चन्द्र सेठी संविधान के अनुच्छेद 356 (2) के अन्तर्गत असम राज्य के सम्बन्ध में 19 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का प्रति संचरण करने वाली 27 फरवरी, 1982 को जारी की गई उद्घोषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो राजपत्र में अधिसूचना में प्रकाशित हुई थी, सभापटल पर रखेंगे।" 19 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी और विधान सभा भंग कर दी गई थी। नये चुनाव कराये गये थे और कल 27 फरवरी, 1983 को नई सरकार बनी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब तक राष्ट्रपति शासन का प्रतिसंहारण नहीं किया जाता तब तक नवनिर्वाचित विधानसभा कैसे काम कर सकती है ? अतः विधान सभा 27 फरवरी, 1983 तक काम नहीं कर रही थी। मंत्रिमंडल और सरकार जो कल बने हैं और जो चुनावों कराये गये उनमें हेराफेरी हुई है और इस इस प्रकार वे अवैध और असंवैधानिक हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, आसाम में राष्ट्रपति शासन इसलिये लागू किया गया था कि वहां की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी कि असेम्बली फंक्शन कर सके, विधान सभा अपना काम चला सके। लेकिन, श्रीमन्, आप ने इस दौरान इतनी हिंसक घटनायें अखबारों के जरिए और वहां के लोंगों से सुनी हैं जिन में हजारों आदमी मारे गये हैं। क्या ऐसे समय में प्रेसिडेन्ट रूल की अवाश्यकता नहीं हैं ? जब इससे 100वीं अशान्ति भी नहीं थी, हिंसा नहीं थी, तब राष्ट्रपति शासन यह कह कर लागू किया गया कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो गया, क्या और कोई बात कहनी है ?

श्री हरिश कुमार गंगवार : मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं—लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं—यदि सरकार शान्ति-व्यवस्था के नाम पर कहीं भी चुनाव पोस्टपोन करा सकती है, जैसा गढ़वाल में किया, वहां कोई अशान्ति नहीं थीं, फिर भी यह कह कर कि शान्ति-व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार ने वहां का चुनाव दो साल के लिये रद्द रखा, उस को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन यहां तो हजारों-लाखों आदमी मारे गये हैं, उसके बावजूद भी चुनाव पोस्टपोन नहीं कराये गये इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वहां की असेम्बली का कोई अस्तित्व नहीं है, यह चुनी हुई सरकार नहीं है, इसकी भंग कर के वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय और दोबारा चुनाव कराये जाएं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसी अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के सम्बन्ध में एक उद्घोषणा की जाएगी, जिसे सभा पटल पर रखा जाएगा मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की उद्घोषणा के साथ राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो क्या गृह मन्त्री जी ने उस रिपोर्ट की प्रति भी सभा पटल पर पर रखी है ?

क्या यह सच है कि इलेक्शन कमीशन ने असम के चुनावों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैया की है ? क्या गृह मंत्री जी को उस रिपोर्ट की कापी मिली है और क्या गृह मंत्री जी उस रिपोर्ट की कापी भी सभापटल पर रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, वहां राष्ट्रपति राज्य खत्म करने को रस्म अदायगी पूरी हो रही हैं लेकिन वहां विधान सभा बना कर सरकार निर्माण कर के काम चलाना आवश्यक नहीं है। कांस्टीट्यूशनल ओवलीगेशन पूरी हो गई। अब अगर असम को बचाना है, तो सरकार बनाने की गलती मत कीजिए। आप यहां के सदस्यों से कह सकते हैं कि वे अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दें, नहीं तो असम में आगे जो भी घटना होगी, उसके लिए यह सरकार पुनः जिम्मेवार होगी।

आचार्य भगवान देव : इनके इरादे का पता लग गया है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : क्या में माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूं ?

(व्यवधान) महोदय, जहां तक...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे-बैठे बातें कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं लगता।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं इनटरप्ट नहीं कर रहा हू **(व्यवधान)**

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : ये हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका, आप क्या कह रहे है ? मंत्री उत्तर देने के लिए यहां हैं। आप इनको जवाब देने दें। **(व्यवधान)**

श्री जगपाल सिंह : वहां पर कम्युनल रायट्स आप करा रहे हैं। 3 हजार जवान मारे गए गए हैं। यह सारी जिम्मेदारी आप की है। 5 परसैन्ट वोट पर गवर्नमेंट बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : भगवान के लिए आप बैठ जाइए। क्या भंग खाकर आप दोनों यहां आए हैं।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, जहां तक असम में चुनावों का सम्बन्ध है, असम पर वादविवाद के समय हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। महोदय, यह सही है कि वहां काफी हिंसा हुई है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि वहां जो चुनाव हुए हैं वे अवैध और असंवैधानिक हैं। उनको विधिवत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया और जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, मैंने पहले इस सभा में बताया था कि यह निर्वाचय आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है।

जहां तक चुनाव परिणामों का संबंध है, कुछ दलों ने चुराव में भाग नहीं लिया उन्होंने मतदान न करने के लिए भी लोगों से कहा। लेकिन इसके बावजूद, कई चुनाव क्षेत्रों में 50 से 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने मतदान किया और कुछ चुनाव क्षेत्रों में 40 से 50 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कितने चुनाव क्षेत्रों में ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कुछ चुनाव क्षेत्रों में 30 से 40 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया और कुछ क्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।

तथापि तथ्य यह है कि चुनाव कुछ चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह आंशिक रूप से नहीं हो सके। किन्तु ऐसे चुनाव क्षेत्रों की संख्या बहुत कम है। अतः विधान सभा का विधिवत गठन हुआ है। विधान सभा का विधिवत गठन हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन समाप्त करना आवश्यक है। अतः कल राज्यपाल के इस संदेश के प्राप्त न होने के तुरन्त बाद कि एक दल के नेता का चुनाव कर लिया गया है और वह सरकार बनाने की स्थिति में है, हमने इस उद्घोषणा का प्रति संहरण कर दिया। इसे असम भेजा गया। उसके पश्चात् मन्त्रिमण्डल को शपथ लेने के लिए कहा गया।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य शान्ति बहाल करने में इस मन्त्रालय को सहयोग तथा सहायता देंगे और ऐसा वातावरण पैदा नहीं करेंगे जो असम की वर्तमान स्थिति के अनुकूल न हो।

जहां तक पुनः राष्ट्रपति शासन लागू करने का सम्बन्ध है। पिछली बार जब ऐसा किया गया था तब विधानसभा और विभिन्न दल एक स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। किन्तु इस समय स्थिति यह है कि जो दल चुना गया है वह स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए उनको काम करने का अवसर न देने और राष्ट्रपति शासन पुनः लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

असम के चुनावों के बारे में मुझे निर्वाचन आयोग से अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही मैं यह कह सकूंगा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संविधान के अनुच्छेद 353 (1) के अन्तर्गत असम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत असम राज्य के सम्बन्ध में 19 मार्च 1982 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करने वाली संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उनके द्वारा 27 फरवरी, 1983 को जारी की गयी उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 110 (अ) में प्रकाशित हुई थी; सभापटल पर रखता हूं (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5918/83)

सदस्य को गिरफ्तारी और रिहाई

श्री जी० एम० बनातवाला

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष लोक सभा को भेजा गया पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का 27 फरवरी, 1983 का निम्नलिखित आशय का सन्देश 28 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ है :—

"आज लगभग 2.55 म० प० पर श्री जी० एम० बनातवाला, लोक सभा सदस्य ने, 54 अन्य व्यक्तियों के साथ, रफी मार्ग, और राजपथ के चौराहे पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू की गई विषेधाज्ञा का 'जेल भरो तहरीक' के समर्थन में स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया और इस प्रकार गिरफ्तारी दी। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत संसद मार्ग, पुलिस थाना, नई दिल्ली में मामला प्रथम सूचना रपट 78 दिनांक 27-2-1983 दर्ज किया गया, जिसके तहत श्री जी० एम० बनातवाला सहित 55 व्यक्तियों का चालान किया गया।

तत्पश्चात् 4.10 म० प० श्री बनातवाला सहित सभी अभियुक्तों को, श्री बलबीर सिंह, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपराध स्वीकार किया और न्यायालय ने उन्हें प्रताड़ना देकर रिहा कर दिया।"

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों की लम्बी सूची को ध्यान रखते हुए, यदि सभा सहमत हो तो हम आज मध्यान्ह भोजन काल को समाप्त कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आज आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे। मैं नहीं जानता कि आज मुझे विश्राम करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति ही नहीं दूंगा बल्कि मैंने आपसे यह अनुरोध भी किया है कि आप आज मध्यान्ह भोजन न करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं उसके लिए तैयार हूं। जिस विषय पर चर्चा की जा रही है उसके लिए मैंने सूचना दी है। चूंकि यह मानवीय समस्या के बारे में है। किसी ने इसे नहीं उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा समाप्त हो गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नई दिल्ली स्थित एयर फ्रांस और ईराकी एयरवेज के कार्यालयों तथा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों में हाल ही में हुए विस्फोटों का समाचार

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : मैं गृह मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "नई दिल्ली स्थित एयर फ्रांस और ईराकी एयरवेज के कार्यालयों तथा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों में हाल ही में हुए विस्फोटों के समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, 3 और 4 फरवरी, 1983 के बीच की रात को कनाट सर्कस स्थित सिंधिया हाउस और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित अंसल भवन में कुछ मिनटों के अन्तराल पर दो शक्तिशाली विस्फोट हुआ पहला विस्फोट सिंधिया हाउस के भू-तल पर स्थिति एयर फ्रांस के कार्यालय के बाहर हुआ। विस्फोट सामग्री जिसके बारे में मालूम होता है कि वह एयर फ्रांस के कार्यालय के बाहर संगमरमर फर्श पर रखी गई थी, वे ऊपर की छत पूर्णतया नष्ट हो गई। एयर फ्रांस के कार्यालय में काफी क्षति हुई। विस्फोट से लगभग 1 1/2 फुट गहरा और 2 1/2 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और 100 फुट के अर्धव्यास में आने वाली अन्य दुकानों और भवनों के शीशों पर प्रभाव पड़ा।

अंसल भवन में विस्फोट का लक्ष्य ईराकी एयरवेज का कार्यालय था। विस्फोटक सामग्री एयरवेज कार्यालय के वातानुकूल एकक के निकट रखी गई थी और विस्फोट से कार्यालय में रखा हुआ समस्त फर्नीचर और अन्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। जिसके कारण थोड़ी आग लग गई जिसको अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित किया गया। विस्फोट से साथ के एयर फ्रांस के कार्यालय को और बहुमंजिली इमारत के शीशों को भी क्षति पहुंची।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427/436/324 के साथ पठित विस्फोट क पदार्थ अधिनियमों की धारा 3/4 के अधीन दो मामले दर्ज किये गये हैं और जांच की जा रही हैं।

2. 18-11-1982 को लगभग सायं 10.45 बजे रूसी दूतावास के रिहायशी परिशर में एक हथगोला एक फ्लैट के बरामदे में फटा, जिसमें दूतावास का एक कर्मचारी रहता था। खिड़की और शीशे काफी क्षतिग्रस्त हुये लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के साथ पटित विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एक मामला दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

3. 11-2-1983 को अमरीकी दूतावास के स्वागत कार्यालय में तैनात स्वामी नामक एक व्यक्ति से चाणक्यपुरी थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि दूतावास के दरवाजे के नजदीक एक बम जैसा पदार्थ गिरा है। स्थानीय पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर गए और उन्हें बताया गया कि लगभग 6.45 बजे सायं अमेरिकी दूतावास के मुख्य दरवाजे के सामने शान्ति पथ पर एक विस्फोट सुनाई दिया और कोई वस्तु दूतावास की दीवार के लोहे की ग्रिल टकरायी। लोहे की ग्रिल की एक छड़ टूट गयी और जमीन पर गिर गयी लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। क्षेत्र की तलाशी करने पर राकेट का पीछे का भाग बरामद हुआ। अगली सुबह परिसर की और तलाशी करने पर राकेट का आगे का भाग मिला जिसे विशेषणों द्वारा विस्फोटित किया घया विशेषज्ञों की राय में प्रक्षेपणाशास्त्र शक्तिशालीटैंक भेदीराकेट था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

4. इन मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। जो कार्य आसूचना ब्यूरो, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और केन्द्रीय विधि विज्ञाग प्रयोगशाला जैसी विभिन्न विशेष एजेंसियों के अधिकारियों का एक संयुक्त दल कर रहा है।

श्री भीखा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री के स्पष्ट वक्तव्य से प्रसन्न हूं और मैं इससे भी संतुष्ट हूं कि उन्होंने तथ्यों को ज्यों का त्यों बताने की कृपा की है। किन्तु मुझे इस बात पर दुःख है कि मन्त्री महोदय ने स्वयं वक्तव्य में कहा है कि 18-11-1982 को लगभग 10-45 म० प० पर रूस के दूतावास के रिहायशी अहाते में एक हथगोला फैंका गया था। इस हथगोले का दूतावास के एक कर्मचारी के फ्लैट के बरामदे में विस्फोट हुआ और खिड़की तथा खिड़की के

शीशों को काफी नुकसान पहुंचा । क्या मैं केवल इस विषय पर मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह उसके बाद कोई कार्यवाही कह सके और क्या विस्फोट पदार्थ अधिनियम की कतिपय धाराओं के अधीन कोई अपराध का मामला दर्ज किया गया है । पहला प्रश्न यह है । यह विभिन्न तारीखों को बाद में हुई घटननाओं की शुरूआत है और दूसरे देशों की नजरों में भारत सरकार की छवि इससे खराब हुई है । जहां तक विदेशी विदेशी कर्मिकों अथवा विदेशी एयरलाइनों की सुरक्षा का सम्बन्ध है । हम आन्तरिक सुरक्षा में कोई विलम्ब सहन नहीं कर सकते । क्या हम विदेशी लोगों अथवा विदेशी एजेंसियों की सुरक्षा में किसी विम्ब को सहन कर सकते हैं । एक प्रश्न मैंने यह पूछना है । दूसरे इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एक राजनायक ने अपने वक्तव्य में बताया है कि यह गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन को असफल बनाने का यह एक प्रयास है जो शीघ्र ही हमारे देश में होने वाला है ? कई समाचार-पक्षों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से खतरा है । कुछ लोगों का कहना है । कि भारत के आतंकवादियों से खतरा है क्या भारत सरकार ने समाचार-पत्रों में छिपी खबरों को देखा है और सुरक्षा के पहलू की ओर अधिक गम्भीरता से ध्यान दिया है। यदि सरकार ने उनका पता लगाने के लिए ईमानदारी से तथा गम्भीरता से प्रयास किए हैं तो इसका क्या कारण हैं कि सरकार अभी तक अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं हुई है ?

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रूस और अमेरिका के दूतावासों, इराकी एयरवेज और ऐसा फ्रांस को कितना नुकसान हुआ है । क्या सरकार इन विस्फोटों के पीछे जो उद्देश्य है इसका पता लगाने में सफल हुई है ? चूंकि चार महीने पहले सरकार को इसका पता चल गया था । सरकार ने हमारे नागरिकों, विदेशी लोगों तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रबन्धकों को कड़ा करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ? चूंकि अगले तीन या चार दिनों में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन होने वाला है । सभी खतरों का पूर्वानुमान लगा लिया जाना चाहिए था और गृह मन्त्रालय द्वारा निवारक उपाय किए जाने चाहिए थे । जब तक सुरक्षा के उपायों को कड़ा नहीं किया जाएगा तब तक इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन एजेंसियों को कितना नुकसान हुआ है । इन विस्फोटों के पीछे क्या उद्देश्य था और सरकार अपराधियों को पड़ने में अभी तक असफल क्यों रही है ।

मेरे पास कई समाचार-पत्रों की कई कतरनें हैं । इनमें लिखा है :—"दो हवाई कम्पनियों के दफ्तर में बम फटे" अमरीका के दूतावास में राकेट पाये गये; "एक चौकीदार मर गया" इन सभी कतरनों को देखकर सरकार आतंकवादियों के उद्देश्य के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए था और इनसे सरकार को वास्तविक अपराधियों की तलाश करने में काफी संकेत मिलना चाहिए था सरकार अभी तक ऐसा क्यों नहीं कर सकी ? क्या सरकार ने सुरक्षा उपायों को कड़ा किया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : विदेशी दूताकारों एवं एयर लाइंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने सम्बन्धी अपने दायित्व से सरकार पूर्णतया अवगत है । अतः जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुयीं हैं, हमने हर सम्भव सावधानी बरतने के लिए कार्यवाही की है । इसके लिए हमने विभिन्न

शाखाओं से उच्च अधिकारियों के दल इसकी जांच के लिए भेजे हैं। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो हम सी० बी० आई की सहायता भी लेंगे। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम अपराधियों का पता लगाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। अब तक 350 विदेशी नागरिकों की पूछ-ताछ की जा चुकी है जबकि इस मामले के सम्बन्ध में उनमें से 66 विदेशी नागरिकों से बारीकी से पूछ-ताछ की गई है जांच पड़ताल अभी भी चल रही है।

जहां तक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान सुरक्षात्मक उपायों का सम्बन्ध है, इसके लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का व्यय किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों से एस० आई० एवं ए० एस० स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें यहां तक तैनात कर दिया गया है सभी सम्भव सुरक्षात्मक उपाय कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा बी० एस० एफ एवं सी० आर० पी० एफ० को सुरक्षा सम्बन्धी पक्ष देखने के लिए तैनात कर दिया गया है।

एयर फ्रांस एवं इराकी एयरवेज को क्रमश: 94,950 रु० एवं 4,73,350 रुपये की हानि उठानी पड़ी। जहां तक अमरीका और रूस दूतावासों का सम्बन्ध है हानि नगण्य थी।

श्री भीखाभाई : इन सबके पीछे उद्देश्य क्या था?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक उद्देश्य का पता नहीं चल सकता। किन्तु विभिन्न प्रकार के सुराग मिले हैं मैं उनके बारे इस समय बताना ठीक नहीं समझता।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने इस विषय पर हर पहलू को विस्तार से बताया है तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भी बताया है। शहर में कई विस्फोट हुए हैं जिसमें से दो विदेशी दूतावासों में और दो विस्फोट विदेशी एयरवेज की इमारतों में हुए हैं दो दिन पहले पालिका बाजार में भी एक विस्फोट हुआ था। यह कोई अकेली घटना नहीं हैं। असम में प्रथकतावादी आंदोलन चल रहा है कुछ राजनीतिक दल उसका भी समर्थन कर रहे हैं आज एक बड़ी डकैती की घटना घटित हुई है और 17 व्यक्तियों को लूटा गया है इस सबके पीछे कारण क्या है? भारत की अध्यक्षता में अब गुट-निरपेक्ष सम्ममेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसका वह तीन वर्ष तक अध्यक्ष रहेगा हमारी गुट-निरपेक्ष, नीति हमारी साम्राज्य-बाद विरोधी नीति निश्चय ही कुछ शक्तियों की आंखों में काटे के समान चुभती है अत: वे निश्चय ही हमारे देश में आन्तरिक गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं ताकि वे गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के आयोजन करने के पीछे हमारे उद्देश्य को विफल कर सकें। मन्त्री महोदय ने इस बात का उत्तर दे दिया है। अत: मैं इसके व्यौरे में नहीं जाना चहाता। मैं केवल कुछ विशेष प्रश्न पूछना चहाता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आधुनिक मिसाइलें एवं बम जो अमरीकी दूतावास में फेंके गये थे क्या वे स्वदेशी मूल से हैं। यदि उनका निर्माण देश में ही हुआ है तो उन्हें आयुक्त कारखानों से बाहर कैसे लाया गया ? यदि विदेश निर्मित थे तो उनकी भारत में तरक्की कैसे की गई ? यह प्रमुख प्रश्न है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वे हथियार देश में निर्मित हैं, वे यदि वे आज आधुनिक हथियार और मिसाइलें आयुद्ध कारखानों से बाहर ला सकते हैं तो वे टैंक भी बाहर ला सकते हैं और किसी और को दे सकते हैं। मेरे प्रश्न का यह मुख्य उद्देश्य है।

दूसरी बात मैं जो पूछना चाहता हूं कि वे आतंकवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में है, यह समाचार पत्रों से प्रकाशित आतंकवादी गतिविधियां चाहे वह खुमैनी विरोधी अथवा उसके पक्ष में, अन्य विदेश नागरिकों, सरकार-विरोधी अथवा सरकार के पक्ष में हों, हमारे देश का वातावरण दूषित कर रही है। इन सभी प्रकार की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिए हमारे क्या सुरक्षात्मक उपाय हैं यह नीति क्या है ?

महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि जांच के बाद वे सभी प्रकार के ब्यौरे के बारे में बताएंगे किन्तु मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि अपराध हो जाने के बाद पुलिस को सतर्क किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोई, मन्त्री महोदय ने किये गये विभिन्न प्रबन्धों के बारे में बता दिया है।

श्री कृपा सिंधु भोई : मुझे मालूम है। किन्तु मैं एक बात के बारे में जानना चाहता हूं कि एक पुलिस अनुसंधान और विकास एजेन्सी थी जो 1970 में स्थापित की गई थी। गृह सचिव की अध्यक्षता में एक और मूल्यांकन एजेन्सी है और इस एजेन्सी की पिछले पांच वर्षों में दो ही बैठकें हुई हैं। यदि यह सत्य है तो इस एजेन्सी का लाभ क्या है ?

हमारे पुलिस विभाग के अनुसन्धान और विकास विंग को, पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सशक्त क्यों नहीं बनाया जाता ? यदि और पैसे की आवश्यकता है, तो और पैसा दिया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों को अव्याधुनिक उपकरणों से लैस क्यों नहीं किया जाता ताकि उनके लिये अपराधियों को पकड़ना अपेक्षाकृत सुगम हो जाए और वे विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में जान सकें। अपराधियों को थोड़े ही समय में पकड़ने की दृष्टि से क्या कदम उठाये गये हैं ? मेरे एक मित्र जो स्काटलैंड गये थे उन्होंने वहां की जांच की प्रक्रिया का वर्णन किया तो मैं बहुत ही आकर्षित हुआ हूं। क्या मन्त्री महोदय इन तथ्यों पर विचार करेंगे जो उनके मन में हैं और अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करेंगे। पुलिस कर्मचारी और हतोत्साही लोगों को विभाग के अनुसन्धान और विकास विंग में नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान अधिकारियों को देश के जीवन कानून और सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए भेजा जाना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य की चिन्ता को मैं भली भांति समझता हूं मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक यह प्रश्न उठाया है कि एक चपरासी मारा गया था।

इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। किसी की मृत्यु नहीं हुई है। एक चपरासी को बंम के टुकड़े लगने के कारण थोड़ी सी चोट आई थी। उसे अस्पताल भेज दिया गया था। किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हैं। एयर फ्रांस तथा ईराकी एयरवेज के कार्यालयों में हुए विस्फोटों में भारत में निर्मित बमों का प्रयोग किया गया था, यह बम गैर सरकारी लोग दो ट्यूबों को जोड़ कर उसमें विस्फोटक पदार्थ रख कर बना लेते हैं और अतः उनका कोई विशेष महत्व नहीं है।

जहां तक अमरीकी दूतादासों के लिए प्रयुक्त किये गये राकेट का सम्बन्ध है उस पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे जिससे पता चल सके कि उसे कहां से लाया गया था। किन्तु, निश्चय ही यह शक्तिशाली उपकरण था जिसका यदि पता न लगता तो उससे काफी हानि हो सकती थी।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम दिल्ली पुलिस को उच्च शक्ति वायरलैस सेटों, मेटल डिटेक्टरो तथा विस्फोटक डिटेक्टरों से लैस कर रहे हैं। इन अपराधों की जांच के लिए एक फारेंसिक प्रयोगशाला की अभी हाल में ही स्थापना की गई है। हमने दिल्ली पुलिस को सावधान कर दिया है कि वे भविष्य में अधिक सजग रहें। रात की गश्त में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही इन तथ्यों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए और अधिक बढ़े सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

जहां तक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का सम्बन्ध है, कुछ लोगों अथवा दलों का उद्देश्य कुछ भी हो, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें भाग लेने के लिए आने वाले सभी लोगों की अच्छी प्रकार सुरक्षा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व श्री हरीश रावत डी० एल० बैज, हरिकेश बहादुर उपस्थित नहीं है अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। अनेक सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि आज मध्याह्न भोजन काल नहीं होगा। जो सदस्य उपस्थिति नहीं हैं उन्हें दो बजे के बाद अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। श्री राम प्यारे पनिका।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से लगातार मिर्जापुर जनपद सूखा, बाढ़ ओला आदि प्राकृतिक अपदाओं से अप्रत्याशित कठिनाई में पड़ा हुआ है। इस वर्ष भी इन तीनों प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, सूखा और ओला का भयकर प्रकोप होने के

कारण मिर्जापुर की जनता अप्रत्याशित कठिनाई में पड़ गई है, परन्तु केन्द्रीय सरकार के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद जनता को राहत पहुंचाने के लिए राहत कार्यों का अभाव है और सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक न्याय पंचायत में राशन वितरण की भी सुदृढ़ व्यवस्था के अभाव में जनता भुखमरी के करार पर खड़ी हो गई है। अधिकांश आदिवासी, हरिजन, खेतिहर मजदूर काम के अभाव में जहां एक ओर भुखमरी का सामना कर रहे हैं वहां पर इस जनपद का किसान लगातार उपर्युक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशान है और उसकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सरकार कड़ाई से वसूली करा रही है और किसान का खेत तथा अन्य सम्पत्तियों की कुर्की हो रही है, फलस्वरूप पूरे जनपद में हाहाकार मचा हुआ है; इसलिए मैं सरकार का ध्यान उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए निम्न व्यवस्था करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1. केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारों को, भुखमरी से बचाने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में अनिवार्य रूप से एक राहत का कार्य खोलने का निर्देश दे और यदि प्रदेश सरकार साधनों के अभाव में राहत कार्य शुरू करने में समर्थ हों तो केन्द्रीय सरकार राहत कार्य खोलने के लिए पूरी सहायता दे।

2. विकास कार्यों को अविलम्ब चालू किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके।

3. किसानों पर हो रही वसूली की कार्यवाही अगली फसल आने तक रोक दी जाए और लागान माफ किया जाए।

4. जानवरों के लिए भूसे का प्रबन्ध किया जाए तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय इसमें प्रिन्ट होने में कुछ छूट गया था इसलिए मैंने उसको जोड़कर पढ़ दिया है।

(दो) "रुपया यानी चैक" के केन्द्रीयकरण तथा समन्वयकरण का कार्य कलकत्ता पुनः आरम्भ करना

श्री नीरेन घोष (डमडम) : महोदय, जबसे इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अन्तरित किया गया और उसके मुख्यालय को कलकत्ता से बम्बई में लाया गया, रुपया यानी चैकों से सम्बन्द्ध लेखा एवं समायोजन कार्य स्टेट बैंक, कलकत्ता में दो कार्यालय जैसे कलकत्ता मेन ब्रांच में केन्द्रीयकृत कर दिया गया था : तथा सम्बद्ध कार्य लगभग 90 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा। कलकत्ता मेन ब्रांच में रुपया यामी चैक के लेखे में लगभग 30 करोड़ रुपये जमा रहता था जो कलकत्ता में बैंक जमा के लेखों में होता है। पिछले दशक में रुपया यामी चैकों का प्रयोग बहुत ही बढ़ गया और प्रबन्धकों के जानबूझ कर रुपया यानी चैक के लेखों एवं समायोजन सम्बन्धी

कार्य को इकट्ठा होने दिया और कार्य में वृद्धि होने के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं थी। अब बैंत में इस कार्य कम्पूटर पद्धति के माध्यम से होता है यद्यपि इसे हाथों से किया जा सकता है। शायन प्रबन्धकों ने इस कार्य को केन्द्रीयकरण के नाम पर आन्तरित किया हो किन्तु उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं और कार्य सम्बन्धी ज्ञान की सहायता से हमारा कार्य कलकत्ता में ही केन्द्रीकृत हो सकता था।

अतः मैं इस बात की मांग करता हूं कि रुपया यामी चैंक तथा उनके समायोजन का समूचा कार्य कलकत्ता में ही केन्द्रीकृत किया जाए। मुझे आशा है कि रुपया यामी चैंक तथा समायोजन कार्य को कलकत्ता में केन्द्रीयकृत करने सम्बन्धी मेरी मांग की तरफ ध्यान दिया जाएगा।

(तीन) **अकाल पीड़ित किसानों को सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता।**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, इस वर्ष भयंकर सूखे के कारण तथा अगले वर्ष कम वर्षा होने की संभावना के कारण सिंचाई सम्बन्धी समस्या की ओर देश का और भी ध्यान गया है और इसका अत्यधिक रास्ट्रीय महत्व हो गया है।

छोटे एवं सीमान्त किसानों को कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए भूमिगत जल के उपयोग के लिये कम गहरे टयूब बैंल लगाने में सहायता दी जा सकती है।

इन किसानों की आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण उन्हें संस्थागत वित्त तथा सरकारी राज सहायता पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि कम गहरे नलकूपों की लागत काफी होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में प्रति नल कूप के लिये 8000 रुपये से 10000 रुपये तक खर्च करना पड़ता है जो कि छोटे और सीमान्त किसानों के बस की बात नहीं है।

देश के अधिकांश हिस्सों में इस स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए।

मद्रास में हुई सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन में यह बात उठाई गई थी।

पश्चिम बंगाल सरकार लघु सिंचाई मन्त्री ने संग सरकार से अनुरोध किया था कि नलकूप मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किसानों को 25 प्रतिशत राज सहायता दी जाए और छोटे एवं सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाए।

मैं सिंचाई मन्त्री एवं कृषि मन्त्री से अनुरोध करती हूं, कि वे इस सम्बन्ध में रचनात्मक निर्णय लें कि यह राजसहायता किसानों को दी जाए और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किए जाएं।

(चार) शिवालिक सैल्यूलोज लिमिटेड गजरौला, मुरादाबाद जिला (उत्तर प्रदेश) के मजदूरों को बकाया मजदूरी की राशि का भुगतान करना तथा उस मिल को पुनः चलाना।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, शिवालिक सैल्यूलोज लिमिटेड गजराला जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसकी कागज क्षमता उत्पादन क्षमता 30 टन प्रतिदिन है, का निर्माण कार्य 1975-76 ई० में बहुत ही उपजाऊ भूमि पर नाजायज कब्जों द्वारा किया गया है। इस मिल में कागज का उत्पादन सन् 1979 से शुरू हो गया था। मिल में लगभग 500 मजदूर कार्यरत हैं। श्रमिकों ने कड़ी मेहनत एवं ईमानदारी ले मिल का निर्माण एवं उत्पादन किया। मशीनें पुरानी एवं कमजोर होने की वजह से कई श्रमिकों के शारीरिक अंगों को क्षति हो चुकी है। लेकिन अभी तक मिल मालिकों एवं प्रबन्धकों द्वारा इन श्रमिकों की कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई है।

अफसोस एवं खेद का विषय है कि इस मिल में कागज का उत्पादन दिनांक 21 मार्च, 1982 से मिल मालिक एवं प्रबन्धकों द्वारा अचानक बन्द कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विगत सितम्बर महीने से कार्यरत करीब 400 श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है और इनके परिवारों को स्थिति अत्यन्त सोचनीय एवं गम्भीर आर्थिक संकट में हैं। मजदूर विवश होकर 19 जनवरी 1983 से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

अतः इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह निवेदन है कि अविलम्ब इस मामले में हस्त क्षेप कर चार सौ कार्यरत श्रमिकों को बकाया वेतन लगभग, पांच लाख रुपए अविलम्ब भुगतान कराया जाय तथा देश में कागज की अनिवार्यता एवं मजदूरों की बेरोजगारी को देखते हुए कागज का उत्पादन शुरू किया जा सके, जिससे मिल को हो रही लगभग 20 लाख रुपए प्रति माह के नुकसान को रोका जाए।

(पांच) गुजरात के मेहसाना जिले के बाजीपुर क्षेत्र में वार्जनिया तम्बाकू की खरीद का प्रबन्ध

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में मेहसाना जिले के बीजापुर क्षेत्र में पिछले तीस सालों से वर्जनिया तम्बाकू पैदा की जाती है। पिछले इन सब सालों में आई० बी० सी० कम्पनी के द्वारा यह तम्बाकू का बीज उगाने के लिए दिया जाता था और इनमें से तैयार जो माल होता था, यह सब तम्बाकू यह कम्पनी खरीद लेती थी। इस साल भी इस कम्पनी ने ही किसानों को तम्बाकू पकाने के लिए इनके बीज दिए हैं और अब तम्बाकू तैयार हो गया है, लेकिन यह खरीदने को आगे नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, लेकिन दूसरी कम्पनियां खरीदने को आती हैं तो उन्हें कारनर करके खरीदने नहीं देती हैं, जिससे वहां के किसान जिन्होंने तम्बाकू पैदा की है, बहुत मुश्किल में आ पड़े हैं।

देश में वर्जनियां तम्बाकू को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने तम्बाकू बोर्ड बनाया है। जो तम्बाकू उगाने पर नियंत्रण रखता है। इसकी बिक्री करने में मदद करता है और विदेशों में बाजार पाने के लिए भी कोशिश करता है। इस तम्बाकू बोर्ड के जरिए इस क्षेत्र के 86 किसानों ने अपना नाम तम्बाकू उगाने के लिए तम्बाकू बोर्ड में इस साल रजिस्टर्ड कराया है। करीबन 8 लाख किलो जितना माल तैयार पड़ा हुआ है लेकिन, उसे खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने तम्बाकू बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को दिनांक 7-2-83 को पत्र लिखा है, सारी परिस्थित से अवगत कराते हुए और तार भी भेजे हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है तम्बाकू बोर्ड का कार्यालय जहां है, वह गुंटूर शहर में कई कम्पनियां तम्बाकू खरीदने वाली अपने आफिस खोल कर प्लांट लगाकर बैठी हैं। जिनको यह तम्बाकू बाहर भेजने के लिए मान्यता भी तम्बाकू बोर्ड से दिया जाता है। इन कम्पनियों को इस क्षेत्र से तम्बाकू खरीदने के लिए शीघ्र ही भेजने की व्यवस्था तम्बाकू बोर्ड द्वारा की जाए। या तो एस० टी० सी० या नाफेड द्वारा यह तम्बाकू खरीदा जाए ऐसा प्रबन्ध शीघ्र किया जाए। वाणिज्य मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना करता हूं और जिस कम्पनी ने इतने सालों से इस क्षेत्र में वर्जनियां तम्बाकू उगाने और खरीदने का काम किया है, यह कम्पनी किसानों का इस साल का पकाया हुआ माल मुफ्त में खरीदने के लिए कोशिश कर रही है। इसके प्रति भी योग्य कदम तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाया जाए।

(छः) समुद्री कछुओं के अनुरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करना

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उड़ीसा के समुद्री जल में विद्यमान पैसीफिक रिडले समुद्री कछुओं की नस्लें समाप्त होती जा रही है।

एक प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता चला है कि उनका मैथुन काल आम तौर पर अक्तूबर-दिसम्बर है। उस समय मैथुनरत बहुत से जोड़ों को समुद्र के किनारे गन्दे स्थलों पर तैरते हुए देखा जा सकता है। इन कछुओं के कई छोटे-छोटे बच्चों और ऊषाकाल से पूर्व समुद्र में प्रविष्ट न हो सकते। वे हजारों प्रवासी सामुद्रिक पक्षियों तथा कुत्तों, गीदड़ों, लकड़ बग्गों, तेंदुओं जैसे मेमेडियन परभाक्षियों के शिकार बनते हैं। पश्चिम बंगाल में दीर्घा और उड़ीसा में बालासोर के शिकारी बड़े-बड़े दलों में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करके नाइलोन के जालों से हजारों समुद्री कछुओं को अवैध रूप से पकड़ते हैं और उन्हें मुख्य रूप से कलकत्ता के बाजार में बेच देते हैं।

सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्वक बात यह है कि इन शिकारियों द्वारा समुद्री किनारे के गन्दे स्थलों से बड़े कछुओं और उनके अण्डों को इकट्ठा किया जाता है और उनके द्वारा मछली पकड़ने के लिए प्रजनन क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले ट्रालरों से दुर्घटना के कारण भी समुद्री कछुए मर जाते हैं।

मैं सुझाव देती हूं कि इन कछुओं के मैथुन और घोंसला बनाने के मौसम में मछली पकड़ने

को नियमित करने के लिए तथा अण्डों को उच्च ज्वार से बचाने हेतु समुद्री घोंसलों के स्थानान्तरण की व्यवस्था हेतु भारत सरकार अनुदेश जारी करें। तटरक्षकों को व्यस्तम मौसम में तट दूर क्षेत्र और किनारे तथा ज्वारनदमुख पर तीव्र-गाभी नौकाओं और मोटर लांचों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करना चाहिए।

समुद्री कछुओं के परिरक्षण हेतु सभी सम्भव प्रयास करना आवश्यक है। अतः मैं पुनः उनके व्यवहार उनके प्राकृतिक वास, फालतु कछुओं और उनके अण्डों का, बिना उनकी जनसंख्या पर प्रभाव डाले, उपयोग करने के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का सुझाव देती हूं।

(सात) केरल राज्य के वितरण हेतु चावल के कोटे में वृद्धि होना

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): केरल में की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चावल की मासिक आवश्यकता लगभग दो लाख टन है जबकि दिसम्बर, 1982 और जनवरी तथा फरवरी, 1983 में केवल 95,000 टन प्रति मास चावल आवंटित किया गया है। यहां यह भी नोट किया जाए कि वर्ष 1980 और 1981 में 1,35,000 टन चावल प्रति मास आवंटित किया गया था। दिसम्बर, 1981 से अप्रैल, 1982 के पांच महीनों के दौरान मासिक आवंटन की मात्रा को 90,000 टन कर दिया गया था, परन्तु मई, 1982 से भारत सरकार ने इसे पुनः बढ़ाने की कृपा की। तथापि नवम्बर, 1982 में सरकार ने एक बार फिर मनमाने ढंग से यह मात्रा कम करके 90,000 टन कर दी और तत्पश्चात् इसे बढ़ाकर 95,000 टन कर दिया जो कि वर्तमान में अपर्याप्त आवंटन है। फालतू चावल पैदा बहुत ही करने वाले राज्यों द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण केरल में चावल नाममात्र ही पहुंचा है जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई है।

चावल की कमी के कारण गम्भीर कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। राज्य को आंतक और अराजकता का शिकार मत बनने दीजिए। अतः मैं भारत सरकार से मासिक आवंटन को बढ़ाने का आग्रह करता हूं ताकि यह भूल 1,35,000 टन कोटे के बराबर हो जाए।

इसके अतिरिक्त केरल राज्य नागरिक पूर्ति नियम ने फालतू चावल पैदा करने वाले राज्यों से 1,00,000 टन चावल खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है।

मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि केरल में खाद्यान्न की स्थिति नियन्त्रक से बाहर न हो जाए और तत्काल अपेक्षित उपाय किए जाएं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

श्री कुंवर राम (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने सदन के समक्ष जो भाषण देने की कृपा की है तथा उसके सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जी ने रखा है तथा उस के समर्थन में हमारे प्रो० तिवारी जी ने जो कुछ कहा है, आज मुझे अवसर मिला है कि मैं भी उसके समर्थन में कुछ शब्द कहूं। यूं तो राष्ट्रपति महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण

में भारत के प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के कार्यकलापों तथा आगे आने वाले वर्षों में देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के सम्बन्ध में गागर में सागर भर दी है, फिर भी हमारे विपक्ष के लोगों को उस से सन्तोष नहीं हुआ है।

विरोधी पक्ष के लोगों ने जो कुछ आलोचनाएं की हैं। अभिभाषण के सम्बन्ध में, उनके संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

यों तो अभी-अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर था, उस पर कुछ बातें हो रही थीं कि एयर फ्रांस और ईराक एयरवेज के कार्यालयों पर बम फैंके गए और अमेरिका एम्बैसी और यू० एस० एस० आर० एम्बैसी पर मिसाइल फैंकी गई, और राष्ट्रपति महोदय ने भी कुछ बात का संकेत दिया है कि इस देश में आंतकवादी, चाहे वे विदेशी हों या देशी स्वरूप हासिल कर रखा हो, सक्रिय हो गये हैं और सरकार को इन के दमन के लिए सारी शक्ति लगानी चाहिए।

इस माहौल में जो ये घटनाएं घटी हैं, उन को देख कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत की उदार नीति भी एक कारण बन गई है, जिस की वजह से आंतकवादियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है और सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी उदार नीति, जिससे देश को खतरा पहुंचे, सरकार को नहीं अपनानी चाहिए। ऐसी उदार नीति से देश की एकता पर प्रहार हो रहा है। पंजाब की हालत आप देख रहे हैं। वहां पृथकतावादी बातें की जा रही हैं। आसाम की हालत आप देखें, वहां उग्रवादी तत्व सक्रिय हो रहे हैं। यह सब उदार नीति के कारण है।

ऐसे माहौल में देश तरक्की नहीं कर सकता ? आप यह देखें कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। आज हमारा देश औद्योगिक स्तर पर संसार में छटा स्थान प्राप्त कर चुका है, वैज्ञानिक जनशक्ति में छटा स्थान प्राप्त कर चुका है और दुनियां के आधे देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं।

विज्ञान एवं कला में भी हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। आणविक राष्ट्रों में हमारे देश का चौथा स्थान है और इस तरह से हम प्रगति के रास्ते पर चले जा रहे हैं लेकिन इन आंतकवादियों की वजह से हम अपनी नीतियों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं और गांवों के उन लोगों को, जिनके लिए हमने योजनाएं बना रखी हैं, उनको उस हद तक लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है, जितना कि उनको लाभ मिलना चाहिए।

आज ये टेरोरिस्ट्स विदेशियों की शक्लों में हैं और अपने देश के भीतर भी कुछ ऐसे दलाल हैं और कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जो साम्प्रदायिकता से भरपूर हैं और विदेशी शक्तियों से मिल कर उन्होंने आज देश में एक आंतकवाद का माहौल खड़ा कर रखा है। एशियाड के पूर्व भी इन आंतकवादियों ने और पृथकतावादियों ने अपनी गतिविधि को बढ़ाया था और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रथम दिन ही रिवाल्वर लेकर आंतक को फैलाने का प्रयास किया था लेकिन भारत

सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उस स्थिति पर काबू पाया और एशियाड बड़ा सफल रहा।

उसी तरह से इन आंतकवादियों पर चाहे वे पृथकतावादियों की वजह से और चाहे उग्रवादियों की वजह से, चाहे पंजाब की वजह से या आसाम की वजह से हो, काबू पाना होगा।

पंजाब के माहौल पर कई धार्मिक मांगें थीं। उन मांगों को हमारी प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया है। लेकिन उसके बाद भी अकाली दल के नेता की प्रतिक्रिया देखी। उन्होंने कहा कि यह फ्राड है। क्या यह लोग एक तरह से भारत में माहौल को खराब नहीं करना चाहते हैं जिससे कि देश की एकता खत्म हो, हमारी जो संवैधानिक रचना है, उस पर कुठाराघात हो। ऐसे माहौल में आज श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कदम उठाया है, उसके लिए, इन विपक्ष में बैठने वाले लोगों को भी सहयोग देना चाहिए।

मैं प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे माहौल में आपकी जो उदार नीतियां हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए। अगर उनमें परिवर्तन नहीं लाया गया तो देश की जो व्यवस्था है, जिसको हम 33 वर्षों से चलाते आ रहे हैं, उसको आघात लगेगा। कहा गया है -

विनय न मानत जल्दी जड़, गया तीन दिन बीत
बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत॥

जब तक इस देश में विशेष तत्वों, विशेष लोगों के खिलाफ भय की बात नहीं की जाएगी, उन पर कार्यवाही करने की समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इस देश को टुकड़े होने से नहीं बचाया जा सकता।

आज कहीं पर धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है, कहीं पर क्षेत्रीयता की भावना को लेकर लड़ाई चल रही है, कहीं पर भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है। ऐसे माहौल में जिन पर भारत की मर्यादा की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है, उनको अपनी उदार नीतियों में ऐसा परिवर्तन लाना होगा जो यहां की जनता को खुशहाली के रास्ते पर ले जाए और भारत की एकता को बराबर रखे, बनाये रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो असम में या पंजाब में घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि हमने अभी कहा कि अपनी उदार नीतियों में परिवर्तन लाना होगा, वहां यदि आवश्यकता पड़े तो फौज से भी काम लेना चाहिए और ऐसे तत्वों को जो देशद्रोही हैं, खोज कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। जो देश की एकता पर खुल्लमखुल्ला प्रहार कर रहे हैं उन के साथ कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। भारत माता की वन्दना करने वाले आर० एस० एस० के लोग और बी०

जे० पी० के लोग अपने दृष्टिकोण को बदलें। अगर भारत माता की बन्दना करने वाले लोग अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तो आज जो असम की हालत है, पंजाब की जो हालत है, या अभी जो दक्षिण में चुनाव हुए और क्षेत्रीयता की भावना को लेकर हुए तो इससे देश टुकड़ों में बंट जाएगा।

इन चुनावों में क्या हुआ ? बी० जे० पी० या अन्य पार्टी के लोगों ने खुल्लमखुल्ला इस बात का प्रचार किया कि कांग्रेस के खिलाफ मत दो। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग देने की बात कही। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला ? वे कहां रह गए ? उन पार्टियों के सारे उम्मीदवारों की जमानतें जप्त हो गयीं। बी० जे० पी० ने सौ सीटों पर चुनाव लड़ा और सौ सीटों पर ही वे हार गए। उनके सारे उम्मीदवारों की जमानतें जप्त हो गयीं। उनका तो मटियामेट हो गया, लेकिन कांग्रेस आई तो रही।

इस तरह से अपनी गर्दन पर ही उन्होंने चाकू चलाया। वे इस बात को भूल गए कि हम भारत माता की वन्दना करते हैं और क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। वे इस बात को भी भूल गए कि इससे भारत माता के टुकड़े भी हो सकते हैं और इससे कितना अधिक नुक्सान हो सकता है।

इस तरह से आसाम भी निकल सकता है। पंजाब की क्या दशा हो रही है ? जो मांगें वे कर रहे हैं और आसाम में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वे हिन्दुस्तान से अलग होना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इस उदार नीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि इस अखण्डता के माहौल को बनाए रखा जा सके। अगर इसके लिए कड़े से कड़े उपायों की आवश्यकता पड़े तो वे भी किए जाने चाहिएं। हम विरोधी दलों से भी आग्रह करेंगे कि वे प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करें। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट पंजाब और असम के बारे में दिए हैं, उनमें उन्होंने हिन्दुस्तान की एकता की बात की है। इस तरह की अच्छी नीतियों को विरोधी दलों द्वारा बल दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी आर्थिक क्रांति का माहौल खड़ा हो चुका है और उनकी आलोचनाएं आर्थिक क्रांति पर हो सकती हैं। हम अपना सर झुका सकते हैं, लेकिन आर्थिक नीतियों को लेकर इतनी तीव्रता से, इतने दृढ़संकल्प से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विश्व में आण्विक शक्ति में हमारा चौथा स्थान है, उद्योग में छठा स्थान है, वैज्ञानिक शक्ति में छठा स्थान है। दुनियां के छोटे नवोदित राष्ट्र हमारी तरफ देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि इनसे हमें मदद मिल सकती है। ऐसे माहौल को बरकरार रखने में यदि विपक्ष का सहयोग हमें मिलता है तो दुनियां के शक्तिशाली देश हमारे सामने घुटने टेक सकते हैं। इसलिए हमें आज इस माहौल को बरकरार रखना है। मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा, जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में गागर में सागर भरा है ;

मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि वे यहां पर और विधान सभाओं में अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि हम आर्थिक फ्रंट पर प्रगति नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम

जो आया है वह एक ऐसा कार्यक्रम है जिस तरह से हनुमानजी धौलगिरि पर्वत को लंका से उठा लाए थे जिस वक्त लक्ष्मण को बाण लगा था, वे जख्मी थे। सारे स्रोतों को योजनाओं के मध्यम से, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से देश में बीस सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा जो सभी अंगों को छू लेती है इस तरह का यह कार्यक्रम लाया गया है। यह कार्यक्रम धौलगिरि पर्वत के समान है जो हनूमान जी लाए थे। यह बीस सूत्री कार्यक्रम धौलगिरि पर्वत की जो संजीवनी बूटी है, उसके समान है। जो आर्थिक है, उसकी मंशा से ओत-प्रोत है। यह लक्ष्मण रूपी जख्मी गरीब लोगों को कमजोर वर्गों को, अनुसूचित जाति और आदिवासी लोगों को बहुत लाभ पहुंचाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना मेरा नाम ले रहे हैं। आपने एक बार लिया तो मैं चुप रहा। आपने दोबारा लिया तो मैंने सोचा रिकार्ड सही करवा दूं।

श्री कुंवर राम : मैंने श्रीमान् का नाम जरूर लिया है लेकिन यह कहानी मैं रामायण से निकालकर बोल रहा हूं, भारतीय इतिहास बन सकेगा। आज अपने देश में आर्थिक लड़ाई चल रही है। इसमें पालिटिकल लड़ाई नहीं लानी चाहिए। कास्टीट्यूशनल व्यवस्था है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। आज विपक्षियों का प्रहार हमेशा देश के लिए जो इन्टरेस्ट में है, वैसी नीतियों पर होता है। अगर उनका प्रहार जागृत हो, काबिले-तारीफ हो तो माना भी जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं योजना की तरफ जाना चाहता हूं। आज जिस शहर में 12वां अस्पताल है वहां 13वां भी बन जाता है। योजना मंत्री को इसकी तरफ देखने की जरूरत है। उनकी दृष्टि वहां जानी चाहिए, जहां सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं हैं वहां सड़क और अस्पताल बनें। जहां हवाई-अड्डे हैं, जहां ट्रक और बसें चलती हैं वहीं पर सड़क का निर्माण हो रहा है। आज देहात का पैसा, किसान और गरीबों का पैसा कर के रूप में सरकारी खजाने में आता है और सरकारी खजाने में आने के बाद वह किस तरह से खर्च किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है। योजना विभाग को यह देखना चाहिए कि जहां सड़क और अस्पताल नहीं हैं, वहां पर निर्माण हो। लेकिन, आज इसके विपरीत हो रहा है। इसलिए मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

अब आप शिक्षा पद्धति को ले लीजिए। आज हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भूल चुके हैं। जो शिक्षा साबरमती के आश्रम में या विद्यापीठ में होती थी, वह समाप्त हो गई है। आज अंग्रेजीदां हो गए हैं, पश्चम विचारों से ओत-प्रोत होते चले जा रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं मैं कल एक परिवार में गया था जहां पर एक छोटा बालक शिशु सदन में पढ़ता है। वह हमको नहीं जानता था लेकिन उसने कहा आपने कीमत क्यों बढ़ा दी? मैंने कहा, हमने कीमत नहीं बढ़ाई है उसकी मां ने कहा तुम कैसे कहते हो कि इन्होंने कीमत बढ़ा दी। उसने कहा, इनकी पोषाक से पता चलता कि इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। इस

प्रकार की बातें हम देखते हैं। मैं यह सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल आपके यहां चल रहे हैं।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं जहां सैंकड़ों स्कूल चल रहे हैं और जहां साम्प्रदायिकता की भावना से पढ़ाया जा रहा है दस बरस के बाद जो संविधान में आपकी धर्म निरपेक्षता की व्यवस्था है उस पर प्रहार होने वाला है, जो अंग्रेजी दां होते चले जा रहे हैं वे अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। आप अपनी शिक्षा पद्धति की तरफ थोड़ी सी दृष्टि रखिए और उसमें पहल कीजिये ताकि अपनी-अपनी शिक्षा जनहित में हां, भारतीय संस्कृति के आलोक में है।

आवश्य वस्तुओं की तरफ देखिये। आज बजट भी आने वाला है। रेल बजट पेश हो चुका है, यह सम्भावनाएं बढ़ गई है कि इसका बोझ सब पर पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चहाता हूं कि यह बोझ से गरीबों पर न पड़ें। इसका इंतजार आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों से सबसिडाइज्ड रेट है उस पर उनको मिलना चाहिए कपड़ा और अन्न अवश्य मिलना चाहिये सम्भावना है कि बजट में बहुत सी चीजों पर मूल्य बढ़ सकता है। प्रश्न यह है कि खाद्यान्न की आपूर्ति पर गरीबों पर बोझ न पड़े। और अगर उस पर भार पड़ेगा। तो प्रशासन पर बुरा असर पड़ेगा।

सभापति जी, आज पार्लियामेंट के मैम्बर हों, चाहे लोक सभा के या राज्य सभा के, या विधान परिषद के सदस्य हों अगर उनका जीवन चरित्र देखें, "हूज़ हू" देखें, तो पायेंगे कि 95 प्रतिशत सदस्यों का शौक है हरिजनों और आदिवासियों की प्रगति के लिए काम करना हम उठाते गये रात ने इसका जिक्र किया कि हरिजनों और आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन 33 वर्ष हो गए। जो देहात में रहने वाला अनुसूचित जाति-जाति का है उसके घर में 4 ईंट आज तक नहीं लगी है उसके लिए सारी योजनाओं में व्यवस्था की गई लेकिन उसकी अफसर और कार्यकर्ता खा जाते हैं और अपने मकान बना लेते हैं लेकिन हरिजन का कुछ भला नहीं होता। तो 33 वर्ष की आजादी में एक-एक पोलीटीशियन, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वह एम० एल० ए० हो, सभी ने अपने जीवन चरित्र में इस बात की व्यवस्था जरूर की है कि हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम करे। तो क्या वही मजाक तो नहीं हो रहा है कमजोर वर्ग के लोगों के साथ रहने वाला जो अमीर किसान है उसके घर में तो ईंटें लगी हैं, लेकिन क्या वजह है कि झोंपड़ी में रहने वाले के घर में जो दिन भर धूप में कार्य करता है एक ईंट नहीं लगी है। बड़ा किसान छाता लेकर आड़ी पर खड़ा रहता है और जो मजदूर खेत से घर लौटता है किसान के घर पर बैल बांधने के लिए तो किसान देखता है अपने बैल का पेट। उस इन्सान का पेट नहीं देखता जो जमीन से सोना पैदा करता है। जहां इस प्रकार की मनोवृत्ति हो, श्रम की मर्यादा इस तरह से हो और 33 साल हो रहे हैं हम उनके लिए कहते हैं स्पेशल

कम्पोनेंट प्लान बना दी है, लेकिन उसका लाभ उन गरीबों को नहीं मिल रहा है। और अगर लाभ नहीं पहुंचेगा और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के नाम पर सारा रुपया गरीबों का अमीरों के पेट में जाएगा तो आन्दोलन खड़ा होकर रहेगा।

यह मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका समय हो चुका है, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर राम : आज ऐसे गरीबों को जो अपने पेट के लिए आवाज उठा लेते हैं तो उसको नक्सली कहकर मार दिया जाता है। इसके लिए सरकार का बारबार ध्यान दिलाया जा रहा है, अगर कोई किसी गरीब को नक्सली कहता है तो पहले उसकी जांच कर लो, फिर उसको मारो, लेकिन सरकार उसको प्रोटैक्शन देने में असफल रही है, इसलिए कि आज चुनाव सस्ता नहीं है, महंगा है, इन्साफ सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। इन्साफ ऐसा महंगा है कि गरीब अगर आज फांसी पर भी चढ़ जाता है तो उसको यह भी पता नहीं है अंग्रेजी भाषा की वजह से कि उसके वकील ने किसी कोर्ट में दलील में क्या कहा है और जज ने क्या फैसला किया है और क्यों ऐसा किया है। आज फांसी के तख्ते पर ऐसी अवस्था में क्यों वह लटके ?

जहां समाज की व्यवस्था ऐसी ही तो हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और सब तरफ अनुशासन लाने के लिए हमें एक प्लेटफार्म तैयार करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, बगैर इन्साफ के देश आगे नहीं चल सकता है। इन्साफ की तरफ सरकार ध्यान दे। अगर इन्साफ होगा तो देश में बहुत सेफन्ट पर जो असुविधाएं मिल रही हैं, वह समाप्त हो जायेंगी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कुंवर राम : मैं कुछ मांगें रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

भुखमरी को मिटाना बहुत जरूरी है। इसके कानून बनाना बहुत जरूरी है नौकरी में अगर किसी परिवार के 3,3 आदमी लगे हैं, या किसी डिपार्टमेंट में 3 आदमी लगे हैं तो उसको खत्म करना चाहिये। जिस परिवार में लोग पढ़े-लिखे बैठे हुए हैं, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति के पास तीन-तीन मोटरगाड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो उसको वापिस लेना चाहिए। किसी के तीन-तीन टेलीफोन लगे हैं तो उसको वापिस लें। समानता की नीति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

भारत एक गांव का देश है। शहर में प्रशासन है, देहात में प्रशासन नहीं है। गांव में आज सुरक्षा नहीं है। देहात की लाइफ को प्रोटैक्ट किया जाए। आज देहात की लाइफ बहुत अशांत है। शाम को कोई बैठ नहीं सकता। खेत से किसान वापस जा सकता है या नहीं, यह पता नहीं चलता।

1983-84 का जो बजट आज मूव हो रहा है, उसमें यह प्रावधान होना चाहिए, गारन्टी दी जानी चाहिए कि गरीब को कपड़ा, खाद्यान्न और दूध सस्ते दामों पर मिलेगा।

कोसी योजना प्रथम योजना का भाग है, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई, उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

राजस्थान जो नहर योजना है, उसके बारे में एक कहावत है कि बालू सड़े तो सोना झड़े। उसको पूरा करना चाहिए। वह देश के लिए एक बहुत लाभदायक योजना है। वह मुल्क को खाना देगी।

बिहार की योजनाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने माना है कि सिंहभूल में एक स्टील प्लान्ट होना चाहिए, कहलगांव में एक ताप बिजली घर की व्यवस्था होनी चाहिये, करोती में पेट्रो-कम्पलेक्स होना चाहिए, नवादा में उद्योग होना चाहिए, अपर सकरी योजना सिंचाई की योजना है, जो कि खटाई में पड़ी है, उसे सरकार को आगे निकालना चाहिए। वहां मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त पड़ा हुआ है, उसको भरना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करना चाहिए।

अफसोस की बात है कि कोयलकारो योजना आपकी प्लान में है जिसकी सारी स्वीकृति हो रही है, केन्द्रीय सरकार ने उसका सारा खर्चा अपने सिर पर ले लिया है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है। एक क्वैश्चन के जवाब में कहा गया है कि उसके लिए जमीन नहीं पाई है। अगर जमीन नहीं मिल पाई है तो जो बिहार सरकार के दोषी आदमी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए।

नालन्दा पाली इन्स्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इन्दिरा गांधी मेडिकल इन्स्टीट्यूट, जिसका अभी शिलान्यास हो चुका है, के लिए पूरे फंड देकर उसको निमाण पूरा कराना चाहिए।

गंगा नदी से बिहार को कोई फायदा नहीं है। बिहार को भी फायदा पहुंचाने के लिए उसमें लिफ्ट इरीगेशन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद बिहार हमेशा सूखे के चपेट में रहता है। अतः लिफ्ट इरीगेशन का प्रबन्ध होना चाहिए। मोकामा टाल को दो-तीन फसली का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं इतना ही कहकर बैठ जाऊंगा कि उच्च न्यायालयों में भी उसी प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिस प्रकार से अन्य जगह है। कांस्टीट्यूशनल प्राविजन होने के बावजूद उच्च न्यायालयों में अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं है अतः इसके लिए यदि कोई अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हो तो उसको करने के पश्चात् आरक्षण की व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको बार-बार जो घंटी बजाने का कष्ट दिया उसके लिए क्षमता चाहता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मानीय राष्ट्रपति जी ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण सदन के सम्मुख दिया है उस पर रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। —

हम पिछले तीन वर्षों से आत्मनिर्भरता की ओर निरन्तर बढ़ रहे हैं परन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष को हमारी उपलब्धियां दिखाई क्यों नहीं देती हैं। जो कठिनाइयां देश के सामने हैं उनको तो वे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बतलाते हैं लेकिन जहां तक हमारी उपलब्धियों का सवाल है वह उनको दिखाई नहीं देतीं। आज हम 90 प्रतिशत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं। हमारे वैज्ञानिकों, किसानों, टेक्नीशियनों ने कितनी अधिक प्रगति की है इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता ; अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने जो सफलतायें प्राप्त की हैं वह एक कीर्तिमान हैं। रोहिणी 560 को भेजकर स्पेस में जाने की हमारी जो तैयारियां हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर अनुसंधान के लिए जो दो अभियान दल गए हैं उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके साथ ही साथ हमने समुद्र इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि एशियाड है जिसने हमारे लिए ओलंकपि का द्वार खोल दिया है।

यदि हम पिछली सरकार की बातों का अवलोकन करें तो पता लगेगा कि उस समय हमारे अन्तर्राष्ट्रीत सम्बन्ध बहुत बिगड़ गए थे परन्तु पिछले तीन सालों में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संबंध न केवल सुधरे हैं बल्कि उनमें एक नया कीर्तिमान सामने आया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भारत में सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार सौ राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में यहां पर भाग लेंगे। विकासशील राष्ट्रों के बारे में, उनके आर्थिक विकास के बारे में और उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में और उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में यह सम्मेलन चर्चायें करेगा। पहले यह सम्मेलन बगदाद में होने जा रहा था, अक्तूबर, 1982 में यह तय हुआ कि सम्मेलन दिल्ली में किया जाए, उसके पश्चात् इतने कम समय में इतनी अधिक तैयारी कर ली गई—इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता का विश्वास प्राप्त करना। दक्षिण में क्षेत्रवादी भावनायें फैलाने के कारण कुछ हमारी उपलब्धि नहीं हो पाई थी। परन्तु दिल्ली की जो जनता है, जिसे हम मिनि-भारत कह सकते हैं, हिन्दुस्तान का मस्तिष्क कह सकते हैं, उसने यह दिखा दिया कि आज की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है। उसी का यह परिणाम हुआ

कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने का नाटक करना पड़ा। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि असम में आज दो-तिहाई बहुमत के साथ श्री हितेश्वर सैक्या द्वारा सरकार बना ली गई है, इसको देखकर विरोधी पक्ष के लोगों में बहुत अधिक क्षोभ है। असम में चुनाव कराना एक संवैधानिक अनिवार्यता थी। हम संविधान से आगे नहीं बढ़ सकते थे, परन्तु राजनीतिक स्वार्थों की खातिर वहां हत्याओं का जाल बिछा दिया गया, लाखों-करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति की होली जलाई गई। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और बंगलादेश में चुनाव कराने के लिए वहां की जनता आन्दोलन कर रही है, जबकि हमारे देश में ऐसी कई पार्टीज थी, जिन्होंने चुनाव न कराने के लिए अपने पक्षधर को मजबूत किया। लगातार वहां तीन वर्ष से समझौते की बात हो रही है। कमीसन-आफ-सायल के नाम पर झगड़ा, विदेशी नागरिकों के नाम पर झगड़ा। आखिर समझौते की भी एक हद होती है। इस आधार पर कब तक चुनाव को रोका जा सकता था। यह कितनी विडम्बना है कि देश का नागरिक दूसरे राज्य में जाने पर विदेशी हो असम में बिहारी, बंगाली और राजस्थानी विदेशी हो जायें। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और लोकदल लोगों ने समर्थन किया।

विरोधी दल के लोग अपने आपको गांधीवादी कहते हैं। उन्होंने गांधी जी की समाधि पर जाकर इस बात की शपथ खाई थी कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों को मानेंगे। गांधी जी ने चोरा-चोरी कांड के नाम पर अपना सारा आन्दोलन खत्म कर दिया, लेकिन इन पार्टियों ने इस आन्दोलन में और अधिक घी डालने का काम किया। मैं कहना चाहती हूं इस प्रकार की गतिविधियां उन्हें शोभा नहीं देती हैं। दूसरी और कब अकालियों के नाम पर आग सुलगाने की तैयारी की जा रही है। मैं ज्यादा इस बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहती हूं। केवल राजस्थान से संबंधित जो बात है, सिर्फ उसका जिक्र करना चाहूंगी। अकालियों की मांग है कि रावी-व्यास का पानी जो राजस्थान को दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाए। इस प्रकार की बात राजस्थान के लिए कहना, जो कि सूखे और अकाल से ग्रसित रहता है, एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। 31 दिसम्बर, 1981 को समझौता हुआ था। उसकी उपेक्षा करना एक बहुत ही घोर निराशा की बात है। 1955 में यह तय हुआ था कि राजस्थान को 87 लाख घन-फुट पानी दिया जाएगा। इसके बाद 31 दिसम्बर, 1981 में यह निर्णय लिया गया कि एक लाख यूनिट पानी दिल्ली के लिए कम कर दिया जाएगा। हमने इसको मान लिया। लेकिन फिर भी इस बात पर अड़े रहना कि राजस्थान को पानी कम दिया जाए, उचित नहीं है। राजस्थान के हिस्से का एक बूंद पानी भी यदि कम किया गया तो राजस्थान की जनता के लिए यह घोर अन्याय होगा। इसी के आधार पर हमने राजस्थान कैनाल योजना बनाई है, जिस पर हम अब तक 550 करोड़ रु० से 600 करोड़ रु० तक व्यय कर चुके हैं। इस योजना को हमने खून-पसीने से सींचा है। दूसरी योजनाओं को काट कर इसको बनाने की कोशिश की है। लेकिन आज यदि पानी को कम कर दिया गया तो यह राजस्थान की जनता के लिए खून खोलने की बात हो जाएगी।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजस्थान का जब खून खोल उठता है तो उसका क्या

परिणाम होता है। इसलिए मैं आप के माध्यम से अकालियों से कहना चाहूंगी कि राजस्थान के हिस्से का एक बूंद पानी भी कम करना उनके लिए बहुत ही विडम्बना होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगी—रावी-व्यास नदियों का उद्गम...

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैंने तो अभी दो मिनट ही बोला है।

सभापति महोदय : आपकी घड़ी शायद अलग है, यहां की घड़ी में तो 9 मिनट हो चुके हैं, आपको 10 मिनट तक बोलना है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं यह निवेदन कर रही थी कि रावी-व्यास नदियों का उद्गम पंजाब में नहीं है, बल्कि हिमालय में है, जम्मू-काश्मीर में है, इसलिए उनको एक बूंद भी पानी कम करने का अधिकार नहीं है। पंजाब के पास पानी के पहले ही बहुत ज्यादा स्रोत हैं, अण्डर-ग्राउण्ड वाटर भी है, इसलिए 1955 के समझौते से मुकरनेवाली बात उनके लिए शोभा नहीं देती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के हिस्से का पानी कम नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम हमारी महान उपलब्धि है। इसके माध्यम से हमारे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को जितना फायदा पहुंचा है, इतिहास साक्षी है किसी भी युग में किसी भी शासक द्वारा इस प्रकार का फायदा गरीबों को नहीं पहुंचा। परन्तु इस बीस सूत्री कार्यक्रम के सामने भी एक प्रश्न-चिन्ह लग जाता है और वह है पावर-कट। राजस्थान में बिजली की इतनी ज्यादा कमी है कि तमाम इण्डस्ट्रीज में 100 प्रतिशत पावर-कट है। हमारे किसानों ने अकाल से जूझते हुए अपने खून-पसीने से जो थोड़ी बहुत फसल बोई थी वह भी बिजली के अभाव के सूख रही है। राजस्थान को 200 लाख यूनिट्स की आवश्यकता है लेकिन उसे मिल रहा है केवल 90 लाख यूनिट। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी बिजली की कमी दूर की जानी चाहिए। बदरपुर से भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। राणा प्रताप सागर एटामिक प्लांट बहुत दिनों से खराब पड़ा है। उसकी एक इकाई शुरू होती है तो दूसरी खराब हो जाती है। कुछ दिन पहले 25 दिनों से खराब एक इकाई ठीक हुई थी। कोटा थर्मल पावर प्लांट (ताप बिजली घर) की स्थापना की गई थी और यह आशा थी कि वह 15 जनवरी तक शुरू हो जायगा, लेकिन वह भी नहीं हो पाया।

राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग में लिगनाइट का बहुत अधिक भण्डार है। वहां पर फालना में ताप-बिजली-घर की स्थापना की जा सकती है। यहां एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं—पावर-जैनरेशन का काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसको केन्द्रीय सूची में रखा जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों की समस्या का समाधान हो सके।

आज हमारे पास थोरेनियम, यूरेनियम और प्रोटेनियम की कमी नहीं है। अथाह भण्डार

हमारी भूमि के गर्भ में छिपा हुआ है। इसके आधार पर 8 इकाइयां लगाई जा सकती हैं। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान के कई भागों में जिंक निकलता है। दरीबामाइन्ज़ और अगूचा के आधार पर सुपर-जिंक के कारखाने की स्थापना के बारे में काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। टैक्नीशियन्ज ने भी राय दी है कि इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान राजस्थान का चित्तौडगढ़ है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उस ऐतिहासिक स्थार पर ऐसा उद्योग लगाने से वहां की जनता को काफी राहत मिलेगी और जब टेक्नीशियन्ज ने ऐसी राय दे दी है तो सरकार को जल्द से जल्द स्वीकृति दे देनी चाहिए।

राजस्थान में पिछले पांच सालों से भयंकर सूखा फैला हुआ है। वहां की जनता को पानी नहीं मिला रहा है, किसी तरह की फसल वहां पर पैदा नहीं रही है। अकाल राहत के नाम पर कुछ काम शुरू किये गये थे, लेकिन राजस्थान सरकार की मांग थी—हमारे यहां 22 हजार गांव तथा डेढ़-करोड़ व्यक्ति अकाल से पीड़ित हैं। उसके लिए 215 करोड़ 51 लाख रुपये मांगे थे अकाल राहत के लिए परन्तु केन्द्र सरकार से केवल 29 करोड़ 86 लाख रुपये ही मिलें। यह बहुत कम राशि है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि राजस्थान भयंकर सूखे की चपेट में हैं और उसे बचाने के लिए निश्चित तौर पर केन्द्रीय सरकार को उसकी करनी चाहिए। मदद

किसी भी देश को आने जाने के लिए, उस के विकास के लिए तीन आधारशिलाएं हैं। एक तो स्कूल, दूसरी पंचायत और तीसरी सहकारिता। इन तीनों ही क्षेत्र में हम ने बहुत अधिक काम किया है और राजस्थान सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया है और वह है प्रशासन गांवों की ओर' और आने वाले वर्ष में राजस्थान की जनता को एक नये उपहार के रूप में वह एक नया प्रयोग वहां पर शुरू किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी तक गांव के व्यक्ति को एक महंगी, वितम्बकारी न्याय व्यवस्था मिली है और उससे वह बहुत पीड़ित रहा है। कचहरी और वकीलों के चक्कर लगा लगाकर वह परेशान हो जाता है। इस नये कार्यक्रम के अनुसार उसे इन परेशानियों से छुटकारा मिला है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रकार का कार्यक्रम 'प्रशासन गांवों की ओर' राजस्थान के अलावा देश के अन्य प्रन्तों में भी शुरू किया जाना चाहिए ताकि वहां पर गरीबों को आसानी से न्याय मिल सकें। छोटी छोटी खामियों की वजह से वे जमीन के मालिक नहीं बन पाते और जमीन का विकास करने के लिए वे बैंकों से लोन नहीं लें पाते। इन सब सुविधाओं को जुटाने के लिए 'प्रशासन गांवों की और' जैसे कार्यक्रम के लिए सभी प्रदेशों को आगे बढ़ाना चाहिए। 324

मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो विरोधी पक्ष है, उसके निकारात्मक भूमिका छोड़ कर एक रचनात्मक सहयोग हमको देना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ा सकें। यदि निकारात्मक भूमिका बनी रहेगी और बम्बई में जो मजदूरों की हड़ताल

कपड़ा मिलों में चल रही है, अकालियों की जो मांगें हैं या आसाम में जो चिंगारियां दहक रही हैं, उनमें यह घी डालने का काम होगा।

इन शब्दों के साथ, राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पो० नानि) : मैं ख्वाह मखाह कठोर नहीं होना चाहता परन्तु घड़ी की ओर देखिए। एक लम्बे समय से मंत्रि मंडल स्तर का कोई मन्त्री नहीं है मैं औपचारिक लंच समय के समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहा हूं। अन्तत हम यह समझ सकते हैं कि प्रजातन्त्र तथा बजट से इस सभा की मर्यादा को कम किया गया है अभी कुछ सम्माम शेष है। यह कोई पहली बार नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ऐसी स्थिति उठ खड़ी हुई है। अत: मैं यह अनुरोध करता हूं कि सभा को तब तक स्थगित किया जाए जब तक कुछ मंत्रि मंडल स्तर के मंत्री यहां आकर यह न देख लें कि इस सभा का सम्मान और मर्यादा बनाई रखी जा रही है।

सभापति महोदय : आपने अपने विचार बहुत ही जोरदार शब्दों में व्यक्त किए हैं। मेरे विचार में आप इसे उनके द्वारा महसूस किए जाने के लिए छोड़ दें।

सूचना और प्रस्ताव मंत्रालय तथा संसदीय कार्य बिभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मंत्रि मंडल स्तर के मंत्री अभी आ रहे हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपने विद्वान मित्र श्री बनातवाला की इस चिन्ता से सहमत हूं कि सरकार को, जब राष्ट्रपति अभिभाषण जैसे महत्वपूर्व विषय पर चर्चा हो रही हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

हर दाल, में खेद प्रकट करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश की वास्तविक स्थिति पालिक्षित नहीं होती है। समय अभाव के कारण आपको मुझसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैंने वह टिप्पणी कैसे की कि राष्ट्रपति के अभिाषण में देश में जीवन की वास्तविकता परिलक्षित नहीं होती है। मैं केवल दो या तीन उदाहरण दूंगा जिनमें मुझे आशा है सभा मान जाएगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की मौजूदा स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है। राष्ट्रपति ने पृष्ठ 1, पक्ष 2 में कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और इसे अधिक कार्य कुशल बनाया गया। मेरे विचार में आप मुझे इस धारणा को स्पष्ट करने की अनुमति देंगे। यदि आप को देश की मौजूदा खाद्यान्न भण्डार की स्थिति की जानकारी है तो आप को पता चल जाएगा कि कुल खाद्यान्न भण्डार की स्थिति 1 जुलाई, 1982 को 15.5 मिलियन टन है। यह सरकार का स्टाक है। इस स्टाक में 10 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पचास प्रतिशत स्टाक मानवीय उपभोग के योग्य नहीं है। इस प्रकार सरकार का स्टाक 1 जुलाई, 1982 को 10.5 मिलियन टन से अधिक नहीं था। आप को जैसा कि पता है कि इस समय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 15 मिलियन टन अनाज प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है जो कि 1.25 मीलियन टन है। हम 1 मई को सरकार के स्टाक की स्थिति का व्यापक जायजा लेते हैं। हमारे देश में चावल की अधिप्राप्ति कभी भी 5 मिलियन टन से अधिक नहीं थी।

इस वर्ष के देश के एक बड़े भाग में सूखे की स्थिति के कारण यह विश्वास किया जाता है कि चावल का स्टाक 3 मिलियन टन से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार सरकार ने विदेशों से 2.5 मिलियन टन गेहूं का आयात किया है। इस प्रकार 1 मई तक कुल 10.5 मिलियन टन रह जाएगा जो कि शेष जमा अधिप्राप्ति से प्राप्ट 3 मिलियन टन और आयात से प्राप्त 2.5 मिलियन टन होगा। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुल आवश्यकता 12.5 मिलियन टन थी जिसमें शेष वर्ष के लिए केवल 3.5 मिलिटन टन है। मेरे विचार में राष्ट्रपति को इन सभी बातों का पता होना चाहिए था कि देश की स्टाक स्थिति अत्यन्त गम्भीर है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सप्लाई जारी रखने की कोई संभावना नहीं है। मेरे मित्र श्री बनातवाला केरल की स्थिति का उल्लेख कर रहे थे। मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति का उल्लेख कर सकता हूं। हमारे देश के एक बड़े भाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न नहीं मिलता है। यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखा जा सकता है तो भी मुझे इसमें सन्देह है क्योंकि देश में खाद्यान्न स्थिति खराब है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है। अन्य बातों पर भी विचार किया जाना है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रथाली के बाहर सस्ता चावल उपलब्ध नहीं है क्योंकि सार्वजानिक वितरण प्रणाली सम्पूर्ण देश में नहीं है और शहरा तक सीमित है।

(व्यवधान)

प्रो० चन० जी० रंगा (गैन्टूर) यह, गामीण क्षेत्रों में ली है।

श्री चित्त बसु : इतना अधिक नहीं है आप मुझसे सहमत होंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं की गई है।

यह है स्थिति की वास्तविकता आप वास्तविकता को नकार सकते हैं। हो सकता है इसमें आपको संतोष मिले। इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। किन्तु वस्तु स्थिति पर है कि सरकारी वितरण प्रणाली देश के दूर-दराज क्षेत्रो तक नहीं पहुंच पाई है। अतः यह आप इस प्रणाली को जारी भी रखें तो भी ग्रामीण लोगों को सस्ते मूल्यों पर अनाज सप्लाई करने की जरूरत है। इसके लिए अधिक अनाज आपको खरीदना होगा। मेरा कहना है कि सरकार किसानों से उनका फालतू अनाज खरीदने के असफल रही है।

फिर क्रय शक्ति का प्रश्न है। जब तक आप ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएगे तब तक चावल के उपलब्ध होने पर भी वे उसे खरीद नहीं सकते। इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार करने की जरूरत है, पर खेद है कि इसे अवरुद्ध किया जा रहा है। अतः राष्ट्रपति भी ने जो संतोष व्यक्त किया है उसकी देश की वास्तविक स्थिति, विशेषकर अनाज की स्थिति से कोई संगति नहीं है।

अभिभाषण में कहा गया है कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूखे, बाढ़ और तूफान से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 700 अरब रुपये की राशि, दी है जोकि किसी एक वर्ष में दी गई राशि में सबसे अधिक है। हो सकता है यह राशि अधिकतम हो। मैं इसका खण्डन नहीं करता। किन्तु सूखा, बाढ़ और तूफान पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचाने की असादी जरूरत क्या है, यहां में "इकानांमिक टाइम्स" के सम्पादकीय नोट का जिक्र करूंगा जिसके दिनांक 13-9-82 के अंक में कहा गया है ;

केवल पूर्वांचल के चार राज्यों, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के लिए सूखे और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपये की रकम की जरूरत होगी।

इस सम्पादकीय नोट के अनुसार इन चार राज्यों के बाढ़, सूखा और तूफान से पीड़ित लोगों की राहत देने के लिए 2000 करोड़ रुपये की रकम की आवश्यकता होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि इस वर्ष उक्त प्रयोजन के लिए सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है।

श्री राम प्यारे पनिक (रावर्टसंगम) : यह केवल केन्द्रीय हिस्सा है। राज्य सककारों को भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हुआ। आपने दस मिनट ले लिए हैं।

श्री चित्त बसु : अतः इसमें देश में जो स्थिति वास्तव में व्याप्त है उसे प्रतिविम्बित नहीं किया गया हैं।

अब मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा करता हूं। जिसका बहुत ही प्रचार किया जा रहा है, जिसका उस ओर के सदस्य बारबार उल्लेख करते हैं विशेषकर इसकी उपलब्धि के बारे में, मैं राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1982 के अंत तक सप्लाई किये गये आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं।

महोदय, जहां तक भूमिहीनों को भूमि के आबंटन के कार्यक्रम का संबंध है, आपने 70 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्री महोदय, अनुसूचित जातियों मंत्रिमहोदय, और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में आपका लक्ष्य केवल 16 प्रतिशत का है। ग्रामीण रोजगार के बारे में आपका लक्ष्य केवल 28 प्रतिशत है। बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में 27.5 प्रतिशत है। मकानों के लिये भूमि के आवंटन के लिए यह 19.9 प्रतिशत है, झुग्गी-झोंपड़ी सुधार के लिये 20 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह लक्ष्य 24 प्रतिशत रख गया है। जहां तक गाँव के विद्युतीकरण का सवाल है इसके लिये 24 प्रतिशत का लक्ष्य है। वायो गैस संयंत्र आदि के लिए 11 प्रतिशत और पीने के पानी को परियोजनायों के लिए 35 प्रतिशत का लक्ष्य है।

ये आंकड़े कांग्रेस (आई) की राज्य सरकारों द्वारा दिये गये हैं। ये आंकड़े उन्होंने संगृहीत करके सप्लाई किए है। (**व्यवधान**)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिये गये हैं। इसलिये मैं फिर, कहूंगा कि राष्ट्रपति ने इस सभा को अथवा देश-वासियों को देश में जो स्थिति व्याप्त है, उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बताई।

महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के 20 सूत्री कार्यक्रम से हमारे देश की मूल समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। यदि आप ग्रामीण जनता को उत्थान करना चाहते हैं, उनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो समाज में आमूल परिवर्तन को आवश्यकता है। आमूल परिवर्तनों से मेरा अभिप्राय आय, सम्पत्ति आदि के वितरण में व्यापक परिवर्तनों से है। 20 सूत्री कार्यक्रम में वर्तमान शोषण-पद्धति को कायम रखा गया है और इस पद्धति को कायम रखकर आप लोगों की गरीबी दूर नहीं कर सकते। इसलिये महोदय, राष्ट्रपति ने इस सभा तथा सम्पूर्ण देश को सच्चाई बताने का साहस नहीं किया।

महोदय, राष्ट्रपति देश में औद्योगिक संबंधों का जिक्र बड़ी प्रसन्नता के साथ किया है। मैं यह सिद्ध करने के लिए पुन: कुछ आंकड़े पेश करूंगा कि उनका अभिभाषण वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं हैं।

1981 में 250 लाख से भी अधिक कार्य मानव दिवसों की हानि हुई है अर्थात 1980 के आंकड़े के मुकाबले 40 लाख कार्य दिवस की हानि हुई 1979 के आंकड़े 350 लाख है। 1981 में सरकारी क्षेत्र में कार्य दिवसों का जो नुकसान हुआ है वह उससे भी लगभग दुगुन है तथा 1982 में यह आंकड़े पहुंच गये हैं। श्री व्यास... (**व्यवधान**)

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है तालाबन्दी के आंकड़ों के विषय में। श्री व्यास ने बड़ी चतुरता से कहा है कि यह सब विरोधी दलों के कारण हो रहा है। यह सब मजदूरों संघों की गतिविधियों के कारण हो रहा है। इन्हीं के कारण कार्य-दिवसों में वृद्धि हुई है। क्या उन्हें पता है कि तालाबन्दी के कारण कितने कार्या दिवसों की हानि हुई तालाबन्दी की घटानायें बढ़ गयी हैं।

एक माननीय सदस्य : तालाबन्दी और बन्दी।

श्री चित्त बसु : जी हां, तालाबन्दी और बन्दी। किन्तु मैंने बन्दी को शामिल नहीं किया। मैं केवल तालाबन्दी का जिक्र कर रहा हूं।

आज तालाबन्दी नियोजकों के हाथ का एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी है। मैं यदि समय हुआ तो इसकी चर्चा बाद में करूंगा। 1978 में हड़तालों के कारण 15 हजार कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। तालाबन्दी के कारण 12 हजार के लगभग कार्यदिवसों का नुकसान हुआ। 1979 में हड़ताल के कारण 25 हजार कार्यदिवस की हानि हुई और तालाबन्दी के कारण 8 हजार कार्य-दिवसों का नुकसान हुआ। 1981 में हड़ताल के कारण 15 हजार कार्यदिवसों का और तालाबन्दी

के कारण 10 हजार 306 कार्यदिवसों का नुकसान हुआ। केवल 1979 में तालाबन्दी के कारण कार्यदिवसों में 40 प्रतिशत हानि हुई थी। महोदय, तालाबन्दी नियोजकों का एक तेज हथियार बन चुकी है ओद्योगिक संबंधों की यही एक वास्तविक स्थिति आज चल रही है।

महोदय, इस बात का जिक्र करते हुए मुझे दुख है कि राष्ट्रपति ने हमारे देश में औद्योगिक संबंधों में आ रहे विचार के विशिष्ट कारणों का जिक्र नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि यह सब सरकार द्वारा पिछले । या 2 वर्षों में जिस नीति श्रमिक विरोधी नीति का अनुसरण किया गया है, उसी के कारण औद्योगिक संबंधों में कितना अधिक बिगाढ़ आया। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वे अब भी इस प्रकार की नीति का अनुसरण करते रहेंगे तो औद्योगिक संबंध और अँधिक बिगड़ जायेंगे तथा हमारे देश के मजदूर वर्ग इस अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करेगा।

राष्ट्रपति ने हमारे देश में जो स्थिति व्याप्त है, उसका वास्तविक चित्रण नहीं किया है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नही कर सकता।

सभापति महोदय : श्री भेरावदन के० गधाबी उपस्थित नहीं हैं। श्री बृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो हमारे नेता जी ब्रह्मानन्द रेड्डी ने प्रस्तुत किया है, उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अच्छी तरह से पढ़ा है। उन्होंने उसके पेज नं 8, पैरा नं० 24 में कहा है :—

> "माननीय सदस्यगण, संसार में आर्थिक और राजनैतिक संकटों के कारण जो तनाव बढ़ा है, उसका मुकाबला भारत केवल चौकसी, एकता और अपनी उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा कर सकता है। भ्रष्टाचार, और अकुशलता से जूझने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतभेदों को इस तरह प्रकट न किया जाए जिससे हिंसा भड़के या हमारी धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हो। पिछले तीन वर्षों में हम अपनी स्थिति और प्राकृतिक को बरकरार रख सके हैं। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि समस्त राष्ट्र भारत की अखण्डता को बनाए रखने और उसके कल्याण तथा सम्मान को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें।"

यह एक विशेष पैरा है और मैं इससे विशेष तौर से प्रभावित हुआ हूं। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखण्डता राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जो पृथकवादी ताकतें, साम्प्रदायवादी ताकतें, क्षेत्रीय पार्टियां देश में पनप रही हैं, वह हमारे लिए चुनौती हैं। उनका हमें सामना करना है। इन चुनौतियों का कांग्रेस (आई) पार्टी ही सामना कर सकती है, और राष्ट्रीय

एकता को मजबूत कर सकती है, हमारी पार्टी ही कर सकती है। दूसरी कोई पार्टी देश नहीं है, जो राष्ट्रीय एकता को कायम कर सके और को मजबूत कर सके।

अभी जो स्थिति पैदा हो रही है और जो क्षेत्रीय पार्टियां पनपी हैं विशेषकर दक्षिण में पनपी हैं, उनसे हमें बहुत ही चौंकना होना है और हमें अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, केन्द्र को मजबूत नहीं करेंगे तो इससे राष्ट्र को खतरा है।

इसलिए हमें इन चुनौतियों का मुकाबला करना है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां आ रही हैं, असम का प्रश्न है।

असम में जब चुनाव हुए तो उसी प्रकार की चुनौती हमारे सामने आई। चुनाव जब हुए तो वहां इन प्रक्रियावादी पार्टियों ने, साम्प्रदायिक पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार करके वहां एक हिंसा को प्रोत्साहन दिया। हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले अभी भी जो कदम उठा रहे हैं, अभी अखिल भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के बारे में जो विचार कर रहे थे, वह हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं और आग सुलगाने का प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए हमें इन पार्टियों से खतरा है। यह वहां का बन्द का आन्दोलन कर रही है और वहां हिंसा का प्रचार कर रही है। असम में जो डिमोक्रैटिक गवर्नमेंट का गठन हुआ है, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने जो कार्यक्रम चलाया है उसका हमें डटकर मुकाबला करना है।

दूसरा प्रश्न अकालियों की समस्या से सम्बन्धित है। हमारी प्रधान मन्त्री जिस प्रकार से इस समस्या को हल कर रही हैं, जिस प्रकार से कल उन्होंने उनकी रेलिजस डिमाण्डस को मान लेने की घोषणा की है, उसका सारे देश ने स्वागत किया है। पंजाब ने तथा सिखों ने भी इसका स्वागत किया है। उनको रेलिजस डिमाण्ड्स वाजिव थीं और उनको मान लेने की घोषणा समय पर की गई है। परन्तु उनकी जो राजनीतिक डिमाण्ड्स हैं वह इस प्रकार की गई है कि वे एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त के मुकाबले में संघर्ष करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा राजस्थान पांच वर्षों में भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रहा है। जो रावी-व्यास समझौता हुआ था इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी पहुंचाना है। उसको सिंचित करना है। यदि 5-6 वर्षों में राजस्थान कैनाल का निर्माण हो जाता तो राजस्थान की बड़ी प्रगति होती और राजस्थान भी दूसरे प्रान्तों की तरह विकसित हो जाता। परन्तु देरी से काम किया गया।

1955 में जो समझौता हुआ था उसके कारण राष्ट्र ने पाकिस्तान को भी 110 करोड़ रुपया दिया ताकि हमारे यहां रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी पहुंच सके। जबकि पंजाब में अकालियों की ही सरकार थी, उन्होंने उस समय उस समझौते के बारे में कोई बात नहीं उठाई परन्तु अब इतने वर्षों के बाद उस प्रश्न को खोलने की स्थिति पैदा की है जो कि किसी प्रकार से सही नहीं

है । अभी भी रोपण और फिरोजपुर हेडवर्क्स पंजाब सरकार के कन्ट्रोल में हैं। हम चाहते हैं कि वह भारत सरकार के कन्ट्रोल में रहें ।

भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड के कन्ट्रोल में रहें। यह निर्णय तो हो चुके हैं और अब इसका कार्यान्वियन भी होना चाहिए । पंजाब में कांग्रेसी गवर्नमेंट होने के बावजूद जब राजस्थान कैनाल में पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं मिलता है किसके कारण वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं । हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है इसलिए यह आवश्यक है कि हेडवर्क्स भारत सरकार के नियन्त्रण में रहें ।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, इस देश में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं । बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो कदम सरकार ने उठाए हैं, वह भी सराहनीय हैं । जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं या जो एन० आर० ई० पी० तथा अन्य प्रोग्राम हैं उनको यदि भली भांति क्रियान्वित किया जाए तो हमारा देश विकास कर सकता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा ने नीचे 150 लाख परिवारों, अर्थात् 7 1/2 करोड़ लोगों को ऊपर लाने का कार्यक्रम बनाया गया है, हम चाहते हैं इसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए । मैंने राजस्थान में गांव-गांव जाकर देखने का प्रयास किया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहा है तो मैंने देखा— मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता हैं कि इस कार्यक्रम का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अनुदान की राशि सही रूप में गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती है ।

छोटे परिवारों को नहीं मिलती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन कर्मशियल बैंक उसमें से अपना हिस्सा ले लेता है, विकास अधिकारी अपना हिस्सा ले लेता है और प्रभावशाली सरपंच अपना हिस्सा ले लेता है। वहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है । इसके लिए सारे संसद सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों को सावधान हो जाना चाहिए । छठी पंचवर्षीय योजना में पंजीकृत ग्रामीण विकास योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। 7.50 करोड़ रुपया सैन्ट्रल गवर्नमेंट से और 7.50 करोड़ रु० प्रान्तीय सरकार से और 3,000 करोड़ रुपया और बैंकों से 4.500 करोड़ रुपया ऋण और अनुदान से मिलेगा । इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी संसद सदस्यों को पूरी तरह से दिलचस्पी लेनी चाहिए ।

इसी प्रकार एन० आर० ई० पी० के कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है । फूड का जितना शेयर हमें मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ड्राउट-प्रान-एरियाज के विकास के लिए डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम है, उनको समाप्त कर दिया गया है, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित है । यह काम भी आपने श्री एम० एस० स्वामिनाथन की रिपोर्ट के आधार पर किया है । यह भी पता लगा है कि इस कार्यक्रम को आपने डैजर्ट डैवलमेंट प्रोग्राम में मिला दिया गया ।

हमारी मांग है कि उसकी राशि को बढ़ाया जाना चाहिए हिली एरियाज के डेवलमेंट के लिए छठी बंचवर्षीय योजना में 170 करोड़ रुपये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थे की जगह पर आपने 560 करोड़ रुपये कर दिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डैजर्ट डेवलमेंट के लिए 50 करोड़ रुपये के स्थान पर आपको 500 करोड़ रुपये रखने चाहिए जिससे वहां पर वनों का विकास हो सके। जिस प्रकार आप हिली एरियाज को प्राथमिकता दे रहे हैं उसी, असम और दूसरे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी प्रकार आपको उत्तर पश्चिम भारत का जो सीमावर्ती एरियाजों क्षेत्र है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए।

मैं एक बात और आप से कहना चाहता हूं, जिसको मैंने बार-बार यहां पर कहा है। हमारा 50 प्रतिशत भाग आज तक भी आल इण्डिया रेडियो की आवाज को नहीं सुन पाता है। उन जगहों पर पाकिस्तान के रेडियों की आवाज आती है, जिसका यहां बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। लेकिन आप टी० वी० की ओर बढ़ रहे, कलर टी० वी० की ओर बढ़ रहे। जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको आप नहीं दे रहे हैं। चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आपने पैसे की कमी कर उस कार्यक्रम की अवहेलना की। मैं यह कहना चाहता हूं, चूंकि अब काम्यूनिकेशन वर्ष चल रहा है, आपको कम से कम इस ओर ध्यान देकर उन क्षेत्रों में कम से कम रेडियों की व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जिस प्रकार डाकुओं की ससस्याओं को हल किया जा रहा है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार रही है, वह बहुत ही घातक है। डाकुओं का आत्मसमर्पण कराकर उनका सम्मान किया जा रहा है। अभी मलखान सिंह और फूलनदेवी का स्वागत किया गया। दूसरी ओर पत्रकार उनके स्टेरमेंट और इन्टरव्यूह ले रहे हैं। जिस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, यह हमारी पालिसी के खिलाफ है। जिन्होंने इतने कत्ल किए हैं, चरित्रहीन कार्य किए हैं, उन लोगों को इस प्रकार से बढ़ावा देना, हमारी पालिसी के खिलाफ हैं। यह हमारी नीति के खिलाफ है। इसलिए इस कार्यक्रम के बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिये और हमें इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारी इज्जत बढ़े, हमारी शक्ति बढ़े और राष्ट्र की इज्जत बढ़े।

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : माननीय अधिष्ठता जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद पर जो धन्ययाद का प्रस्ताव रखा गया हैं, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस दल का सदस्य होने के नाते ही नही, बल्कि ईमानदारी के साथ मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जरिये देश को जो नई दिशा दी है उससे देश का बहुत भला होने वाला है। मैं इस अवसर पर मुख्य रूप से दो-तीन बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 50 हजार उचित दर की दुकानें खोली गई हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है तथा उसे अधिक कुशल बनाया गया है । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उद्देश्य सही है, लेकिन वितरण प्रणाली नीचे के स्तर पर सही नहीं है। जो सरकार का उद्देश्य है—उस उद्देश्य के अनुसार गरीबों को न गांवों में और न शहरों में सही समय पर और सही ढंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गल्ला मिलता है या चीनी मिलती है। हालांकि यह विषय राज्य सरकारों के अधीन है, लेकिन केन्द्रीय शासन को भी देखना चाहिए कि वितरण सही ढंग ने हो रहा है या नहीं हो रहा है ।

इस सभा के माध्यम से मैं केन्द्रीय शासन से कहना चाहता हूं—वे एक-एक जिले को सेम्पिल बना कर देखें कि वहां पर वितरण प्रणाली सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही हैं । मैं अपने जनपद इलाहाबाद की बात जानता हूं—वहां पर वितरण प्रणाली बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, सही ढंग से लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है, दुकानों पर गल्ला सही समय पर नहीं आता है और लोगों को उचित मूल्य पर भी नहीं मिलता है । सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

इस अभिभाषण में सूखे और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 700 करोड़ रुपये की धनराशि देने की बात कही गई है । मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश को जो जनसंख्या के हिसाब से, सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने के हिसाब से, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसको सूखे की सहायता के मद में केन्द्र से कोई धन नहीं मिला है । मैं यह मानता हूं कि इसमें केन्द्र का दोष नहीं है, उत्तर प्रदेश शासन ने शायद समय पर धन की मांग नहीं की, लेकिन उस गलती के बावजूद भी मैं इस सभा के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को सूखे और बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, भले ही उन की मांग देर से आई हो या उन्होंने मांग न भी भेजी हो, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जैसे अन्य राज्यों को सूखे और बाढ़ में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी गई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी मिलनी चाहिए ।

गेहूं और धान की वसूली के सम्बंध में कहा गया है कि वसूली पर किसानों को उचित मूल्य मिलता है । इसके बारे में, मान्यवर, मेरा बहुत कटु अनुभव है । जब किसान की फसल खलिहान में आती है, जब वह उसको बेचना चाहता है—उस समय सरकार की तरफ से राज्यों में उचित दाम पर खरीदने की दुकानें नहीं मिलती हैं तथा विवश होकर किसानों को अपने गेहूं और धान को कम दामों पर व्यापारियों को बेचना पड़ता है ।

किसानों को चूंकि सरकार को हर तरह की अदायगी करनी होती है, इसलिए बाध्य होकर उसे कम दामों पर बेचना पड़ता है । मेरा केन्द्रीय शासन से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों

को आदेश दे कि जिस समय रबी और खरीफ की फसल आये उसके पहले ही सरकार द्वारा तय मूल्यों पर गल्ला और धार को खरीदने की दुकानें खोली जाएं ।

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, अभी जब आन्ध्र का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव में जाने का मुझे मौका था । वहां शासन द्वारा कपास की कीमत 550 रुपये प्रति क्विटल मुकर्रर की गई थी लेकिन वहां पर 450 रुपये प्रति क्विटल पर किसान कपास को बेचने पर बाध्य हो रहे थे क्योंकि सरकार की तरफ से कपास खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के बारे में है । देहातों में इसका भी सही उपयोग नहीं पा रहा है । मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि विभाग के लोग ज्यादातर फर्जी मास्टर रोल दिखा देते हैं । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 33 करोड़ से अधिक अतिरिक्त श्रम दिवसों का देहाती रोजगार पैदा किया जाएगा । "मेरा कहना यह है कि उतना प्रावधान नहीं किया गया है और अगर इसकी जांच की गई तो बहुत ज्यादा फर्जी काम पाया जाएगा । मैं यह चाहूंगा कि इसकी जांच की जाए और हर राज्य में एक-एक जिले को सैम्पुल के रूप में लेकर कितना काम मस्टर रोल पर हुआ है और कितना सही काम हुआ है और कितना गलत काम हुआ है, यह देखा जाए और गलत काम करने वालों को दंडित किया जाए । यह मामला राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है, यह सही है लेकिन क्योंकि केन्द्रीय सरकार सहायता देती है और फिर राज्य सरकार इसको चलाती हैं, इसलिए जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार इस चीज को देखें ।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि विशेष कम्पीनेन्ट प्लान और अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में जो योजना चल रही हैं, उनका फायदा नीचे स्तर के लोगों को नहीं मिल रहा है । केन्द्रीय सरकार की जो इच्छा है और हमारे नेताओं को जो इच्छा है और जिस भावना को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में व्यक्त किया है, उसकी अभिव्यक्ति गांवों में नहीं हो रही है । जो पैसा खर्च हो रहा हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसकी जांच करनी पड़ेगी । उद्देश्य सही है, लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा है ।

परिवार निरोजन के बारे में भीं मैं कुछ कहना चाहूंगा विरोधी पक्ष के नेता श्री जेठमलानी ने अपने भाषण के बीच में परिवार नियोजन के मामले में स्व० संजय गांधी की तरफ की थी लेकिन जिस समय वह परिवार नियोजन चल रहा था, तो विरोधी पक्ष के लोगों ने बड़ा हो-हल्ला मचाया था और कहा था कि गलत तरीके से नसबन्दी की जा रही है । **(व्यवधान)**··· यह भी कहा गया था कि जिन लोगों की गलत नसबन्दी की गई है, जनता पार्टी का शासन आने के बाद उनको 10 हजार रुपये मुआवजा देंगे । केन्द्र और राज्यों में जनता पार्टी ने 28 महीनों तक शासन किया लेकिन एक भी केस ऐसा गलत नसबन्दी का नहीं पाया, जिसको 10 हजार रुपये मुआवजा

देते जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था। विरोधी पक्ष ने उस समय परिवार नियोजन को जितना नुकसान पहुंचाया, उतना शायद इस क्षेत्र में किसी ने नहीं पहुंचाया।

मुझे अभी चीन आने का मौका मिला। मैं चीन में परिवार नियोजन को तारीफ करना चाहता हूं। चीन में परिवार नियोजन के मामले में ईमानदारी और सख्ती के बूते पर काफी अंकुश लगा दिया है और परिवार नियोजन को एक सिद्धान्त के रूप में वहां की सरकार ने माना है। वहां पर कुछ दंडित करने का प्रावधान नहीं है लेकिन जो लोग परिवार नियोजन को अपनाते हैं और चीन की सरकार की नीति को मानते हैं, उनको सुविधाएं देने की बात वहां पर है। मैं भी इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि बह दंडित न करें लेकिन अगर एक परिवार दो सन्तानें पैदा करता है, तो उसको कुछ सुविधाएं देने की बात हो और जो परिवार दो सन्तानों से ज्यादा पैदा करता है, उसको दंडित तो न किया जाए लेकिन उन सुविधाओं से उनको वंचित किया जाए जो दो सन्तान पैदा करने वाले को मिलती हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हमारी दूरदर्शन नीति में देहाती लोगों की जरूरतों, और शिक्षा और विकास के लिए इस शक्तिशाली माध्यम के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभापति जी, आप उस स्थान से आती है। इलाहाबाद को पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण रहा है और आजादी की लड़ाई इलाहाबाद से संचालित होती रही थी। धार्मिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि सें और सामाजिक दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है। शिक्षा की दृष्टि से, मध्य में होने की दृष्टि से इलाहाबाद मैं समझता हूं कि सर्वोपरि नहीं है तो किसी दूसरे इलाके से कम भी नहीं है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इलाहाबाद आज दूरदर्शन के मैप पर नहीं है मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इलाहाबाद को अविलंब दूरदर्शन के मैप पर लाया जाए। वहां पर पोस्ट एण्ड टेलोग्राफ का माइक्रोवेव लिंक उपलब्ध है जिससे थोड़े खर्चें में टेलीविजन का प्रावधान किया जा सकता है। जब देवरिया और दूसरे छोटे जिले इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं तो इलाहाबाद में दूरदर्शन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

उद्योग के बारे में इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ इलाके में सब लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे अच्छा और दुनियां का दूसरे नम्बर का सिलिकासेंड निकलता है और यहां पर दस हजार मजदूर काम करते हैं। लेकिन इस सिलकासेंड से जो शीशा बनता है वह दूसरे प्रदेशों में बनता है। इसकी यहां से ढुलाई होती है, इससे शीशा मंहगा पड़ता है। यहां पर ब्राडगेज लाइन है, बिजली है, सड़क है और 10 हजार मजदूर काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस इलाके में शीशा बनाने का कारखाना अविलम्ब खोला जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोजी-रोटी और काम मिल सके।

अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। आज आसाम में जो आन्दोलन हो रहा

है, पंजाब में जो थोड़ा बहुत आन्दोलत हो रहा है, उसके बारे में मैं विरोधी दलों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इनकी कथनी और करनी कहीं भी एक नहीं हैं। जब ये गांवों में जाते हैं तो किसानों को कहते हैं कि गेहूं का दाम बढ़ना चाहिए, गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए, कपास का दाम बढ़ना चाहिए, धान का दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन जब शहरों में आते हैं तो भाषण करते हैं कि गेहूं सस्ती मिलना चाहिए। चीनी सस्ती मिलनी चाहिए। चावल सस्ता मिलना चाहिए जब आसाम जाते हैं तो वहां जिम्मेदार वे लोगों से कहते हैं कि आंदोलन करना चाहिए और जब खून खराबा होता है, जिसके आंदोलनकारी हैं, लेकिन उसका आरोप केन्द्रीय सरकार पर लगाते हैं।

कहते हैं कि चुनाव कराने के कारण यह हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन न बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ आसाम में उसके पक्षधर बनते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था न करके राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाए। नौकरशाहों के हाथ में हुकूमत रहे। इस संबंध में मैं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आसाम में चुनाव कराके उसने लोकतंत्रीय मूल्यों को कायम किया है और किसी आंदोलन को चुनाव टालने के लिए सफल नहीं होने दिया। नहीं ता कल यह भी हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव भी न होने दिए जाएं, अन्य राज्यों का विधान सभाओं के चुनाव भी न होने दिए जाएं। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा न देकर केन्द्र सरकार ने जो काम किया है, उसके लिए वह वधाई की पात्र है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। आज सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और खाद का उपयोग कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि और खाद बहुत मंहगा है, जिसको किसान खेतों में डालने में असमर्थ है। दूसरी तरफ सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो यह सही नही हैं। एक नलकूप से 250 एकड़ भूमि सिंचित दिखाई जाती है। जबकि असलियत यह है कि अगर चौबीसों घन्टे बिजली मिले तब भी 250 एकड़ जमीत सिंचित नहीं हो सकती।

नहर का जितना कमान्ड एरिया दिखाया जाता है, उतना कमान्ड एरिया वह नहीं होता है। कोई भी नहर उतनी जमीन को नहीं सींचती। खाद का दाम भी ज्यादा है। कृषि मंत्री जी ने "इफ्को" वे एक सम्मेलन में कुछ दिन पहले भाषण देते हुए कहा—

> "सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1978-79 और 1982-83 के बीच 90 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था करने और 20 लाख उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल होने के बावजूद खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।"

इसका कारण यही है। खाद की कीमत केन्द्रीय सरकार को कम करनी चाहिए। विरोधी दल के लोग जनता में जाकर जो कुछ कहें। लेकिन, केन्द्रीय सरकार किसानों को जिस दर पर खाद दे रही है, उस दर पर देने के बाद भी केन्द्रीय सरकार को 5 अरब रुपए का घाटा उठाना

पड़ता है। लेकिन किसानों के हित में, देश में गल्ला बढ़ाने के हित में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि खाद का दाम कुछ और करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के विचार सुने। अपने-अपने विचार बड़ी खूबी से लोगों ने रखे। उपलब्धियों के बड़े-बड़े ढोल पीटे गए। सही उपलब्धि में सदन के सामने रखना चाहता हूं। जवाब भी जानना चाहूंगा। समय कम होने के कारण पाइन्ट्स ही बोलना चाहता हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि सरकार वाकई क्या कर रही है। क्या यह सही नहीं है कि इस सरकार के कार्यकाल में हिंसक वारदातें बढ़ीं और इस सरकार के जमाने में औरतों पर बलात्कार बढ़े हैं। दलितों पर अत्याचार हुए हैं।...(**व्यवधान**)

क्या यह भी सही नहीं है कि सामाजिक मतभेद और दंगे-फसाद बढ़े हैं दो दिन में तीन दंगे हुए हैं। यह सरकार के आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। विघटन की जो ताकतें हैं, उसको भी बढ़ावा मिला है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की जो अर्थ नीति अन्तर्राष्ट्रीय कैलीश्यहों एवं देश के पूंजीपतियों की मिली-भगत से हमारा राजतन्त्र आम लोगों के शोषण का हथियार बन चुका है। गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। काले धन की अर्थव्यवस्था में जहां बड़े इजारेदार घरानों के मुनाफे आसमान को छू रहे हैं वहां आम आदमी की क्रय शक्ति बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है। निरंकुश अर्थव्यवस्था तथा कूट-अटूट नीतियों से न केवल नियोजन में भटकाव और खोखलापन आ चुका है बल्कि रोजगार के अवसर भी क्रमशः बंद होते चले जा रहे हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों ने एक ऐसे बिचौलियों वर्ग को जन्म दिया है, जिसकी वजह से जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट के लक्षण साफ नजर आते हैं। बिचौलियों की वजह से जहां उत्पादकों को अपनी मेहनत का मुनाफा नहीं मिल पाता वहीं उपव्यक्तियों को ऊंची कीमतें चुकानी पड़ती हैं। मुजफ्फरनगर से 25 रुपए क्विंटल गोभी दिल्ली में आती है।

लेकिन दिल्ली के बाजार में डेढ़-सौ और दो-सौ रुपए प्रति क्विंटल बिकती है। यह बीच का जो इतना मार्जिन है, कौन खा रहा है?

श्री त्रेपन सिंह नेगी (जारी) : इस पर सरकार क्यों प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती? सरकार इसका जवाब दे। उत्पादनकर्ताओं के साथ दोहरा शोषण हो रहा है। खाद, बिजली, मशीन, दवाई आदि के लिए कमर तोड़ कीमतें चुकानी पड़ती हैं और इस तरह इसका प्रति वर्ष औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से 5,000 करोड़ रु० का मुनाफा उठाता है। लेकिन सरकार कृषि को उद्योग मानने को तैयार नहीं है। तो यह ज्यादती किसानों पर क्यों हैं जबकि किसानों के गन्ने 4,330 करोड़ रु० सरकार दिला नहीं पा रही है। स्वयं सरकार दाम बढ़ा रही है, टैक्स लगा रही है। इसका क्या मतलब है? गरीब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। यह सरकार की नीति है।

इस मुल्क में हमने हमेशा यह मांग की थी सरकार से कि निर्यात बढ़े। लेकिन निर्यात के बजाये आजकल आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। कारण यह है कि आयात में कमीशन मिलता है, इसलिए उसको बढ़ाया जाता है ताकि सरकारी पक्ष की जेबें गरम हों, काला धन बढ़े और चुनाव में हमारे ऊपर अत्याचार हो, जबरदस्ती वोट लिए जायें और इस ढंग से जनतंत्र का गला घौंटा जाए।

गेहूं आयात किया जाता है, और जो सरकारी गोदाम हैं वहां इतनी कुव्यवस्था है कि प्रति वर्ष 6 लाख टन अनाज बरबाद होता है और गेहूं फिर बाहर से मगाया जाता है। तो क्या सरकार अपने गोदाम ठीक नहीं कर सकती? किसान की खेती में बड़ी-बड़ी बीमारियां लग रही हैं। आपने अनुसंधानशालायें खोल रखी हैं जिनके वैज्ञानिकों पर 100 करोड़ रु० हर साल खर्च होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या काम कर रही हैं? फसलों की बीमारियों की क्यों रोक थाम नहीं होती ताकि किसानों की फसलें बरबाद न हों?

मजदूरों की क्या हालत है यह आप बम्बई में चल रही हड़ताल से देख लीजिए। 14 महीने हो गए हड़ताल को लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हो सकी। अगर वह सरकार से उचित मांग करते हैं तो गोली मिलती है। यह तो गोली और डंडे की सरकार है। कोई कह रहा था यह तो बहुत अच्छी सरकार है, सारी मांगें पूरी कर दीं। खाने के लिए गोली, पहनने के लिए कफन और रहने के लिए कब्रिस्तान। यह सरकार कर रही है। गन्ने से सरकार पावर अलकोहल बना सकती है। पैट्रोल में मिलाकर उत्पन्न इस्तेमाल हो सकता है। पावर अलकोहल पैदा करती है ताकि पैट्रोलियम आयात कम हो, यहां की पूर्ति के लिए पैट्रोल काम आए और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचायी जा सके। इस तरह से गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकेगा।

पिछड़े क्षेत्रों के बारे में अभी हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूं इस सरकार का क्या रवैया है? जो पहाड़ों की तरक्की के सम्बन्ध में वहां की प्रगति के काम थे, नियोजन के काम थे वह सरकार के गलत निर्णयों के कारण रुक गए हैं जिससे वहां लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। 1980 में इंडियन फोरेस्ट ऐक्ट में जो संशोधन हुआ उससे यह हुआ है। मैं अपने यहां उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में लिखना चाहता हूं कि 3,4 साल पहले जो योजनायें प्लान में मजूर की थीं, जिनके ठेके हो चुके हैं, उन पर काम चालू नहीं हुआ इस इंडियन फोरेस्ट ऐक्ट में संशोधन की वजह से जिसके कारण विभाग फोरेस्ट के अन्दर से सड़क नहीं ले जा सकते, नहर, बिजली के तार नहीं जा सकते। तो तरक्की कैसे होगी? मैंने सुझाव दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और भारत में वन मंत्री को लेकिन वह सुनने और समझने से इन्कार करते हैं। जो संशोधन हो गया है उसे बदलना नहीं चाहते। कि जो हमारी डिक्टेटर साहिबा हैं, उनसे वह डरते हैं। उन्होंने जो पास कर दिया और जो कानून बन गया, उसके खिलाफ वह बोल नहीं सकते, सुझाव नहीं दे सकते/तो यह सरकार क्या काम करेगी?

मैंने सुझाव रखा था कि जितने काम प्लान में हैं, उनको चालू किया जाए। जो तीन

विभाग संबंधित हैं एक तो राजस्व दूसरा फारेस्ट का और तीसरे जिस विभाग का निर्माण कार्य हो रहा हो, उनके एक-एक अफसर बैठ जायें काम शुरू करवा दें। स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजें या गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजें। स्वीकृति बाद में आ सकती है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बता दूं कि रेड्डी साहब का और गिरी साहब का जो चुनाव हुआ था, वैसा ही चुनाव मेरा भी था। मेरे खिलाफ राजा के लड़के के लड़के को खड़ा किया था। मेरे बारे में यह कह दिया कि यह तो बहुगुणा का उम्मीदवार है। बहुगुणा जी 118 सीट पर चुनाव लड़कर भाषण करते गए थे। उनको 183 उम्मीदवार जीत कर आए थे। आप रिजाइन कीजिए, हम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुगुणा के उम्मीदवार हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : फिर भी मैं राजा के लड़के की जमानत जप्त करा के आया हूं।

अच्छा हुआ, बात क्लीयर हो गई।

(व्यवधान)

मैंने आपसे निवेदन किया कि पहाड़ियों की प्रगति अवरुद्ध हो चुकी है, इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिये। मैंने सुझाव दिया था कि केन्द्र के फारेस्ट मंत्री से मिलने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रधान मंत्री से मिलिए। उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधि सीधे प्रधान मंत्री से मिले और इसमें जो ठीक हो सकता है, वह करायें। इन सम्बन्ध में मैंने पत्र भी लिखा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है।

डी० जी० बी० आर० के मजदूर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है उन पर दोहरी नीति लागू होती है। काम करने के लिए डिसिप्लिन के लिए मिलेटरी ऐक्ट उन पर लागू होता है और जो तनख्वाह तथा भत्ते जो उनको मिलता है, उसके लिए सिविलियन ऐक्ट लागू होता। यह दौहरी नीति क्यों है? इसको समाप्त करना चाहिए। उनको एक तरफ कर दें, चाहे मिलिट्री कानून के अंडर कर दें या सिविलियन के अन्डर कर दें। यह मेरा निवेदन है।

एशियाड के बारे में बड़ी बातें हुई हैं। एशियाड में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के एक माननीय सदस्य का एक पत्र हमारे पास भी आया। उन्होंने कहा कि टिकट तो ब्लैक में पहले ही बिक चुके थे। लोगों को टिकट नहीं मिला। जब एशियाड शुरू हुआ तो जब तक मिलैट्री के अन्तर्गत उनका प्रशासन था वह ठीक रहा और सुरक्षा रही लेकिन कांग्रेसियों की धांधलेबाजी उन्होंने चलने नहीं दी। इसलिए उनको हटाया गया और वहां का प्रशासन पुलिस को दिया गया फिर जितने चाहो जाओ। ये लोग आते-जाते रहे, कोई कानून इनके लिए नहीं था।

एशियाड के खाने के बारे में अगर चर्चा होगी तो देखने में आएगा तो पता चलेगा कि

जिस तादाद में लोग बाहरी मुल्कों से आए उससे तीन-चार गुणा खाना खाया जाता रहा है। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेसी खा गए। यह बात वहां चीजें वहां हुई हैं जब यह ही बात सदन में होगी तो सारी बात साफ हो जायेंगी।

हमारे हिन्दुस्तान में जो सोना था, वह भी विदेश ले गए। हमें सोना भी नहीं मिला, कंपीटीशन में जीते भी नहीं। हमारा इतना बड़ा मुल्क जो चीन के बाद दूसरा है, उसको कुछ भी पुरस्कार नहीं मिला, हमें बहुत कम गोल्ड मैडल मिले। हम एक दो ही ले पाए हैं।

असम की भी यहां चर्चा हुई। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कांस्टीटयूशनल औब्लीगेशन पूरा करने के लिए चुनाव वहां पर हुए हैं। क्या मुझे यह जानने का हक है कि जो 6, 7 लाख वोटर लिस्ट में आने थे, उनको क्यों नहीं लिया गया ? उनका नाम इलैक्टोरल लिस्ट में क्यों नहीं लिया गया ? इसका जबाव दिया जाना चाहिए। मनमानी और धांधलेवाजी इस सम्बन्ध में हो गयी है, मेरे ख्याल में इसके इससे कांस्ट्रीटयूशनल औवलीगेशन पूरा नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि जो चुनाव वहां हुए हैं, वह जल्दी समाप्त हो जायेंगे और यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। यह आप जान लें।

भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है कि मिनिस्ट्रीज में कार्य करवाने के सम्बन्ध में आम लोग आपस में कहते हैं कि यह ब्रीफकेस सरकार है, पैसा ले जाइए और काम करवाइए। ब्रीफकेस ही नहीं, इस किस्म के जितने भी बुरे काम हो सकते हैं बहुत सारे ही मिनिस्ट्रीज में हो रहे हैं। यह दुकानें खुली हुई हैं, सरकारी दफतर नहीं है, वहां पर सौदेबाजी होती है।

श्री जी० एस० बनातवाला (पोन्नानी) : उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसे तो मैं समझ सकता हूं, पर सभी मंत्रियों का जिक्र करना और यह कहना कि वे सभी बेईमान हैं, ठीक भी है। वह अपनी बात कह सकते हैं। पर ऐसा कहना असंसदीय होना और इसे हटा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं देख लूंगी। अगर कुछ अनपालीन्टरी होगा तो एक्सपंज कर दिया जाएगा।

अब आप जल्दी खत्म करिए, आपका टाइम हो गया है।

श्री टी० एस० नेगी : मैं साबित कर सकता हूं कि कहां-कहां क्या हो रहा है। कहां पर क्या भ्रष्टाचार है। अभी-अभी दिल्ली में ऐलेक्शन हुए थे। मैं आपको क्या बताऊं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ और कितने गलत काम हुए।

सभापति महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए। कोई एलिगेशन लगाने से पहले प्रूफ देना होता है।

श्री टी० एस० नेगी : जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए और उसमें हमारी मदद लेनी चाहिए। हम आपको बतायेंगे कि कैसे-कैसे कार्य हो रहे हैं। अभी दिल्ली में चुने गए चार पांच पार्षदों लोगों ने क्या-क्या कृत्य किए ?

*ऐसे-ऐसे प्रतिनिनिधि कांग्रेस ने भेजे हैं अगर उनके बारे में यहां नहीं बोला जाएगा। तो और कहां बोला जाएगा। सच्चाई क्या है वह अगर हम जनता के सामने बतलायेंगे तो पता चल जाएगा कि आप इस मुल्क को कहां लिए जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने 18 फरवरी को संवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। मैं तीन चार रोज से दोनों तरफ के सदस्यों को यहां पर सुन रहा हूं।

मैंने सी० पी० एम० के नेता को सुना, जेठमलानी जी को सुना, सुब्रह्मण्यमस्वामी जी को सुना और अभी बसु जी को भी सुना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को शुरू में ही देखें तो उन्होंने इसी से शुरूआत ही की है कि हमारा देश इस समय चुनौतियों से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था में हमें सुधार लाना है और जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको काबू में लाना है। और जैसी कि परम्परा है, राष्ट्रीयपति के अभिभाषण में केवल दो चीजों का ही जिक्र होता है। एक तो पिछले वर्ष की क्या उपलब्धियां रहा हैं और अगले वर्ष क्या दिशा होगी, उसका संकेत रहता है।

आप देखें तो 25 में से 17 पैराग्राफों में संक्षेप में उपलब्धियों की ही चर्चा की गई है। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि मुद्रास्फीति पर काबू पाई गई है और अब वह केवल 2.8 प्रतिशत ही रह गई है ? सुब्रह्मण्यमस्वामी जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार गलत बात कहती है, वह कहती है कि थोक कीमतों पर कन्ट्रोल किया है लेकिन दूसरी तरफ फूड की कीमतों पर काबू नहीं पाई।

आप वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। यदि आप भारत के नक्शे को देखें, तो पायेंगे कि 21 करोड़ दो लाख इन्सान, अभी जो साइक्लोन आया है उसको छोड़कर, सूखे से प्रभावित है। क्या वे वास्तविकता को भूल जाते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने इसका सामना किया और जितनी हमारी दुकानें थीं, उसके अतिरिक्त 50 हजार दुकानें और खोली हैं। इस प्रकार हमने कीमतों पर काबू पाने का प्रयास किया और जो फुटकर कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसको हमें ध्यान में रखकर ही बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमने उद्योगों के बुनियादी ढांचे में भी परिवर्तन किया है। जिस प्रकार की स्थिति जनता पार्टी अपने शासन काल में छोड़ गई थी,

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसको हमने पिछले तीन सालों में फाफी सुधारने का प्रयास किया है। रेलवे में फ्रेट में सुधार किया है, बिजली में सुधार किया है, कोयले के उत्पादत में 4.2 प्रतिशत का सुधार किया है फर्टिलाइजर में 9.6 परसेंट, ढुलाई में 3.7 परसेंट का सुधार किया है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कच्चा तेल जिस पन हमें पारस एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है, उसमें हमने 30 परसेंट से भी ऊपर वाली उपलब्धि की है। इसी प्रकार निर्यात में भी 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। जहां दुनिया के लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को काबू करने के लिए इन्वेसेटमेंट में कमी कर रहे हैं, वहीं पर इस सरकार ने पिछले तीन सालों में ईन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। इस साल के भी बजट में हमने 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उपलब्धि नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय प्रधान मंत्री जी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था, उनकी भी पैंशन को बढाया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं भी एक स्वतन्त्रता सैनानी हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : इस सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों पिछड़ी जातियों के लिए तथा पहली बार हमारे हिन्दुस्तान के जो पिछड़े हुए मांझी हैं, उनके लिए भी एक बीमा की योजना बनाई है। ट्राइब्ल सब-प्लान में दस करोड़ रुपये की बढ़ीतरो की है। इससे सरकार को दिशा दिखाई पड़ती है। हमने कहीं भी तथ्यों को छिपाया नहीं है और न छिपाने का प्रयास ही किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान के दलितों और हरिजनों आदिवासियों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है, लेकिन ये लोग उसकी आलोचना ही करते रहते हैं।

श्री राम अवतार शास्त्री : सबको उजाड़ा जा रहा है।

श्री राम प्यारे पनिका : शास्त्री जी, आप मुझे बोलने दीजिए। क्यों आपके लीडर ने कहा है गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड इल्यूजन, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है।

सभापति महोदया, अभी हमारे एक साथी रामचरित्र मानस का उदाहरण दे रहे थे। यह बात सही है कि यत्रतत्र राज्यों में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन की कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसको अब नया रूप दिया है, जिससे हमारे देश का कल्याण होना : मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमने शिक्षा से भी सुधार किया है। पीने के पानी की ओर भी ध्यान दिया है। मैं रास्ट्रपति महोदया को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने अभी अभिभाषण में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी जिक्र किया है।

उन्होंने ईराक और ईरान की समस्या को उठाया है, उन्होंने ईजराइलियों द्वारा फिलस्तीनियों पर जो अत्याचार हुए हैं उनका उल्लेख किया है, उन्होंने सारी दुनियां के देशों से कहा है कि आज जरूरत इस बात की है कि हम शान्ति स्थापना के लिए एक हां कर रहे हैं। इतना ही

नहीं आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना होने जा रही है— हमारे यहां दुनियां के तमाम नान इलाण्ड देशों का सम्मेलन हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में होने जा रहा है। आज दुनियां के देशों में इस बात का कम्पीटीशन होने लगा है कोशिश होने लगी है कि वे इन्दिरा जी की सहानुभूति प्राप्त करें। आप जानते हैं पिछले दिनों हमारे देश में अनेक देशों के राजनेता आये तथा इन्दिरा जी और राष्ट्रपति जी भी दूसरे देशों की सदभाव यात्रा पर गये। इतना ही नही, थोड़े दिनों बाद कामधवेल्थ देशों का सम्मेलन भी हमारे यहां होने वाला है। यह सब भारत की विदेश नीति की सफलता का सूचक हैं। हमारी नान-एला-इण्ड पालिसी ने दुनिया के देशों में सद्भाव की भावना जगाई है।

क्या इन सब से देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है? आज हमारे विरोधी दलों के लोग कप रहे थे कि हमारी फारन पालिसी ऐसी है जिससे हम दुनियां में अलग-थलग पड़ गये हैं। मैं अपने विरोधी दलों के सदस्यों से पूछता हूं क्या यह अलग-थलग होने का प्रमाण है कि दुनिया के 100 देशों ने हम से अपील की कि गुट-निपेक्ष सम्मेलन हमारे देश में हो, यह उनके विश्वास का प्रतीक है कि यह सम्मेलन इस देश में होने जा रहा है। यह हमारी उस नीति का प्रतीक है कि हम दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। आज हम दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम दुनिया में अकेले पड़ गये हैं। जब यहां पर जनता पार्टी की सरकार थी, अमरीका में भारत के राजदूत ने वहां के राष्ट्रपति की मां की चप्पल भी उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे एटामिक पावर प्लांट की समस्या हल नहीं हुई। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री जी ने सूझ-बूझ से ऐसी नीति बनाई, अमरीका और फ्रांस के साथ मिलकर, कि हमारे तारापुर के एटामिक पावर प्लांट बन्द होने नहीं जा रहे हैं। आज सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत घनिष्ट हैं। यह ठीक हैं—जैसा राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चिन्ता प्रकट की है। पाकिस्तान को सोफेस्टीकेटेड हथियार मिल रहे हैं, जिससे इस महाद्वीप के लिए खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझौता चाहते हैं, शान्ति के साथ रहना चाहते हैं।

मैं अभी 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के सम्बन्ध में कह रहा था—मेरे एक साथी ने "रामचरित मानस" का उदाहरण दिया था। गीता में भी कहा गया है जब मनुष्य सब उद्यमों से थक जाए तो क्या करे—

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेंक शरणं ब्रज,
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष यश्वामिमाशुचः।

मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं—आइये, जुटकर 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम को सफल बनायें अगर आप भी उसे अपना लेंगे तो देश से विषमता समाप्त हो जाएगी, कुव्यवस्था दूर हो जाएगी और देश के बिना किसी रुकावट के उन्नति की ओर बढ़ता जाएगा।

अब मैं दो शब्द प्लानिंग कमीशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में बजट के समय बोलियेगा।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं—प्लानिंग कमीशन ने पिछड़े क्षेत्रों के लिये 6 प्रकार का आइडेन्टिफिकेशन किया है—डेजर्ट, पहाड़ी क्षेत्र, सूखा, बाढ़, साइक्लोनिक एरिया तथा ट्राइबल एरियाज । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ये सब एक साथ आ गये हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में यही स्थिति है, फिर भी मिर्जापुर में इसका पूरा प्रभाव है, लेकिन जिस अनुपात में इस समस्या का सामना करने के लिये हमारे प्रदेश को सहायता मिलनी चाहिये, वह नहीं मिली है ।

गन्ने का 25 करोड़ हमारी सरकार नहीं दे पा रही है । सूखे से बचाने के लिए इन्दिरा जी ने जो 12 सूत्री कार्यक्रम देश को दिया है, राज्य सरकारें उस पर काम नहीं कर रही हैं । अब जहां तक विकास कार्यों की बात है आपने कहा है कि मैं बजट के समय बोलूं, तो आप हमारा नाम नोट कर लें । मैंने अभी आधा भाषण ही दिया है, आधा बजट के समय बोलूंगा ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने संसद के सभी सदनों को सम्बोधित किया है, इसके लिए हम सब अभार प्रकट करते हैं, इसके लिए हम सभी उनके बहुत अभारी हैं तथा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्तमान सरकार की सफलताओं एवं उसकी भावी नीतियों का संकेत मिलता है । राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते हुए जिन तथ्यों की ओर हम सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वे बड़े महत्वपूर्ण हैं । विषम परिस्थितियों की चर्चा करते हुए उन्होंने सब लोग से एकता और सद्भाव से समस्याओं के निराकरण की भी अपील की है ।

आप सब जानते हैं कि कुछ काल से हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, असमान्य परिस्थितियों से हमारे देश का समय बीत रहा है । पूर्वांचल में यदि असम क्षेत्रवाद की आग में धधक रहा है, तो उत्तर में धर्म के नाम पर सड़कों पर लड़ाई छेड़ने की धमकियां दी जा रही हैं । तीसरी और दक्षिण में राष्ट्र भाषा के विरोध में तलवारें चमकाई जा रही हैं । यह सच है और इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व हैं; हमारे देश में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जोकि हमारे आन्तरिक मामलों को बढ़ावा देते रहते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, जिससे हमारे देश की जो काया है, वह रुग्ण होती है । अभी हम लोगों ने दो दिनों तक आसाम की स्थिति की चर्चा की । इस सदन में हम सभी सदस्य उसके बारे में बहुत ही गम्भीर रूप से विचार विमर्ष कर रहे थे । असम के लोगों की संस्कृति, उसकी भाषा सवल हो, मजबूत हो, यह प्रत्येक राष्ट्रवादी चाहता है और हमारी तो यह राष्ट्रीय विशेषता है कि हम अनेकता में एकता चाहते हैं लेकिन न तो एकता को कमजोर करना चाहते हैं, अपनी जो अनेकता है, और न अनेकता को हम खोना चाहते हैं । परन्तु वर्षों तक आन्दोलन हो, चुनाव न कराए जाएं, प्रजातंत की हत्या हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो यह इससे हम अपने राष्ट्र और देश की गरिमा की कब तक रक्षा कर सकते हैं, उसकी संस्कृति और सभ्यता को बना सकते हैं ? देश में सभी जानते हैं कि भार-

तीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का यह रवैया जरूर रहा है कि जो हमारे धर्म और सम्प्रदाय हैं, उनके नाम पर जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। असम की समस्या अभी तत्काल ज्वलन्त है। ऐसी राजनीतिक पेंतरे राजी करके, आग में घी डालने का काम इन लोगों ने किया है और इससे सारी अर्थ व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी ऐसे समय में जबकि हमारे राष्ट्र को तेल की जरूरत थी, उसके उत्पादन को बन्द कर दिया गया था जोकि हमारी आर्थिक स्थिति की शुद्धता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जरूरत इस बात की है कि विभिन्न समुदाओं के बीच, जैसे असमियों और बंगालियों के बीच असमियों और इम्पीग्रेन्ट्स के बीच, असमियों और कबीले जन-जातियों के बीच प्रेम और सद्भाव को पैदा कर सामान्य स्थिति लाई जाए,। जिन लोगों के घर जल गये हैं, उनको बसाया जाए, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गये हैं और जो सब कुछ खो चुके हैं, उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है और उनको सहानुभूति देने की आवश्यकता है लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है। उस दिन यहां संसद में विरोधी पक्ष के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा दर्द और बड़ी भावना जताई लेकिन मैं तो यह कहूंगी कि वे उनके घडियालू आंसू थे। उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि हमारी प्रधान मन्त्री कौन सी पोशाक पहनती हैं, हमारी प्रधान मंत्री किस भाषा का प्रयोग करती हैं। इन बातों की उनको चिन्ता थी लेकिन उनको वहां के लोगों की चिन्ता नहीं थी और किस तरह से हम इतनी बड़ी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा देश टूटने के कगार पर है, इसकी चिन्ता उनको नहीं थी।

आप सभी जानते हैं कि विरोधी पक्ष राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत नहीं हैं लेकिन आश्चर्य तब होता है जब वे इस मुद्दे पर एकमत हैं कि कैसे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा की सरकार को, जो कि एक स्थाई सरकार है, छिन्न-भिन्न किया जाए। स्वयं तो टुकड़ों और खंडों में बंटे हुए हैं और चाहते हैं कि देश भी खंडों में बंट जाए। यह जो इनका रवैया है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसी साम्प्रदायिक राजनीतिक जमानतें हैं, जोकि संकीर्णता को बढ़ावा देती हैं और राजनीतिक तोड़-फोड़ की नीति को अपनानी हैं। हमीपुर, नागालैंड, मिजोरम, सभी जगहों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं और मैं कोई कटुता की भावना से यह नहीं कहना चाहती। दक्षिण में कांग्रेस की पराजय के बाद ऐसा सुनने को मिला है कि राष्ट्रीय भावना और विकास की प्रक्रिया से वे विमुख हो गये हैं और भाषा और क्षेत्रीयता के नाम पर आन्दोलन कर रहे हैं।

इस संबंध में कुछ ही दिन पहले वहां एक डिप्रेस्ड क्लास की कान्फेंस हुई थी और मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि राष्ट्रीय स्तर के विषय के नेता ने यह कहा कि "जब तक एक ब्राह्मण केन्द्र का शासन कर रही है, तब तक आप न्याय की आशा नहीं कर सकते।" इस तरह की जातीयता की उल्टी-सीधी बात कहना धर्म के नाम पर द्वेष फैलना कहां तक उचित है, यह विचार

का विषय है। यह बात किसी छोटे-मोटे नेता ने नहीं कही, बल्कि एक अखिल भारतीय स्तर के विपक्ष के नेता द्वारा कही गई है, इसलिए मुझे इस बात का और अधिक दुख है।

दूसरा उदाहरण एक संसद सदस्य का है। इन्होने एक मांगपत्र पर 45 स्मरण पत्र पर सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए। हमने अखबारों में पढ़ा, उस मांग-पत्र में लिखा हुआ था कि इस शासन में कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहां पर मुसलमानों का आर्थिक विकास नहीं हुआ है। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी पार्टी की बुनियाद ही इसी पर आधारित है कि किस तरह से अलग संख्यकों की रक्षा की जा सकती है। कैसे मुसलमानो और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को बढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे रक्षा की जा सकती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा की गांधी की शहादत की कीमत इन्हीं कारणों से चुकानी पड़ी। श्रीमती गांधी तो आज और भी इस क्षेत्र में दो कदम आगे हैं। हमारी पार्टी इसको मूल सिद्धांत के रूप में माना है और मुसलमानों और अल्प संख्यकों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके कारण कई बार श्रीमती गांधी को दूसरे वर्गों का कोपभाजन भी बनना पड़ता है और कुछ लोग उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें भी किया करते हैं। श्रीमती गांधी सदैव ही समाज के कमजोर वर्गों, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए और समाज में समानता के लिए प्रयत्नशील रहती हैं।

हमारे माननीय सदस्य जेठनलानी साहब बहुत जोर-शोर से भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उनको केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है, हमारी उपलब्धियां उनको दिखाई नहीं देती। मुझे और भी दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि हमारे प्रशासन में, हमारी पार्टी में सिर्फ भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को ही संरक्षण दिया जाता है। लेकिन वे शायद साहब का नाम कहना भूल गए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट हो चुकी है, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी चर्चा यदि वे करते तो मैं समझती कि उनके हृदय से यह भावना निकल रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। उनके भाषण से राजनीति की बू आ रही थी। उनकी कोशिश यही थी कि किस तरह से हमारी पार्टी पर काला धब्बा लगाया जाए।

हमारे देश में गरीबी है, निरक्षरता है, हमारे विकास का स्तर नीचा है लेकिन हम बुनियादी तौर पर खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो चुके हैं। फिर भी हमें और अनाज उत्पन्न करना है। हमने मंजिलें बहुत पार की हैं, लेकिन फिर भी बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे आर्थिक विकास की गति कुछ कमजोर हो गई हैं। बढ़ती जनसंख्या की बाढ़ में आर्थिक विकास की इमारत कुछ कमजोर हो गई है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1977 में हमारी पार्टी की हार के लिए यह मुद्दा बनाया गया था कि किस तरह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम को धक्का लगाया जाए। अगर इन राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष ने हमारा साथ दिया होता तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। इसी प्रकार भूमि-सुधार कार्यक्रम की भी विरोधी दलों द्वारा कटु-आलोचना की गई। देहात में लोगों को गुमराह किया गया। इस संबंध में नारा दिया गया "स्वास्थ्य गया नसबंदी में-खेत गया चकबंदी में" देहात में इस तरह का प्रचार किया गया। मैं कहना चाहती हूं कि यदि इन राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार का साथ दिया होता तो आज हमारी आर्थिक स्थिति कुछ और होती।

हमारे विपक्ष के लोगों को यह सबसे बड़ी उपलब्धी दिखाई नहीं पड़ती कि तारापुर को छोड़कर हमारा सारा देश ईंधन में आत्मनिर्भर हो गया है। माननीय सदस्य समर मुखर्जी ने भी कहा था कि तीसरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने विपरीत परिस्थितियों में मूल्य-वृद्धि और मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण रखा है। विज्ञान और बैज्ञानिकों के लिए हमारी प्रधान मन्त्री किस तरह से कसर्न्ड है, इसे सभी जानते हैं। वैज्ञानिकों का जो जत्था अन्टारटिका पर गया, यह अपने में एक अनौखी घटना है। सुरक्षा के क्षेत्र में मेन बैहल टैंक की कहानियां सुनी जाती हैं। लेकिन इस वर्ष के अन्त में जब प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तब लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे वैज्ञानिक किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों से हाथ मिलाने में पीछे नहीं हैं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो बड़े देश हैं, उनमें हमारी गणना होती है विश्व के 92 औद्योगिक बड़े देश में हमारी गिनती है। राष्ट्र की महिमा और गरिमा का प्रदर्शन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था जब एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। यह देश की क्षमता और दक्षता को प्रमाणित करता है। जिस प्रकार इन्सान को सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि कला और मनोरंजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे देश को भी संस्कृति आदान-प्रदान और सद्भाव अवश्य चाहिए, यह बुनियाद है दूसरे लोगों से वाक्य और मित्रता और सद्भावना बढ़ाने के लिए। ब्रिटेन में जो इण्डिया फैस्टीवल हुआ उसमें भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत ने किस तरह से प्रगति की है उसका आदिकाल से लेकर अब तक का इतिहास दिखाया गया था। सारे विश्व के लोग वहां जाते थे और भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे कि किस तरह से हमारा देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन भी हमारी गरिमा का द्योतक है। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र की छवि मुख-रित हुई है। विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि हुई है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने हमारे देश की छवि को सिर्फ धूमिल ही नहीं किया था बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी हमारे राष्ट्र को हंसी का पात्र बना दिया था।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि हम सभी लोकतन्त्र में रह रहे हैं। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा यह प्रथम कर्त्तव्य है। कई मसलों पर मतभेद हो सकते हैं परन्तु ये मत-भेद देश की कीमत पर नहीं होने चाहिए। हमने आन्तरिक प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्तरराष्ट्रीय दबाव में, प्राकृतिक प्रकोप के बावजूद भी एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे हमारा देश प्रगति के

द्वार पर खड़ा है और विकासशील देश से विकसित देशों की गणना में हमारा देश आने वाला है। हमारे देश में जरूरत इस बात की है कि इंजीनियर' डॉक्टर, मजदूर एवम् युवा वर्ग को सही नेतृत्व मिले। मुझे विश्वास है कि एकमात्र श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं और सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अनेक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जिक्र किया है और संसद के मेरे अनेक साथियों ने इनके बारे में विस्तार में बताया है। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यह एक मिली-जुली स्थिति है। निस्सन्देह कुछ महत्वपूर्ण सफलतायें मिली है जैसे, एशियाड और कुछ असफलतायें भी रही हैं। परन्तु मुझे जो निर्मित समय दिया गया है उसमें मैं ऐसे मामले पर कुछ शब्द कहूंगा जिसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। मेरे विचार में यह एक भारी भूल हुई है। इस देश के सभी कार्य क्षेत्रों में नैतिक और अध्यात्मिक मूल्यों में जो भारी ह्रास हुआ है, निस्सन्देह मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।

आज मैं यहां वहां हुए भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत मामलों के बारे में बता रहा हूं मैं यह बता रहा हूं कि जिस राष्ट्र की नींव 'सत्यमेव जयते' और आपकी सीट से पीछे लिखे 'धर्म चक्र प्रवर्तनीय' के उन सिद्धान्तों पर पड़ी है जो कि इस शताब्दी के कुछ महान संतों और विचारकों जैसे श्री अरविन्द, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी की आदर्शवादिता पर आधारित हैं। जो राष्ट्र कतिपय नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर अस्तित्व में आया है वह आज नैतिक मूल्यों के रहित हो गया है।

वास्तव में मैं गत दो बर्षों से इस देश में काफी घूमा हूं और मैं अनेक राज्यों और नगरों में गया हूं और प्रायः हरेक स्थान पर यह सुनने को मिलता है कि आज भ्रष्टाचार वास्तव में जीवन का एक ढंग बन गया है। यह अब अधिक समय तक ऐसी चीज नहीं रह गयी है कि जिसके साथ में केवल लड़ाई की जाती है अपितु जिसे हतोत्साहित भी किया जाना है। यह तो एक शुरू-आत है जबकि भारत में इसे जीवन के एक ढंग के रूप में स्वीकार किया गया है। में यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी दुःखद स्थिति है और यह एक शुरूआत है जबकि हमारे राजनीतिक जीवन और आर्थिक विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है तथा किसी परियोजना पर खर्च की गई धनराशि उस विशेष परियोजना के विकास पर खर्च नहीं होती है। ऐसी ही बात हमारे प्रशासन और जीवन के सभी क्षेत्रों में हो रही है।

आखिर इसके कारण क्या हैं? आंशिक रूप से, निस्सन्देह जब कभी सामाजिक-आर्थिक कारणों से एक परम्परागत समाज भंग हो जाता है तो मूल्यों का दृढ़ ढांचा ढह जाता है और निस्सन्देह यह स्वीकार करना होगा। एक प्रकार से यह अच्छी बात है, क्योंकि पुराने युग के दृढ़ ढांचे पर वापस जाने की कोई चाह नहीं है। परन्तु फिर भी मेरे विचार में आप सहमत होंगे और मेरे विचार में इस सभा के सभी पक्षों के मेरे साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि यदि किसी

राष्ट्र का नैतिक संदर्श समाप्त हो जाता है, यदि इसकी आध्यामिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो अंतत्तोगत्वा बह राष्ट्र गौरव प्राप्त नहीं कर सकता, भौतिक दृष्टि से यह चाहे कितना भी सम्मान हो। वास्तव में यह गौरव प्राप्त नहीं कर सकता।

अब क्या हो रहा है ? संयुक्त परिवार के भंग होने के साथ-साथ पुरानी नैतिक मूल्य पद्धति समाप्त हो गई है और इसमें कोई तकनीकी नहीं हुई है। पिछले डेढ़ वर्ष में जब से हम स्वतंत्र हुए थे हमारी शिक्षा पद्धति में किसी नैतिक मूल्य का कोई स्थान नहीं रहा है। हमारे स्कूलों और कालजों में कोई नैतिक मूल्य पद्धति नहीं रही है। मेरे विचार में यह धर्म निरपेक्षता के साथ-साथ हमने सब कुछ त्याग दिया है। हम इतने आशंकित हैं कि हमें किसी धर्म को प्रेरित करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, इंग्लिश हमने अपनी शिक्षा पद्धति में उपनिषेदों या अन्य धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं या नैतिक या शास्त्रीय सिद्धान्तों को कोई स्थान नहीं दिया है। सभी बड़े धर्मों के पीछे आदर्श होते हैं। क्या धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि हम भारत के बच्चों को इन आदर्शों की जानकारी से वंचित रखें ? जब आपके स्कूल और कालेज कोई नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो परिवार भंग होने के साथ नैतिक मूल्य पद्धति कहां जायेंगी ?

इसके अतिरिक्त इन फिल्मों ने अब उन नैतिक मूल्यों को उस आदर्श पद्धति को समाप्त कर दिया है जो इस देश में रह सकती है। उन लोगों द्वारा युवा पीढ़ियों का खुला शोषण है जो इन फिल्मों में लाखों, और करोड़ों रुपए कमाते हैं जिनका वित्तपोषण अधिकांशतः काले धन से किया जाता है, और जिनमें बीमत्सता, बलात्कार, और हिंसा की महिमा गाई जाती है। आप कहीं भी जायेंगे, आप भारत के किसी भी शहर में जायेंगे तो आप देखेंगे कि वहां इस तरह की फिल्में दिखाई जा रही हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अतः एक ओर आप किसी नैतिक मूल से रहित शिक्षा प्रणाली अपनाते हैं, दूसरी ओर आप मुख्य रूप से उन फिल्मों से, जिसमें हिंसा, घृणा, बीमत्सता और बलात्कार तथा अवधिनीय सामाजिक गतिविधियों दिखाई जाती है, निरंतर उस नैतिक मूल्यों को समाप्त करते हैं। फिर हम अपनी युवा पीढ़ियों में क्या करने के लिए आशा करें ?

चुनाव सुधारों का प्रश्न है। यह मानी हुई बात है कि इस देश में भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण चुनावों में भारी खर्च है। कम्पनी के चंदे को कानूनी रूप नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पार्टियों का प्रत्येक राजनीतिक उम्मीदवार अभी या बाद में ऐसे जन पर निर्भर रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं ? भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री शामलाल शकधर ने यह सुझाव दिया है कि हमें इस दिशा में कदम उठाने चाहिए कि चुनावों के लिए वित्तपोषण सरकार से हो। मेरे विचार में उन्होंने यह कहा कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की निधि होनी चाहिए। हम एक जम्बो जेट पर 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम आवश्यक चुनाव सुधार करें, ताकि हिसाब न रखे गए धन पर यह विनाशी निर्माता कम से कम एक उपयुक्त सीमा तक लायी जाए ? आज यहां कोई मंत्री नहीं है। मुझे बताया गया है कि उन्हें बजट से पूर्व

एक बैठक में जाना पड़ा है परन्तु मुझे आशा है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर प्रधान मंत्री ध्यान देंगी ।

मेरा मुद्दा यह है कि हमें इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा में नैतिक मूल्य पद्धति शुरू करने के लिए प्रस्ताव करना चाहिए । समितिया बनाई गई हैं । आपको याद होगा कि श्री प्रकाश समिति, डा० राधा कृष्णन समिति, काठोरी समिति और भारत सरकार की विभिन्न समितियों ने यह सुझाव दिया है कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, परन्तु कुछ भी नहीं किया जा रहा है । हम इसकी शुरूआत क्यों नहीं कर सकते ? भारत सरकार केन्द्रीय स्कूलों, सैनिक स्कूलों में, जो सीधे शिक्षामंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं, इसकी शुरूआत क्यों नहीं कर सकती और इसके द्वारा पथ प्रदर्शन क्यों नहीं करती जिसका बाद में राज्य अनुसरण करें ? अतः मेरा मुद्दा यह है कि हमें इस स्थिति को रोकना चाहिए । अन्यथा युवा पीढ़ी किसी मार्गदर्शन के बिना चल रही है ।

दूसरे, इन किसानों का प्रश्न है। हमने इसे पहले भी उठाया है परन्तु सरकार की ओर से तो ऐसा कोई गुट है या जानकारी नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि फिल्मों में इस हिंसा और बीभत्सता पर अंकुश लगाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं। रात दिन युवा पीढ़ी की चेतना को भ्रष्ट किये जाने के सिवाय और कुछ नहीं किया जा रहा है । यदि कोई हमारी सप्लाई को जहर से दूषित करेगा तो हरेक खड़ा होकर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करेगा । महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने साक्षियों से कहना चाहता हूं ; क्या शरीर को दूषित करने की अपेक्षा मन को दूशित करना कम खतरनाक है ? इस बारे में कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? भारत सरकार इस मामले में आगे कार्यवाही क्यों नहीं कर सकती प्रधान मन्त्री स्वयं अपनी व्यापक शक्ति और प्रभाव से इस मामले पर कार्यवाही क्यों नहीं करती हैं ?

तीसरे, चुनाव सुधारों का प्रश्न है जिसे प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। एक निर्दलीय सदस्य के नाते मैं सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों दोनों से यह अपील करता हूं कि वे शीघ्र मिलकर 1982 के चुनावों से पहले कुछ ठोस सुधार करें ताकि हम काले धन पर इस निर्भरता से बच सकें ।

और फिर निस्संदेह यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत उदाहरण का प्रश्न है। मेरे मित्र यहां भगवद गीता से उद्धरण दे रहे थे । भगवद गीता में एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है ;

यत यताचरति श्रेष्ठसतत ततेवितरो जनाः
स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते ।

नेता जो करेंगे लोग उसका अनुकरण करेंगे । जो उदाहरण हम स्थापित करेंगे मैं विशिष्ट रूप से किसी राजनीतिक दल या सरकार के नेताओं की बात नहीं कर रहा किन्तु समान के नेताओं

चाहे वे राजनीति में हों, चाहे व्यापार में हों या मजदूर नेता हों या किसी अन्य क्षेत्र में नेता हों— उसीका हमारे अनुभावी अनुसरण करेंगे। हमें युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने पर ही भारत में आध्यात्मिक और नैतिक स्थान की कोई संभावना हो सकती है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस पुर्ननिर्मारण की केवल भारत में ही आवश्यकता नहीं है। आज मानव जाति बड़ी विषम परिस्थितियों में है किसान और प्रौद्योगिकी ने इसे भारी शक्ति प्रदान की है, ऐसी शक्ति जिसे विवेक और शान्ति भाव से प्रयोग में लाया जा सकता है और ऐसी शक्ति जिसे घृणा के साथ भी उपयोग किया जा सकता है यदि इसका इस्तेमाल विवेक से किया जाये तो हम गरीबों अभाव निरक्षरता और रोज इस धरती से मिटा सकते हैं। यदि इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो तमाम मानव जाति का अन्त हो सकता है। सान और विवेक के बीच यह एक बढ़ती खाई है जिसे पाटना होगा। हमें किसान और दर्शनिकता को जोड़ने के लिए एक नए सेतु की आवश्यकता है और मेरा यह पक्का विश्बास है कि विश्व के सभी देशों में से भारत ही इस एकता को ला सकता है. क्योंकि हमारी सतत दार्शनिक परम्परा सदियों पुरानी है और वैज्ञानिकों के मामले में विश्व में हमारा तीसरा स्थान है।

हम कभी भी अपने लिए नहीं जिए। प्राचीन काल में भारत का संदेश, इसका दार्शनिक संदेश तमाम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। मैं कुछ ही मासपूर्व वाली गया था, मैं इन्डोनेशिया व्यथित, मैं जाना गया। वहां 99 प्रतिशत मुसलमान देश हैं किन्तु उन सब पर भारतीय संस्कृति का रंग चढ़ा हुआ है। बाली और जाखा में इस देश के कई भावों की अपेक्षा रामायण का बेहतर ज्ञान वहां के लोगों को है, क्योंकि इसके पीछे भारतीय सभ्यता की नैतिक शक्ति है। हमें इसी प्रकार के सम्मिश्रण की आवश्यकता है। विज्ञान और दर्शन के बीच परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पर हम इसे तब तक कैसे कर सकते हैं जब तक हम अपनी नैतिक आध्यात्मिक जड़ें पुनः मजबूत नहीं करते। अन्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलतै हुए मैं फजल साहिब की इस गजल की निम्न पंक्तियां उल्लिखित करना चाहूंगा :—

यह बात सारे फसाने में जिसका निबन्ध था
वह बात मुझको बहुत नागवार गुजरी।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में नैतिक व्यापकता के अभाव को ठीक नहीं समझता। मैं प्रधान मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह इसका उत्तर दें। हमने आर्थिक प्रगति की है। प्रशासनिक क्षेत्र में प्रगति की है अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रगति की हम एक बहुत बड़े सम्मेलन की नेकनामी कर रहे हैं किन्तु क्या हमारी आत्मा का नष्ट होने का खतरा पैदा नहीं हो रहा है। क्या हम उन नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को त्यागने जा रहे हैं जो भारतीय सभ्यता की रीढ़ हैं जिनके बल पर भारत केवल अपने लिए अपितु समस्त मानव जाति के लिए पूर्ण उपयोग कर सकता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है उस पर रेड्डी साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ

है। जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक हम इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। इसलिए अनुशासन में रहकर अपने काम जुट जाना चाहिए ताकि हम इस देश की गरीबी को दूर कर सकें।

हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वह भी बहुत हैं उसने आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से रोका है, इंफ्लेशन को बढ़ने से रोका है और कीमतों को भी बढ़ने से रोका है। जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको सरकार दृढ़ता से मुकाबला कर रही है।

आज सबसे प्रमुख समस्या सूखे की है। सरकार ने इसके लिए 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है जो कि एक प्रशंसनीय बात है। प्रान्तीय सरकारों को यह देखना चाहिए कि सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों को रोजगार धंधा मिलता है या नहीं। 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद भी अगर लोगों को रोजी-रोटी न मिले तो इस रुपये की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी केन्द्रीय सरकार को मानीटियरिंग करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस पैसे का प्रान्तीय सरकारों द्वारा सही तरीके से उपयोग होता है या नहीं और उसमें कोई बेइमानी तो नहीं होती है और जिनके पास तक वह पैसा जाना है वहां तक पहुंचता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होगा तो गाँव के गरीब लोग भूख और प्यास से मर जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी पर हमें पूरा बिश्वास है। वे जो कुछ कहती है वह करती हैं। लेकिन कुछ प्रान्तीय सरकारों की वजह से ठीक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं अपने ही प्रान्त की बात कहना चाहता हूं। वहां पर इतना भीषण अकाल है परन्तु एक-एक जिले में केवल 10-15 हजार लोगों को ही काम दिया गया है। आज सारे देश में 33 करोड़ लोग गरीबी की सतह से नीचे हैं और हमारे राजस्थान् में साढ़े तीन करोड़ की आबादी में पौने दो करोड़ ऐसे हैं जो गरीबी की सतह से नीचे हैं। जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यदि उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था न करें, पीने के पानी की व्यवस्था न करें, उनके जानवरों के लिए घास की व्यवस्था न करें, तो वे जीते-जाते मर जायेंगे और वह कलंक हमारे सरकार के सिर पर आएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां-जहां की सरकारें अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर हमें अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से यह बदनामी हमारी सरकार के ऊपर आयेगी। इसी प्रंजर फैमिनी रिलीज के कामकाज के लिए मोनिटरिंग भी भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज जो बड़े-बड़े इंजीनियरर्स हैं, बड़े-बड़े अधकारी हैं, जो उस सारे पैसे को डकार जाते हैं, उस पैसे का फायदा उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, मगर सात सौ करोड़ रुपया वहां तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। प्रान्तीय सरकारों पर अंकुश लगाकर पूरे का पूरा पैसा उन गरीब लोग तक पहुंचाना चाहिए।

दूसरा निवेदन यह है कि सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया, सीमेंट उत्पादन बढ़ाया,

फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन बिजली के संबंध में राजस्थान की क्या हालत है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान पिछले चार-पांच सालों से भयंकर बिजली की कटौती का शिकार हो रहा है। हर साल 500 करोड़ रु० का नुकसान है। आज तमाम बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज बन्द पड़ी हुई हैं। सारे मजदूर बेकार है। उनकी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। पांच सौ करोड़ रुपए का एक प्रान्त को नुकसान हो रहा है, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें पंजाब से पूरी बिजली नहीं मिल रही है, मध्य प्रदेश से भी बिजली नहीं मिल रही है, बदरपुर से भी बिजली नहीं मिल रही है, सिंगरौली से भी नहीं मिल रही है। 220 लाख यूनिट एक दिन का खर्च है, जिसमें से 90 लाख यूनिट रोज मिलती है, जिसकी वजह से वहां का काश्तकार बहुत परेशान है। इसी बिजली के अभाव में वहां की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमें वहां पर बिजली की व्यवस्था होने की कोई आशा की किरण भी नहीं नजर आ रही है। हमारे दोनों आर० ए० पी० पी० के इंस्टालेशन बन्द पड़े हुए हैं। साल में 20-25 दिन चलते हैं, जो कि कुल 420 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। लेकिन आज वे बन्द पड़े हुए हैं। राजस्थान का थर्मल पावर प्रोजैक्ट भी काफी दिनों से शुरू नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिजली की व्यवस्था कराइये। जिस प्रकार 1977 लोग फैमिली प्लानिंग की वजह से नाराज हुए थे, उन्होंने हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा धक्का दिया था, उसी प्रकार की हालत आज बिजली की वजह से पैदा हो रही है। आज काश्तकार के मन में इस प्रकार के असंतोष की भावना है इस प्रकार के असंतोष को मिटाने का एक तरीका है कि उनको बिजली की सप्लाई करो, ताकि वह अपने खेती बाड़ी की पैदावार को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और गरीब मजदूर जो बिजली की कमी की वजह से रोटी से वंचित हो रहे हैं, उनको कल-कारखानों में काम करने का मौका मिले और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

सभापति जी, अब मैं थोड़ा राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इन अकालियों ने जिस प्रकार की मांग रखी है कि रावी-व्यास के पानी के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था उसको समाप्त करके नई व्यवस्था की जाय-हम इसका घोर विरोध करते हैं। आप, सभापति महोदया अच्छी तरह से जानती है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और इसका आधे से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है 1955 में जो फैसला हुआ था, उसके बाद उसमें थोड़ा-बहुत संशोधन करके 1984 में जो फैसला हुआ, उसके अन्तर्गत हमको 89 लाख घन फुट पानी मिलना तय हुआ था, लेकिन अब उस एग्रीमेंट को बदलने की बात करते है और भारत सरकार को धमकी देते हैं कि अगर यह एग्रीमेंट नहीं बदला गया तो हम आन्दोलन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। क्या राजस्थान के लोग इस संघर्ष से पीछे रह जाएंगे? राजस्थान कभी पीछे नहीं रहेगा, अगर आपने हमारे पानी के हिसे को कम किया तो हम निश्चित तरीके से संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। अगर राजस्थान को पानी नही मिलता है तो राजस्थान के इलाके सूखे रह जाएंगे और यह राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाएगा। इसलिए मैं आपकी मारफत भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं—आप रावी

व्यास समझौते में किसी भी प्रकार का बदलाव न लाए और इन अकालियों के सामने इनकी धमकियों से डरें। हम आपके साथ हैं, जीवन-मरण में सब प्रकार से आपके साथ हैं, जहां पर आपका एक बूंद पसीना गिरेगा हम वहां पर खून बहा देंगे। इसलिए हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हिस्सा है, उस हिस्से के सम्बन्ध में यदि आपने किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसके लिए राजस्थान पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में आप खास तौर से ध्यान रखें। राजस्थान की विधान सभा ने भी एक मत से इस सम्बन्ध में निर्णय किया है, प्रस्ताव किया है कि राजस्थान का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, पूरा पानी राजस्थान को मिलना चाहिए इसलिए इस सम्बन्ध में आप विशेष ध्यान रखें।

एक बात मैं पीने के पानी के संबंध में कहना चाहता हूं। राजस्थान में पीने के पानी का भयंकर अभाव है भारत सरकार की तरफ से इसके लिए काफी सहायता मिली है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, मैं इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन जो इम्प्लोमेंटेशन की एजेन्सी है वह बहुत निकम्मी है। विधान सभा में भी इससे सम्बन्धित घुटालों के सम्बन्ध में आवाज बुलन्द की गई थी, कि पीने के पानी के लिए जो रुपया भारत सरकार से मिला है उसमें बहुत घुटाला हुआ है, उसकी जांच करानी चाहिए, 25 करोड़ रुपये का घुटाला हुआ है। इसी तरह से राजस्थान कैनाल बनाने में 200 करोड़ रुपए का घुटाला हुआ हैं, जिसकी राम सिंह कमीशन ने जांच की थी। ये दोनों राजस्थान के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो घपले हुए हैं उनकी तुरन्त जांच कारवाई जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे राजस्थान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके।

राष्ट्रपति जी, ने जितने प्वाइन्ट अपने अभिभाषण में रखे हैं वे बहुत अच्छे हैं, मैं उन सबका समर्थन करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण यद्यपि संक्षिप्त है और फिर भी यह राष्ट्रीय जीवन और गतिविधियों के सभी पहलुओं को छूता है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और कुछ ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं की ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण देश को जिस कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उस का जिक्र किया है। राष्ट्रपति ने स्थिति का सामना करने के लिये अपनायी गयी राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों की चर्चा भी की है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति डावांडोल है ; बड़ी शक्तियों के बीच का संघर्ष काफी बढ़ चुका है, विशेषकर मध्य पूर्व तो सारे विश्व के लिए समस्या बन चुका है। इसलिए उस पर सेना का भारी जमाव है जिससे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इस संदर्भ में, नई दिल्ली में अगले महीने में हो रहा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रधान मन्त्री के नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई देती हूं निस्संदेह यह बगदाद में होना था।

लेकिन सभी गुटनिरपेक्ष देश इसे भारत में करना चाहते थे और इससे सिद्ध होता है कि अन्य देश भारत तथा हमारे नेता का कितना सम्मान करते हैं।

मैं प्रधान मन्त्री को हमारी गुट निरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सफलता से प्रस्तुत करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं।

हम दो बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तो आसाम तथा पंजाब की राजनैतिक स्थिति और दूसरी देश के अधिकांश मात्रा में भारी सूखे सहित अभूतपूर्व प्राकृतिक विपदा से उत्पन्न आर्थिक समस्या।

इस बात का श्रेय प्रजातंत्रीय प्रणाली तथा प्रजातंत्र के प्रति बहानब हमारी सरकार को ही जाता है कि जहां चुनाव होने थे उन राज्यों में सफलता से चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और लोगों ने अपने मत स्वतन्त्रता से दे दिये हैं।

हम इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आसाम और पंजाब की समस्याओं को हल करने के लिए हमने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है, जिसमें हमने विरोधी दलों को भी सम्बद्ध किया है।

दुर्भाग्यवश, विपक्ष का रवैया दोगला हो गया है। आपस में संवैधानिक आवश्यकताओं के कारण चुनाव जरूरी थे।

आसाम में उत्पन्न समस्या के लिए कांग्रेस दल जिम्मेदार नहीं है। जनता पार्टी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वह समस्या का समाधान अपने समय में नहीं कर सकी और उन्होंने यह समस्या पैदा की। उसके अलावा, कुछ अन्य विरोधी दलों द्वारा दिए गए समर्थन से भी स्थिति खराब हुई है। मुझे यह आशा है कि अब स्थिति में स्थिरता आ जाएगी क्योंकि जन प्रतिनिधि सत्ता में आ गए हैं और समस्या का संतोषजनक हल मिल जाएगा।

मुझे आशा है कि पंजाब की समस्या का सन्तोषजनक हल भी मिल जाएगा।

विरोधी दलों को राष्ट्रीय समस्याओं पर सत्तारूढ़ दल के साथ सहयोग करना चाहिए।

भारी सूखे तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद भी, जिसके लिए राहत कार्य हेतु 700 करोड़ रुपए की रिकार्ड केन्द्रीय सहायता जरूरी हैं, हमारी अर्थ व्यवस्था में अच्छी प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, विशेषकर गरीबों को लाभान्वित करने सम्बन्धी कार्यक्रमों में। विश्व भर में बढ़ती मुद्रा स्फीति के बावजूद भी हम अपने देश में मुद्रा स्फिति को नियन्त्रित करने में सफल हुए हैं।

भारत एक तेल आयात करने वाला देश है, जिसने इन सारे वर्षों के दौरान नियोजित विकास की गति को बनाए रखा है और हम मुद्रा स्फिति दर में कमी करने में सफल हुए हैं।

थोक मूल्य सूचकांक में भी मामूली-सी वृद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष के दौरान बेमौसम की वर्षा तथा सूखे की स्थिति के बावजूद मूल्य वृद्धि में अपेक्षाकृत स्थिरता रही है।

सिमेंट की मांग तथा सप्लाई स्थिति भी संतुलित है।

जन वितरण प्रणाली कई अनिवार्य वस्तुओं के मामले में, सप्लाई प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। इससे देश में कई वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के खतरनाक प्रभावों को रोकने में सफलता मिली है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं, अब समय हो गया है। अब, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की है, श्री जेवियर अराकल नियम 337 के अधीन वक्तव्य देंगे - तत्पश्चात सभा आधे घंटे के लिए स्थगित होगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(आठ) कोचीन में विदेशी हवाई डाक की छंटाई का एक कार्यक्रम खोलने की आवश्यकता

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाता हूं :—

केरल घनी आबादी वाला राज्य है और भारत का बहुत ही साक्षर राज्य है। केरल के बहुत से लोग नौकरी की तलाश में विदेश गए हैं और बहुत से विश्व भर के कई देशों में बस गए हैं। ये केरल के लोग प्रतिवर्ष 200 से 400 करोड़ रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार को भेजते हैं। इस राज्य के साथ विदेशी पत्र व्यवहार बहुत छोटा हो.ा है जिसके लिए सरकार द्वारा तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक विदेशी एयरमेल स्पोर्टिंग आफिस की केरल के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सख्त जरूरत है। वस्तुतः कोचीन ही राज्य की राजधानी है। कोचीन में ढांचा मौजूदा है। यहां एयरमेल स्फोर्टिंग आफिस है जिसमें बहुत कम कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त कोचीन में सीमा शुल्क कार्यालय, हवाई अड्डा तथा बंदरगाह बहुत से औद्योगिक तथा संस्थागत उपक्रम स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, यह यात्रियों तथा माल के आने-जाने के लिए एक केन्द्रीय स्थल है।

अतः मैं अनुरोध करूंगा कि वर्तमान विदेशी एयरमेल इन्वार्ड स्पार्टिग आफिस को शीघ्र ही एक विदेशी एयरमेल स्पार्टिग आफिस में परिवर्तित किया जाए और इसके लिए शीघ्र ही स्टाफ दिया जाए ताकि विलम्ब तथा कठिनाई न हो।

सभापति महोदय : जैसे कि पहले घोषणा की गयी है, सभा आज 5 बजे म० प० तक के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत करने हेतु स्थगित होती है ।

(तत्पश्चात् लोक सभा 5 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

लोक सभा 5 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बजट (सामान्य)—1983-84

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मन्त्री ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं वर्ष 1983-84 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।

कुछ दिन पहले सदन के समक्ष वर्ष 1982-83 की जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई थी उसमें चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है । अतः मैं यहां आर्थिक स्थिति की समीक्षा संक्षेप में ही करूंगा ।

सूखे का वर्ष अर्थव्यवस्था के लिए सदा ही कठिनाई का वर्ष होता है । सूखे के कारण कृषि के उत्पाद में जो कमी होती है वह ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है । हमारे किसान भाइयों की क्रय शक्ति में गिरावट आ जाती है जिसका उद्योग पर अपस्फीतिकारी प्रभाव पड़ता है । सूखे से बिजली का उत्पादन भी प्रभावित होता है और हमारी बाहरी अदायगियों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इससे साधनो में कमी हो जाती है और साथ ही इसके कारण राहत व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता हो जाती है । जो वर्ष समाप्त हो रहा है उसके दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन को इसी पृष्ठभूमि में देखना होगा ।

हम अपने उत्पादक ढांचे को अत्यधिक क्षति पहुंचाए बिना उक्त स्थिति से उबर आए हैं और हमने कीमतों की वृद्धि को नियन्त्रण में रखने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, इसका श्रेय हमारी अर्थव्यवस्था की सक्षमता को जाता है । इससे मांग को लगातार नियंत्रण में रखने और पूर्ति का विवेकपूर्ण प्रबन्ध करने की हमारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता का भी पता चलता है ।

यद्यपि इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पिछले दो वर्षों की तुलना में कम होगी तथापि इन तीन वर्षों में हम लगभग 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि की दर प्राप्त कर लेंगे जो कि आयोजना के लिए निर्धारित हमारे लक्ष्य के आस-पास होगी । साथ ही, हम निवेश की गति को भी

बरकरार रख सके हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि सूखे का प्रभाव गंभीर था, फिर भी मेरा विश्वास है कि हमने उससे विकास की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है।

अब मैं, संक्षेप में, वर्ष 1982-83 की आर्थिक स्थिति की मुख्य बातों को दोहराता हूं। बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर, जनवरी, 1983 के अन्तिम सप्ताह में थोक कीमतों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में पिछले साल इसी समय वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 5.7 प्रतिशत थी। दिसंबर, 1982 की स्थिति के अनुसार, उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंक में वृद्धि की वार्षिक दर 8 प्रतिशत रही जो दिसंबर, 1981 की 12.7 प्रतिशत की दर से काफी कम थी। इस वर्ष मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत कम दर, खासतौर से, इस बात को देखते हुए उल्लेखनीय है कि मानसून में देरी हो जाने की वजह से उत्पन्न सट्टेबाजी के दबावों के कारण, जून और जुलाई, 1982 में थोक कीमतें प्रति मास 2.4 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थीं। किन्तु मांग और पूर्ति के प्रबन्ध की नीतियों के उपयुक्त सम्मिश्रण के द्वारा स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया।

मौद्रिक नीति का लोचदार तरीके से पालन किया जाता रहा। संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा किन्तु साथ ही ऋण की उत्पादक आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयत्न किया जाता रहा जहां तक पूर्ति का संबंध है, खाद्यान्नों का समय पर आयात करे के उनका भंडार बनाने और उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की गई। खाद्यान्नों की वसूली के प्रयत्नों को बढ़ाया गया ताकि खरीफ की पैदावार में होने वाली कमी का प्रभाव खाद्यान्नों के भंडार पर कम से कम पड़े। चीनी और खाद्य तेलों को भी अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया। इन कार्यवाइयों और अन्य पूर्ति प्रबंध संबंधी नीतियों के फलस्वरूप अगस्त, 1982 के बाद मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने में बहुत अधिक योगदान मिला।

जैसाकि मैंने इस सदन में पहले भी बहुत बार कहा है, कीमतों की स्थिति के बारे में हमारे लिए संतुष्ट होकर बैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। संवेदनशील वस्तुओं के मामले में पूर्ति और मांग की स्थिति का संतुलन बड़ा नाजुक होता है। हालांकि हमने सूखे के तात्कालिक प्रभाव को तो सफलतापूर्वक झेल लिया है, फिर भी हमें यह याद रखना होगा कि इसके प्रभाव संभवतः एक मौसम या एक वर्ष से अधिक की अवधि तक बने रहेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अब भी अनिश्चितता पूर्ण बनी हुई है और यदि विदेशों में पुनः मुद्रास्फीति की स्थिति, खासतौर से हमारे द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के मामले में उत्पन्न हुई तो इससे हमारी घरेलू कीमतों की स्थिति आसानी से विगड़ सकती है।

हमें समाज-विरोधी, तत्वों जमाखोरों और कालाबाजारियों से भी सतर्क रहना होगा।

मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम होगा। किन्तु ऐसे संकेत मिले हैं कि रबी का उत्पादन संभवतः पिछले वर्ष की

अपेक्षा कुछ अच्छा होगा। कपास की पैदावार लगभग गत वर्ष जितनी ही होगी, किन्तु गन्ने और जूट के उत्पादन में कुछ कमी होने की संभावना है। वर्ष 1982-83 के दौरान सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करने का जो 23.5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था उसके प्राप्त हो जाने की संभावना है। हालांकि कृषि क्षेत्र अब भी मौसम की अनिश्चितताओं से प्रभावित होता रहता है, किन्तु, दीर्घावधि में, हम पैदावार में पर्याप्त वृद्धि कर सके हैं और सूखे के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों को कम करने में सफल हुए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने, उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल करने, ऋण देने वाले तंत्र का विस्तार करने और प्रमुख फसलों के संबंध में उत्पादकों को उचित तथा लाभकारी कीमतें दिलवाने की जो हमारी कृषि नीति है वह मूलरूप से सही है।

वर्ष 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, संभवतः लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अप्रैल से दिसम्बर, 1982 की अवधि में, अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों, जैसे कच्चा पेट्रोलियम (30.6 प्रतिशत), सीमेंट (10.2 प्रतिशत), उर्वरक (9.6 प्रतिशत) और बिजली (7.2 प्रतिशत) के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। खासतौर से यह बात उत्साहवर्द्धक है कि तापीय विजली के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई है और तापीय बिजली संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात (प्लांट लोड फैक्टर), भी, जो अप्रैल-दिसम्बर 1981 के दौरान 45.9 प्रतिशत था, बढ़ कर इस वर्ष 47.6 प्रतिशत हो गया है।

आशा है कि चीनी का उत्पादन भी लगभग पिछले वर्ष के रेकार्ड स्तर के बराबर होगा। किन्तु, औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो जाने के कारण, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उद्योग के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मांग की शिथिलता के कारण या खासतौर से पन-बिजली पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में बिजली की तंगी जैसे कारणों में वृद्धि की पर अपेक्षाकृत कम रही है।

पिछले तीस वर्षों के दौरान, हमारे औद्योगिक ढांचे का विस्तार करने और उसमें विविधता लाने के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। निवेश संबंधी वातावरण बहुत अनुकूल है और वर्ष के दौरान पूंजी निर्गम (केपिटल इशूज़) एक रेकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। किन्तु, उत्पादन की वृद्धि की दर को तेजी से बढ़ाने और उसे बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि निगम क्षेत्र क्षमता के बेहतर उपयोग द्वारा और प्रदर्शनात्मक तथा निरर्थक व्यय में किफायत करके अपनी बचतों की दर में वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान दें।

यदि निवेश के लिए बढ़ती हुई धनराशियों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरा करना है तो निगम क्षेत्र को अपने आंतरिक साधन अधिक मात्रा में पैदा करने की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। धनराशियां उधार लेकर साधनों की अनुपूर्ति तो की जा सकती है लेकिन उधार की राशि निगम क्षेत्र की अपनी बचतों का स्थान नहीं ले सकती।

यह भी आवश्यक है कि पहले किए गए पूंजी-निवेश की उत्पादकता में वृद्धि की जाए

और लागतों में कमी आ जाए। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत लागत बढ़ गई है, और परियोजनाओं के कार्यान्वियन में देरी हो जाने से, जनता द्वारा किए गए पूंजी-निवेश से मिलने वाले उस प्रतिफल में कमी हो जाती है जिसकी आशा यह उचित रूप से कर सकती है। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में, सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी कार्य-कुशलता पर पूरी तरह नजर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जैसाकि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, सरकारी क्षेत्र के बहुत-से उद्योगों के कार्यचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हालांकि कुछ एककों को अब भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं इस वर्ष के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र के एककों को लगभग 360 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ जबकि पिछले साल की इसी अवधि में उन्हें 134 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था।

वित्तीय आधारभूत ढांचा बनाने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। बैंकिंग प्रणाली की व्याप्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, पहले से अधिक ग्रामीण बैंक खोल दिए गए हैं और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया है। इन से ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण का लाभ मिलने में और सहायता मिलेगी। बीमा की सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में, हमारे भुगतान-शेष की स्थिति एक चिन्ता का विषय बनी रही है। पिछले साल अपने बजट भाषण में मैंने यह बताया था कि सरकार ने मध्यमायवधि में हमारे भुगतान-शेष की स्थिति को फिर से सक्षम बनाने के लिए क्या नीति अपनाई है। संक्षेप में, इस नीति के मुख्य तत्व हैं, तेल और उर्वरक जैसे अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन की गति को तेज करना, निर्यात बढ़ाना और भारतीय मूल के अधिवासियों द्वारा पूंजी-निवेश और धन-प्रेषण के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस नीति को कार्यान्वित कमने में हमें पर्याप्त सफलता मिली है।

देश में पेट्रोलियम और उर्वरकों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से हमें चालू वर्ष के दौरान इन मदों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है। इस्पात, अलोह धातुओं, और कई अन्य मदों का आयात भी पहले से कम हुआ है। हमारी आयात नीति का उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं को उदारतापूर्वक उपलब्ध कराते हुए आयात की वृद्धि को कम करना है। जहां कहीं समुचित समझा गया है, स्वदेशी उद्योगों को और संरक्षण प्रदान करने के लिए टेरिफ नीतियों का कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है।

निर्यातों में, जहा 1981-82 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 1982-83 के

पहले सात महीनों में 18 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार में बढ़ते हुए संरक्षणवाद, मांग में मंदी और लगभग गतिरोध से प्रभावित प्रतिकूल बाहरी वातावरण को देखते हुए यह एक अच्छी सफलता है। वर्ष 1982-83 में व्यापारिक घाटे के पहले से कम होने की संभावना है। प्रारक्षित मुद्रा भंडार में (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन-देनों को शामिल न करते हुए) कमी होने की दर भी कम हो गई है और इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1983 के अन्त तक यह दर औसत रूप से 91 करोड़ रुपए प्रतिमास रही है जबकि 1981-82 के दौरान 175 करोड़ रुपए प्रतिमास रही थी।

किन्तु, हमारे भुगतान-शेष के समायोजन का कार्य औद्योगीकृत देशों में आर्थिक सहयोग के लिए राजनीतिक संकल्प के अभाव से उत्पन्न अननुकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण और कठिन हो गया है। यह आवश्यक है कि विकासशील और अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक प्रणाली में बुनियादी सुधार करने के लिए अपने प्रयत्नों, को जारी रखें। भारत को रियायती प्राप्तियों के अपने हिस्से में होने वाली असमानुपातिक कटौती का भी बोझ उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में, कुछ मात्रा में वाणिज्यिक ऋणों का सहारा तो लेना ही होगा, किन्तु हमें चालू खाते के घाटे की वित्त-व्यवस्था करने के उपाय के रूप में इस साधन पर निर्भर रहने में अत्यन्त सावधानी बरतनी होगी।

सम्मानित सदस्य इस क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तो कोई भी कुर्बानी ज्यादा नहीं होती। साथ ही, हम विकास के कार्य में भी ढील नहीं दे सकते, भले ही कार्य कितना ही भारी क्यों न हो, क्योंकि अन्ततोगत्वा राष्ट्र की सुरक्षा भी आर्थिक शक्ति पर ही निर्भर करती है। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि साधन संबंधी स्थिति कठिन होने के बावजूद हम 1982-83 के दौरान आयोजना के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि कर सके हैं। साधनों के उपयोग में और अधिक मितव्ययता और कुशलता की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाएगा थोड़ा होगा। हमें एक गैर-मुद्रास्फीतिकारी तरीके से, अतिरिक्त साधन जुटाने के कार्य को आगे भी चालू रखना होगा।

राष्ट्र के साधनों का उपयोग करने के कार्य में राजकोषीय नीति को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। कर की दरों में समुचित समायोजनों के अलावा, आवश्यक प्रशासनिक और विधिक उपाय भी किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाज के सभी वर्ग तत्परतापूर्वक अपने कर अदा करें। यह सरकार करों के परिवर्जन और अपवंचन के सभी रास्तों को बन्द करने और आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अपने अभियान को जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है।

हमारे लोगों के जीवन-यापन के स्तर को बचतों और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करके ही ऊंचा उठाया जा सकता है। हमें यह साभार स्वीकार करना होगा कि भारत के लोगों ने

बचत के ऐसे स्तर कायम किए हैं जो हमारे जैसे कम आए वाले देश के लिए एक असाधारण बात है। किन्तु यह आवश्यक है कि इन बचतों को ऐसी परिसम्पत्तियों में लगाया जाए जिनसे उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो और जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में बचतों पर आकर्षक प्रतिफल देने के लिए ब्याज दरों के ढांचे और राजकोषीय तन्त्र का उपयोग किया गया है। पंचवर्षीय बैंक जमाराशियों पर ब्याज की दर को बढ़ाने के निर्णय के अनुरूप ही, जो गत वर्ष अक्टूबर में घोषित किया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि पंचवर्षीय डाकघर सावधि जमा राशियों और आवर्ती जमा राशियों पर ब्याज की दर को 10.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया जाए। इसी प्रकार, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि की विशेष जमा राशियों और अन्य गैर-सरकारी भविष्य, उत्पादन और अधिवर्षता निधियों की जमाराशियों पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। इन जमा राशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि कर दिए जाने से कामगारों और छोटे बचतकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

मैं लोक भविष्य निधि योजना को भी उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं जोकि अपना धन्धा करने वालों और अन्य लोगों में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। अभिदाताओं को अपने खाते 15 वर्ष के बाद भी चालू रखने की अनुमति होगी। वार्षिक अभिदान की सीमा को भी बढ़ाकर 40,000 रुपए किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में मौद्रिक और आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के ब्याज की दरों की समीक्षा की है। ब्याज की अधिकतम दर को 19.5 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निश्चय किया गया है। कृषि, लघु उद्योग और निर्यात के फायदे के लिए ब्याज की दरों के ढांचे में भी नीचे की ओर समायोजन किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से घोषणा की जा रही है।

सरकार ने भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा पूंजी-निवेश और धन-प्रेषणा को आकर्षित करने के लिए उदार प्रोत्साहन दिए हैं। अनुभव के आधार पर, यह निश्चय किया गया है कि अनिवासियों को उपलब्ध सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। पिछले साल मैंने अनिवासियों द्वारा 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों में, जिन पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दिया जाता है, किए गए अभिदानों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा की थी। उनकी प्राप्ति में और वृद्धि करने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन बचत-पत्रों पर, यदि वे विदेशी मुद्रा से खरीदे गए हों तो 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जाए। मेरे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि सदन मुझसे इस बात में सहमत होगा कि हमारी

नीतियों का ढांचा अनिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और हम आशा कर सकते हैं अनिवासियों और इस देश के बीच विद्यमान सम्बन्ध और मजबूत होंगे।

अब मैं 1982-83 के संशोधित अनुमानों और 1983-84 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं।

1982-83 के संशोधित अनुमान

वर्ष 1982-83 में कुल व्यय के लिए 29,219 करोड़ रुपए का बजट अनुमान था, जिसमें से 11,345 करोड़ रुपए आयोजना व्यय के लिए और 17,874 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए थे। जैसे-जैसे साल बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि हमें इन दोनों प्रकार के व्ययों को बढ़ाना होगा। दैवी विपत्तियों के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों के बावजूद, हमारा यह प्रयास रहा है कि दीर्घावधिक विकास के परिव्यय में कोई कमी न की जाए। इसलिए मेरी एक उच्चतम प्राथमिकता यह थी कि आयोजना को बचाया जाए और इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के संशोधित अनुमान, मूल बजट में निर्धारित अनुमानों से, 603 करोड़ रुपए ज्यादा है।

रेलवे के आयोजना परिव्यय में 195 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिसमें 105 करोड़ रुपए बजटीय सहायता होगी। विद्युत क्षेत्र की बजटीय सहायता को 62 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, जबकि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को दी जाने वाली सहायता में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। परिवार कल्याण की योजनाओं के परिव्यय में 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण जलपूर्ति, कृषि और सहकारिता की आयोजना-व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया गया है जबकि डाक-तार आयोजना की बजटीय सहायता में 75 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है; डाक-तार के मामले में यह वृद्धि उनके आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने के कारण की गई है। जहां एक ओर ये वृद्धियां की गई हैं वहां दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों के आयोजना व्यय के बजट अनुमानों में कुछ कटौती किए जाने की सम्भावना है। कुल मिलाकर, केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता में 262 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाने का अनुमान है और वह इस प्रकार 7,605 करोड़ रुपए की हो जाएगी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता में भी 380 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है; इसमें से 350 करोड़ रुपए की राशि उन राज्यों को अतिरिक्त अग्रिम आयोजना सहायता देने के लिए है जो सूखे से प्रभावित हुए हैं।

चालू वर्ष के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय में भी कई कारणों से वृद्धि होगी। राज्यों को दिए गए जाने वाले आयोजना-भिन्न अनुदानों में 214 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी जिसका मुख्य कारण यह है कि बाढ़ों, चक्रवातों और अन्य दैवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों को 147 करोड़

रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है। इसी प्रकार, अल्पबचतों के संग्रह में वृद्धि हो जाने के कारण, इस संबंध में राज्यों को दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न ऋणों में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। कृषि निविष्टियों (इनपुट) के लिए दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न ऋणों में भी 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। स्वदेशी उर्वरकों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की राशि भी 200 करोड़ रुपए अधिक होगा। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के लिए 209 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋणों की आवश्यकता है ताकि वे उपक्रम अपनी नकद हानियों और सरकार के प्रति ब्याज तथा वापसी अदायगी की देनदारियों को पूरा कर सकें।

रक्षा व्यय के लिए की गई व्यवस्था में भी 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यापार में अल्पकालिक असंतुलन को ठीक करने के लिए तकनीकी ऋणों की व्यवस्था को 80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,280 करोड़ रुपए करना पड़ा है। तकनीकि ऋणों में वृद्धि अस्थायी और आपवादिक परिस्थितियों के कारण हुई है, और वर्ष के दौरान इसका रुख काफी हद तक पलट जाएगा।

सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि विश्वस्तरीय कमजोर मांग के वर्ष में, समाजवादी देशों के साथ हमारे पुराने व्यापारिक संबंधों ने हमारे निर्यात के क्षेत्र को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राज्यों के दिए जाने वाले 1,743 करोड़ रुपए के ऋण को शामिल न करते हुए, जिसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा, कुल आयोजना-भिन्न व्यय संभवत: 17,874 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,511 करोड़ रुपए हो जाएगा।

जहां तक प्राप्तियों का संबंध है, जैसाकि मैंने शुरू में कहा था, सूखे के कारण अर्थव्यवथा के आय और साधन आधार पर अनिवार्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, आय-कर और सीमा-शुल्क की प्राप्तियों के बजट अनुमान पूरे हो जाने की आशा है। किन्तु संघ-उत्पाद-शुल्कों से होने वाली प्राप्तियों में शायद 220 करोड़ रुपए की कमी रहेगी। इसका एक कारण तो यह है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई है और दूसरे, विचाराधीन मुकद्दमों के कारण भी कुछ राजस्व की प्राप्ति रुक गई है। निगम-करों की प्राप्ति में भी कुछ कमी रहने की सम्भावना है। करों में राज्यों के हिस्से की अदायगी करने के बाद, केन्द्र का निवल कर-राजस्व, अनुमानतः 13,271 करोड़ रुपए का होगा जब कि बजट अनुमान 13,362 करोड़ रुपए का था।

किन्तु कर-भिन्न राजस्व में 623 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की आशा है, जिसके मुख्य कारण ये हैं कि रेलवे द्वारा अपेक्षाकृत अधिक लाभांश दिया गया है, सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों से अधिक प्राप्तियां हुई हैं, भारतीय डेरी निगम से उसे पहले उपहार में दी गई सामग्री का मूल्य वसूल हुआ है और विदेशी अनुदान अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हुए हैं।

अनुमान है कि पूंजी प्राप्तियों में भी वृद्धि होगी, अर्थात् इनकी राशि 10,249 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,446 करोड़ रुपए हो जाएगी। बाजार ऋणों से 3,800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान में इनकी राशि 3,200 करोड़ रुपए रखी गई थी। जैसा कि पहले कहा गया है, तकनीकी ऋणों से भी 90 करोड़ रुपए की बजाए 1,080 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। अल्पबचतों से होने वाली प्राप्तियों में 150 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है।

इस प्रकार कुल प्राप्तियों की राशि 27,844 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,563 करोड़ रुपए हो जाएगी।

प्राप्तियों और व्यय में उपर्युक्त और अन्य घटबढ़ को हिसाब में लेने पर, अब अनुमान है कि चालू वर्ष में बजट का घाटा 1,935 करोड़ रुपए का होगा। इसमें राज्यों को दी जाने वाली 1,743 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता शामिल नहीं की गई है जिसका चालू वर्ष में कोई आर्थिक असर नहीं होगा। चालू वर्ष में बजट अनुमानों की अपेक्षा हुए अधिक घाटे को अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में व्यापक कमजोर मांग की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई अस्थिरताकारी असर नहीं हुआ है, यह बात हाल के महीनों में कीमतों की स्थिति से प्रमाणित होती है।

1983–84 के बजट अनुमान

अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष के बजट को तैयार करने में मेरा उद्देश्य यह रहा है कि आयोजना परिव्यय में भारी वृद्धि के लिए व्यवस्था की जाए ताकि विकास की गति जिसे हमने अध्यवसायपूर्वक प्राप्त किया है, धीमी न होने पाए। मुझे भली-भांति मालूम है कि इतनी वृद्धि कर देने पर भी विभिन्न मांगों को पूर्णतः पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वे कितनी ही अधिक जरूरी क्यों न प्रतीत होती हों। अतः विभिन्न उद्देश्यों और क्षेत्रों के बीच प्राथमिकताओं के क्रम को फिर से निर्धारित करना जरूरी हो गया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय आयोजना के परिव्यय को बढ़ाकर 1983-84 में 13,870 करोड़ रुपए कर दिया जाए ; इसमें 300 करोड़ रुपए का एक विशेष आवंटन शामिल है जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की यह राशि 1982-83 के बजट अनुमानों में निर्धारित 11,000 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय से 26.1 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1982-83 के बजट में की गई 20.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, इस प्रस्तावित वृद्धि से हम अर्थव्यवस्था के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए चालू किए गए कार्यक्रमों को भी विशेष बल प्रदान कर सकेंगे। केन्द्रीय आयोजना को 8,390 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से और 5,480 करोड़ रुपए के आंतरिक तथा बजट-बाह्य साधनों से वित्त-पोषित किया जाएगा।

सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि बहुत से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कुछ समय से भारी

दबाव पड़ रहा है। यद्यपि राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए कम है, तथापि केन्द्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना भी रहा है कि साधनों की तगी के बावजूद, राज्यों की आयोजनाओं में भी उचित मात्रा में वृद्धि हो। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जूद 1982 में, मैंने यह निश्चय किया था कि 1,743 करोड़ रुपए का मध्यमावधिक ऋण देकर राज्यों के पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम घाटों को साफ कर दिया जाए। मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि राज्य अपने वित्त पुनः समायोजन कर सके और अपनी आयोजनाओं में पर्याप्त पूंजी लगा सकें। चालू वर्ष में, केन्द्र ने राज्यों को सूखे और बाढ़ में राहत पहुंचाने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसके अलावा, हमने राज्यों को अगले दो वर्षों में मूलतः अनुमोदित मात्रा में से उपलब्ध शेष राशि के अतिरिक्त 1,650 करोड़ रुपये की और केन्द्रीय सहायता देने का निश्चय किया है। इससे राज्यों के आयोजना सम्बन्धी साधन बढ़ जाएंगे। राज्यों ने भी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और वे अपने साधन जुटाने के प्रयत्नों में वृद्धि करने के लिए राजी हो गए हैं।

वर्ष 1983-8 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल आयोजना परिव्यय अब 11,625 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह राशि 1982-83 में अन्तिम रूप से अनुमोदित 9,989 करोड़ रुपए के परिव्यय से 16,4 प्रतिशत अधिक है; और यह वृद्धि चालू आयोजना अवधि में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 4,462 करोड़ रुपए की होगी।

वर्ष 1983-84 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आयोजना परिव्यय की राशि, कुल मिलाकर, 25,495 करोड़ रुपए की होगी जो कि 1982-83 में अन्तिम रूप से अनुमोदित परिव्यय की 20,989 करोड़ रुपए की तुलना में 21.5 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 1983-84 की आयोजना बनाते समय हमने सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखा है कि उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अधिकतम समर्थन दिया जाए जिनसे अर्थव्यवस्था को और खास तौर से समाज के कमजोर वर्गों को तत्काल लाभ मिल सकता हो। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के परियव्यय को वढ़ा दिया गया है, और उन कार्यक्रमों को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे प्रत्यक्ष रूप से गरीब लोगों को फायदा पहुंचता हो।

मैंने अगले वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष रूप से, 13, 570 करोड़ रुपए के अलावा, 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है; यह कुछ अपारम्परिक-सा कदम है। यह राशि राज्यों को, विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में उनके देहतर कार्य-निष्पादन के आधार पर अनुदानों के रूप में दी जाएगी। इन कार्यक्रमों से समाज के कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचेगा और राज्यों के बिजली बोर्डों के कार्यचालन में सुधार होगा। इसके लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है और जहां कहीं उपयुक्त होगा, इस संबंध में जारी किए जाने वाले वाले मार्ग-निर्देशों में, राज्यों द्वारा समानुपतिक अंशदान किए जाने का उपबंध किया जाएगा।

इस आवंटन में से मैं 125 करोड़ रुपए छोटे और सीमान्तिक किसानों को उनकी जमीन की उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता देने के लिए निर्धारित कर रहा हूं। मेरे साथी कृषि मंत्री जी इस योजना के ब्यौरे घोषित करेंगे।

125 करोड़ रुपए की एक अन्य राशि राज्यों को उच्च प्राथमिकता वाले विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर वितरित की जाएगी ; इनके बारे में घोषणा सरकार द्वारा बाद में की जाएगी। इन प्रयोजनों के लिए सहायता उन्हीं राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो अपनी अनुमोदित आयोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों से भी ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करनें की क्षमता दिखाएंगे।

मैं एक बार पहले भी मौजूद पूंजी-निवेशों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के महत्त्व पर जोर दे चुका हूं। तापीय बिजली घरों में संयंत्र भार अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाए थोड़ा है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 300 करोड़ रुपए में से बाकी 50 करोड़ रुपए राज्यों के बिजली बोर्डों को उनके बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु अलग रख दिए जाएं। अधिकांश राज्यों के बिजली बोर्डों ने 1975-77 के दौरान अपने शिखर संयंत्र भार अनुपात प्राप्त कर लिए थे। दुर्भाग्यवश, उनका हाल का कार्य-निष्पादन उन स्तरों से बहुत नीचा रहा है। मुझे आशा है कि इस प्रोत्साहन से राज्यों के बिजली बोर्ड अपने पूर्ववर्ती शिवर स्तरों तक पहुंचने, बल्कि उनसे भी ऊपर निकल जाने के लिए प्रेरित होंगे।

उपर्युक्त विशेष आवंटन के अलावा, 1983-84 की केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए 2,747 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो चालू वर्ष की आयोजना के परिव्यय से 26.8 प्रतिशत अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 1983-84 के अनुमोदित आमोदित आयोजना परिव्यय में इन योजनाओं के लिए 7,332 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सम्मानित सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि इस प्रकार अगले वर्ष 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था होगी।

अगले वर्ष के कार्यक्रम में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र का कुल परिव्यय 608 करोड़ रुपए का होगा। इसमें 200 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के लिए है। वर्ष 1983-84 में दो प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वित के लिए हाथ में लिए जाएंगे ; एक तेलहन विकास के लिए और दूसरा बारानी भूमि में खेती के लिए होगा। ये दोनों कार्यक्रम 20-सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित आयोजना परिव्यय में कृषि कार्यक्रमों के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण के परिव्यय को भी बढ़ा कर केन्द्रीय आयोजना में 116 करोड़ रुपए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में 2,404 करोड़ किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं का परिव्यय 1983-84 में 480 करोड़ रुपए होगा, जबकि उन पर 1982-83 में 419 करोड़ रुपए का व्यय होने की सम्भावना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग तीस लाख परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में 3500 लाख कार्य-दिवसों के बराबर रोजगार उत्पन्न होगा। इन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समानुपातिक आधार पर व्यवस्था की जाएगी।

सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि सरकार ने सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने का एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 1982-83 के आयोजना में केन्द्र द्वारा त्वरित ग्रामीण जम पूर्ति कार्यक्रम के लिए 127.5 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति को देखते हुए, अब इस परिव्यय को बढ़ा कर 155 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1983-84 में इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षाकृत काफी अधिक अर्थात् 200 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी ओर से 319 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करेंगे और आशा है कि 1983-84 से 48,000 और गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएंगे।

बच्चों की भलाई के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा है। अब छठी आयोजना के लिए जो ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार इस योजना को जिसे अब तक 620 परियोजनाओं में लागू किया जा चुका है, 1983-84 में 200 और परियोजनाओं में शुरू करने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण विभाग की 60 करोड़ की कुल व्यवस्था का आधे अधिक भाग इस योजना के लिए है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की भलाई के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, 1983-84 की केन्द्रीय आयोजना में पहले से अधिक अर्थात् 176 करोड़ रुपए की गई है।

वर्ष 1983-84 में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को नए उत्साह के साथ कार्यान्वित किया जाएगा और इन्हें 170 लाख व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है।

छठी आयोजना में ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश की गति को बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए, जिसमें पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला शामिल हैं, कुल 5,014 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के 36 प्रतिशत से भी अधिक है। आशा है कि कच्चे तेल का उत्पादन इस वर्ष 210 लाख मेट्रिक टन होगा और 1983-84 में और बढ़ा कर लगभग 260 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा।

परमाणु ऊर्जा और कोयले के अन्तर्गत विद्युत विकास के लिए नियत राशि को शामिल करके, 1983-84 में केन्द्रीय आयोजना में विभिन्न विद्युत कार्यक्रमों का कुल परिव्यय 1,222 करोड़ रुपए होगा, जो 1982-83 के परिव्यय से 31.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1983-84 के केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता में 1,050 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है जो चालू वर्ष के लक्ष्य से दुगना है।

वर्ष 1983-84 में कोयला क्षेत्र का परिव्यय, जिसमें लिगनाइट का परिव्यय भी शामिल है, 946 करोड़ रुपए का होगा। कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 1,420 लाख मेट्रिक टन रखा गया है, जो चालू वर्ष के उत्पादन से 90 लाख मैट्रिक टन अधिक है।

वर्ष 1983-84 की आयोजना में इस्पात विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 820 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1983-84 में खान विभाग का आयोजना परिव्यय बढ़ा कर 494 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि चालू वर्ष का अनुमोदित आयोजना परिव्यय 292 करोड़ रुपए का था। इसमें उड़ीसा एल्यूमिनियम परियोजना के लिए रखे गए 365 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

अनुमान है कि 1983-84 में रेलवे का राजस्व उपार्जक यातायात 2,410 लाख मैट्रिक टन होगा; इस प्रकार इसमें 1982-83 के संभावित यातायात की तुलना में 6 प्रतिशत से भी अधिक की बृद्धि होगी। वर्ष 1983-84 में रेलवे का आयोजना परिव्यय 1,342 करोड़ रुपए का होगा।

अनुमान है कि पत्तनों पर निपटाया जाने वाला यातायात 1983-84 में बढ़कर 1,050 लाख मेट्रिक टन का होगा, जबकि 1982-83 में 950 लाख मेट्रिक टन का यातायात निपटाए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1983-84 में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के लिए कुल 558 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें न्वाहा शेवा परियोजना के लिए की गई 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था और राज्यों के सड़क परिवहन निगमों में निवेश के लिए की गई 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 429 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें 260 करोड़ रुपए थाल वैशत उर्वरक परियोजना के लिए है। हजीर उर्वरक परियोजना के लिए 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

उद्योग मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए, चालू वर्ष की 480 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तुलना मे, 1983-84 में कुल 549 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से 173 करोड़ रुपए की व्यवस्था लघु उद्योगों के लिए है, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग और

नारियल जटा उद्योग भी शामिल हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के विभिन्न आयोजना कार्यक्रमों के लिए 1983-84 में 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने हाल में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग की अलग से स्थापना की है। इस विभाग द्वारा 1983-84 में जो कार्यक्रम हाथ में लिए जाने हैं उनमें, अन्य बातों के अलावा, पारिवारिक आकार के 75,000 बायो-गैस एककों और 100 सामुदायिक बायो-गैस एककों की स्थापना करना भी शामिल है। इस विभाग के लिए 1983-84 की आयोजना में 30 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें बायो-गैस कार्यक्रम के लिए की गई 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रयत्न यह रहा है कि आयोजना-भिन्न व्यय को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि होनी अनिवार्य है। देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा के लिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 5,350 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष के बजट 5,971 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऋणों में, जिनका इस्तेमाल मुख्यतः विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वृद्धि होने और इसके अलावा ऋण लागत के बढ़ जाने के कारण ब्याज की अदायगी के लिए 4,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में इसके लिए 3,950 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खाद्यान्न सम्बन्धी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के लिए 800 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 90 करोड़ रुपए अधिक है। अनुमान है कि देश में उत्पादित उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अगले वर्ष 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि चालू वर्ष में 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। निर्यात के लिए मंडी विकास सहायता और नकद क्षतिपूर्ति सहायता के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अगले वर्ष रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि चालू वर्ष में 1,280 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों, पेंशनों और अन्य राहतों की अदायगी करने के लिए 300 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की जा रही है।

सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष मैंने कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए कतिपय लाभों में वृद्धि करने की घोषणा की थी। मेरा इस श्रेणी के पेंशन-भोगियों को कुछ अतिरिक्त राहत देने का प्रस्ताव है। पहली अप्रैल, 1983 से महंगाई राहत सहित पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ा कर 160 रुपए मासिक और परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि, जिसमें महंगाई राहत भी शामिल है, बढ़ा कर 150 रुपए मासिक कर दी जाएगी।

अनुमान है कि 1983-84 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय 21,984 करोड़ रुपए होगा, जबकि 1982-83 के संशोधित अनुमानों में 20,511 करोड़ रुपए की व्यवस्था है ।

इस अवसर पर, मैं सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित एक मामले का उल्लेख करना चाहूंगा । कर्मचारियों ने कुछ समय पहले सुझाव दिया था कि सरकार वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए एक वेतन निकाय नियुक्त करे । तीसरा वेतन आयोग अप्रैल, 1970 में नियुक्त किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1973 में दी थी । तबसे, इन वर्षों के दौरान स्थिति में कई प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई है । परस्पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की उपलब्धियों की आपेक्षिकताओं (रिलेटिविटी) और अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनकी उपलब्धियों की आपेक्षिकताओं में भी परिवर्तन हो गए हैं । उदाहरण के रूप में, कई राज्य सरकारों ने वेतन समितियों अथवा वेतन आयोगों के जरिए अपने कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य लाभों में काफी अधिक संशोधन कर दिए हैं । सरकार का विचार है कि अब चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग नियुक्त करना उपयुक्त होगा । वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को तय करने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा । आयोग के सदस्यों और विचारणीय विषयों की घोषणा यथासम्भव शीघ्र कर दी जाएगी ।

जहां तक 1983-84 में होने वाली प्राप्तियों का सम्बन्ध है, कराधान की मौजूदा दरों पर 19,964 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 17,910 करोड़ के हैं । अनुमान है कि 1983-84 में करों में राज्यों का हिस्सा 5,088 करोड़ रुपए का होगा जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष में यह 4,639 करोड़ रुपए का है । इस प्रकार केन्द्र का निवल कर-राजस्व, चालू वर्ष के 13,271 करोड़ रुपए की तुलना में, 14,876 करोड़ रुपए का होगा ।

बाजार ऋणों से, चालू वर्ष के 3, 00 करोड़ रुपए की तुलना में, 4,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है । अगले वर्ष तकनीकी ऋणों की वसूलियां कम होंगी क्योंकि अदायगियां भी कम की जाएंगी । अगले वर्ष अल्प बचत संग्रह से, इस वर्ष की 1,550 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में, 1,700 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है । ऋणों की वापसी अदायगियों की रकमों को घटाने के बाद, 1940 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष के दौरान इसकी राशि 1,724 करोड़ रुपए की थी ।

प्राप्तियों में होने वाली इन घट बढ़ों और अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने के बाद, 1983-84 में कुल 32,586 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है । इन प्राप्तियों में रेल किरायों और भाड़ों की दरों तथा डाक-तार की शुल्क दरों में होने वाले परिवर्तनों तथा आयकरदाताओं के लिए अनिवार्य जमा योजना को 31 मार्च, 1983 के बाद जारी रखने के परिणाम शामिल हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा । कुल व्यय 34,836 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया

गया है। इस प्रकार, कराधान की मौजूदा दरों पर बजट में कुल मिलाकर 2,250 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजटीय परिणामों की इस समीक्षा की पृष्ठभूमि में सम्मानित सदस्यों के सम्मुख अपने बजट प्रस्ताव रख रहा हूं। बजट राजस्व जुटाने अथवा परिव्ययों की वित्त-व्यवस्था करने का साधन ही नहीं, बल्कि इससे कुछ अधिक भी है। यह किसी आयोजित अर्थव्यवस्था में उपयुक्त वित्तीय और राजकोषीय नीतियों के द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने और विकास की गति को बरकरार रखने का एक सशक्त उपकरण है। इसलिए मैं सम्मानित सदस्यों को अपने बजट के दर्शन से अवगत कराना चाहूंगा। इसके उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को मजबूत बनाना, मुद्रास्फीति को कड़ाई से काबू में रखना, वैयक्तिक और निगमित दोनों क्षेत्रों में बचतों को प्रोत्साहन देना और पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना है। बचतों प्रोत्साहन देने का परिणाम उपभोग को निरुत्साहित करना है। हमारे जैसे समाज में अवसर का उपयोग कर-सम्बन्धी कानूनों में दिए गए कतिपय प्रोत्साहनों और रियायतों की समीक्षा करने और जहां उचित था वहां उन्हें संशोधन करने के लिए भी किया है। हम आज जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं, उसमें यह जरूरी है कि बजट से विदेशी भुगतानों की स्थिति को यथासंभव शीघ्र सक्षम बनाने की परमावश्यकता परिलक्षित होनी चाहिए और इसलिए बजट के द्वारा राजकोषीय साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने और आयात में कमी करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

इस सम्पूर्ण परिधि में रहते हुए, मेरा उद्देश्य यह रहा है कि अगले वर्ष बजट के घाटे को अपेक्षाकृत कम रखा जाए। हालांकि अतिरिक्त साधन जुटाना जरूरी है, फिर भी मैंने यह काम गैर-मुद्रास्फीतिकारी तरीके से और कम तथा मध्यम आय वाले वर्गों पर अतिरिक्त भार डाले बिना करने का प्रयत्न किया है।

मैं सबसे पहले निगम भिन्न-भिन्न आय-करों के क्षेत्र से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों को लूंगा। मेरा उद्देश्यों आय-खण्डो के निचले हिस्से पर और विशेषकर वेतन भोगी कर दाता को कुछ राहत प्रदान करना है। इसके साथ-साथ, मेरा यह प्रयास भी रहा है कि उपभोग को निरुत्साहित करके बचतों को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैं बचतों से सम्बन्धित छूटों को अधिक उदार बनाने की व्यवस्था कर रहा हूं।

मैं अपने विशिष्ट प्रस्तावों की शुरूआत एक अप्रिय प्रस्ताव से करूंगा। मैं निगम-भिन्न करदाताओं पर लगने वाले आय-कर के अधिभार (सरचार्ज) की मौजूदा 10 प्रतिशत की दर को बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 47 करोड़ रुपये और 1983,84 में 37.6 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। यह सारा राजस्व केन्द्र को जाएगा। राष्ट्रीय-सुरक्षा और राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के कारण केन्द्र पर पड़ने वाले भार में हुई वृद्धि को देखते हुए, सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह उपाय न्यायोचित है।

और अब सुखद समाचार सुनिए। वेतन भोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में प्रस्ताव करता हूं कि मानक कटौती की 5000 रुपये की मौजूदा उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 6000 रुपये और वर्ष 1983-84 में 15.2 करोड़ रुपये की हानि होगी।

हाल के वर्षों में हमने आय-कर के सम्बन्ध में छूट की सीमाओं को बढ़ाया है। लेकिन मुझे कुछ औचित्य के साथ यह बताया गया है कि प्रारम्भिक आय-खण्ड के मामले कर की दर कुछ ऊंची है। तदनुसार, मैं प्रारम्भिक आय-खण्ड को विभाजित करने का प्रस्ताव करता हूं। अब 15,001 रुपए से 20,000 तक के पहले खण्ड के लिए कर की दर 30 प्रतिशत के बजाए 25 प्रतिशत होगी। लेकिन, 20,001 रुपए से 25,000 रुपए तक के खण्ड पर कर की वर्तमान दर 30 प्रतिशत ही रहेगी। 25,001 रुपए से 30,000 रुपए तक के अगले खण्ड के लिए कर की दर से प्रतिशत अंक बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दी जाएगी। अधिभार की दर में वृद्धि होने के बाद भी निचले आय-खण्डों में आने वाले व्यक्ति और कतिपय श्रेणियों के हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब इस समय जितना कर देते हैं उससे कम कर देंगे। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राजस्व में पूर एक वर्ष में 35 करोड़ रुपए और 1983-84 में 28 करोड़ रुपए की हानि होगी।

बचतों को प्रोत्साहन देने के उपाय के रूप में, मैं जीवन बीमा, भविष्य निधियों, आदि जैसी विनिर्दिष्ट प्रकार की बचतों के सम्बन्ध में सकल आय की 30 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटाने का प्रस्ताव करता हूं, लेकिन धनराशि के रूप में व्यक्त उच्चतम सीमा लागू रहेगी। इसके अलावा, मेरा इरादा बचत के उपलब्ध माध्यमों में राष्ट्रीय बचत-पत्रों के छठे और सातवें निर्गम को शमिल करके, इन माध्यमों का विस्तार करने का है। इससे विशेष रूप से उन लोगों का लाभ पहुचेगा, जो अधेड़ अवस्था में हैं और अपने कार्यशील जीवन के अन्तिम भाग में है तथा जो जीवन बीमा और अन्य संविदात्मक प्रकार की बचतों का लाभ उठाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। इस उपाय से पूरे एक वर्ष में राजस्व में 15 करोड़ रुपए की और अगले वर्ष 12 करोड़ रुपए की हानि होने की सभावना है।

इस समय विनिर्दिष्ट दीर्घावधिक निवेशों से होने वाली आय में से 4000 रुपए तक की राशि को छूट मिली हुई है और इसके अलावा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बैंक में जमा राशियों और प्रतिभूतियों से मिलने वाले ब्याज की 2000 रुपए तक की राशि की भी छूट प्राप्त है, सरलीकरण के उपाय के रूप में, मैं इन अलग-अलग छूट-सीमाओं को आपस में मिलाने और 6000 रुपए से बढ़ा कर 7000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से होने वाली आय के सम्बन्ध में 3000 रुपए की मौजूदा पृथक छूट अपरिवर्तित बनी रहेगी। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप, विनिर्दिष्ट निवेशों से होने वाली ऐसी कुल आय, जिसे कर से छूट प्राप्त है, 9000 रुपए से बढ़ कर 10,000 रुपए हो जाएगी। इससे बचतों को और प्रोत्साहन मिलेगा।

सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि अधिभार में वृद्धि होने के बावजूद, उक्त प्रस्तावों का प्रभाव कुल मिलाकर ऐसा होगा, जिससे कम देने वाले निर्धारितियों (असेसी) की कर-सम्बन्धी

देनदारियों में वृद्धि नहीं होगी । जहां तक शेष लोगों का सम्बन्ध है, चूंकि मेरा आशय बचतों पर नहीं बल्कि मुख्यतः उपभोग पर अधिभार लगाने का है, इसलिए मैंने अधिभार को विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में की जाने वाली वैयक्तिक बचतों को बढ़ावा देने के उपायों के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है ।

मैं अनिवार्य जमा योजना (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 को और दो वर्षों की अवधि के लिए लागू रखने का प्रस्ताव करता हूं । इस समय, 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को धनराशि जमा कराने से छूट प्राप्त है । मैं इस आयु-सीमा को 70 वर्ष से घटा कर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं । जो व्यक्ति पहली अप्रैल, 1983 को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे उन्हें, अपनी इच्छानुसार, अपनी जमा राशियां पहली जून, 1983 को अथवा उसके बाद निकालने का अधिकार होगा ।

इस समय उन मामलों में जहां किसी पूंजीकृत परिसम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली निबल राशि का निवेश 7-वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में कर दिया जाता है, पूंजी अभिलाभों पर कोई कर नहीं लगता । मुझे बताया गया है कि यह परिपक्वता अवधि कुछ लम्बी है । निवेश के अन्य विकल्पों की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि साधनों का प्रवाह वांछित दिशाओं में हो, निर्वल प्रतिफल (नेट कन्सिडरेशन)का निवेश केन्द्रीय सरकार के 3 वर्षों की परिपक्वता वाले नए बांडों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की विशेष श्रृंखला और आवास तथा नगर विकास निगम के ऐसे ऋणपत्रों में, जिनकी परिपक्वता अवधि उन पर दिए जाने वाले ब्याज के अनुसार उपयुक्त रूप से समायोजित की गई हो, किए जाने पर भी मैं यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैंने भारत में पूंजी-निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों को दिए जाने वाले कर-प्रोत्साहनों को और उदार बनाने का निश्चय किया है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा की प्रेषणाओं द्वारा भारत में किए गए विनिर्दिष्ट निवेशों से उन्हें होने वाली आय पर, मैं 20 प्रतिशत की समान दर (फ्लैट रेट) पर कर और इसके अलावा अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूं । इन निवेशों में भारतीय कम्पनियों के शेयर और ऋण-पत्र (डिबेंचर), भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट और सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं । इन परिसम्पत्तियों के अन्तरण से होने वाले दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर भी प्रस्तावित समान दर से कर लगेगा । ऐसी आमदनियों को उनकी अन्य भारतीय आमदनियों की संगणना करते समय भी हिसाब में नहीं लाया जाएगा । यदि उनकी भारत में कोई अन्य आय नहीं होगी और उनकी आय से प्रस्तावित समान दर पर कर की कटौती कर ली गई होगी, तो उन्हें कर-विवरणियां प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा । इन अनिवासियों को यह भी विकल्प होगा कि यदि वे चाहेंगे तो वे निवासी करदाताओं पर लागू सामान्य दरों पर भी कर अदा कर सकेंगे । ऐसे पूंजी-निवेशों को धन

कर से भी छूट प्राप्त होगी। विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारत में अपने सम्बन्धियों को उपहार में दी गई ऐसी परिसम्पत्तियों को दान-कर से छूट प्राप्त होगी।

अब मैं अपने निगम-कर संबंधी प्रस्तावों को लूंगा। अपने भाषण में इससे पहले मैंने कंपनियों द्वारा अधिक आन्तरिक साधन जुटा कर और प्रदर्शनात्मक उपभोग पर रोक लगाकर निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया था मेरा विश्वास है कि सरकार और कम्पनियां दोनों इस उद्देश्य की पूर्ति में योगदान दे सकती है।

मुझे कई समितियों और उद्योगों के प्रतिनिधि संगठनों द्वारा बताया गया है कि प्रतिस्थापित और आधुनिकीकरण की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए निगम क्षेत्र के पास जो आन्तरिक साधन उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त हैं। मुझे इस तर्क में सार दिखाई देता है। तदनुसार, मैं संयंत्र और मशीनों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की सामान्य दर को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं संयंत्र और मशीनों की छोटी मदों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि की मौद्रिक सीमा को भी 750 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर रहा हूं संयंत्र और मशीनों में किए जाने वाले पूंजी-निवेश को जो अन्य सम्बन्धित लाभ इस समय मिलते हैं, वे मिलते रहेंगे। मूल्यह्रास से सम्बन्धित उपबन्धों को उदार बनाए जाने से राजस्व में एक पूरे वर्ष में 140 करोड़ रुपऐ और वर्ष 1983-83 में 112 करोड़ रुपए की हानि होगी।

सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि गत वर्ष मैंने ऊर्जा की बचत करने और पर्यावरण के प्रदूषण को न्यूनतम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले यंत्रों और प्रणालियों पर उनकी लागत के 30 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास देने का प्रस्ताव किया था मैं इससे भी आगे जाकर और ऊर्जा की बचत करने वाले यंत्रों और प्रणालियों पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक पर्यावरण के प्रदूषण को न्यूनतम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले यंत्रों और प्रणालियों का सम्बन्ध है, मैं निवेश-मोक (इनवेस्टमेंट अलाउन्स) को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

उद्योगों को शहरी इलाकों से हटकर दूसरे स्थानों पर चले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और जन-संकुलित नगरों से भीड़-भाड़ को धटाने और प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में, कारबार के प्रयोजन से इस्तेमाल की जा रही इमारतों अथवा भूमि के अन्तरण से प्राप्त पूंजी अभिलाभ को कर से छूट मिलती है यदि उसका उपयोग नए स्थान पर कारबार के प्रयोजन से भूमि प्राप्त करने अथवा इमारतों का निर्माण करने के लिए किया जाए। मैं कर की इस छूट को मशीनों और संयंत्रों के अन्तरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैने इससे पहले ब्याज दरों के ढांचे में कमी करने का उल्लेख किया था। बैंकों द्वारा दी

जा रही राहत में अपने योगदान के रूप में और उत्पादन तथा पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं ब्याज-कर अधिनियम के अन्तर्गत लागू कर की दर को मौजूदा दर से आधा करने का प्रस्ताव करता हूं। 31 मार्च, 1983 के बाद उद्भूत उस ब्याज के सम्बन्ध में, जिस पर कर लग सकता है, ब्याज-कर की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 3 1/2 प्रतिशत कर दी जाएगी। इस उपाय के कारण होने वाली 130 करोड़ रुपए की हानि के लगभग आधे भाग की पूर्ति, व्यापार और उद्योगों की उधार सम्बन्धी कटौती योग्य लागत के कम हो जाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर-राजस्व प्राप्त होने से जाएगी।

निगम कर ढांचे के सम्बन्ध में मेरा एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना है। इसलिए, मैं पिछले वर्ष घोषित दो योजनाओं को जारी रख रहा हूं और उन्हें अधिक उदार बना रहा हूं।

जहां तक अतिरिक्त उत्पादन सम्बन्धी योजना का सम्बन्ध है, मैं उसका ब्यौरा बाद में अप्रत्यक्ष करों के बारे में अपने प्रस्तावों की चर्चा करने के समय दूंगा।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, मेरे द्वारा पिछले वर्ष घोषित की गई योजना में उन निर्यातकों को कुछ कर राहत दी गई थी, जिनका किसी वर्ष का कुल निर्यात उससे ठीक पहले के वर्ष के निर्यात से 10 प्रतिशत से भी अधिक का हुआ हो। पिछले वर्ष की योजना के अन्तर्गत जो कुल राहत दी जा सकती थी, वह अधिक से अधिक देय कर के 10 प्रतिशत तक सीमित थी। मैं अब इस योजना को सरल और उदार बनाने और न्यूनतम अर्हक राशि तथा राहत की सीमा सम्बन्धी दोनों शर्तों को हटाने का प्रस्ताव करता हूं। निर्यातकों के कारबार में जो वृद्धि हुई हो, उसके 5 प्रतिशत के बराबर की राशि को, वे अपनी कर-योग्य आय की संगणना करते समय, घटा सकते हैं। इस प्रकार नई योजना के अन्तर्गत, निर्यात कारबार में हुई समूची वृद्धि पर राहत प्राप्त हो सकेगा। कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सभी वस्तुओं के निर्यात पर यह रियायत मिल सकेगी। चूंकि यह नया उपबन्ध 1983-84 के निर्धारण वर्ष से लागू होगा, इसलिए पिछले वर्ष किए गए उपबन्ध को हटाने का प्रस्ताव है।

सम्मानित सदस्यों को इस तथ्य की जानकारी आवश्यक होगी कि कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो फल-फूल तो रही हैं लेकिन कोई कर अदा नहीं कर रही है अथवा नाम-मात्र का ही कर देती हैं इसका मुख्य कारण यह है कि ये कंपनियां आय-कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर-प्रोत्साहनों और रियायतों का लाभ उठा रही हैं हमारे लिए यह एक चिन्ता का विषय है कि हमारी कर-प्रणाली के अन्तर्गत बहुत-सी ऐसी कम्पनियां, जो भारी मुनाफा कमाती हैं, अपनी कर सम्बन्धी देनदारी को शून्य तक घटा लेती हैं, हालांकि वे ऊंचे लाभांश देती आ रही हैं। यह उचित प्रतीत होती है कि मुनाफा कमाने वाली और और समृद्ध कम्पनियां एक ऐसे समय में जबकि समाज के अन्य और कम खुशहाल वर्ग बोझा उठा रहे हैं, अपने मुनाफों के कम से कम कुछ भाग का अंश-

दान राष्ट्रीय राजकोष में करें। इसलिए मैं यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि राजकोषीय प्रोत्साहन और रियायतें मुनाफे के 70 प्रतिशत से अधिक भाग पर लागू नहीं होंगी। इसका अर्थ यह होगा कि कम्पनियां अपने मुनाफों के कम से कम 30 प्रतिशत भाग पर न्यूनतम कर अदा करें।

स्वदेशी कम्पनियों के मामले में, कम्पनी की कुल आय के आधार पर, कर की विभेदी दरों को हटाने का प्रस्ताव है।

सरलीकरण के उपाय के रूप में, मैं विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों पर इन कम्पनियों को प्राप्त ब्याज की सकल राशि पर 25 प्रतिशत की समान दर से आय-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

कम्पनियों द्वारा देय आय-कर पर इस समय ऐसे आय-कर के 2.5 प्रतिशत की दर से अधिभार (सरचार्ज) लगता है। मैं अधिभार की दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। किन्तु, कम्पनियों द्वारा देय अतिरिक्त अधिभार के बदले कम्पनियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली एक योजना के अन्तर्गत, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास धनराशि जमा करा सकेंगी। मैं इस उपाय से प्राप्त हो सकने वाले राजस्व की किसी राशि को हिसाब में नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कम्पनियां अतिरिक्त अधिभार की राशि को वस्तुतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा करा देंगी। इस प्रकार जमा कराई गई रकमों से आधुनिकीकरण के लिए धनराशियां उपलब्ध हो सकेंगी और इस प्रकार वे वापस निगम क्षेत्र में ही चली जाएंगी।

हमारे निगम-करों का ढांचा भिन्न-भिन्न प्रकार की बहुत सी कटौतियों से अभिभूत है। हालांकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रत्येक कटौती का कोई न कोई फायदा है; लेकिन कुल मिलाकर इसके परिणामस्वरूप कर प्रशासन जटिल हो जाता है, दुरुपयोग के लिए मौका मिलता है और राजस्व की वृद्धि कम हो जाती है इस ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कटौतियों की समीक्षा की है।

इस समय आय-कर अधिनियम में ऐसी कम्पनी या सहकारी समिति (सोसाइटी) द्वारा किए गए व्ययों की भारित कटौती के लिए व्यवस्था है जो कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन या डेरी उद्योग के उत्पादों का कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करती है जिन व्ययों के संबंध में भारित कटौती की अनुमति है, वे सीधे निर्धारिती (असेसी) के कारबार से सम्बन्धित नहीं होते। मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी कम्पनियां या सहकारी समितियां आगे से केवल व्ययों के लिए हकदार होंगी, भारित कटौती के लिए नहीं।

आय-कर अधिनियम में ऐसे व्ययों या अंशदानों के लिए कटौती की व्यवस्था है जो निर्धा-

रितियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए किए गए हों। विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, चल रहे कार्यक्रमों को कटौती के ये लाभ, समयबद्ध कार्यक्रमों के मामले में समाप्ति की तारीख तक और अन्य मामलों में 28 फरवरी, 1984 तक मिलते रहेंगे। लेकिन, दुरुपयोग की संभावना को रोकने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस सम्बन्ध में और कोई कटौतियां करने की अनुमति नहीं दी जाए। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ग्रामीण विकास के असली कार्यक्रमों को निगम सहायता से वंचित कर दिया जाए। सरकार शीघ्र ही 'ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमन्त्री का कोष' नामक एक कोष स्थापित करेगी जिसमें किए जाने वाले अंशदान आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त होंगे।

पशु-प्रजनन या डेरी उद्योग अथवा मुर्गीपालन के कारबार से और कुकुरमुत्ता (खुंबी) उगाने के कारबार से प्राप्त होने वाले लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध में जो अब तक विशेष कटौती अनुमत थी, उसे वापस लेने का प्रस्ताव है। ऐसे काम-धन्धों के लिए दी जाने वाली राजकोषीय रियायत को जारी रखने का मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की गुंजाइश है। किन्तु, तेलहनों, फलों और सब्जियों की प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी सहकारी समितियों को कर से पूरी छूट दी दी जाए जैसे कि डेरी सम्बन्धी सहकारी समितियों के मामले में दी जाती है।

प्रौद्योगिकी के समस्तरीय(हारिजांटल) अन्तरण के सम्बन्ध में कर सम्बन्धी रियायत 1969 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात को निरुत्साहित करना था। मैं देखता हूं कि इस रियायत का कर-परिवर्जन के लिए दुरुपयोग किया जाने लगा है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धारण वर्ष 1984-85 से इस रियायत को वापस ले लिया जाए।

सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि व्यापार और उद्योग द्वारा खास तौर से यात्रा विज्ञापन और ऐसा ही अन्य मदों पर अत्यधिक और निरर्थक व्यय किया जाता है। सादगी का वातावरण पैदा करने और व्यापार तथा उद्योग द्वारा किए जाने वाले अनुत्पादक, परिहार्य और प्रदर्शनात्मक खर्च को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि कर-योग्य लाभों की संगणना करते हुए ऐसे व्यय के 20 प्रतिशत भाग को नामंजूर कर दिया जाएगा। आयकर अधिनियम में एक निश्चित सीमा से परे सत्कार व्ययों की नामंजूरी अतिथि-गृहों के अनुरक्षण पर हुए सम्पूर्ण व्ययों की नामंजूरी की व्यवस्था है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'सत्कार व्यय' और 'अतिथि गृह' शब्दों को परिभाषित कर दिया जाए ताकि इन शब्दों के सही तात्पर्य के बारे में कोई संदेह न रहे। इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 50 करोड़ रुपये और 1983-84 में 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इन उपायों और मूल्यह्रास मोक (डिप्रीशिएशन अलाउन्स) में वृद्धि करने का असर यह होगा कि अनुत्पादक व्यय के मुकाबले पूंजी-निवेश के प्रति, कराधान के मामले में बहुत ही अधिमान्यपूर्ण व्यवहार किया जाएगा।

ऐसे कई मामले देखने में आए हैं जिनमें करदाता लंबे समय तक उत्पाद शुल्क, भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में अपनी कानूनी देनदारी पूरी नहीं करते। फिर भी अपने आय-कर के निर्धारण के प्रयोजन से इस देनदारी की राशि की कटौती किए जाने की मांग करते हैं जबकि वे खुद कानूनी कार्रवाई का सहारा लेते हैं और इस प्रकार वे सरकार को तो उसकी वाजिब कर-राशि से वंचित करते हैं और खुद अदायगी न करने का फायदा उठाते हैं। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि करदाता चाहे किसी भी लेखा पद्धति का अनुसरण करे, कर-योग्य लाभों की संगणना में कानूनी देनदारी के लिए कटौती की अनुमति उसी वर्ष में और उसी सीमा तक दी जाएंगी, जिस वर्ष और जहां तक वह वास्तव में अदा कर दी गई होगी। इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में 100 करोड़ रुपए और 1983-84 में 80 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

यह देखने में आया है कि कुछ लोग अल्पजन-धारित कम्पनियां बनाकर और उनको अपने धन की कई मदों, खासतौर से आभूषण, बुलियन और जमीन-जायदाद का अन्तरण करके वैयक्तियों धन-कर की देनदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन कम्पनियों पर धन-कर नहीं लगता और ऐसी कम्पनियों के शेयरों के मूल्य से भी कम्पनी की परिसम्पतियों के वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता, इसलिए जो लोग अल्पजन धारित कम्पनियों में ऐसी अनुत्पादक परिसम्पतियां धारण करते हैं, वे काफी हद तक अपनी धन-कर सम्बन्धी देनदारी को सफलतापूर्वक कम कर लेते हैं। ऐसे लोगों द्वारा किए जाने वाले कर-पनिवर्जन को रोकने के उद्देश्य से, मैं अल्पजन धारित कम्पनियों के मामले में, एक समिति रूप से, धन कर पुनः लागू करने का प्रस्ताव करना हूं। इसी लिए मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि अल्पजन धारित कम्पनियो के मामले में, विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों, जैसे कि उनके आभूषण, सोना, बुलियन, इमारतों और जमीनों के मूल्य के रूप में व्यक्ति निवल धन पर 2 प्रतिशत की दर से धन कर लगा दिया जाए। कम्पनी द्वारा अपने कारबार के प्रयोजना के लिए फैक्टरी गोदाम, भांडागार, होटल या कार्यालय के रूप में इस्तेमाल में लाई जाने वाली इमारतों अथवा अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के आवास के लिए काम में लाए जाने वाले मकानों को निवल धन में शामिल नही किया जाएगा।

सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि निगम क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य, संक्षेप में, यह सुनिश्चित करना है कि मुनाफा कमाने वाली प्रत्येक कम्पनी उस वर्ष कुछ कर अवश्य दे जिस वर्ष उसे मुनाफा हुआ हो, कर से बच निकलने के रास्ते बन्द कर दिए जाएं और कटौतियों की संख्या कम कर दी जाए, आधुनिकीकरण और पुनः निवेश के लिए अधिक धनराशियां उपलब्ध हों, कम ब्याज प्रभारों के जरिये लागत कम की जाए और प्रदर्शनात्मक व्ययों में कमी हो और खासतौर से निर्यात के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन को सम्यक् प्रोत्साहन मिले।

बहुत से पूर्त और धार्मिक न्यास (ट्रस्ट) और संस्थाएं, निःसंदेह, प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। दुर्भाग्यवश, यह भी सही है कि उनमें से बहुतों का इस्तेमाल कर परिवर्जन तथा धन संग्रह, के माध्यम के रूप में और संरक्षण प्रदान करने के साधन के रूप में किया जा रहा है, और मैं एक

उदासीन दर्शक बनकर नहीं रह सकता । यही समय है जबकि इन मामलों को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं ।

कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1975 में न्यास निधियों के निवेश के लिए एक पद्धति निर्धारित की गई थी, और यह उपबंध था कि जो न्यास मार्च, 1978 के बाद शुरू होने वाले लेखा वर्षों से इस निवेश पद्धति का पालन नहीं करेंगे वे कर छूट पाने के हकदार नहीं होंगे किन्तु, तत्संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परिवर्तन अधिक सुव्यवस्थित रूप से हो, 1977 में इस तारीख को तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था । चूंकि पूर्त और धार्मिक न्यासों से सबंधित उपबंधों का सारा मामला आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के विचाराधीन था, इसलिए निवेश की नई पद्धति के प्रवर्तन की तारीख को गत वर्ष फिर एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया ।

अब मैंने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है । मुझे इस बात में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता कि न्यास निधियों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयर भी शामिल हैं, निवेश करने की अनुमति दी जाए । इसलिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि सभी न्यास निधियों का विनिर्दिष्ट रूपों, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, अनुसूचित बैंकों की जमा राशियों, अनुमोदित वित्तीय निगमों आदि में निवेश किया जाए । लेकिन स्थावर सम्पतियों में निवेश करने की अनुमति आगे भी जारी रहेगी मैं सभी पूर्त और धार्मिक न्यासों को इस बात के लिए नोटिस दे रहा हूं कि वे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शेयरों और अन्य निवेशों में लगाई गई अपनी धन-राशियों को 30 नवम्बर, 1983 तक वापस निकाल लें । किन्तु न्यासों को कम्पनियों के उन शेयरों को, जो 1 जून, 1973 को उनकी मूल निधि का अंग थे, और उस तारीख तक प्राप्त बोनस शेयरों को रखने की अनुमति दी जाएगी । कुछ न्यास वाणिज्यिक पद्धतियों पर कारबार चलाते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं । कोई कारण नहीं कि कारबार की ऐसी आय पर कर न लगाया जाए । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं । सभी पूर्त और धार्मिक न्यासों, जिनमें वे न्यास भी शामिल हैं जो अब तक अधिसूचना के द्वारा कर मुक्त थे, की कारबार की आय पर निर्धारण वर्ष 1984-85 से कर लगने लगेगा । कारबार से आय प्राप्त करने वाले न्यासों को नई निवेश-पद्धति का भी पालन करना होगा, यदि वे अपनी अन्य आय के बारे में कर से छूट लेना चाहेंगे ।

सम्मानित सदस्यों को निस्संदेह ज्ञात है कि कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क एक राज्य विषय है और केन्द्र ने कृषि भूमि पर संपदा शुल्क केवल उन्हीं संकल्पों के आधार पर लगाया है जो राज्यों ने इस संबंध में संघ को ऐसा करने की समर्थता प्रदान करने के लिए पारित किए हैं । हमारा अनुभव है कि कृषि भूमि के मूल्यनिर्धारण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और मुकदमेबाजी शुरू हो जाती हैं । इस शुल्क के लगने से पिछले कुछ वर्षों में कोई खास प्राप्ति भी नहीं हुई है । इसके अलावा, कृषि भूमि, जिसमें बागान भी शामिल हैं, पर धन-कर

समाप्त कर दिए जाने के बाद, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क को लागू रखने के लिए कोई व्यावहारिक औचित्य दिखाई नहीं देता। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि भूमि पर लगने वाले संपदा-शुल्क को हटा दिया जाए। चूंकि संपदा शुल्क अधिनियम को राज्यों के विधान मंडलों के आवश्यक संकल्पों के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, इसलिए इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए बाद में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

ब्याज-कर में कमी किए जाने से अगले वर्ष राजस्व में 104 करोड़ रुपए की हानि होगी। इस हानि के एक भाग की पूर्ति हो जाने का अनुमान है; इसे हिसाब में लेने पर, निगम-कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से अगले वर्ष 104 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। आय-कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से अगले वर्ष केन्द्र को 25.6 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होगा और राज्यों को 28 करोड़ रुपए की हानि होगी।

अब मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की ओर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन को विदित ही है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे भुगतान शेष पर बराबर दबाव पड़ रहा है इसके बावजूद, हमने आयातों की एक ऐसी व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास किया है, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं जैसी आयात की जाने वाली निविष्टियां (इनपुट) पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो सकें। साथ ही मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि विदेशों के ऐसे निर्यातक, जिन्हें इस समय बाजार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी नीतियों से लाभ उठाकर भारत के बाजार में अनुचित रूप से सस्ता माल बेचें जिससे भारत के उद्योग को हानि हो।

मेरा विश्वास है कि हमें सीमा शुल्कों के साधन का उपयोग न केवल राजस्व संग्रह के लिए बल्कि अपने भुगतान-शेष और औद्योगिक विस्तार को समर्थन प्रदान करने के लिए भी करना चाहिए अपने कर प्रस्तावों को तैयार रहते समय मैंने कर परिवर्जन और अपवंचन को कम से कम करने का भी प्रयास किया है और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन प्रस्तावों से मुद्रास्फीति को बढ़ावा न मिले।

पहले मैं सीमा शुल्कों को लेता हूं। मेरा मुख्य प्रस्ताव यह है कि उन सहायक सीमा-शुल्कों को जारी रखा जाए जो पहली बार 1973 में लगाए गए थे और उसके बाद जो हर साल फिर से लगा दिए जाते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान प्रभावी दरों में कुछ अपवादों के साथ 5 प्रतिशतांकों की वृद्धि कर दी जाए। सहायक शुल्क की कानूनी दर को 50 प्रतिशत पर और अधिकतम प्रभावी दर को केवल 35 प्रतिशत पर लागू रखने का प्रस्ताव है। 15 प्रतिशत के इस अन्तर से हमें शुल्क के स्तर को उतना बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो स्वदेशी उत्पादन को समर्थन प्रदान करने जैसे कारणों से जरूरी हो जाए। अखबारी कागज और कच्चे पेट्रोलियम पर सहायक सीमा शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही, उर्वरकों, मिट्टी के तेल, तेज गति वाले डीजल तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं को सहायक शुल्कों से जो इस समय पूरी छूट मिली हुई है उसे जारी रखा जाएगा इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 254.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

मेरे अगले प्रस्ताव का सम्बन्ध रसायनों से है । वस्तुओं के इस समूह पर सामान्यतः 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की बुनियादी दर से सीमा-शुल्क लगता है । मेरा विश्वास है कि रसायनों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट आ जाने से टेरिफ दर को बढ़ाकर शत प्रतिशत मूल्यानुसार करना और सामान्य प्रभावी दर को बढ़ाकर 70 प्रतिशत मूल्यानुसार कर देना उचित होगा । रसायनों के कतिपय समूहों पर 40 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की जो टेरिफ दरें लागू हैं उन्हें भी इसी प्रकार बढ़ाया जा रहा है । औषधीय रसायनों और औषधियों, कीटनाशी दवाओं (इन्सेक्टि-साइड), नाशक मार दवाओं (पेंस्टिसाइड), कवकनाशी (फंगीसाइड) रसायनों, उर्वरकों, चमड़ा कमाने के रसायनों आदि को प्रायः प्रस्तावित वृद्धि के दायरे से बाहर रखा गया है । इस उपाय से पूरे एक वर्ष में 37.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी ।

मेरा यह भी प्रस्ताव हैं कि जस्ता धातु पर लगे प्रभावी बुनियादी आयात शुल्क को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार और सीमा धातु के आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए । इस समय सीसे की रद्दी और उसकी छीजन (स्कैप) पर प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क की जो आंशिर छूट दी जा रही है उसे भी मैं वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं । इन उपायों से पूरे एक वर्ष में 12.8 करोड़ रुपएं का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और इससे स्वदेशी उत्पादकों की वित्तीय सक्षमता बढ़ेगी ।

हमारे इलैक्ट्रानिक उद्योग के लाभ के लिए, 45 प्रतिशत मुल्यानुसार की वर्तमान रियायती बुनियादी आयात शुल्क दर को कच्चे माल और संघटकों की चार और मदों पर लागू करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत मूल्यानुसार की वर्तमान रियायती बुनियादी आयात-शुल्क दर को 14 और मदों पर लागू करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों से एक वित्तीय वर्ष में राजकोष को 1.22 करोड़ रुपए की हानि होगी ।

एक और रियायत है जिसका सम्बन्ध विदेशों से डाक द्वारा या हवाई जहाज द्वारा प्राप्त होने वाले वास्तविक उपहारों से है । ऐसे उपहारों के लिए मौजूदा शुल्क-मुक्त मूल्य सीमाएं 1968 में निर्धारित की गई थीं । विदेशों से डाक द्वारा या हवाई जहाज द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों और औषिधियों के वास्तविक उपहारों तथा डाक द्वारा आयात की जाने वाली अन्य वस्तुए की शुल्क-मुक्त सीमा को बढ़ाकर 200 रुपए कर देने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि इस सीमा को उदार बना दिए जाने का वे लोग निश्चिय ही स्वागत करेंगे जिन्हें विदेशों से अपने मित्रों और सम्बन्धियों से वास्तविक उपहार प्राप्त होते रहते हैं । इस उपाय से पूरे एक वर्ष में 3.71 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी :

मैं विदेशों से भारत लौटने वाले यात्रियों द्वारा लाए जाने वाले असबाब की वस्तुओं पर शुल्कों से सम्बद्ध उपबन्धों को युक्तिसंगत और उदार बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं । असबाब की वर्तमान 1000 रुपए की शुल्क मुक्त सीमा 1978 में निर्धारित की गई थी । मैं वयस्कों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 1250 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं । अवयस्कों तथा अन्य श्रेणियों

के यात्रियों के लिए भी तदनुरूप वृद्धि कर दी जाएगी। विदेशों में काम करने वाले उन भारतीय श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो वहां प्रायः एक वर्ष के ठेके पर जाते हैं और फिर भारत वापस आ जाते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस्तेमाल की गई घरेलू वस्तुओं के लिए, कुछ अपवादों सहित, शुल्क-मुक्त सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाए। पहले शुल्क योग्य मूल्य-खण्ड पर बुनियादी शुल्क की दर 130 प्रतिशत बनी रहेगी, जबकि पहले शुल्क-योग्य मूल्य खण्ड के अलावा मूल्य पर, कुछ वस्तुओं को छोड़कर, शुल्क की दर 300 प्रतिशत से घटाकर 200 प्रतिशत मूल्यो नुसार की जा रही है। सहायक शुल्क इसके अलावा होगा। असबाब की उन वस्तुओं की सूची को भी छोटा किया जा रहा है जिन्हें बिना शुल्क दिए देश में लाने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से देश में आने वाले यात्रियों को सीमा-शुल्क संबंधी निकासी की जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे कम हो जाएंगी। मेरे विचार से इन रियायतों के कारण राजस्व में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र में इन विभाग के कार्यचालन को दोष रहित बनाया जा सके और राजस्व संग्रह के कार्य को और अधिक कुशल बनाया जा सके। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध मुख्य रूप से अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो खोलने और भांडागारण तथा शुल्क-वापसी के उपबंधों से है। सीमा-शुल्क राजस्व की एक काफी बड़ी राशि माल के बहुत देर तक भांडागारों में पड़े रहने के कारण रुकी रहती है और इसलिए उपभोग्य वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के मामले में भांडागारण की समय-सीमा को घटाकर एक वर्ष और अन्य वस्तुओं के मामले में इसे तीन महीने कर देने का प्रस्ताव है शुल्क-वापसी की अदायगियों को जल्दी निपटाने के उपाय के रूप में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शुल्क-वापसी का दावा करने के लिए इतना ही काफी है कि माल निर्यात के लिए भारत से बाहर के स्थान पर दाखिल हो गया है। जिस न्यूनतम राशि के लिए शुल्क वापसी के दावे पर विचार किया जाएगा, उसे भी 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जा रहा है।

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के लिए ऐसी शक्ति प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है जिससे सरकार टेरिफ में बताए गए आधार से भिन्न आधार पर शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित कर सके। अतः यदि शुल्क की टेरिफ दर मूल्यानुसार आधार पर लगाई गई है तो सरकार को शुल्क की प्रभावी दरें वजन, परिमाण आदि के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार होगा।

महोदय, अब मैं उत्पाद शुल्कों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों पर आता हूं। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य वहां से अप्रत्याशित लाभों को बटोरना है। जहां हमें विश्वास है, वे होते हैं और अलग-अलग मदों पर अतिरिक्त शुल्कों के भार को अपेक्षाकृत कम अनुपात तक सीमित करना है मैंने लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को भी सामने रखा है क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र देश के उद्यमकर्ताओं के लिए एक पाठशाला है और इससे आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को दूर करने में भी सहायता मिली है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष उत्पाद-शुल्कों को मौजूदा दरों पर 1983-84 में जारी रखा जाए।

जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, बाजार में सीमेंट की कीमतें बहुत ऊंची चढ़ी हुई है। अनुचित लाभों को बटोरने के लिए मैं आम इस्तेमाल में आने वाली सीमेंट की किस्म पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर को 135 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 205 रुपए प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूं। मिनी सीमेंट कारखानों में तैयार किए गए सीमेंट पर बुनियादी उत्पाद शुल्क की दर भी 100 रुपए से बढ़कर 170 रुपए हो जाएगी और इस प्रकार उत्पाद-शुल्क के मामले में मिनी सीमेंट कारखानों के लिए 35 रुपए प्रति मेट्रिक टन का मौजूदा अन्तर आगे भी बना रहेगा। एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय शुल्कों से 182 करोड़ रुपए तथा सीमेंट के आयात पर लगे प्रति संतुलनकारी शुल्कों से 6 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ की मद 68 के अन्तर्गत कई वस्तुएं आती हैं जो टेरिफ में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं होती। इन पर लगे उत्पाद-शुल्क की दर 1979 से बराबर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार चली आ रही है। अब मैं इसे 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से पूरे एक वर्ष के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 120 करोड़ रुपए तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के रूप में 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह वृद्धि मूलतः तैयार वस्तुओं पर लागू होगी क्योंकि इस टेरिफ मद के अन्तर्गत आने वाला कच्चा माल और विनिर्मित निविष्टियां वर्तमान की भांति आगे भी शुल्क प्रतिदेयता के लिए पात्र रहेंगी। मैंने, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, लघु उद्योग क्षेत्र को बचाने का ध्यान रखा है।

मैंने मानव-निर्मित रेशों, ब्लेंडिड यार्न और कपड़े (फेब्रिक) के बारे में भी कुछ मिले-जुले उपायों का प्रस्ताव किया है। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मैंने पिछले वर्ष अपने बजट में पालिएस्टर के वांछनीय अनुपातों के साथ मिश्रित कपड़े (ब्लैंडों) के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्पाद-शुल्कों में कई परिवर्तन किए थे। इस क्षेत्र में एक उपाय के रूप में, मैं अब पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों को पालिएस्टर मिश्रित विस्कस कपड़ों की तुलना में प्रतियोगितात्मक वरीयता देने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम पालिएस्टर हो, बुनियादी और अतिरिक्त शुल्क के भार को 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 6.5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। लेकिन ये रियायती दरें पालिएस्टर फिलामेंट यार्न का इस्तेमाल किए जाने की सूरत में लागू नहीं होंगी। 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम पालिएस्टर मिश्रित सूती यार्न पर शुल्क का कुल भार भी 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। इन परिवर्तनों से पूरे एक वर्ष में 19.40 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

विस्कस स्टेपल रेशे पर प्रभावी शुल्क की दर को 4 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। इसके अलावा, इस रेशे के बढ़ते हुए आयात को निरुत्साहित करने के लिए, मैं साधारण विस्कस स्टेपल रेशे पर आयात-शुल्क को 30 प्रतिशत

से बढ़ाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने तथा साथ ही विस्कस स्टेपल रेशे की उन्नत किस्मों पर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। उन उपायों से 5.6 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ होगा।

आयातित पालिएस्टर रेशे के मामले में इसकी जहाज उतरती लागत और घरेलू कीमतों के बीच के अन्तर को देखते हुए, पालिएस्टर स्टेपल रेशे पर शुल्क की प्रभावी दर में 9 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इससे पूरे एक वर्ष में 9 करोड़ रुपए की आय होगी।

पालिएस्टर फिलामेंट यार्न अपेक्षाकृत ऊंची कीमत के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है और मैं वस्त्र बनाने के काम आने वाले फिलामेंट यार्नों पर प्रभावी उत्पाद-शुल्क में 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूं। इस वृद्धि का ऊंचे प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में आयातित फिलामेंट यार्न पर भी बराबर प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि 750 डेनियर और उससे अधिक के फिलामेंट यार्न पर लागू नहीं होगी जो उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। इस से एक पूरे वर्ष में उत्पाद-शुल्क के रूप में 22.5 करोड़ रुपए का और प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के रूप में 5.6 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

उपर्युक्त वृद्धि के अनुरूप मैं टेक्सटाइल डेनियरों के नाइलन फिलामेंट यार्न पर उसी अन्तर से प्रभावी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के रूप में 15.5 करोड़ रुपए के और प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के रूप में 50 लाख रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

कर-परिवर्जन का मुकाबला करने के उपाय के रूप में मैं कुछ वस्तुओं पर लगे शुल्क की दर को मूल्यानुसार से बदल कर मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार या मात्रानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। कागज के मामले में, मूल्यानुसार एवं-मात्रानुसार दर को अपनाते हुए, मैं छपाई और दिखाई के काम आने वाले कागज तथा अन्य अधिकांश किस्मों के कागज और गत्ते के लिए एक समान दर निश्चित करने का प्रस्ताव करता हूं। क्राफ्ट पेपर के लिए प्रभावी बुनियादी शुल्क 10 प्रतिशत मुल्यानुसार सहित 1810 रुपए प्रति मेट्रिक टन तथा अधिकांश अन्य प्रकार के कागज और गत्ते पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार सहित 1430 रुपए प्रति टन मैट्रिक होगा। लेकिन, महानिदेशक, पूर्ति और निपटान को या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले छपाई के सफेद कागज के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की वर्तमान रियायती बुनियादी दर लागू रहेगी।

मैंने कागज के छोटे कारखानों को उपलब्ध वर्तमान रियायतों की भी समीक्षा की है। इस क्षेत्र को दी गई रियायतों को कारखाने की संस्थापित क्षमता के साथ जोड़ने से कुछ व्यावहारिक समस्याएं सामने आती रही हैं। इसलिए मैं किसी एक वित्तीय वर्ष में की जाने वाली निकासियों की मात्रा के आधार पर इस क्षेत्र को दी गई रियायतों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता

हूं। इस सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट की मात्रा में भी समुचित संशोधन किया जा रहा है जिससे कागज बनाने के छोटे कारखानों को अपने उत्पादन में काफी वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाले कागज बनाने के ऐसे कारखानों में उत्पादित कागज के लिए शुल्क की दरें 560 रुपए, 900 रुपए या 1120 रुपए प्रति मेट्रिक टन होंगी और ये बात पर निर्भर करेंगी कि कागज बनाने के इन कारखानों से पूर्ववर्ती-वित्तीय वर्ष में कागज या गत्ते की निकासियों की मात्रा क्रमश: 3000 मेट्रिक टन, 7500 मेट्रिक टन या 16,500 मेट्रिक टन से अधिक न रही हो।

वातित जल (एरेटिड वाटर) के मामले में वर्तमान मूल्यानुसार दरों के स्थान पर शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव है। 200 मि० लि० की सोडे की बोतल पर 5 पैसे और अन्य वातित जलों की बोतल पर 30 पैसे की दर से प्रभावी बुनियादी शुल्क लगेगा। लघु निर्माताओं को दी जाने वाली रियायतें बराबर जारी रहेंगी।

मोटर कारों के सम्बन्ध में वर्तमान मूल्यानुसार दर को मूल्यानुसार-एवं-मात्रानुसार दर में बदला जा रहा है। प्रभावी दरें इंजन की क्षमता पर आधारित होंगी और पेट्रोल-चालित तथा डीजल-चालित कारों के लिए अलग-अलग होंगी।

दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों के टायरों तथा विनिर्दिष्ट आकार के ट्रेलर टायरों के मामले में 60 प्रतिशत की वर्तमान बुनियादी टेरिफ दर को घटा कर 25 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है जो शुल्क की वर्तमान प्रभावी दरों का स्तर है।

सदन को याद होगा कि पिछले नवम्बर में सिगरेटों पर शुल्क की रियायती दरें वापस ले ली गई थीं और सिगरेटों पर कानूनी दरें लागू कर दी गई थीं। लेकिन निर्धारण-योग्य मूल्य को आंकने के तरीके पर विवाद खड़े हो जाने के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, राजस्व की वसूलियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अनिश्चितता को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के विचार से मैं सिगरेटों के सम्बन्ध में शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। शुल्क की दरें सिगरेटों के पैकेटों पर छपी खुदरा बिक्री कीमतों से जुड़ी होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सस्ते सिगरेटों की खपत ज्यादा है, मैंने खुदरा कीमतों के आधार पर शुल्क की क्रम-बद्ध दरें निर्धारित करने का प्रयास किया है। अब जिस शुल्क का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसके अनुसार निम्नतम खंड पर शुल्क की दर 35 रुपए प्रति एक हजार सिगरेट होगी। आशा है कि इस उपाय से सरकार को इस मद से प्रत्याशित राजस्व प्राप्त हो जाएगा।

इन परिवर्जन-निरोधक सभी उपायों से लगभग 50 करोड़ रुपए का वह राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जो अन्यथा परिवर्जित हो जाता।

कई पक्षों से ऐसे प्रबल अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पाद-शुल्क

में रियायत की वर्तमान योजना से इस क्षेत्र की निरन्तर वृद्धि के मार्ग में रुकावट आती है और इस योजना को उदार बनाया जाना चाहिए। मैंने इस मामले पर विचार किया है। इस समय वस्तुओं के 70 निर्दिष्ट समूहों पर जो सामान्य योजना लागू है, उसके अनुसार निर्माताओं को 7.5 लाख रुपए की पहली निकासी पर शुल्क से पूरी छूट पाने का अधिकार प्राप्त है और 7.5 लाख रुपए से अधिक और 15 लाख रुपए तक की निकासियों पर देय शुल्क के 72 प्रतिशत की रियायती दर लागू होती है। मैं 15 लाख रुपए की इस अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही मैं पूरी छूट की 7.5 लाख रुपए की सीमा को घटा कर 5 लाख रुपए कर देने का भी प्रस्ताव रखता हूं। लेकिन, 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की निकासियों पर देय सामान्य शुल्क के 76 प्रतिशत की रियायती दर लागू रहेगी।

दो वस्तु समूहों अर्थात श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री तथा दूसरे प्रशीतन और वातानुकूलन के उपकरणों तथा मशीनरी और उनके हिस्सों पर ऊंची दरों से उत्पाद-शुल्क लगता है और इन्हें सामान्य योजना से निकाल दिया जाएगा। इन मदों के लिए छूट की एक वैकल्पिक योजना की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत 2.5 लाख रुपए की कुल निकासियों वाले लघु निर्माताओं को शुल्क की अदायगी से पूरी छूट दे दी जाएगी और जिन निर्माताओं का उत्पादन 15 लाख रुपए तक होगा, उन्हें अपनी कुल निकासी पर सामान्य से आधी दर शुल्क देना होगा।

जहां तक टेरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लघु निर्माताओं को उपलब्ध छूट का सम्बन्ध है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि पूर्ववर्ती वर्ष की निकासी के मूल्य के रूप में पात्रता की 30 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया जाए। इस उपाय से लघु उद्योग क्षेत्र के एकक अपना अपना उत्पादन बढ़ाते हुए छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शुल्क की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिए जाने से, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, नई रिरायतों की राशि 3 लाख रुपए तक जा सकती है जब कि अब तक यह 2.4 लाख रुपए ही है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन दोनों योजनाओं के मामले में, पात्रता का निर्धारण करने और शुल्क से छूट का लाभ उठाने के प्रयोजन से निकासियों के मूल्य की संगणना में, लघु उद्योगों को उपलब्ध छूटों के अन्तर्गत छूट-प्राप्त वस्तुओं से भिन्न अन्य छूट-प्राप्त वस्तुओं की निकासियों को शामिल न किया जाए। लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई इन सब रियायतों के परिणामस्वरूप एक पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

1982 के बजट के एक भाग के रूप में, मैंने कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तु समूहों के संबंध में, अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एक उत्पादन-शुल्क राहत योजना घोषित की थी। मैं इस

योजना को जारी रखने का ही नहीं बल्कि अतिरिक्त निकासी के लिए शुल्क में राहत बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूं। मौजूदा योजना में, अतिरिक्त निकासियों के लिए कतिपय शुल्क दर समूहों के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए शुल्क के 20 प्रतिशत की राहत और अन्य ऐसे समूहों के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिये शुल्क के 10 प्रतिशत की राहत की व्यवस्था है। मैं वर्तमान एक खंड की बजाए दो खंडों में प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त निकासी के प्रथम खंड के लिए इस समय दिए जा रहे 2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के प्रोत्साहन को बढ़ाकर क्रमशः 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कर दिया जाए और उसके बाद वाले खंड के लिए बढ़ाकर 40% और 20 प्रतिशत कर दिया जाए। मुझे आशा है कि उद्योग इस उदार योजना का लाभ उठाएगा और उत्पादन बढ़ाएगा।

मैंने कुछ ऐसे परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है जिनसे राज्य सरकारें लाभान्वित होंगी। पहला परिवर्तन सूती और मानव-निर्मित दोनों प्रकार के कोटेड फेब्रिक के संबंध में है जहां आधार फेब्रिक पर लगने वाले शुल्क के अलावा, मूल्यानुसार 5 प्रतिशत का अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (बिक्री-कर के एवज में) लगाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 3.4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। दूसरा प्रस्ताव चंदन की लकड़ी के तेल के बारे में है जिसके संबंध में सभी मौजूदा छूटों को वापस लिया जा रहा है। इस प्रस्ताव से एक वर्ष में 30 लाख रुपए का निवल लाभ होगा।

अब मैं उन परिवर्तनों की चर्चा करूंगा जिनसे राजस्व में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लोहे और इस्पात की मदों से संबंधित टेरिफ के वर्णनों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं जिनसे, जहां तक इन मदों का संबंध है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ का भारतीय सीमा-शुल्क टेरिफ के साथ ठीक मेल बैठ जाएगा। कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से अब तक अपनाए गए वर्गीकरण के सिद्धांतों को टेरिफ की प्रविष्टि में ही शामिल किया जा रहा है। लोहे और इस्पात से संबंधित टेरिफ की प्रविष्टियों को अधिक वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया जाएगा और प्रति-सन्तुलनकारी शुल्क लगाने के मामले में आने वाली समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जाएगा। किन्तु इन परिवर्तनों को आवश्यक तैयारी करने के उपरान्त, बाद की तारीख से लागू किया जाएगा। तब तक, शुल्क की वर्तमान प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

इन उपायों की श्रृंखला से कहीं ऐसा विचार न बन जाए कि वित्त मंत्री के प्रस्ताव केवल राजस्व जुटाने के लिये ही हैं, इसलिये मैं यह बतला दूं कि जहां कहीं उपयुक्त था, मैंने उत्पाद-शुल्कों में कुछ रियायतें देने का भी प्रयत्न किया है, जिनके बारे में मैं अब घोषणा करूंगा।

पारिवारिक बजट में चीनी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं 'लेवी' और 'लेवी-भिन्न' दोनों प्रकार की चीनी पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान मूल्यानुसार दरों के स्थान पर मात्रानुसार दरें लागू की जाएंगी, अर्थात 'लेवी' की चीनी पर 38 पैसे प्रति किलोग्राम और 'लेवी-भिन्न' चीनी पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दरें लागू होंगी। इससे एक पूरे वर्ष में 21.02

करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। किन्तु मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि चीनी पर बिक्री-कर के स्थान पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से राज्यों को मिलने वाली राशि में कोई कमी न हो।

अन्य देशों की तरह भारत में भी गृहणियां अपने व्ययों में हुई वृद्धि के बारे में कुछ समय से शिकायत कर रही हैं। वे जो कुछ पकाती हैं उसके पोषक गुणों को और आशा है उसकी स्वादिष्टता को भी किसी प्रकार प्रभावित न करते हुए, उनके ईंधन बिल में किफायत करने के एक उपाय के रूप में, मैं प्रैशर कुकरों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अब वे अपने रसोई घरों में किसी और को भाप निकालता हुआ पाएंगी।

ईंधन की किफायत को बढ़ावा देने के इरादे से ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कम ईंधन लगने वाले किरोसीन स्टोवों को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया जाए।

इस समय 60 वाट तक के बिजली के बल्बों पर फ्लोरेसेंट ट्यूबों पर क्रमशः 10 प्रतिशत मूल्यानुसार और 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की प्रभावी बुनियादी दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। इन मदों की कीमतों को कम करने के एक उपाय के रूप में और इस प्रकार कम लागत पर ज्यादा रोशनी फैलाने के प्रयत्न में सहायता देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वोक्त बल्बों को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया जाए और उपरोक्त ट्यूबों पर बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए।

ईंधन की बचत के लिए बहु-धुरीय वाहनों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मैं उन पर लगने वाले प्रभावी बुनियादी शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं।

किसान भाइयों के फायदे के लिए, जो इन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को तथा क्षारीय भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि ग्रेड के पाइराइटों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए।

सिंचाई के लिए छिड़काव उपस्कर (स्पिंक्लर) में काम आने वाली अल्यूमिनियम की पाइपों पर भी पूरी छूट दे दी जाएगी। इस समय इन पर 16 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से बुनियादी उत्पाद-शुल्क लगता है। एक दूसरा प्रस्ताव कृषि के काम आने वाले फुहारों (स्प्रेयर) और विद्युत शक्ति चालित साइकिलों के अन्तर्दहन इंजनों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने के लिये है।

तैयार या परिरक्षित खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों की कीमतों के ऊंचे होने का एक कारण यह भी है कि उनको पैक करने में इस्तेमाल किये जाने वाले धातुओं के डिब्बों (कंटेनर) की

लागत का अंश भी उनकी कीमत में शामिल होता है। मैं इन मदों को उत्पाद-शुल्क के उस भाग से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, जिसका सम्बन्ध ऐसे डिब्बों की लागत से हो। इससे उपभोक्ताओं के लिये इन खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी आनी चाहिये।

एक किलोग्राम तक के पेक में बेचे जाने वाले मखनिया दूध के पाउडर को भी शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं के लिये उसकी कीमत कम हो जाए।

मैं अस्पतालों में काम आने वाले फर्नीचर की कई विनिर्दिष्ट मदों को शुल्क से पूरी छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे अस्पतालों के लिये उनकी लागत कम हो जाएगी।

उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी इन रियायतों से राजकोष को एक पूरे वर्ष में 35.02 करोड़ रुपये की हानि होगी।

सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के संबन्ध में कुछ अन्य प्रस्ताव भी हैं जो अपेक्षाकृत मामूली हैं। मैं उनके बारे में सदन का समय नहीं लेना चाहता।

मैंने जो प्रस्ताव पेश किए हैं उनसे एक पूरे बर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 409.00 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 397.96 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। रियायतों और राहतों की राशि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 83.58 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों के अन्तर्गत 5.92 करोड़ रुपए बैठती है। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 325.42 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्कों से 393.03 करोड रुपए की निवल प्राप्ति होगी। एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय राजकोष को 589.71 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और राज्यों के हिस्से में 127.74 करोड़ रुपए आएंगे।

जिन मामलों में पहली मार्च, 1983 से प्रवृत्त होने वाले परिवर्तन अधिसूचनाओं के जरिए लागू किए जाएंगे, उनमें अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा-पटल पर यथासमय रख दी जाएंगी।

बजट प्रस्ताव बनाने ध मुझे संसदीय समितियों की रिपोर्टों तथा आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा अब तक दी गई रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों से बड़ी सहायता मिली है। जहां कहीं व्यावहारिक और समीचीन था, मेरे प्रस्तावों में इन सिफारिशों को मूर्त रूप दे दिया गया है, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इन रिपोर्टों में की गई सभी सिफारिशों पर अंतिम रूप से निर्णय लेना सम्भव नहीं हुआ है। शहरी सम्पत्तियों के मूल्यांकन से सम्बन्धित अधिकरण की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में की गई कई सिफारिशों पर प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक के लिए कार्रवाई की जाएगी ; इस विधेयक को तैयार करने का काम हाथ में लिया जाना है।

इस वर्ष मुझे अपने सम्मानित सहयोगी संचार मन्त्री जी की ओर से कुछ अधिक नहीं कहना

है क्योंकि उन्होंने अपनी बात स्वयं ही कह दी है। डाक सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इनका हर साल विस्तार किया जा रहा है। इस समय देश में 1,41,000 से अधिक डाक घर हैं और विभागेतर कर्मचारियों सहित लगभग 5.8 लाख कर्मचारी हैं। कार्यचालन की बढ़ती हुई लागत के कुछ भाग को पूरा करने के लिए डाक की शुल्क-दरों को संशोधित करना जरूरी हो गया है। मेरा पोस्ट-कार्डों और लैटर-कार्डों को छूने का विचार नहीं हैं, लेकिन पार्सलों से सम्बन्धित शुल्क-दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे कि एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपए और वर्ष 1983-84 में 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो सकेगी। प्रस्तावित शुल्क-दरों की जानकारी देने वाला एक ज्ञापन बजट पत्रों के साथ परिचालित किया जा रहा है। ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

मैंने पहले यह बताया था कि कराधान की मौजूदा दरों पर बजट में 2250 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। राहतों और रियायतों को हिसाब में लेते हुए, प्रस्तावित कर-उपायों से वर्ष 1983-84 में केन्द्र को 615.31 करोड़ रुपए और राज्यों को 100.74 करोड़ रुपए का निबल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा, मैं पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त करने के लिए अनुमोदित निवेश के रूप में जारी किए जाने वाले नए बांडों से होने वाली 135 करोड़ रुपए की प्राप्ति को भी हिसाब में ले रहा हूं। मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों से प्राप्त होने वाले 55 करोड़ को, जिन्हें बजट में पहले ही शामिल किया जा चुका है, घटाने के बाद, इस सम्बन्ध में 80 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। इस प्रकार, बजट का घाटा कम होकर 1555 करोड़ रुपए का रह जाएगा। सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इससे अर्थव्यवस्था पर कोई अनुचित दबाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने विकास सम्बन्धी जो समस्याएं हैं, उनका कोई सरल समाधान अथवा सुगम मार्ग नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी सफलता अथवा असफलता अंततः हमारे आर्थिक प्रबन्ध क स्तर और जनता के सहयोग पर ही निर्भर करेगी। यह सच है कि हम चालू वर्ष में कृषि को धक्का लगने के बावजूद कीमतों को स्थिर रखने, पिछले तीन वर्षों में अपनी राष्ट्रीय आय में लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करने और प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के बावजूद अपने भुगतान-शेष में कुछ सुधार करने में सफल हुए हैं। लेकिन इन उपलब्धियों से हम अपनी आर्थिक खुशहाली के भुलावे में न खो जाएं। अभी हमें लम्बा और कठिन रास्ता तय करना है, लेकिन अपनी जनता की सक्षमता और निष्ठा को देखते हुए, हम भविष्य का सामना आशा और विश्वास के साथ कर सकते हैं।

महोदय, अब मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूं।

वित्त विधेयक 1983

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 1983-84 के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति की जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्तावना को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त मंत्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक 1983 पुरःस्थापित हो गया है। सभा अब 1 मार्च, 1983 के 11 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

6.36 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 1 मार्च 1983, 10 फालगुन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रेस फुआरा दिल्ली-6